VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

दिसंबर 2021

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2023

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन

- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

लाइव / ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

Scan the QR CODE *to* download **VISION IAS** app

DELHI: 1 FEB | 1 PM

LUCKNOW: 12 APR | 9 AM

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

प्रारंभिक

✓ सामान्य अध्ययन ✓ सीसैट

प्रारंभिक 2022 के लिए 30 जनवरी

PRELIMS 2022 starting from 30 Jan

मुख्य

✓ सामान्य अध्ययन ✓ निबंध ✓ दर्शनशास्त्र

for MAINS 2022: 30 Jan | मुख्य 2022 के लिए 30 जनवरी

for MAINS 2023: 23 Jan | मुख्य 2023 के लिए 6 फरवरी

Scan the QR CODE *to* download **VISION IAS** app

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance) 7

1.1. अधिकारों एवं कर्तव्य का संतुलन (Balance of Rights and Duty) 7

1.2. वैश्विक शासन में लोकतांत्रिक सिद्धांत (Democratic Principles In Global Governance) 9

1.3. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee: PAC) 11

1.4. निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक {Election Laws (Amendment) Bill} 13

1.5. धर्मांतरण विरोधी कानून (Anti-Conversion Laws) 16

1.5.1. बेअदबी या पवित्र वस्तुओं के अनादर की घटना (Sacrilege) 18

1.6. भारत में न्यायिक अवसंरचना (Judicial Infrastructure in India) 19

1.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) 21

1.7.1. संविधान सभा की ऐतिहासिक पहली बैठक के 75 वर्ष पूर्ण हुए {75 Years of The Historic First Sitting of Constituent Assembly (CA)} 21

1.7.2. विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे की तर्ज पर आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता उपाय {Special Assistance Measure (SAM) Extended To Andhra Pradesh In Lieu of Special Category States (SCS) Status} 22

1.7.3. प्रवासी भारतीय नागरिक द्वारा अचल संपत्ति की खरीद / हस्तांतरण (Purchase/Transfer of Immovable Property by OCI) 22

1.7.4. परिसीमन आयोग ने जम्मू के लिए छह और कश्मीर घाटी के लिए एक अतिरिक्त सीट का प्रस्ताव रखा है {Delimitation Commission (DC) Proposes Six Additional Seats For Jammu, One For Kashmir Valley} 23

1.7.5. सुशासन दिवस (25 दिसंबर) के अवसर पर सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया गया {Good Governance Index (GGI) 2021 Launched On Good Governance Day (25th December)} 23

1.7.6. अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन (All India Mayors' Conference) 24

1.7.7. मध्य प्रदेश ने भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के कार्यान्वयन की घोषणा की {Madhya Pradesh Announced The Implementation of A Police Commissionerate System (PCS) In Bhopal And Indore} 24

1.7.8. डिफ़ॉल्ट/ वैधानिक ज़मानत {Default Bail} 25

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 26

2.1. 1971 के भारत-पाक युद्ध का प्रभाव (Understanding The Impact Of 1971 Indo-Pak War) 26

2.2. बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) के उभरते विकल्प: भारत के लिए अवसर? (Emerging BRI Alternatives: Opportunity for India?) 28

2.3. जी-20 (G20) 31

2.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) 33

2.4.1. विश्व व्यापार संगठन के विवाद निवारण समिति ने भारत द्वारा प्रदान की जाने वाली चीनी निर्यात सब्सिडी के विरुद्ध निर्णय दिया है {World Trade Organisation (WTO) Dispute Panel Rules Against India's Sugar Export Subsidies} 33

2.4.2. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया {UN General Assembly (UNGA) Confers Observer Status on The International Solar Alliance (ISA)} 34
2.4.3. हिंद महासागर वार्ता (Indian Ocean Dialogue: IOD) 34
2.4.4. विदेश मंत्रियों के मध्य तीसरा भारत-मध्य एशिया संवाद दिल्ली में आयोजित किया गया (3rd India-Central Asia Dialogue Between Foreign Ministers Held in Delhi) 35
2.4.5. भारत-श्रीलंका मत्स्यन विवाद (India-Sri Lanka Fisheries Dispute) 35
2.4.6. न्यू डेवलपमेंट बैंक (New Development Bank: NDB) 36
2.4.7. ऑपरेशन देवी शक्ति (Operation Devi Shakti) 36

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 37

3.1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण {Privatisation of Public Sector Banks (PSBs)} 37

3.2. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report: FSR) 40

3.3. फिनटेक (FinTech) 41

3.4. सर्विसेज़ डोमेस्टिक रेगुलेशंस (Services Domestic Regulations: SDR) 43

3.5. वैश्विक न्यूनतम कर दर (Global Minimum Tax Rate) 45

3.6. पी.एम.-किसान (PM-KISAN) 48

3.7. भारतीय रेलवे के वित्त पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट {Comptroller and Auditor General (CAG) Report on Indian Railways} 50

3.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) 53
3.8.1. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए {Guidelines For Central Public Sector Enterprise (CPSE) Disinvestment Released by Ministry Of Finance} 53
3.8.2. भुगतान या पेमेंट्स बैंक (Payments Bank) 54
3.8.3. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने LIC, GIC तथा न्यू इंडिया को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्ता के रूप में बरक़रार रखा है {IRDAI Retains LIC, GIC, New India As Domestic Systemically Important Insurers (D-SIIS)} 55
3.8.4. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा एल्गो ट्रेडिंग को विनियमित करने का प्रयास किया जा रहा है (Sebi Seeking To Regulate Algo Trading) 55
3.8.5. थोक मुद्रास्फीति (Wholesale Inflation) 56
3.8.6. रुपे डेबिट कार्ड को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी (Incentive Scheme To Promote Rupay Debit Cards Approved) 57
3.8.7. प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल {MIS (Management Information System) Portal} 57
3.8.8. ULIP हैकथॉन - लॉजिक्सटिक्स (Ulip Hackathon - Logixtics) 57
3.8.9. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्राइम (NSE Prime) 57
3.8.10. कार्ड टोकनाइजेशन (Card Tokenisation) 58

4. सुरक्षा (Security) 59

4.1. उभरती हुई प्रौद्योगिकियां और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरा (Emerging Technologies and Threat to National Security) 59

4.2. जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा (Climate Change and Security) 61
4.3. इंटरनेट शटडाउन (Internet Shutdown)....63
4.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News In Shorts) 65
4.4.1. विस्तारित रेंज पिनाका रॉकेट प्रणाली {Pinaka Extended Range (Pinaka-ER)}....65
4.4.2. स्टैंड-ऑफ एंटी टैंक मिसाइल {Stand-Off Anti-Tank (SANT) Missile} 65
4.4.3. सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपीडो (Supersonic Missile Assisted Torpedo: SMART) 65
4.4.4. अग्नि प्राइम (Agni Prime) 66
4.4.5. नियंत्रित हवाई वितरण प्रणाली-500 {Controlled Aerial Delivery System-500 (CADS-500)} 66
4.4.6. वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल {Vertical Launch Short Range Surface To Air Missile (VL-SRSAM)} 66
4.4.7. प्रलय मिसाइल (Pralay Missile)....66
4.4.8. आर्मी सिक्योर इंडीजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन (Army Secure Indigeneous Messaging Application: Asigma) 66
5. पर्यावरण (Environment) 68
5.1. जैव विविधता (संशोधन) विधेयक {Biological Diversity (Amendment) Bill), 2021}....68
5.2. वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 {Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2021} 71
5.3. विकास प्रेरित विस्थापन (Development Induced Displacement) 73
5.4. बांध सुरक्षा अधिनियम, 2019 (Dam Safety Act, 2019)....76
5.5. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (Protection Of Plant Varieties and Farmers Rights Act: PPV&FR)....80
5.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) 83
5.6.1. नैरोबी घोषणा-पत्र (Nairobi Declaration)....83
5.6.2. हैदरपुर आर्द्रभूमि (Haiderpur Wetland) 83
5.6.3. वैश्विक मीथेन पहल (Global Methane Initiative: GMI) 83
5.6.4. संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 49 हजार ग्रामीण अधिवास जल प्रदूषण से प्रभावित हैं (Nearly 49k Rural Habitations Affected with Water Contamination, Says Parliamentary Panel Report)....83
5.6.5. गैर-जीवाश्म ईंधन से विद्युत क्षमता (Electricity Capacity From Non-Fossil Fuel) 84
5.6.6. UNDP ने भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का व्यापक विस्तार करने की योजना बनाई है {UNDP Plans to Drastically Expand Plastic Waste Management (PWM) in India}....84
5.6.7. बोसेनबर्गिया अल्बोल्यूटिया और बोसेनबर्गिया रूब्रोलुटिया (Boesenbergia Albolutea & Boesenbergia Rubrolutea)....84
5.6.8. कैनरी ब्लैक बी (Canary Black Bee)....85
5.6.9. कोयला मंत्रालय ने मिशन कोकिंग कोल की स्थापना की है {Ministry of Coal Has Set Up Mission Coking Coal (MCC)}....85
5.6.10. सरकार ने वाहन निर्माताओं को वाहनों में फ्लेक्स-फ्यूल इंजन लगाने के लिए परामर्शिका जारी की है (Government Issues Advisory To Carmakers To Introduce Flex-Fuel Engines In Vehicles) 86

VISIONIAS

5.6.11. कृषि फोटोवोल्टिक {Agricultural Photovoltaic (AGRI-PV)}..86
5.6.12. भारत-यूरोपीय संघ स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी (India-Eu Clean Energy and Climate Partnership) 86
5.6.13. "नेट जीरो" ऊर्जा भवनों के लिए ज़ीरो लेबलिंग {Shunya Labelling For Net Zero Energy Buildings (NZEB)} 87

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) 88

6.1. महिलाओं के विवाह की आयु (Marriage Age of Women)..88

6.2. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना (Beti Bachao, Beti Padhao Scheme)..90

6.3. भारत में एडटेक (शिक्षा प्रौद्योगिकी) क्षेत्र (EdTech Sector in India)..92

6.4. सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (Surrogacy (Regulation) Act , 2021)..95

6.5. विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 (World Migration Report 2022)..98

6.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) 99
6.6.1. विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 (World Inequality Report 2022)..99
6.6.2. 'शी इज ए चेंजमेकर' कार्यक्रम ('She Is a Changemaker' Programme) 100
6.6.3. नीति आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया {NITI Aayog Releases Northeastern Region (NER) District SDG Index and Dashboard 2021-22} 100
6.6.4. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी भारत को 'कचरा मुक्त' बनाने के लिए रोडमैप जारी किया {Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) Launches Roadmap to make Urban India 'Garbage Free'}.........101
6.6.5. सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम (Sustainable Urban Development and Service Delivery Program)..102
6.6.6. अटल नवाचार उपलब्धि संस्थान रैंकिंग (Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements: ARIIA) 102
6.6.7. संसदीय स्थायी समिति ने "स्कूल की पाठ्यपुस्तकों के कंटेंट और डिजाइन में सुधार" हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की है {Parliamentary Standing Committee (PSC) Submitted "Reforms in Content and Design of School Textbooks" Report}..102
6.6.8. श्रेष्ठ योजना (Shrestha Yojna)..102
6.6.9. शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2020 {Shakti Criminal Laws (Maharashtra Amendment) Bill, 2020}..103
6.6.10. केंद्र सरकार ने मोटे अनाज की खरीद के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन किया (Centre Revises Guidelines for Procurement of Coarse Grain) 103
6.6.11. उपभोक्ता संरक्षण (जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र) नियम, 2021 {Consumer Protection (Jurisdiction of the District Commission, The State Commission and The National Commission) Rules, 2021}..104

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) 105

7.1. ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति (National Strategy on Blockchain)..105

7.2. कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी (Drone Technology In Agriculture)..109

7.3. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (James Webb Space Telescope: JWST) 111
7.4. पार्कर मिशन (Parker Mission) 112
7.5. सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 {Assisted Reproductive Technology (ART) Regulation Act 2021} 114
7.6. डोपिंग रोधी विधेयक (Anti-Doping Bill) 117
7.7. विश्व मलेरिया रिपोर्ट, 2021 (World Malaria Report 2021) 119
7.8. ट्रांस फैट (Trans Fats) 121
7.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) 125
7.9.1. वेब 3.0 (WEB 3.0) 125
7.9.2. ऑस्कर 1 (ऑर्बिटिंग सैटेलाइट कैरीइंग एमेच्योर रेडियो) {OSCAR 1 (Orbiting Satellites Carrying Amateur Radio)} 126
7.9.3. इमेजिंग एक्स-रे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर (Imaging X-Ray Polarimetry Explorer: IXPE) 126
7.9.4. मैग्नेटर्स से उत्सर्जित क्षणिक उच्च ऊर्जा स्पंदन को समझने के लिए वैज्ञानिकों को प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ (Scientists Trace First Clue to understand Transient High Energy Pulses from Magnetars) 126
7.9.5. राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम (National Oxygen Stewardship Programme) 127
7.9.6. सरकार ने फसलों पर तपेदिक रोधी एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग पर रोक लगाई (Government Prohibits Use Of TB Antibiotics on Crops) 127
7.9.7. विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly) 127
7.9.8. वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 {Global Health Security Index (GHSI) 2021} 128
7.9.9. वैज्ञानिकों ने प्रजनन करने में सक्षम पहला जीवित रोबोट विकसित किया है (Scientists Developed First Living Robots That Can Reproduce) 128
7.9.10. ग्रीन हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना (Green Hydrogen Microgrid Project) 128
8. संस्कृति (Culture) 130
8.1. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और विज्ञान की भूमिका (Indian Independence Movement & the Role of Science) 130
8.2. श्री अरबिंदो (Sri Aurobindo) 131
8.3. कोणार्क सूर्य मंदिर (Sun Temple of Konark) 133
8.4. दुर्गा पूजा (Durga Puja) 134
8.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) 136
8.5.1. निजामुद्दीन बस्ती (Nizamuddin Basti) 136
8.5.2. रमना काली मंदिर (Ramna Kali Temple) 136
8.5.3. 1839 ई. का ताई खम्पती विद्रोह (Tai Khamti Mutiny of 1839) 136
8.5.4. अपतानी वस्त्र (Apatani Textiles) 136
8.5.5. कावी चित्रकारी (Kaavi Art) 137
8.5.6. भारतीय बाजार में खिलौनों के आयात में गिरावट दर्ज की गई है (Decline In Imports of Toys into Indian Market) 137

8.5.7. वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम (Vernacular Innovation Program: VIP) 138
8.5.8. प्रधान मंत्री युवा (YUVA- युवा, आगामी और बहुमुखी लेखक) योजना {Pradhan Mantri Yuva (Young, Upcoming And Versatile Authors) Scheme}..138
8.5.9. साहित्य अकादमी पुरस्कार (Sahitya Akademi Awards) 138
8.5.10. ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो (Order Of The Druk Gyalpo) 138

9. नीतिशास्त्र (Ethics) 140

9.1. भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा एवं हत्या (लिंचिंग) (Mob Violence and Lynching) 140

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएँ (Schemes in News) 144

10.1. दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission: DAY-NRLM) 144

10.2. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana: PMKSY)..............................145

नोट:

प्रिय छात्रों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना लेखों को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।

पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे स्मरण में बनाए रखने के लिए प्रश्न एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इसे सक्षम करने के लिए हम प्रश्नों के अभ्यास हेतु मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में एक स्मार्ट क्विज़ को शामिल कर रहे हैं।

विषय को सुगमता पूर्वक समझने और सूचना के प्रतिधारण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के इन्फोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।

सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

1.1. अधिकारों एवं कर्तव्य का संतुलन (Balance of Rights and Duty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय कानून मंत्री ने संविधान दिवस समारोह के दौरान **मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के मध्य संतुलन** बनाने की वकालत की।

अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में

- मौलिक अधिकार **उन दावों** को प्रदर्शित करते हैं जो **किसी व्यक्ति के अस्तित्व और विकास** के लिए आवश्यक हैं।
  - इसमें **आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार**[1] शामिल हैं। एक समाज या राष्ट्र वैधानिक, सामाजिक या नैतिक सिद्धांतों के माध्यम से इन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है।
- इसी प्रकार, प्रत्येक व्यक्ति, समाज तथा इसके मानदंडों के एक भाग के रूप में **अन्य व्यक्तियों, समाज, राष्ट्र या मानवता के प्रति कुछ कर्तव्यों** का पालन करता है।
  - जैसे, वेदों में **ऋत** (प्राकृतिक व्यवस्था या सत्य) के आधार पर **धर्म** (कर्तव्य) और **कर्म** (क्रिया) के सिद्धांत दिए गए हैं।

वर्तमान भारत में अधिकार और कर्तव्य

- भारत का संविधान लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करने वाला एक प्रमुख दस्तावेज है। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान के **भाग II में मौलिक अधिकारों** का उल्लेख है, जबकि **भाग IVA में मौलिक कर्तव्यों** को शामिल किया गया है। **मौलिक कर्तव्य** ऐसे मुख्य कर्तव्य हैं जिनका प्रत्येक नागरिकों द्वारा पालन किये जाने की अपेक्षा की जाती है।
  - कुछ अधिकार भाग III के बाहर भी हैं। उदाहरण के लिए, **संपत्ति का अधिकार** (अनुच्छेद 300A) जो मौलिक अधिकार न होकर एक संवैधानिक अधिकार है।
- यद्यपि अधिकार और कर्तव्य दोनों अनिवार्य हैं, तथापि वर्तमान भारत में अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों के पालन को उतना महत्व नहीं दिया जाता हैं।
  - उदाहरण के लिए, **"जीवन का अधिकार"** तथा **"वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता"**, दोनों प्रायः चर्चा में रहते हैं। किन्तु यदि कर्तव्यों की बात करें तो, कुछ दायित्वों जैसे **कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व**[2] के अलावा, अन्य के बारे में बहुत कम चर्चा की जाती है।

भाग IVA : मूल कर्तव्य

(पहले 10 कर्तव्यों को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और 11वां कर्तव्य वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।)

अनुच्छेद 51A: मूल कर्तव्य – भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह:

(a) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करे;

(b) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(c) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे बनाए रखे;

(d) देश की रक्षा करे और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(e) भारत के सभी लोगों में एकता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से ऊपर हो; ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हैं;

(f) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसे बनाए रखे;

(g) वन, झील, नदी और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसे बढ़ावा दे तथा प्राणियों के प्रति दया भाव रखे;

(h) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे;

(i) सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे;

(j) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का लगातार प्रयास करे, जिससे देश सदा प्रगति करे और नई उपलब्धियां हासिल करे;

(k) यदि कोई नागरिक माता–पिता या अभिभावक है, तो उसका यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे।

अधिकारों और कर्तव्यों को एक साथ देखने के लाभ

- **पूरक प्रकृति:** प्रत्येक अधिकार दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने से संबंधित एक दायित्व के साथ आता है।
  - उदाहरण के लिए, मीडिया को **"वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता"** के अधिकार के साथ ही यह भी कर्तव्य है कि वे दूसरों की निजता का भी सम्मान करें।
- **व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बचाव:** यद्यपि 'विधि का शासन' (Rule of

---

[1] Economic, Social and Cultural rights: ESC rights

[2] Corporate Social Responsibility: CSR

Law) राज्य का उत्तरदायित्व है, तथापि कर्तव्य यह सुनिश्चित करते हैं कि कम-से-कम अधिकांश आबादी किसी बाहरी दबाव के बगैर कानून का पालन करे।

- **शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने में सहायक:** अधिकारों तथा कर्तव्यों को साथ शामिल किये जाने से लोगों के साथ रचनात्मक जुड़ाव में प्रशासन को सहायता मिलती है। यह शांति और सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र के निर्माण में सहायता करता है। इसके अलावा यह हिंसा से जुड़े कृत्यों और सभी प्रकार के भेदभाव को भी हतोत्साहित करता है।
    - उदाहरण के लिए- यदि लोग संविधान का पालन करने के साथ ही संवैधानिक संस्थाओं का ईमानदारी से सम्मान (प्रथम मौलिक कर्तव्य) करते हैं, तो शांति और सद्भाव को बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार, हिंसा त्यागने का निर्णय **समाज की जीवंतता और बहुलवादी प्रकृति** को संरक्षित करने में सहायता करता है।
- **राज्य को उसके कर्तव्य निर्वहन में सहायता करना:** राज्य लोगों की सहायता के बगैर सभी अधिकारों को सुनिश्चित नहीं कर सकता है।
    - उदाहरण के लिए- राज्य को सबकी शैक्षिक तथा पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माता-पिता या उन व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता होती है जो जमीनी स्तर पर कार्य करते है अथवा करों का भुगतान करके संसाधन उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं।
- **केवल स्वहित एवं स्व कल्याण या स्वार्थपूर्ण जैसी संकीर्ण प्रवृत्तियों को रोकने में सहायक:** साझी मानवता और दूसरों के अधिकारों के लिए वास्तविक सम्मान, दोनों ही, लोगों द्वारा स्वार्थ पर नियंत्रण पाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से बचने के लिए आवश्यक हैं। जैसा कि 'कर्तव्य के सिद्धांत (principle of Duty)' में **ज्यूसेपे मेत्सिनी** ने कहा है:

    "अस्तित्व के प्राथमिक उद्देश्य के रूप में खुशहाली के सिद्धांत के जरिये, हम केवल अहंकारी/स्वार्थी मनुष्य उत्पन्न करेंगे। इसलिए हमें एक ऐसा सिद्धांत खोजना होगा... जो मनुष्य को उसके स्वयं के सुधार की दिशा में मार्गदर्शन करे, उसे स्थिरता, आत्म-बलिदान की शिक्षा दे, और उसे उसके साथियों के साथ एकजुट करे... यही कर्तव्य का सिद्धांत है।"

अधिकारों और कर्तव्यों को एक साथ देखने से संबंधित मुद्दे

- **स्वरुप की भिन्नता:** प्रत्येक मनुष्य द्वारा कुछ अधिकार जन्म के समय से ही अर्जित कर लिए जाते हैं, किन्तु कर्तव्यों के पालन हेतु सक्षम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।
- **अधिकार, कर्तव्यों के अग्रदूत होते हैं:** मूलभूत गरिमा और अधिकारों की पूर्ति के बिना, लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते हैं।
    - उदाहरण के लिए- शिक्षा के अधिकार की पूर्ति के बगैर दूसरों के अधिकारों, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता आदि का सम्मान करने संबंधी कर्तव्यों के पालन किये जाने की अपेक्षा करना कठिन है।
- **वैधानिक स्थिति में भिन्नता:** मौलिक अधिकारों की एक प्रमुख विशेषता न्यायालय में इनकी प्रवर्तनीयता (Justiciability) है। न्यायालयी रिट के माध्यम से मौलिक अधिकारों को प्रवर्तनीय बनाया जा सकता है अथवा उपचार की मांग की जा सकती है। हालाँकि मौलिक कर्तव्य गैर-प्रवर्तनीय प्रकृति के होते हैं। ये संवैधानिक और वैधानिक मुद्दों की केवल व्याख्या करने के लिए मार्गदर्शन या सहायता करते हैं (एम्स छात्र संघ बनाम एम्स, 1983)।
- **राज्य को उसके उत्तरदायित्वों से एक संभावित छूट:** विधि का शासन और मानवाधिकारों का संरक्षण राज्य के उत्तरदायित्व हैं जिसके लिए उसे विधि के तहत विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए- ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कर्तव्यों का पालन न होने के कारण अधिकारों की पूर्ति नहीं की गई है।
- **अधीनता का जोखिम:** लोकतंत्र में संविधान की मूलभूत इकाई एक व्यक्ति होता है। अधिकारों की भांति कर्तव्यों पर समान ध्यान देने से सामूहिक इच्छा के प्रति व्यक्तिगत अधीनता स्थापित होने का जोखिम होता है।
- **अस्पष्ट और व्यक्तिनिष्ठ प्रकृति:** कर्तव्यों से जुड़ा एक अन्य मुद्दा इसके अस्पष्ट स्वरूप तथा कुछ धार्मिक सिद्धांतों के साथ इसके टकराव से संबंधित है। उदाहरण के लिए- हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों में व्यापक विविधताएँ विद्यमान हैं। समय-समय पर अन्य सिद्धांतों के साथ इनकी परस्पर विरोधी व्याख्याएँ सामने आती रही हैं।

आगे की राह

मानवाधिकारों और गरिमा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपायों के माध्यम से अधिकारों के स्वतंत्र उपयोग एवं कर्तव्यों के बीच न्यूनतम संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए:

- नागरिकों द्वारा कर्तव्यों के पालन किये जाने की परवाह किए बिना **राज्य** द्वारा मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के साथ-साथ उसे संरक्षण प्रदान करने को **अपना प्राथमिक उत्तरदायित्व स्वीकार करना।**
- **प्रत्येक नागरिक के न्यूनतम मौलिक अधिकारों को पूरा करना,** जैसे कि किसी भी कर्तव्य से पहले पर्याप्त जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए किसी व्यक्ति का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार।
    - मानव अधिकारों की रक्षा और उनके उल्लंघन को रोकने के लिए **राज्य के संस्थानों** (पुलिस, न्यायपालिका, नागरिक प्रशासन आदि) पर निगरानी के लिए **स्वतंत्र मानवाधिकार संस्थानों की स्थापना** की जानी चाहिए। इससे ये संस्थान अपने दायित्वों को पूरा करने में तत्पर रहेंगे।

- जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर असमानता, असहिष्णुता आदि जैसी मूलभूत समस्याओं से निपटने के लिए **लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना।**
- **अधिकारों की अधीनता के जोखिम को कम करना** और **कर्तव्यों की पूर्ति की संभावना को अधिकतम करना।**
- **संवैधानिक नैतिकता** विकसित करने तथा **नागरिकों को उत्तरदायी** बनाने हेतु **एक आधारभूत चार्टर का निर्माण करना चाहिए।** जैसा कि **मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 29(1)** में उल्लिखित है, कि "प्रत्येक व्यक्ति का उस समाज के प्रति कर्तव्य हो जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव हो।"

1.2. वैश्विक शासन में लोकतांत्रिक सिद्धांत (Democratic Principles In Global Governance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने **लोकतंत्र के विषय पर आयोजित पहले शिखर सम्मेलन**[3] को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने **वैश्विक शासन (ग्लोबल गवर्नेंस) का मार्गदर्शन करने के लिए लोकतांत्रिक सिद्धांतों** की वकालत की।

समिट फॉर डेमोक्रेसी या लोकतंत्र शिखर सम्मेलन से संबंधित अन्य तथ्य

- यह लोकतंत्र और मानवाधिकारों को अमेरिकी विदेश नीति के केंद्र में रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की एक पहल है। यह **दो चरणों** वाला एक पहल है। दूसरे शब्दों में, वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति की मेजबानी में आयोजित होने वाले इस प्रकार के दो सम्मेलनों में से यह पहला सम्मेलन है।
- इसने **लोकतांत्रिक सरकारों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के अग्रणी व्यक्तियों** को एक मंच प्रदान किया है।
- इसका उद्देश्य **तीन स्तंभों** (जैसा कि **चित्र** में दर्शाया गया है) पर ध्यान केंद्रित कर लोकतंत्र को स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक मजबूत बनाना है।
- इस शिखर सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतंत्र को स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक बढ़ावा देने के लिए **प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेसी रीन्यूवल**[4] की शुरुआत की है। इसके लिए अमेरिका ने 424.4 मिलियन डॉलर खर्च करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

वैश्विक शासन और वैश्विक खतरे (Global Governance and Global Risks)

वैश्विक शासन एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण दुनिया के निर्माण हेतु विश्व को प्रभावित करने वाले मुद्दों के प्रबंधन का एक साधन है।

- इसमें वैश्विक स्तर पर **सामूहिक कार्रवाई का समन्वय** करने और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का

[3] Summit for Democracy

[4] Presidential Initiative for Democracy Renewal

समाधान करने के लिए **संस्थानों, नीतियों, मानदंडों, प्रक्रियाओं और पहलों की एक जटिल** प्रणाली शामिल है।

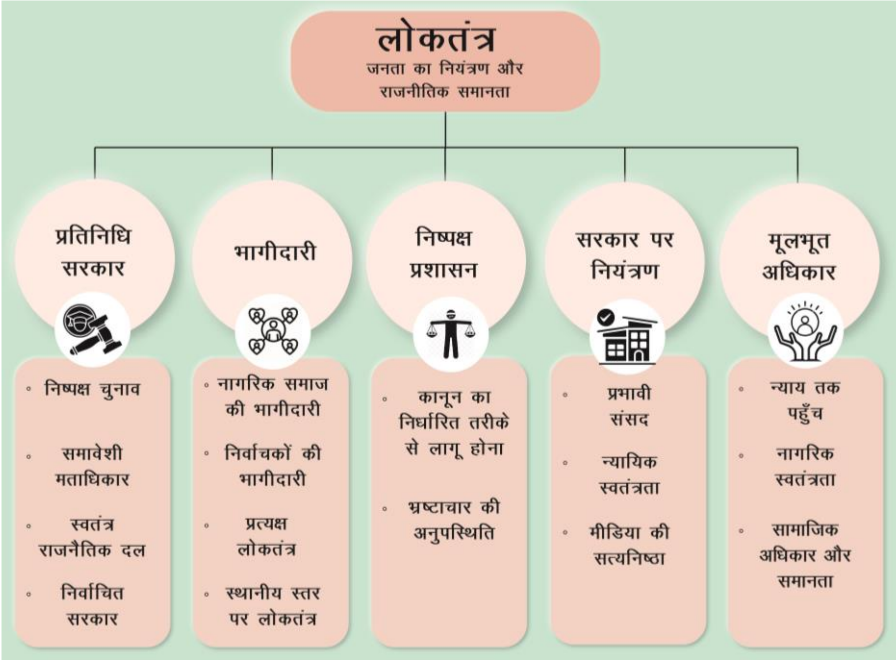

- इसके लिए अनेक प्रकार के हस्तक्षेपों की आवश्यकता होती है। इन हस्तक्षेपों में **लोकहित प्रदान करने के साथ ही एकीकृत मानकों का विकास** भी शामिल है। इसके अलावा हस्तक्षेपों में अधिक **पूर्वानुमान, स्थिरता और व्यवस्था लाने** हेतु **राज्यों तथा उनके नागरिकों** के बीच समानता और न्याय सुनिश्चित करना भी शामिल है।
- **कोविड-19 के बाद वैश्विक खतरे,** आर्थिक और पारिस्थितिक संकट, भू-राजनीतिक सामाजिक तनाव आदि उल्लेखनीय गति से बढ़े हैं। इसलिए वर्तमान में वैश्विक जोखिम-प्रबंधन महत्वपूर्ण हो गया है ताकि **"निष्पक्ष दुनिया के विचार"** की रक्षा की जा सके।
- ये लोकतांत्रिक सिद्धांत **न्यूनतम संघर्ष वाली दुनिया** के निर्माण तथा भेदभाव के बगैर सबकी **मौलिक स्वतंत्रता** की रक्षा करते हुए **समृद्ध समाजों** का निर्माण करके इस विचार में मदद कर सकते हैं।

लोकतांत्रिक सिद्धांत और वैश्विक शासन में इनके लाभ

- **ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट, 2021** में **लोकतंत्र के पाँच मुख्य सिद्धांतों** तथा शासन के अन्य रूपों से भिन्न इसकी अनूठी विशेषताओं की पहचान की गई है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- वैश्विक शासन में इन लोकतांत्रिक सिद्धांतों के कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:
    - **सार्वजनिक कल्याण** के लिए साझेदारी के निर्माण हेतु लोगों, निगमों, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को एक साथ **लाने में सहायता करना।**
    - सार्वभौमिक रूप से सुलभ और नागरिक केंद्रित सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से **वैश्विक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना।**
    - संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक शासन प्रणालियों को नियम-आधारित व्यवस्थाओं के माध्यम से मजबूत करते हुए वैश्विक स्तर पर **मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करना।**
    - नए युग के अभिकर्ताओं को शासन में शामिल करते हुए **समकालीन मानव संपर्क को बढ़ावा देना।**
    - विभिन्न स्तरों तथा कार्यात्मक क्षेत्रों में विकेंद्रित होती समग्र शासन प्रणाली को बढ़ावा देना।
    - न्याय के मूल्यों के माध्यम से वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने में **समान किंतु विभेदित उत्तरदायित्वों और संबंधित क्षमताओं[5] को बढ़ावा देना।**
    - सत्ता के दुरुपयोग पर नियंत्रण के माध्यम से राष्ट्रों में **एक समावेशी, जवाबदेह और उत्तरदायी संप्रभु सत्ता की स्थापना करना।**
    - सरकार और उसके निर्णयों को **वैधता प्रदान करना।** यह बहुत कम या उन नियम-रहित देशों में दिखाई देता है जो स्वयं को लोकतांत्रिक बताकर वैधता प्राप्त करना चाहते हैं।

लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ

- **बढ़ता अधिनायकवाद: ग्लोबल स्टेट ऑफ़ डेमोक्रेसी रिपोर्ट (2021)** के अनुसार, वर्ष 2020 में **अधिनायकवादी** दिशा में आगे बढ़ने वाले देशों की संख्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने वालों देशों से अधिक है। इसी प्रकार, **फ्रीडम हाउस** की रिपोर्ट में वर्ष 2020 को वैश्विक स्वतंत्रता में गिरावट के लगातार 15वें वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है।
- **चुनावी ईमानदारी पर संदेह:** चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो अथवा कोई अन्य लोकतंत्र, चुनावी ईमानदारी पर प्रश्न उठाया जा रहा है। नागरिकों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के अनुपालन की स्वीकृति देना महामारी के जोखिम के कारण चुनौतीपूर्ण हो गया है।
- **भ्रष्टाचार:** सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, राष्ट्रों के समक्ष एक बड़ी चुनौती बनी हुई है तथा यह स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के समग्र कल्याण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है।

---

[5] Common but differentiated responsibilities and respective capacities

- **गलत सूचना:** विगत कुछ वर्षों में, स्थानीय और वैश्विक स्तर पर दुष्प्रचार, प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग आदि के माध्यम से **गलत सूचना** लोकतंत्रों के विघटन के लिए एक प्रमुख उपकरण बन गई है।

आगे की राह

वैश्विक शासन के केंद्र में **अंतर सरकारी सहयोग** के साथ, लोकतांत्रिक सिद्धांत **खंडित और जटिल** वैश्विक शासन को सुचारू करने हेतु महत्वपूर्ण हैं।

यदि हम निम्नलिखित सुधारों के माध्यम से लोकतांत्रिक सिद्धांतों की चुनौतियों को दूर करते हैं तो यह अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को एक साथ लाने में मदद कर सकता है:

- निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज के नए अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ताओं और लोगों के मध्य संबंधों को बढ़ावा देकर **लोकतांत्रिक मूल्यों तथा संस्थानों को मजबूत बनाना।**
- प्रतिस्पर्धी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करना,** जिसमें विपक्ष के पास सत्ता हासिल करने का एक वास्तविक मौका हो।
- प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए **मुक्त और स्वतंत्र मीडिया का समर्थन करना**, भ्रामक सूचना से दूर रहना और सरकारी संस्थानों को **तानाशाही साधनों का उपयोग करने से रोकना।**
- बिग डेटा व कृत्रिम बुद्धिमता का उपयोग करते हुए नवीन तरीके से **भ्रष्टाचार से लड़ना** और शासन में धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार का पता लगाने और इसे रोकने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना।
- प्रौद्योगिकी कंपनियों की सहायता से "खुले और लोकतांत्रिक समाज" को बचाने या उसे जीवंत बनाए रखने के लिए **प्रौद्योगिकी को उन्नत करना**। इसके साथ ही सोशल मीडिया तथा क्रिप्टो-करेंसी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर वैश्विक मानदंडों को आकार देना।
- लोकतांत्रिक सुधार को आगे बढ़ाते हुए शक्तिहीन संस्थानों या खराब शासन जैसी समस्याओं का समाधान करके **लोकतंत्र की कमियों को दूर करना।**
- **संक्रमणकालीन लोकतंत्रों की सहायता करना** और मध्यस्थ निकायों जैसे कि आसियान, यूरोपीय संघ आदि के रूप में कार्य करने वाले क्षेत्रीय समूहों के साथ भागीदारी कर **क्षेत्रीय प्रयासों का मार्गदर्शन करना।**
- लोकतंत्र की आवाज को और मुखर बनाने तथा वैश्विक खतरे को दूर करने के लिए साझेदारी का निर्माण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तथा अन्य **वैश्विक संस्थानों में सुधार लाना।**

1.3. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee: PAC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोक लेखा समिति (PAC) का **शताब्दी समारोह** आयोजित किया गया।

लोक लेखा समिति के बारे में

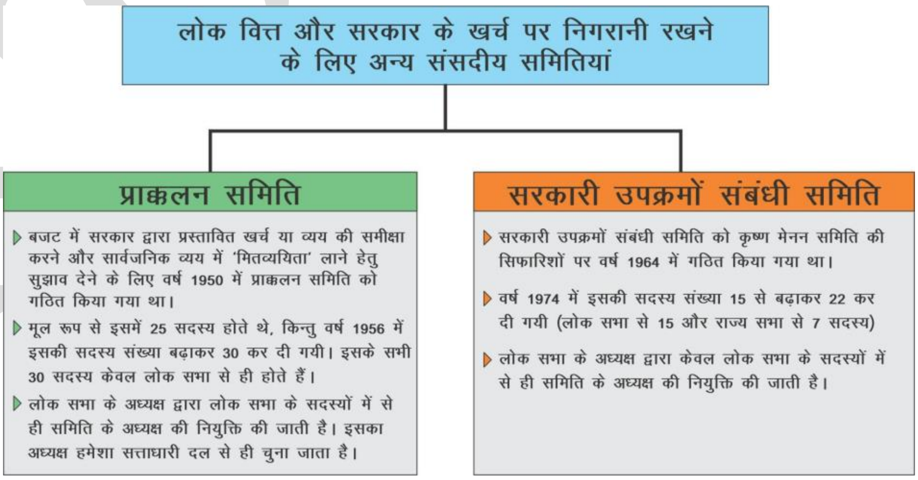

- **यह सबसे पुरानी संसदीय समिति है।** यह **वर्ष 1921** में भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के परिणामस्वरूप) के प्रावधानों के तहत गठित की गई थी।
- इस समिति में कुल **22 सदस्य होते हैं जिनमें से 15 सदस्य लोक सभा से और 7 सदस्य राज्य सभा** से चुने जाते हैं।
- **लोक सभा अध्यक्ष,** इस समिति के अध्यक्ष को उसके सदस्यों में से नियुक्त करता है।
  - **डब्ल्यू. एम. हैली** इसके प्रथम अध्यक्ष थे और **भूपेंद्र नाथ मित्रा** इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अंतिम अध्यक्ष **लियाकत अली खान** थे।
  - वर्ष 1966-67 तक समिति के अध्यक्ष सत्ताधारी दल से संबंधित होते थे। हालांकि, **वर्ष 1967 से एक परंपरा विकसित हुई** है जिसके तहत **समिति के अध्यक्ष को हमेशा विपक्षी दल से चुना जाता है।**

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) तथा लोक लेखा समिति (PAC)

- अनुच्छेद 148 में भारत के **नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग)** के स्वतंत्र पद का प्रावधान है। वह **भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा**

विभाग का प्रमुख होता है।

- CAG **राष्ट्रपति को निम्नलिखित तीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है:**
    - विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट,
    - वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, और
    - सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट।
- **राष्ट्रपति इन रिपोर्ट्स को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है।**
- इसके बाद, **लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है** और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है।

- संसद द्वारा **प्रत्येक वर्ष इसका गठन** किया जाता है। **इस समिति के कार्यों में शामिल हैं-** भारत सरकार के खर्च के लिए संसद द्वारा स्वीकृत राशियों के व्यय को दर्शाने वाले खातों (या विनियोग लेखाओं), भारत सरकार के वार्षिक वित्त लेखाओं और संसद के सामने रखे गये ऐसे अन्य खातों, जिन्हें समिति ठीक समझे, की जांच करना। साथ ही, यह समिति आवश्यकतानुसार स्वायत्त और अर्ध-स्वायत्त निकायों के लेखाओं की भी जांच करती है।
    - यह समिति ऐसे सरकारी उपक्रमों और सरकारी कंपनियों से संबंधित लेखाओं की जांच नहीं करती जिसकी जांच सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति करती है।

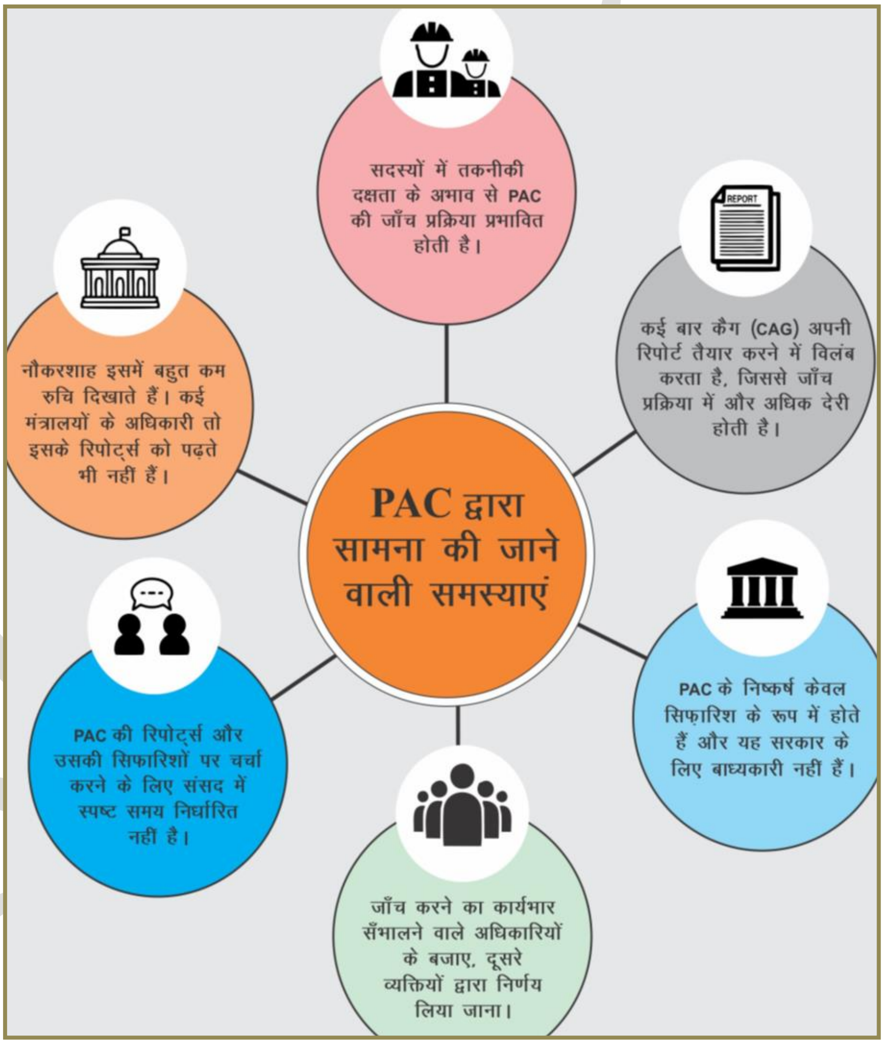

लोक लेखा समिति के प्रमुख कार्य

- **लेखाओं की संवीक्षा और जांच[6]:** यह भारत सरकार के **विनियोग लेखाओं** तथा **भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) के रिपोर्ट्स** की जांच करती है।
    - यह **राज्य निगमों, व्यापारिक तथा विनिर्माण योजनाओं, परियोजनाओं और स्वायत्त तथा अर्ध-स्वायत्त निकायों के आय एवं व्यय** को दर्शाने वाले लेखाओं के विवरण की जांच करती है।
- **विनियोग लेखाओं** तथा **कैग के रिपोर्ट्स** की जांच करते समय यह समिति स्वयं को संतुष्ट करने के लिए यह भी देखती है कि-
    - लेखाओं में व्यय/संवितरण के रूप में दिखाया गया धन क्या उसी सेवा या उद्देश्य के लिए व्यय किया गया है, जिसके लिए उसे विधिवत रूप से उपलब्ध कराया गया था;
    - क्या व्यय प्राधिकार के अनुसार किया गया है; और
    - क्या प्रत्येक पुनर्विनियोग (re-appropriation), सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार किया गया है।
- **अन्य:**
    - उन मामलों में **कैग की रिपोर्ट्स पर विचार करना** जिनमें राष्ट्रपति ने किन्हीं प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करवाने की अपेक्षा की हो।
    - व्यापक अर्थों में नीति के प्रश्नों से चिंतित हुए बिना **वित्तीय अनुशासन और सिद्धांत के बिंदुओं पर विचार-विमर्श करना।**

[6] Scrutiny and Examinations of Accounts

लोक लेखा समिति का महत्त्व

- यह संसद द्वारा स्वीकृत नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अविवेक पर रोक लगाते हुए **वित्तीय मामलों में सार्वजनिक नैतिकता के उच्च मानकों** को बनाए रखती है। इसके अलावा यह नीति के कुशल, त्वरित और मितव्ययी कार्यान्वयन के लिए प्रशासन को कारगर बनाने हेतु सिफारिशें भी करती है।
- यह सार्वजनिक धन के उपयोग के लिए कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराते हुए यह सुनिश्चित करती है कि **व्यय विवेकपूर्ण तरीके से किया गया** है। यह अक्षमताओं व फिजूलखर्ची को प्रकाश में लाने के लिए सरकार के खर्च और प्रदर्शन पर भी नजर रखती है।
- **लोक लेखा समिति के रिपोर्ट्स** नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारकों को **बहुमूल्य सूचना और फीडबैक प्रदान करते हैं।** नागरिक इन रिपोर्ट्स का उपयोग अपने प्रतिनिधियों से प्रश्न पूछने और लोक सेवकों को जवाबदेह ठहराने के लिए कर सकते हैं।

लोक लेखा समिति की कार्य पद्धति को और मजबूत करने हेतु आगे की राह

संसद और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के विधान-मंडलों की लोक लेखा समिति (PAC) के अध्यक्षों के अखिल भारतीय सम्मेलन में निम्नलिखित सिफारिशें की गईं:

- **नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) के संदर्भ में बेहतर संबंध:** कैग की नियुक्ति से पहले PAC से परामर्श किया जाना चाहिए और कैग को विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
  - **कैग के रिपोर्ट्स नये या समसामयिक होने चाहिए और उनकी जांच भी तेजी से होनी चाहिए** ताकि मुद्दों को शीघ्रता से निपटाया जा सके।
- **व्यापक क्षेत्र:** लोक लेखा समिति (PAC) को सार्वजनिक मुद्दों और सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों का स्वत: संज्ञान लेना चाहिए और वित्तीय अनियमितताओं की जांच करनी चाहिए।
- **संसद में विचार-विमर्श:** प्रत्येक सत्र में, 'PAC की सिफारिशों' को लेकर 'मंत्रालयों द्वारा उठाए गए कदम' पर चर्चा और बहस के लिए कम-से-कम ढाई घंटे आवंटित किये जाने चाहिए।
- **जनता की राय:** लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट्स को अंतिम रूप देने से पूर्व सिफारिशों के लिए जनता की प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। साथ ही, संवेदनशील मामलों के अलावा PAC की अन्य कार्यवाहियाँ प्रेस के लिए खुली होनी चाहिए।
- **बाध्यकारी सिफारिशें:** लोक लेखा समिति की सिफारिशों को सरकार के लिए बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए।
- **बाहरी विशेषज्ञों की सहायता:** लोक लेखा समिति द्वारा तकनीकी मामलों पर विशेषज्ञों की सेवाएँ ली जानी चाहिए। साथ ही, PCA को सेवानिवृत्त अधिकारियों से भी पूछताछ करने का अधिकार मिलना चाहिए।

1.4. निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक {Election Laws (Amendment) Bill}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद द्वारा **निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021** पारित किया गया।

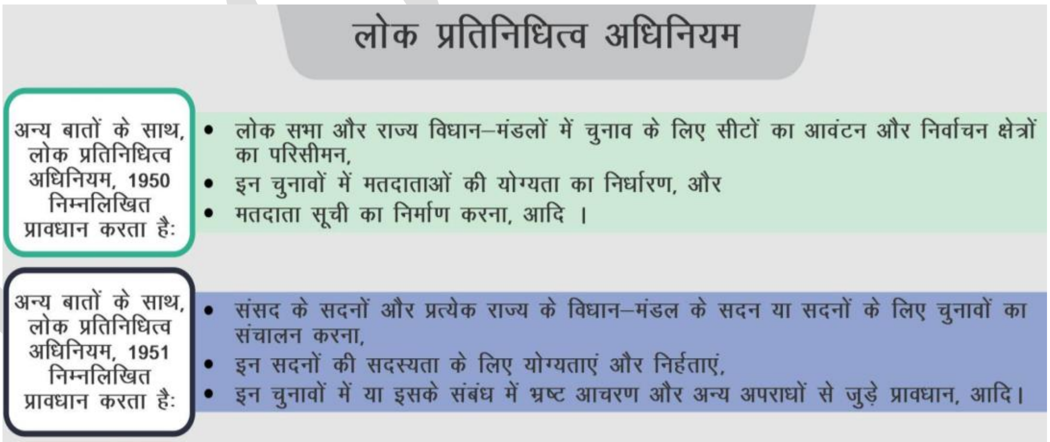

इस विधेयक के बारे में

- इस विधेयक में कुछ चुनावी सुधारों को लागू करने के लिए **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950**[7] और **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951**[8] में संशोधन करने का प्रावधान है।
- संशोधन द्वारा लाये गए बदलाव इस प्रकार हैं (तालिका में देखें):

संशोधन	मूल प्रावधान	किये गए परिवर्तन
मतदाता सूची के डेटा को आधार संख्या से जोड़ना (RPA, 1950 की धारा 23 में संशोधन द्वारा)	• 1950 के अधिनियम में प्रावधान है कि एक **व्यक्ति** किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए **निर्वाचक**	• निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी **किसी व्यक्ति** से कह सकता है कि **अपनी पहचान साबित करने के लिए वह अपनी आधार संख्या उपलब्ध कराए।** • यदि उस व्यक्ति का नाम पहले से ही मतदाता

---
[7] Representation of the People Act (RPA), 1950

[8] Representation of the People Act, 1951

	पंजीकरण अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है। • **सत्यापन के पश्चात्** यदि अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि आवेदक पंजीकरण का हकदार है तो वह **आवेदक का नाम मतदाता सूची में शामिल करने का निर्देश देगा।**	सूची में है तो इसमें दर्ज विवरणों के **सत्यापन[9] के लिए** आधार संख्या की आवश्यकता हो सकती है। • यदि कोई व्यक्ति किन्हीं निर्धारित कारणों से अपनी **आधार संख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ** है तो उसे मतदाता सूची में शामिल करने से **वंचित नहीं किया जाएगा** या उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। ○ ऐसे व्यक्तियों को **केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित** वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की **अनुमति दी जा सकती है।**
मतदाता सूची में नामांकन के लिए पात्रता तिथि (RPA, 1950 की **धारा 14** के खंड (b) में संशोधन द्वारा)	• 1950 के अधिनियम के तहत जिस वर्ष मतदाता सूची तैयार या संशोधित की जा रही है, उस वर्ष की **1 जनवरी को नामांकन की पात्रता तिथि माना जाता था।** • इसका तात्पर्य यह है कि **1 जनवरी के बाद** 18 वर्ष का (अर्थात् मतदान के लिए पात्र) होने वाला व्यक्ति मतदाता सूची में तभी नामांकन करा सकता था, जब **अगले वर्ष के लिए मतदाता सूची तैयार/संशोधित की जाए।**	• यह विधेयक एक कैलेंडर वर्ष में **चार पात्रता तिथियाँ** प्रदान करने के लिए इसमें संशोधन करता है, जो **1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर होंगी।**
लिंग-तटस्थ या जेंडर-न्यूट्रल प्रावधान (RPA, 1950 की **धारा 20** और RPA, 1951 की **धारा 60** में संशोधन द्वारा)	• 1950 का अधिनियम कुछ ऐसे व्यक्तियों को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण करने की अनुमति देता है जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में **सामान्य रूप से निवास[10] करते हैं।** ऐसे व्यक्तियों में सरकारी **सेवा से जुड़े लोग,** जैसे कि **सशस्त्र बलों** के सदस्य या भारत के बाहर तैनात/नियुक्त **केंद्र सरकार के कर्मचारी** शामिल हैं। • ऐसे व्यक्तियों की पत्नियों को भी **सामान्य रूप से उसी निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाला माना जाता है** यदि वे उनके साथ रहती हैं। • 1951 का अधिनियम सेवा से जुड़े व्यक्ति की पत्नी को **व्यक्तिगत रूप से या डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने** में सक्षम बनाता है।	• विधेयक के द्वारा RPA, 1950 और 1951 में **'पत्नी (Wife)'** शब्द की जगह **'पति/पत्नी (Spouse)'** शब्द को शामिल किया गया है।
निर्वाचन संबंधी उद्देश्यों के लिए परिसर की मांग (RPA, 1951 की **धारा 160** में संशोधन)	• 1951 के अधिनियम में राज्य सरकारों को यह अनुमति दी गई है कि वे ऐसे परिसरों की मांग कर सकती हैं, जिनका **मतदान केंद्र के रूप में या चुनाव होने के बाद मत पेटी रखने हेतु उपयोग में लाने या लाए जाने की संभावना है।**	• यह विधेयक उन **उद्देश्यों का विस्तार** करता है जिनके लिए ऐसे परिसरों की मांग की जा सकती है। • इनमें **मतगणना, वोटिंग मशीन और चुनाव संबंधी सामग्री रखने** और सुरक्षा बलों एवं मतदान कर्मियों के **रहने के लिए** परिसर का उपयोग शामिल हैं।

इस विधेयक का महत्त्व

- **फर्जी मतदान पर रोक लगाने में मददगार:** मतदाता सूची के डेटा को **आधार संख्या के साथ** जोड़ने से **एक ही व्यक्ति** के अलग-अलग जगहों पर मतदाता सूची में नाम दर्ज होने जैसी समस्या को रोकने में मदद मिलेगी। यह विधेयक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को मतदाता

[9] Authentication of Entries in the Roll

[10] Ordinarily Residing

सूची में शामिल **व्यक्तियों को प्रमाणित करने** की अनुमति देता है। इसका उद्देश्य यह है कि **एक से अधिक या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में किसी** व्यक्ति के **एक से अधिक बार** पंजीकरण की पहचान की जा सके।

- इस प्रकार, यह **मतदाता सूची** को काफी हद तक **सही करने में** मदद करेगा और उस स्थान पर मतदाता पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा जहाँ वे **"सामान्य रूप से निवास"** करते हैं।
- एक संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में **मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार पहचान पत्र संख्या को जोड़ने का समर्थन किया था।** इससे मतदाताओं के निवास में परिवर्तन की स्थिति में **मतदाता फोटो पहचान पत्र**[11] **में उसी अनुरूप बदलाव** की सुविधा मिलेगी।

- **मतदान में सुविधा:** दोनों डेटाबेस को आपस में जोड़ने से निर्वाचन आयोग **प्रवासी श्रमिकों** की आवाजाही पर नजर रख सकेगा और उनकी **चुनावी भागीदारी** को बढ़ा सकेगा।
- **विभिन्न कट-ऑफ तिथियाँ:** 1 जनवरी की कट-ऑफ तिथि मतदान के लिए पात्र होने के बावजूद **कई युवाओं को** एक **विशेष वर्ष में आयोजित** चुनावों में भाग लेने से **वंचित कर देती थी।** एक से अधिक कट-ऑफ तिथियाँ **अधिक पात्र लोगों को मतदाता के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति देंगी।**
- **लैंगिक रूप से तटस्थ:** मौजूदा प्रावधानों के तहत सेना के एक जवान की पत्नी सेवा मतदाता के रूप में नामांकित होने की हकदार थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक महिला सेना अधिकारी का पति इसका हकदार नहीं था। यह विधेयक महिला सशस्त्र सेवा कर्मचारियों के **पुरुष जीवन साथी के विरुद्ध भेदभाव को दूर करने का प्रयास करता है।**

इस विधेयक से जुड़ी चिंताएँ

- **निर्वाचक अधिकारी के पास विवेकाधिकार:** यह निर्वाचक अधिकारी को अपरिभाषित विवेकाधिकार सौंपता है, क्योंकि संशोधित कानून ऐसा **कोई मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित नहीं** करता है कि आधार संख्या **कब आवश्यक** हो सकती है।
  - इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार के पास **"पर्याप्त कारण" निर्धारित करने का अंतिम अधिकार है,** जिसके तहत आधार प्रस्तुत करने में **असमर्थ रहने पर** किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल करने या बने रहने की अनुमति दी जाएगी।
- **मतदाताओं पर सत्यापन का बोझ:** सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए सरकार सक्रिय रूप से मतदाता सूची (जैसे कि घर-घर जाकर सत्यापन) में पंजीकरण सुनिश्चित करती है। अब यह **बोझ लोगों पर डाल दिया गया है,** जो मतदाता सूची के साथ **अपने आधार को लिंक करने में असमर्थ/अनिच्छुक भी हो सकते हैं।**
- **मताधिकार से वंचित होने का जोखिम:** मतदाता सूची को सही करने हेतु आधार का उपयोग, विशेष रूप से **हाशिए पर स्थित समुदायों** के लिए जोखिम से भरा हो सकता है। आधार डेटाबेस में शामिल होने और बाहर रह जाने से जुड़ी गलती[12] चुनावी डेटाबेस पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है।
  - **लैटिन अमेरिका** में एक अध्ययन से पता चला है कि एक ही प्रकार के पहचान पत्र वाले देशों में पहचान साबित करने में असमर्थता के कारण **चुनावी प्रक्रिया में कम नागरिकों के भाग लेने की संभावना** थी।
  - वर्ष 2015 की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मतदाता पहचान पत्र के साथ **आधार को जोड़ने की प्रक्रिया के कारण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लाखों मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से वंचित होना पड़ा था।**
- **राजनीतिक लाभ:** मतदाता पहचान पत्र को आधार संख्या से जोड़कर यह पता लगाना आसान है कि **किन मतदाताओं ने अपने आधार का उपयोग करके कल्याणकारी सब्सिडी और लाभ प्राप्त किये हैं।** राजनीतिक दल **विशिष्ट मतदाताओं तक अपने संदेशों को पहुँचाने में** इसका उपयोग कर सकते हैं।
- **जल्दबाजी में पारित:** इस विधेयक को व्यापक **विचार-विमर्श तथा सार्वजनिक परामर्श** के बगैर पारित कर दिया गया है। यह **संसदीय लोकतंत्र की मूल भावना को कमजोर करता है। संसदीय लोकतंत्र** निर्वाचित प्रतिनिधियों को उन प्रावधानों पर **अपने क्षेत्र के उन लोगों की चिंताओं को सामने रखने** का अवसर देता है जो इससे प्रभावित हो सकते हैं।
- **आधार के उपयोग के साथ अन्य मुद्दे:** आधार प्रोजेक्ट का उपयोग उस कथित **'कल्याणकारी' उद्देश्य से कहीं अधिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।** ज्ञातव्य है कि **उच्चतम न्यायालय ने आधार से जुड़े एक मामले पर निर्णय देते हुए** आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में संसद में पेश करने के कदम को सही ठहराया था।
  - इसके अतिरिक्त, आधार को केवल **पहचान प्रमाण** होना था, निवास प्रमाण नहीं। इसके विपरीत, निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 (RPA, 1950 के तहत तैयार) **निर्वाचक नामावली के लिए पते** को **एक प्रमुख प्रमाण के रूप में** स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है।
- इसके साथ ही **आधार का मतलब नागरिकता का प्रमाण नहीं है।** 182 दिनों तक निवास के पश्चात् एक गैर-नागरिक भी आधार पहचान पत्र के लिए पात्र बन सकता है। ऐसे में वह मतदान के लिए भी पात्र बन सकता है।

---

[11] Electoral photo ID card: EPIC

[12] Inclusion And Exclusion Errors

- मतदाता सूची और आधार के लिए **नामांकन प्रक्रियाएँ पूरी तरह से अलग हैं।** जहाँ आधार नामांकन **मौजूदा दस्तावेजों के प्रस्तुत किये जाने** पर आधारित है। इसके विपरीत मतदाता सूची में नाम दर्ज करने हेतु पंजीकरण अधिकारी या किसी प्रतिनिधि को **भौतिक सत्यापन के साथ-साथ "घर का दौरा" भी करना पड़ता है।**
- मतदाता सूचियों का रखरखाव एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय अर्थात् भारतीय निर्वाचन आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जबकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण[13] भारत सरकार के अधीन है। चूँकि आधार में **नामांकन या दोहराव को हटाने पर निर्वाचन आयोग का कोई नियंत्रण नहीं है,** इसलिए मतदाता सूची के लिए आधार का उपयोग करना हितों का संभावित टकराव[14] प्रतीत होता है।
- आधार दोहराव को हटाने के प्रभाव या आधार डेटाबेस की प्रामाणिकता पर कोई **लेखापरीक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।**

निष्कर्ष

उपर्युक्त चिंताओं को ध्यान में रखते हुए संशोधनों को लागू करने से पूर्व उपयुक्त **संस्थागत और तकनीकी तंत्र** विकसित करने की आवश्यकता है, जैसे कि एक मजबूत **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून** को सही से लागू करना। इसके अतिरिक्त, मुद्दों की पेचीदगी और विवादास्पद प्रकृति को देखते हुए **पर्याप्त बहस और विचार-विमर्श की आवश्यकता पर अत्यधिक जोर भी नहीं दिया जा सकता है।**

1.5. धर्मांतरण विरोधी कानून (Anti-Conversion Laws)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **कर्नाटक विधान सभा** ने **कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार विधेयक, 2021**[15] **पारित किया।** ऐसे विधेयक को आमतौर पर **धर्मांतरण विरोधी विधेयक (Anti-conversion Bill)** के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चात् यह विधेयक **कर्नाटक विधान परिषद** के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

इस विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

- **निषेध:** यह **जबरदस्ती, धोखाधड़ी, प्रलोभन या विवाह और बहकावे** द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में गैर-कानूनी धर्मांतरण को प्रतिबंधित करता है। हालाँकि, यह विधेयक उस व्यक्ति के मामले में छूट प्रदान करता है जो **"अपने तत्काल पूर्व धर्म में पुन: धर्मांतरित होता है"।** उसे इस अधिनियम के तहत धर्मांतरण नहीं माना जाएगा।
- **अपराध की प्रकृति:** धर्मांतरण के अपराध को **संज्ञेय और गैर-जमानती** माना गया है।
- **दंड:** इस विधेयक में कारावास के साथ-साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।

ऐसे राज्य जहाँ धर्मांतरण विरोधी कानून हैं:

वर्तमान में, देश में **कम-से-कम नौ राज्यों** में गैर-कानूनी धर्मांतरण पर कानून लागू है। ये राज्य हैं:

- ओडिशा,
- मध्य प्रदेश,
- अरुणाचल प्रदेश,
- गुजरात,
- हिमाचल प्रदेश,
- छत्तीसगढ़,
- झारखंड,
- उत्तराखंड, और
- उत्तर प्रदेश

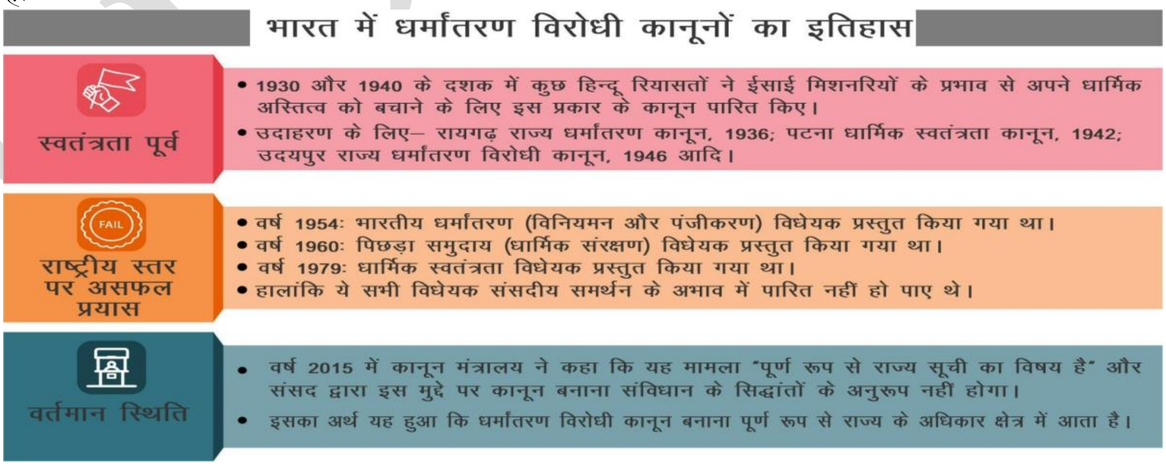

---

[13] Unique Identification Authority of India: UIDAI

[14] Potential Conflict Of Interest

[15] Karnataka Right to Freedom of Religion Bill, 2021

धर्मांतरण विरोधी कानूनों के पीछे तर्क

- **जनसांख्यिकी में परिवर्तन के भय से निपटने में सहायक:** धर्मांतरण विरोधी कानूनों को अनावश्यक धर्मांतरण की समस्या से निपटने का एक उपाय माना जाता है। ध्यातव्य है कि धर्मांतरण को जनसंख्या के स्वरूप में परिवर्तन लाने का एक तरीका भी माना जाता है।
- **ऐसे कानून धर्मांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाते हैं:** ये कानून **धर्मांतरण रोकने के लिए नहीं हैं,** बल्कि, इनका उद्देश्य उन धर्मांतरणों को रोकना है जो **जबरदस्ती, प्रलोभन, धोखाधड़ी** से किये गए हों। ऐसे कानूनों के समर्थकों का यह तर्क है कि वर्तमान में इस प्रकार के धर्मांतरण के उदाहरण काफी अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं। इसलिए इन कानूनों को ऐसी गतिविधियों को अपराधिक घोषित करने हेतु ही बनाया गया है।
- **ऐसे कानून धार्मिक स्वतंत्रता को और मजबूत करते हैं:** चूँकि ये विधेयक जबरन या प्रेरित धर्मांतरण के लिए सख्त या कठोर प्रावधान करते हैं इसलिए, इन्हें **धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों** के रूप में माना जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक तथा **अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उपायों** द्वारा प्रदत्त एक अधिकार है।
  - भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 25** में दी गई स्वतंत्रता असीमित नहीं है, क्योंकि इसे लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, **सदाचार** और अन्य मौलिक अधिकारों के रूप में प्रतिबंधों के अधीन सीमित किया गया है।
  - भारत की वैधानिक व्यवस्था केवल उस धर्मांतरण को मान्यता देती है **जो प्रलोभन या धमकी के साथ नहीं किया जाता है।**
- **धर्मांतरण पर संविधान सभा में चर्चा:** सरदार पटेल ने संविधान सभा की बहस के दौरान जबरन धर्मांतरण के बारे में चिंता व्यक्त की थी जो आगे चलकर भारत में **धर्मांतरण विरोधी कानूनों का नैतिक आधार बना।** एक अन्य सदस्य अनन्तशयनम् अय्यंगर ने प्रस्ताव दिया था कि धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और किसी न्यायाधीश के समक्ष केवल **शपथ के आधार पर** धर्मांतरण की **अनुमति दी जानी चाहिए।**

अलग-अलग धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती और इस विषय पर कोर्ट का फैसला

- **रेव. स्टेनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य वाद (वर्ष 1977):** इस मामले में मध्य प्रदेश और ओडिशा में सबसे पुराने धर्मांतरण विरोधी कानूनों की जाँच की गई। न्यायालय ने दोनों राज्यों के अधिनियमों की संवैधानिकता को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा कि धर्मांतरण को रोकने के ये प्रयास अंत:करण की स्वतंत्रता (Freedom Of Conscience) और लोक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए हैं।
  - अपने **धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता,** जैसा कि अनुच्छेद 25 (1) के तहत निर्धारित है, **किसी अन्य व्यक्ति को धर्मांतरित कराने का मौलिक अधिकार नहीं देती है।** पीठ ने यह फैसला सुनाया कि एक **उद्देश्यपूर्ण धर्मांतरण** सभी नागरिकों को दी गई **"अंत:करण की स्वतंत्रता" के विपरीत है।**
  - यह भी माना गया कि धर्मांतरण विरोधी अधिनियम **सातवीं अनुसूची की सूची II के प्रविष्टि 1** के दायरे में आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे धर्मांतरण पर रोक लगाकर **लोक व्यवस्था में होने वाली गड़बड़ी को दूर करने के लिए हैं। ऐसे धर्मांतरण से समुदायों को ठेस पहुँच सकती है।**
- **सरला मुद्गल वाद (वर्ष 1995):** उच्चतम न्यायालय ने माना कि यदि **बहुविवाह प्रथा को मानने के लिए** इस्लाम धर्म अपनाया गया है तो वह वैध नहीं होगा।
  - **वर्ष 2000 में लिली थॉमस वाद में** उच्चतम न्यायालय के फैसले से इस स्थिति की फिर से पुष्टि हुई, जिसमें स्पष्ट किया गया कि **दो विवाहों के मामले में मुकदमा चलाना** अनुच्छेद 25 के तहत **धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है।**
- **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य:** उच्चतम न्यायालय ने अंतर्जातीय और अंतर-धार्मिक विवाहों के मामलों में हिंसा या धमकियों के कृत्यों पर **कड़ी सजा की आवश्यकता** पर प्रकाश डाला।
- **एम. चंद्र बनाम एम. थंगमुथु तथा अन्य वाद (वर्ष 2010) - उच्चतम न्यायालय ने धर्मांतरण साबित करने के लिए शर्तें निर्धारित कीं:** पहला, सही मायने में **धर्मांतरण हुआ हो** और दूसरा यह कि, उस **समुदाय में स्वीकृति** जिसमें व्यक्ति धर्मांतरित हुआ है। न्यायालय ने यह भी कहा कि **धर्मांतरण की आवश्यकता** को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है।
- **जी. ए. आरिफ़ उर्फ आरती शर्मा बनाम गोपाल दत्त शर्मा, 2010, और फ़हीम अहमद बनाम माविया, 2011:** दिल्ली उच्च न्यायालय ने खेद व्यक्त किया कि धर्मांतरण का उपयोग, इसके प्राथमिक धार्मिक उद्देश्य अर्थात् आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, **बल्कि अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तेजी से किया जा रहा है।**

धर्मांतरण विरोधी कानूनों से संबंधित मुद्दे

- **साबित करने की जिम्मेदारी:** धर्मांतरण की कानूनी वैधता साबित करने का उत्तरदायित्व उस व्यक्ति पर होता है जिसने **धर्मांतरण कराया** है। साथ ही ऐसे व्यक्ति पर भी कानूनी वैधता साबित करने का उत्तरदायित्व होता है जिसने दूसरे व्यक्ति के लिए धर्मांतरण की सुविधा प्रदान की है।

- इस प्रकार, ये कानून कथित तौर पर **"धर्मांतरण कराने वाले", को सजा दिलाने पर** अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और जिस व्यक्ति ने धर्मांतरण किया है उसकी राय को कम महत्त्व दिया जाता है।

- **न्यायसंगत व्यवहार का अभाव:** यह तर्क दिया जाता है कि धर्मांतरण विरोधी कानून, **अपने स्वरूप और कार्यान्वयन,** दोनों में, किसी व्यक्ति के **धर्मांतरण के अधिकार का** उल्लंघन करते हैं। ऐसा भी आरोप लगता है कि ये **किसी एक धर्म की अपेक्षा दूसरे धर्म को वरीयता दे सकते हैं।**
- **भय का वातावरण:** हालाँकि, कुछ रिपोर्ट्स से यह पता चलता है कि धर्मांतरण विरोधी कानूनों के तहत सजा **या गिरफ्तारी के बहुत कम उदाहरण हैं।** लेकिन, ये अंतर-धार्मिक विवाह के इच्छुक लोगों के बीच भय का वातावरण पैदा करते हैं।
  - इन धर्मांतरण विरोधी कानूनों के तहत **अल्पसंख्यक वर्ग के कुछ नेताओं** की गिरफ्तारी के मामले सामने आए हैं।
- **अस्पष्ट प्रकृति और व्यापक दायरा:** ऐसे कानूनों में इस्तेमाल की जाने वाली शर्तें जैसे कि **जबरन, धोखाधड़ी, प्रलोभन आदि को अस्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।** इसके कारण इन शब्दों के दुरुपयोग की व्यापक गुंजाइश रह जाती है। कानूनों की ग़लत व्याख्या के कारण गैर-कानूनी धर्मांतरण का आरोप **शारीरिक हिंसा** जैसी घटनाओं को बढ़ावा दे सकता है। यह भी माना जाता है कि पहले से व्याप्त **सांप्रदायिक अलगाव को यह बढ़ावा दे सकता है।**
- **धर्म की स्वतंत्रता के विरुद्ध:** धर्म या आध्यात्मिकता **मानव स्वभाव का सबसे अभिन्न अंग है।** इसलिए इस पर किसी भी प्रकार का अनुचित प्रतिबंध, **मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन** हो सकता है।
  - **मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 18 तथा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम**[16] **के अनुच्छेद 18** जैसे कई महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज धर्म की स्वतंत्रता की अवधारणा को मान्यता देते हैं।
  - ये कानून **विशेष विवाह अधिनियम** के प्रावधानों द्वारा दी गई **स्वतंत्रता के भी विरोधी हैं।** ध्यातव्य है कि इस अधिनियम के तहत दो अलग-अलग धर्मों के व्यक्ति विवाह कर सकते हैं।
  - इन कानूनों से धर्मांतरण की इच्छा रखने वाले **लोगों की निजता से जुड़ी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।** साथ ही, उन **व्यक्तियों की स्वंत्रता** हेतु भी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं जो दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपना जीवनसाथी बनाना चाहते हैं।

निष्कर्ष

कम-से-कम चार राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानूनों की **संवैधानिक वैधता उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।** न्यायालय ने इन कानूनों की वैधता की जाँच करने के लिए सहमति जताई है लेकिन, **इन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।** इन कानूनों को किसी भी चुनौती के लिए उच्चतम न्यायालय को **निजता के अधिकार के फैसले** को ध्यान में रखते हुए **स्टेनिस्लॉस मामले पर अपने फैसले** पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

1.5.1. बेअदबी या पवित्र वस्तुओं के अनादर की घटना (Sacrilege)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पंजाब सरकार ने धर्मग्रंथों का अपमान करने पर उम्रकैद के प्रस्ताव वाले अपने विधेयक को मंजूरी हेतु **केंद्र सरकार को पत्र लिखा** है। इस विधेयक में **चार धर्मों के धर्मग्रंथों के अपमान पर सजा का प्रावधान किया गया है।**

अन्य संबंधित तथ्य

- **अमृतसर के पवित्र स्वर्ण मंदिर में बेअदबी** की घटना को देखते हुए ऐसा अनुरोध किया गया है।
- पंजाब विधान सभा ने वर्ष 2018 में **भारतीय दंड संहिता (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2018**[17] और **दण्ड प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) विधेयक 2018**[18] पारित किया था। इसका उद्देश्य स्थानीय प्रथाओं और परिस्थितियों के अनुरूप **आई.पी.सी. और सी.आर.पी.सी. के कुछ हिस्सों में संशोधन** करना था।
  - यदि कोई व्यक्ति लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से **श्री गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद्भागवत गीता, कुरान और बाइबिल को क्षति पहुँचाता है, नष्ट करता है या उनके अनादर का कारण बनता है,** तो ये विधेयक इस **बेअदबी के लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान** करते हैं।

---

[16] International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR

[17] The Indian Penal Code (Punjab Amendment) Bill, 2018

[18] The Code of Criminal Procedure (Punjab Amendment) Bill 2018

भारत में ईशनिंदा कानूनों (Blasphemy laws) की आवश्यकता

- **ये धार्मिक भावनाओं की रक्षा करने के लिए आवश्यक हैं,** क्योंकि भारत एक पंथनिरपेक्ष देश है जहाँ भारतीय संविधान द्वारा धार्मिक भावनाओं की रक्षा की गारंटी दी गई है। साथ ही, मौलिक अधिकार सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वासन देते हैं।
- **ये साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के लिए भी आवश्यक हैं,** क्योंकि इस तरह की घटनाएँ समुदाय में अविश्वास और तनाव का वातावरण उत्पन्न करती हैं।
- **ये भीड़तंत्र को रोकने के लिए आवश्यक हैं,** क्योंकि बेअदबी की अधिकांश घटनाओं के परिणामस्वरूप मॉब लिंचिंग हुई है। हमारे देश की बुनियाद अर्थात् लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए मॉब लिंचिंग एक गंभीर खतरा है।
- **ये देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी आवश्यक हैं।**

बेअदबी के बारे में

- **इसे ईशनिंदा के रूप में भी जाना जाता है।** किसी धार्मिक प्रतीक/वस्तु या स्थान को समुचित सम्मान न देना या अनादर करना बेअदबी कहलाती है।
- भारत पाकिस्तान जैसे अन्य देशों के विपरीत एक पंथनिरपेक्ष देश है, जो **ईशनिंदा कानूनों के तहत सभी धर्मों की रक्षा करता है।**
- वर्तमान में **भारतीय दंड संहिता[19] की धाराएँ 295 और 295A, 296, 297, 298** ईशनिंदा की घटनाओं से संबंधित हैं।
    - यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर भारत में किसी भी धर्म के अनुयायियों द्वारा पवित्र समझी जाने वाली किसी **धार्मिक वस्तु को क्षति पहुँचाता है, उसे नष्ट करता है या मलिन करता है,** तो **धारा 295** के तहत वह सजा का भागीदार है। इन धार्मिक वस्तुओं में मूर्तियों और किताबों के अलावा अन्य वस्तुएँ भी शामिल हैं।
    - यदि कोई व्यक्ति **दुर्भावना से बोले गए शब्दों के माध्यम से या लिख कर या सांकेतिक रूप से या चित्रों द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाता है या उसका अपमान करने का प्रयास करता है,** तो वह **धारा 295A** के तहत सजा का भागीदार है।
- हालाँकि, ईशनिंदा कानूनों को लेकर चिंताएँ भी सामने आई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ईशनिंदा कानूनों का उपयोग **धार्मिक अल्पसंख्यकों** को डराने और **सांप्रदायिक तनाव भड़काने तथा व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए** अन्य धर्मों के लोगों के खिलाफ **किया जा सकता है।**

आगे की राह

- यद्यपि **ईशनिंदा कानून किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति और वाक् स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करता है।** लेकिन, यदि इसका **उद्देश्य उचित या तर्कसंगत है** तो ऐसे कानूनों को उपयुक्त सुरक्षा उपायों के साथ तैयार किया जा सकता है।
- साथ ही, **इसका समाधान जितना राजनीतिक है उतना सामाजिक भी है। इसके लिए लोगों को शिक्षित करना,** उन्हें सच्ची घटनाओं के प्रति संवेदनशील बनाना और **सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता तथा सम्मान का दृष्टिकोण अपनाने के लिए समाज को प्रेरित करना महत्त्वपूर्ण है।**

1.6. भारत में न्यायिक अवसंरचना (Judicial Infrastructure in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने **भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण[20]** के गठन का प्रस्ताव दिया है।

NJIAI के बारे में

- इसका उद्देश्य देश में **अधीनस्थ न्यायालयों के बजट और अवसंरचना विकास को** NJIAI के नियंत्रण के अधीन लाना है।
- **प्रस्तावित निकाय की मुख्य विशेषताएँ:**
    - इसे **नालसा अर्थात् राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण[21] मॉडल पर स्थापित किया जाएगा,** जहाँ यह एक **केंद्रीय एजेंसी के रूप में काम करेगा। इसमें प्रत्येक राज्य का अपना राज्य न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण होगा।**
- **नालसा, समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करता है।** नालसा एक राष्ट्रव्यापी निकाय है। राज्य और जिला स्तर पर भी इसके जैसे निकाय कार्यरत हैं।

---

[19] Indian Penal Code: IPC

[20] National Judicial Infrastructure Authority of India: NJIAI

[21] National Legal Services Authority: NALSA

न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना:

- इसका उद्देश्य सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय घरों के निर्माण में राज्य सरकार की सहायता करना है।
- हाल ही में, केंद्र सरकार ने इस योजना को वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।
- इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता में, न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन[22] के एक भाग के रूप में ग्राम न्यायालय योजना के कार्यान्वयन के लिए भी निधि शामिल है।
    - भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय प्रणाली की त्वरित और आसान पहुँच के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत, ग्राम न्यायालय स्थापित किये गए हैं।
    - प्रणालीगत विलंब और लंबित मामले को कम करते हुए न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए NMJDLR को वर्ष 2011 में स्थापित किया गया था।

- **भारत के मुख्य न्यायाधीश NJIAI के प्रमुख संरक्षक (Patron-In-Chief) होंगे।** नालसा, कानून और न्याय मंत्रालय के अधीन है, जबकि NJIAI को भारत के **उच्चतम न्यायालय के अधीन रखा जाएगा।**
- NJIAI के सदस्यों में **उच्च न्यायालयों के कुछ न्यायाधीश तथा केंद्र सरकार के कुछ अधिकारी शामिल होंगे।**

भारत में न्यायिक अवसंरचना

- न्यायिक अवसंरचना में **न्यायालयों, ट्रिब्यूनल, वकीलों के चैम्बर आदि जैसे भौतिक परिसर शामिल हैं।**
    - इसमें समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता के साथ-साथ **डिजिटल और मानव संसाधन अवसंरचना** भी **शामिल हैं।**
- **कुशल 'न्यायिक अवसंरचना' का अर्थ है न्याय के लिए समान और निःशुल्क पहुँच सुनिश्चित करना।** ऐसी कुशल 'न्यायिक अवसंरचना' को 'बाधा रहित तथा नागरिक अनुकूल परिवेश' के माध्यम से हासिल किया जा सकता है।
- वर्तमान में, न्यायपालिका के लिए **अवसंरचनात्मक सुविधाओं** के विकास का प्राथमिक **उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है।**
- केंद्र सरकार **न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना**[23] के तहत वित्तीय सहायता जारी करके **राज्य सरकारों के संसाधनों में वृद्धि करती है।**

न्यायिक अवसंरचना में ऐसे सुधारों की आवश्यकता क्यों?

- **देश में न्यायिक अवसंरचना की खराब स्थिति:** देश में न्यायिक अधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या 24,280 है, लेकिन उपलब्ध न्यायालय कक्षों की संख्या सिर्फ 20,143 है, जिनमें 620 किराए के हॉल शामिल हैं।
    - 26% न्यायालय परिसरों में **अलग से महिला शौचालयों की व्यवस्था नहीं है।**
    - केवल 32% अदालत कक्षों में अलग रिकॉर्ड रूम तथा केवल 51% न्यायालय परिसरों में लाइब्रेरी है।
- **'पर्याप्त न्यायिक अवसंरचना' और 'न्याय वितरण में कुशलता' के बीच सकारात्मक संबंध:** न्यायाधीशों, वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के लिए पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण न्यायिक अवसंरचना मूलभूत शर्त है, ताकि वे न्याय प्रदान करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक निभा सके।
    - NMJDLR के अनुसार, **न्यायिक मामलों में देरी और लंबित मामलों को कम करने के लिए** पर्याप्त न्यायिक अवसंरचना एक **पूर्व शर्त है।** गौरतलब है कि वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या लगभग 3.3 करोड़ है।

---

[22] National Mission for Justice Delivery & Legal Reforms: NMJDLR

[23] Centrally Sponsored Scheme for the Development of Judicial Infrastructure: CSSDJI

- **सरकार के डिजिटलीकरण कार्यक्रम में सुधार:** कोविड-19 महामारी तथा डिजिटल मोड पर अधिक बल देने के कारण, देश में न्यायिक अवसंरचना का आधुनिकीकरण और भी महत्त्वपूर्ण है।
    - वर्तमान में **73% अदालत कक्षों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा नहीं है।**
- **उत्तरदायित्व की कमी:** वर्तमान में न्यायिक अवसंरचना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समर्पित विशिष्ट प्रयोजन साधन[24] का अभाव है। ऐसे में कोई भी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।
    - **अधिकांश जिला न्यायाधीश अस्थायी नियुक्तियों और बार-बार होने वाले तबादलों** के कारण विकास परियोजनाओं को सख्ती से आगे नहीं बढ़ाते हैं। ध्यातव्य है कि **जिला न्यायाधीश** ट्रायल कोर्ट के प्रमुख होते हैं।
- **निधि का कम उपयोग:** कुछ राज्य केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत आवंटित निधि को गैर-न्यायिक उद्देश्य में लगा देते हैं।
    - **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** के तहत, वर्ष 2019-20 में स्वीकृत कुल ₹981.98 करोड़ में से **पाँच राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से केवल ₹84.9 करोड़ का उपयोग किया गया था** और शेष 91.36% धनराशि अप्रयुक्त रह गई।
- **कार्यान्वयन संबंधी मुद्दा:** इस उद्देश्य के लिए एक समर्पित एजेंसी की कमी के कारण न्यायिक अवसंरचना-सुधार तथा रखरखाव का कार्य अभी भी अनौपचारिक और अनियोजित तरीके से किया जा रहा है।

न्यायिक अवसंरचना में सुधार के लिए अन्य सुधारों की आवश्यकता

- **न्यायिक शाखा के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि करना:** हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2011-12 और वर्ष 2015-2016 के बीच न्यायपालिका पर भारत का वार्षिक औसत खर्च सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का केवल 0.08% था।
- **प्रशासनिक कार्य को किसी और को सौंपना:** वर्तमान में, न्यायपालिका के प्रशासनिक कार्य ज्यादातर न्यायालयों की संबंधित रजिस्ट्रियों को सौंपे जाते हैं।
    - यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में अवसंरचनात्मक तथा वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ न्यायालयों और ट्रिब्यूनल के प्रशासनिक कार्यों को एक **अलग पेशेवर एजेंसी** द्वारा सहायता दी जाती है।
- **बाधा रहित पहुँच सुनिश्चित करना:** दृष्टिबाधित लोगों के लिए रैंप, स्पर्शनीय फुटपाथ (Tactile Pavements) और ब्रेल लिपि आधारित नोटिस बोर्ड का पर्याप्त प्रावधान होना चाहिये। इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग शौचालयों का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- **न्यायपालिका में कर्मचारियों की कमी में सुधार करना:** उच्चतर न्यायपालिका के लिए कॉलेजियम प्रणाली में सुधार और राज्य आयोग/उच्च न्यायालयों द्वारा निचली न्यायपालिका हेतु भर्ती प्रक्रिया में देरी को दूर करना।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग करना:** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और मामलों की ई-लाइब्रेरी जैसी केस मैनेजमेंट प्रणालियों हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों और वकीलों की सहायता के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग किया जा सकता है।
- **उच्च न्यायालयों का विकेंद्रीकरण और अधिक पीठों की स्थापना करना।**

निष्कर्ष:

अत्याधुनिक न्यायिक अवसंरचना को तैयार करने और सशक्त बनाने के लिए न्यायिक तंत्र को संस्थागत बनाना होगा। इससे अधिक-से-अधिक मामले निपटाए जा सकेंगे और समुचित न्याय प्रदान करने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही वंचित एवं शोषित वर्ग को समुचित न्याय भी दिलाया जा सकेगा।

1.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

1.7.1. संविधान सभा की ऐतिहासिक पहली बैठक के 75 वर्ष पूर्ण हुए {75 Years of The Historic First Sitting of Constituent Assembly (CA)}

- संविधान सभा की **प्रथम बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946** को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई थी।
    - **कैबिनेट मिशन योजना, 1946** (फ्रेडरिक पेथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए. वी. अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे) **की सिफारिशों के आधार पर भारत की संविधान सभा का निर्माण किया गया था।**
        - संविधान सभा को **भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 की धारा 8 द्वारा मान्यता दी गई थी।**

[24] Special Purpose Vehicle: SPV

- **संरचना:** सदस्यों का चयन कैबिनेट मिशन द्वारा अनुशंसित योजना के अनुसार प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से किया गया था।
  - **व्यवस्था:**
    - प्रांतीय विधान सभाओं के माध्यम से 292 सदस्य चुने गए थे।
    - इसमें शामिल 93 सदस्यों ने भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था, तथा
    - 4 सदस्यों ने चीफ कमिश्नरी वाले प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया था। **(कुल सदस्य = 389)।**
  - हालांकि **3 जून, 1947 की माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के परिणामस्वरूप,** पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई थी और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। परिणामस्वरूप, संविधान सभा **की सदस्यता घटकर 299 रह गई थी।**
- **सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी।**
- स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार करने में संविधान सभा को **दो वर्ष, ग्यारह महीने और अठारह दिन** का समय लगा था।

1.7.2. विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे की तर्ज पर आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता उपाय {Special Assistance Measure (SAM) Extended To Andhra Pradesh In Lieu of Special Category States (SCS) Status}

- **आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014** से उत्पन्न दायित्व, **वित्त आयोगों की सिफारिशों** तथा **नीति आयोग की रिपोर्ट** के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के लिए **विशेष सहायता उपाय** का प्रावधान किया गया था।
  - राज्य द्वारा वर्ष 2015-16 से लेकर 2019-20 के बीच हस्ताक्षरित और संवितरित की गईं सहायता प्राप्त परियोजनाओं[25] हेतु लिए गए ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए ये विशेष सहायता उपाय प्रदान किए जाएंगे।
- विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा पहली बार वर्ष 1969 में प्रस्तावित किया गया था। यह उन राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र द्वारा प्रदत्त एक वर्गीकरण है, जो **पहाड़ी क्षेत्रों, सामरिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ेपन तथा गैर-व्यवहार्य राज्य वित्त जैसी भौगोलिक एवं सामाजिक-आर्थिक हानि का सामना करते हैं।**
  - चौदहवें वित्त आयोग ने **विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे को केवल उत्तर-पूर्वी और तीन पहाड़ी राज्यों तक ही सीमित रखा था।**
- विशेष श्रेणी राज्य श्रेणी के तहत, **केंद्र सरकार सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं** और बाहरी सहायता पर **राज्य व्यय के 90% हिस्से का भुगतान करती है,** जबकि शेष 10% ब्याज की शून्य प्रतिशत दर पर राज्य को ऋण के रूप में दिया जाता है।
  - **जो धन खर्च नहीं हो पाता, वह लैप्स (व्यपगत) नहीं होता है** और उसे अगले वर्ष इस्तेमाल किया जा सकता है।
  - विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को निवेश आकर्षित करने के लिए सीमा शुल्क, कॉर्पोरेट कर, आयकर और अन्य करों में छूट प्रदान की गई है।

1.7.3. प्रवासी भारतीय नागरिक द्वारा अचल संपत्ति की खरीद / हस्तांतरण (Purchase/Transfer of Immovable Property by OCI)

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी भारतीय नागरिकों (Overseas Citizens of India: OCIs) को **कृषि भूमि, फार्म हाउस या वृक्षारोपण वाली संपत्ति के अलावा** भारत में अन्य अचल संपत्ति की खरीद या हस्तांतरण के लिए मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है।
  - RBI ने **उच्चतम न्यायालय के एक फैसले पर समाचार पत्रों की रिपोर्ट्स के आधार पर कई प्रश्न प्राप्त होने के बाद** यह स्पष्टीकरण दिया है।
  - पहले का निर्णय **विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973[26] के प्रावधानों से संबंधित था।** इसे **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999[27] की धारा 49 के तहत रद्द कर दिया** गया है।
- भारत में OCIs द्वारा अचल संपत्तियों की खरीद और अधिग्रहण:
  - **फेमा, 1999** द्वारा शासित।
  - खरीदी जा सकने वाली **आवासीय या वाणिज्यिक संपत्ति की संख्या** पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
    - उन्हें अपने किसी **अनिवासी भारतीय (NRI), OCI या निवासी रिश्तेदार से उपहार के रूप में** कोई आवासीय या वाणिज्यिक संपत्ति हासिल करने की भी अनुमति है।

---

[25] Externally Aided Projects: EAP

[26] Foreign Exchange Regulation Act: FERA/फेरा

[27] Foreign Exchange Management Act: FEMA/फेमा

VISIONIAS

- OCIs को भारत में कृषि भूमि, फार्म हाउस या वृक्षारोपण वाली संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है, लेकिन उन्हें भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से इनको विरासत में लेने की अनुमति है।

1.7.4. परिसीमन आयोग ने जम्मू के लिए छह और कश्मीर घाटी के लिए एक अतिरिक्त सीट का प्रस्ताव रखा है {Delimitation Commission (DC) Proposes Six Additional Seats For Jammu, One For Kashmir Valley}

- अगस्त 2019 में केंद्र ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने तथा जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के बाद **जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत परिसीमन आयोग की स्थापना की थी।**
  - **यदि प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाती है, तो जम्मू-कश्मीर में विधान सभा की कुल सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी।** जम्मू में 43 (पहले 37) और कश्मीर में 47 (पहले 46) होंगी।
  - अतिरिक्त 24 सीटें पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर (PoK) के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है।
- **परिसीमन** किसी देश या राज्य में विधायी निकाय वाले **क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करने की एक प्रक्रिया है।**
- **यह एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय को सौंपा गया है, जिसे परिसीमन आयोग** या सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है।
  - **अनुच्छेद 82 में यह प्रावधान है कि,** संसद विधि द्वारा प्रत्येक जनगणना के उपरांत परिसीमन आयोग की स्थापना का उपबंध करेगी।
  - **अनुच्छेद 170 के तहत,** राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।
- **वर्ष 1952, वर्ष 1963, वर्ष 1973 और वर्ष 2002 में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन** किया जा चुका है।
  - इसे **राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त** किया जाता है। **इसके आदेशों में अधिनियम की शक्ति होती है** और इसे किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती **नहीं** दी जा सकती है।
- **सरंचना: तीन सदस्य-**
  - अध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के **सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश।**
  - **मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC)** या CEC द्वारा नामित चुनाव आयुक्त।
  - संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के **राज्य चुनाव आयुक्त।**

1.7.5. सुशासन दिवस (25 दिसंबर) के अवसर पर सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया गया {Good Governance Index (GGI) 2021 Launched On Good Governance Day (25th December)}

- GGI **राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में अभिशासन (गवर्नेंस) की स्थिति का आकलन करता है।** यह राज्यों/ जिलों की रैंकिंग को सक्षम बनाता है। साथ ही, सुधार के लिए प्रतिस्पर्धी भावना विकसित करते हुए **एक तुलनात्मक विश्लेषण भी प्रदान करता है।**
  - यह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित **एक अर्द्धवार्षिक (वर्ष में दो बार) अभ्यास है।**
- इसका उद्देश्य एक ऐसा तंत्र तैयार करना है, जिसे **केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करने** के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में समान रूप से उपयोग किया जा सके।
  - GGI के तहत वर्ष 2020-21 के लिए **दस क्षेत्रों की पहचान की गई** है। (इन्फोग्राफिक देखें)
  - **राज्यों को चार समूहों में वर्गीकृत किया गया है:** पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य, संघ राज्यक्षेत्र तथा अन्य राज्य- समूह A एवं समूह B

- **इस सूचकांक की मुख्य विशेषताएं:**
  - वर्ष 2019 के सूचकांक में प्राप्त स्कोर की तुलना में **बीस राज्यों ने अपने समग्र GGI स्कोर में सुधार** किया है।
  - **ग्रुप A राज्यों में, गुजरात ने समग्र रैंकिंग में शीर्ष** स्थान प्राप्त किया है, जबकि **ग्रुप B राज्यों में मध्य प्रदेश शीर्ष** स्थान पर है।

- **संघ राज्यक्षेत्रों** की रैंकिंग में **दिल्ली शीर्ष** स्थान पर है।
- पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में **हिमाचल प्रदेश रैंकिंग में शीर्ष** पर है।

1.7.6. अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन (All India Mayors' Conference)

- इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के 120 महापौर भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन का **विषय/थीम "नया शहरी भारत"** (New Urban India) है।
- शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के **महापौर/अध्यक्ष, नगर निकाय के राजनीतिक और कार्यकारी प्रमुख होते हैं।**
  - वर्तमान में, **महापौरों का चुनाव नगर पार्षदों द्वारा किया जाता** है, जो प्रत्यक्ष रूप से शहरी मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं।
- **महापौर के कार्यालय से संबंधित मुद्दे:**
  - **लघु कार्यकाल:** भारतीय शहरी-प्रणाली के वार्षिक सर्वेक्षण[28], 2017 में यह पाया गया कि केवल 20 प्रतिशत शहरों में ही महापौरों के लिए **पांच वर्ष** का कार्यकाल उपलब्ध है।
    - **74वें संविधान संशोधन में महापौरों के निर्वाचन की विधि या कार्यकाल को निर्धारित नहीं किया गया है।**
  - **कार्यकारी अधिकार का अभाव:** ज्ञातव्य है कि प्रमुख **कार्यकारी शक्ति, सरकार द्वारा नियुक्त नगरपालिका आयुक्त** के पास होती है, इसलिए महापौर केवल नाममात्र का पद ग्रहण करते हैं।
    - महापौरों के लिए उपलब्ध सीमित कार्यकारी शक्तियों को **शहरी अभिशासन में अक्षमता और कुप्रबंधन** के प्रमुख कारणों में से एक के रूप में देखा जाता है।
- **किए जाने वाले उपाय:**
  - **शहरी निवासियों का प्रत्यक्ष जनादेश,** महापौर के पद की वैधता और जवाबदेही में वृद्धि कर सकता है।
  - राज्य द्वारा नियुक्त नौकरशाहों के विपरीत **महापौरों के लिए निश्चित कार्यकाल** अधिक निरंतरता प्रदान करता है, क्योंकि नौकरशाहों को अकस्मात स्थानांतरित किया जा सकता है।

1.7.7. मध्य प्रदेश ने भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के कार्यान्वयन की घोषणा की {Madhya Pradesh Announced The Implementation of A Police Commissionerate System (PCS) In Bhopal And Indore}

- **पुलिस कमिश्नरी प्रणाली** का प्रस्ताव बढ़ती जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार तथा साथ में प्रशासनिक एवं कानून व्यवस्था की समस्याओं इत्यादि के कारण किया गया है।
  - पुलिस सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित विभिन्न समितियों ने भी 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कमिश्नरी प्रणाली की सिफारिश की है।

दोहरी कमान प्रणाली	कमिश्नरी प्रणाली

• एक जिले में जिला मजिस्ट्रेट (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) द्वारा शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों को साझा किया जाता है।
• इसके तहत **नियंत्रण की एक 'दोहरी व्यवस्था'** होती है। इसमें पुलिस प्रशासन के निरीक्षण के लिए SP को DM के साथ कार्य करना होता है।
  ○ DM को गिरफ्तारी वारंट व लाइसेंस जारी करने का कार्य सौंपा जाता है, जबकि SP के पास अपराध की जांच करने और गिरफ्तारी करने की शक्तियां एवं जिम्मेदारियां होती हैं।
• इस व्यवस्था को शक्तियों के केन्द्रीकरण को कम करने और जिला स्तर पर पुलिस को DM के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए स्थापित किया गया है।
	• पुलिस आयुक्त (Commissioner of Police: CP) एक एकीकृत पुलिस कमान संरचना का प्रमुख होता है। वह शहर में पुलिस बल की कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी होता है और राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह होता है।
	• इस पद को **मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी प्राप्त** होती हैं। ये शक्तियां विनियमन, नियंत्रण और लाइसेंसिंग से संबंधित होती हैं।
	  ○ डी.आई.जी. या उससे ऊपर की रैंक वाले अधिकारी को CP के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसे विशेष/संयुक्त/अपर/उपायुक्तों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
	• ऐसे अधिकारियों को निवारक गिरफ्तारी, धारा 144 लागू करने और आवश्यकतानुसार कार्यवाही शुरू करने की शक्तियां प्रदान की जाती हैं।
	  ○ पुलिस के पास अधिकतम दो वर्षों के लिए लोगों को अपने अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने और किसी व्यक्ति को क्षेत्र से बाहर करने की भी शक्ति होती है।
	• इससे जटिल शहर-केंद्रित मुद्दों को हल करने के लिए तेजी से निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है।

[28] Annual Survey of India's City-Systems: ASICS

1.7.8. डिफ़ॉल्ट/ वैधानिक ज़मानत {Default Bail}

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने **एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज को जमानत देने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध** उच्चतम न्यायालय में अपील की है।
- डिफ़ॉल्ट या वैधानिक जमानत **एक अधिकार** (अपराध की प्रकृति से निरपेक्ष) है, जो उस समय प्राप्त किया जा सकता है, **जब पुलिस न्यायिक हिरासत में किसी व्यक्ति की एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर जांच पूरी करने में विफल रहती है।**
    - यह **दंड प्रक्रिया संहिता में निहित है।**
- अधिकांश अपराधों के लिए, **पुलिस के पास जांच पूरी करने और न्यायालय के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 60 दिनों का समय होता है।**
    - हालांकि, **कुछ अपराधों के लिए 90 या 180 दिन की सीमा भी है।**

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

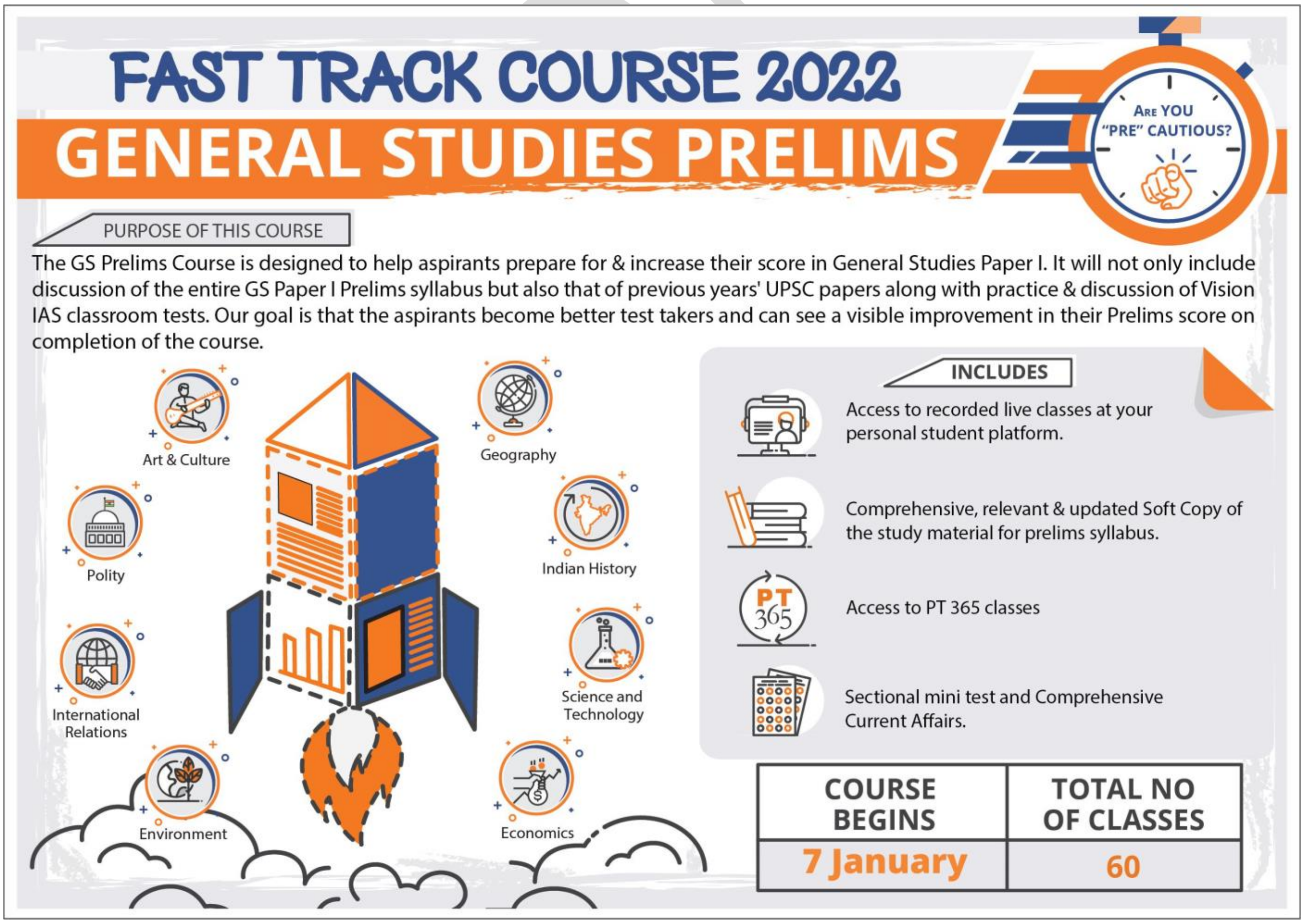

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. 1971 के भारत-पाक युद्ध का प्रभाव (Understanding The Impact Of 1971 Indo-Pak War)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की जीत के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर इस युद्ध में विजय सुनिश्चित करने वाले बहादुर भारतीय सैनिकों को उनके बलिदान के लिए देश भर में श्रद्धांजलि दी गई थी।

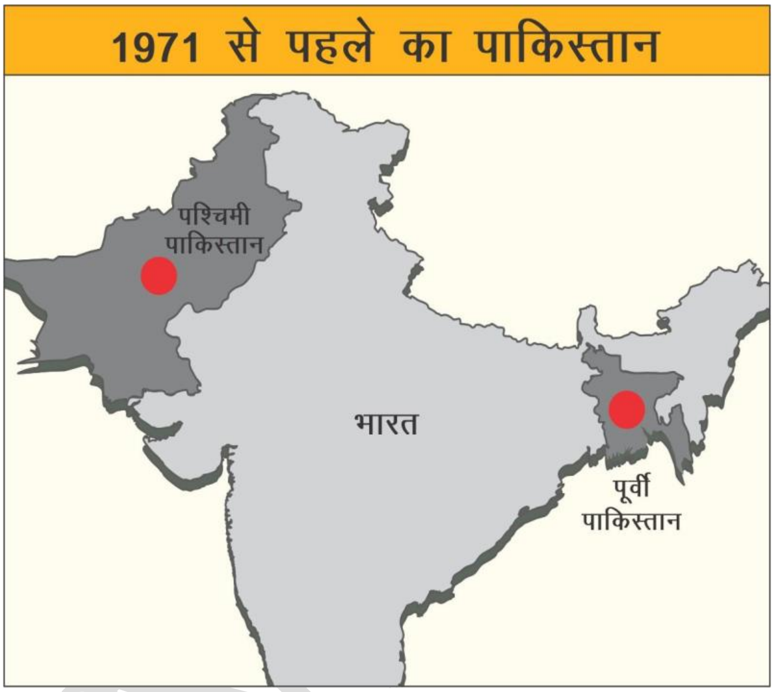

युद्ध हेतु उत्तरदायी कारण

- **भारतीय उपमहाद्वीप भौगोलिक रूप से अद्वितीय** क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के निकटतम पड़ोसी देशों के साथ लंबे समय से **साझा नृजातीय, भाषाई, सांस्कृतिक** और **ऐतिहासिक संबंध रहे हैं।**
    - उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश-बिहार के साथ नेपाल, पश्चिम बंगाल-असम के साथ बांग्लादेश, मौजूदा पाकिस्तान के साथ सीमाएं साझा करने वाले भारतीय राज्य आदि।
- **'भारत के विभाजन'** के तहत, पाकिस्तान को दो अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। ये क्षेत्र थे **पश्चिमी पाकिस्तान** (वर्तमान **पाकिस्तान**) और **पूर्वी पाकिस्तान** (वर्तमान **बांग्लादेश**)।
- संसद, न्यायपालिका आदि जैसे संस्थानों पर पश्चिमी पाकिस्तान का प्रभुत्व था। इसके कारण, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को शीघ्र ही विभिन्न मोर्चों पर अन्याय और दमन का सामना करना पड़ा, जैसे-
    - **सामाजिक स्तर पर:** बंगाली नृजातीय पहचान और भाषा को उचित मान्यता नहीं मिली। उर्दू को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया था, जबकि **बंगाली या बांग्ला** बोलने वालों का बहुमत था (1951 की जनगणना के अनुसार **58%** जनसंख्या) और इसके लिए आंदोलन भी किया गया था। बाद में इसे केवल **राज्य भाषा के रूप में ही मान्यता** प्रदान की गई थी।
    - **आर्थिक स्तर पर:** सेना और नागरिक प्रशासन के साथ ही अन्य नौकरियों में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का कम प्रतिनिधित्व था। दोनों क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय में लगभग 400% तक का अंतर था।
    - **राजनीतिक स्तर पर:** देश पर काफी हद तक सैन्य नेताओं (वर्ष 1958-69 के दौरान अयूब खान और वर्ष 1969-71 के दौरान याह्या खान) का नियंत्रण था। पश्चिमी पाकिस्तान निम्नलिखित मामलों में भी असफल रहा-
        - वर्ष 1966 में पूर्वी पाकिस्तान की **व्यापक स्वायत्तता मांगों को पूरा करने में,** और
        - वर्ष **1970 के चुनाव** में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी **(अवामी लीग)** की भारी जीत के बाद सत्ता के **लोकतांत्रिक हस्तांतरण** में।

क्या आप जानते हैं?

यूनेस्को द्वारा बांग्लादेश के भाषा संबंधी आंदोलन को सम्मानित करने के लिए वर्ष 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया गया।

- इसके पश्चात् **पूर्वी पाकिस्तान** का जबरदस्त दमन किया जाने लगा। इसमें **ऑपरेशन सर्चलाइट** के तहत **निहत्थे नागरिकों की हत्या, सामूहिक पलायन और बलात्कार** जैसे घिनौने कार्य शामिल थे। परिणामस्वरूप बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की शुरुआत हुई।

भारत ने युद्ध में भाग क्यों लिया?

- **मानवता के समक्ष खतरा:** तत्कालीन **पूर्वी पाकिस्तान** के लोगों पर दुराचार और अन्याय जैसे घोर अत्याचार किये जा रहे थे। ये अत्याचार दूसरों के लिए भी खतरा थे। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है, **'अन्याय चाहे कहीं पर भी हो, वह हर जगह न्याय के लिए खतरा है'।**

- **लोगों का सामूहिक पलायन:** नवंबर 1971 तक लगभग एक करोड़ शरणार्थियों ने अत्याचारों के कारण भारत में शरण ली थी। इससे सीमावर्ती राज्यों के लिए एक बड़ी सामाजिक-आर्थिक चुनौती उत्पन्न हो गई थी।
- **अत्याचारों पर पश्चिमी देशों की चुप्पी:** भारत द्वारा बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र के साथ-साथ अमेरिका जैसे अन्य देश भी एक समुदाय के विनाश को रोकने के लिए शांतिपूर्ण समाधान देने ने में विफल रहे।
- **भारत के खिलाफ पाकिस्तान की आक्रामकता:** पश्चिमी पाकिस्तान ने 03 दिसंबर, 1971 को ऑपरेशन **'चंगेज खान'** के तहत भारतीय राज्यक्षेत्र पर हवाई हमले शुरू कर दिए थे। इस हमले ने **शांति, न्याय और मानवता को बनाए रखने के लिए** भारत को युद्ध में शामिल होने पर मजबूर कर दिया था।

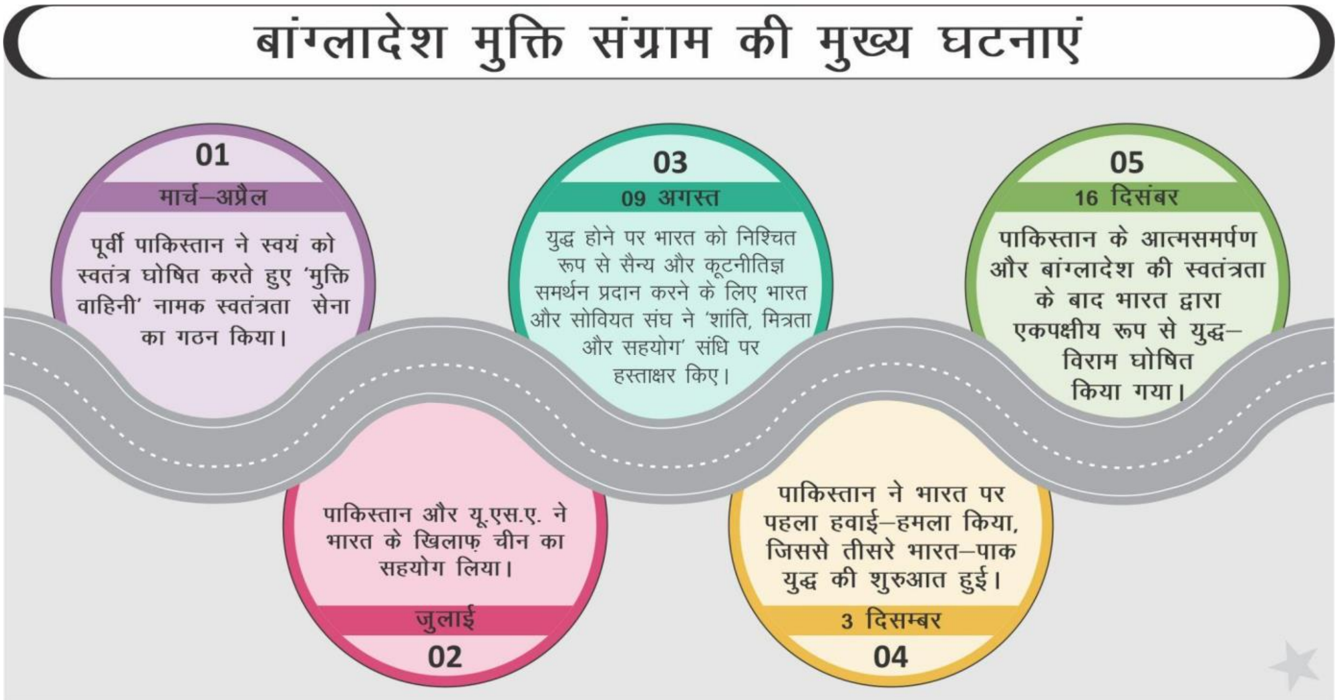

युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा?

भारत-पाकिस्तान के बीच वर्ष 1971 का **13-दिवसीय युद्ध** भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक ऐतिहासिक भू-राजनीतिक घटना है। बांग्लादेश की मुक्ति के अलावा, इसने दक्षिण एशिया के **इतिहास** और **भूगोल** को बदल दिया था। इस युद्ध के प्रभाव इस क्षेत्र से बाहर भी महसूस किए गए। युद्ध के प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं:

राष्ट्र/संस्था	प्रमुख प्रभाव
भारत	घरेलू स्तर पर, इसने शरणार्थियों के भारी संख्या में आगमन से केवल अस्थायी राहत प्रदान की। आंतरिक आंदोलनों (जैसे असम आंदोलन) का उदय होने लगा था। हालांकि, भू-राजनीतिक और सामरिक स्तर पर इसने भारत की इस प्रकार मदद की: • हिंद महासागर क्षेत्र में **संचार के महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा**, विशेष रूप से दस डिग्री चैनल की भांति बंगाल की खाड़ी में संकीर्ण मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में; • एक शांत पड़ोसी के माध्यम से **'चिकन-नेक'** या **'सिलीगुड़ी कॉरिडोर'** की रक्षा सुनिश्चित करने में; • **भूमि और समुद्री सीमा विवादों** के शांतिपूर्ण ढंग से **समाधान में।** उदाहरण के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 2015 में भूमि सीमा समझौता; • बांग्लादेश (जहां नागालैंड और असम के विद्रोही प्राय: शरण लेते हैं) के साथ सहयोग के माध्यम से **पूर्वोत्तर में उग्रवाद पर अंकुश** लगाने में; तथा • वैश्विक संबंधों (जैसे बिम्सटेक, बांग्लादेश इसका एक सदस्य है) के संदर्भ में भारत को **कूटनीतिक और सामरिक लाभ प्राप्त हुआ है।** साथ ही, विशेष अभियानों के संदर्भ में, सशस्त्र बलों के बीच समन्वय तथा ज्ञान में सुधार हुआ है।
पाकिस्तान	पाकिस्तान की सेना ने शासन में अपनी पकड़ को और मजबूत किया। उसने हार के लिए **संसदीय प्रणाली तथा सरकारी कुप्रबंधन** को उत्तरदायी ठहराया। उसने निम्नलिखित रणनीति अपनाई: • वर्ष 1972 में **परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत** की तथा • भारत के खिलाफ **छद्म युद्ध रणनीति** को अपनाया जैसे-आतंकवाद।

बांग्लादेश	इस युद्ध के बाद, बांग्लादेश के लोगों को ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर **शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व** के माध्यम से अपनी **पहचान की रक्षा करने** और **अपनी नियति** स्वयं निर्धारित करने में मदद मिली। स्वतंत्रता ने बांग्लादेश की निम्नलिखित मामलों में भी सहायता की: • विश्व के **प्रमुख परिधान निर्यातक के रूप में उभरने में,** • भारत और अन्य देशों के साथ **द्विपक्षीय संबंध बनाने में,** तथा • विकास और समृद्धि के लिए **समान विचारधारा वाले देशों** के साथ मिलकर कार्य करने में।
संयुक्त राज्य अमेरिका	**संयुक्त राज्य ने अमेरिका-पाकिस्तान-चीन** गठबंधन बनाने में भूमिका निभाई थी। उसने भारत को रोकने तथा बांग्लादेश की मुक्ति को बाधित करने के लिए **बंगाल की खाड़ी में 7वें बेड़े (USS एंटरप्राइज)** की तैनाती की थी। इसके निम्नलिखित परिणाम हुए: • **भारत-अमेरिका संबंध** उस समय **खराब** हो गए थे, जो आज भी दोनों देशों के संबंधों में अविश्वास का एक कारण है; • **मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों** के संरक्षण के खिलाफ जाने से अमेरिका की छवि को नुकसान पहुँचा।
सोवियत संघ	इसने युद्ध को एक **'स्थिर करने वाले कारक'** के रूप में मान्यता दी। इसने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव को कम कर दिया। निम्नलिखित घटनाओं के कारण ऐसा संभव हो सका- • युद्ध की स्थिति में सैन्य और राजनयिक समर्थन सुनिश्चित करने के लिए भारत के साथ **'शांति, मैत्री एवं सहयोग संधि'** पर हस्ताक्षर किये गये। • **गुटनिरपेक्षता की नीति** को सोवियत रूस द्वारा मान्यता दिए जाने के कारण उसकी स्वीकृति में वृद्धि हुई।
संयुक्त राष्ट्र (UN)	भारत पर पाकिस्तान के हमले के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी तथा युद्धविराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रयास (जिसे 4 दिसंबर 1971 को सोवियत संघ ने वीटो कर दिया था) ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए: • **लोकतांत्रिक मूल्यों** और **बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संस्था में सुधार** की आवश्यकता है। • वैश्विक संस्थाओं में **पश्चिमी राष्ट्रों (विशेषकर अमेरिका) का प्रभुत्व है।**

निष्कर्ष

यह 13-दिवसीय युद्ध किसी राष्ट्र के राजनीतिक ढांचे को बदलने के लिए केवल एक **बमवर्षक अभियान** नहीं था, बल्कि यह **नैतिक** और **लोकतांत्रिक परंपराओं** की रक्षा के लिए एक युद्ध था। इस प्रकार, **स्वर्णिम विजय पर्व** हमारे सशस्त्र बलों की **कुशलता** के साथ-साथ विश्व की **सबसे पुरानी सभ्यता** माने जाने वाले हमारे देश के **राजनीतिक नेतृत्व** का भी उत्सव है।

2.2. बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) के उभरते विकल्प: भारत के लिए अवसर? (Emerging BRI Alternatives: Opportunity for India?)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, यूरोपीय आयोग ने **'ग्लोबल गेटवे'** नामक एक पहल लॉन्च की है। यह वैश्विक बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण पर यूरोपीय संघ की एक रणनीति है। इसका उद्देश्य वर्ष **2021-2027** के मध्य **300 अरब यूरो** का निवेश जुटाना है।

चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI)

- BRI, **चीन** की एक बुनियादी ढांचा विकास परियोजना है। इसका उद्देश्य **एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप को जोड़ने हेतु भूमि और समुद्री मार्गों** का विकास करना है। इसे **वर्ष 2013 में 'वन बेल्ट वन रोड'** के रूप में लॉन्च किया गया था।
- वर्तमान में यह विश्व की सबसे बड़ी तथा महत्वाकांक्षी वैश्विक बुनियादी ढांचा वित्तपोषण और विकास पहल है।
- अनुमानों के अनुसार, BRI के तहत **100 से ज्यादा देशों में 2,600 से अधिक परियोजनाओं में लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर का निवेश** किया गया है। इसमें बंदरगाह, रेलवे, ऊर्जा, डिजिटल नेटवर्क आदि शामिल हैं।

- **BRI के संभावित लाभ:**
    - क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देना और सुविधाओं (बंदरगाहों तथा हवाई अड्डों) का आधुनिकीकरण करना;
    - नए बाजारों तक पहुँचने हेतु आवाजाही में सुधार करना;
    - नए ऊर्जा संसाधनों का दोहन करना;
    - अर्थव्यवस्था की सम्पूर्ण दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना आदि।

BRI से जुड़ी चिंताएं क्या हैं?

- **पारदर्शिता की कमी:** रणनीति या उद्देश्य को लेकर BRI में पारदर्शिता का अभाव है। इसे कई अफ्रीकी देशों ने उजागर किया है।
- **ऋण-जाल कूटनीति:** अत्यधिक कर्ज का बोझ डालने के कारण, BRI एक कुटिल साधन के रूप में उभरा है। इसका उपयोग ऋण चुकाने में विफल किसी राष्ट्र पर अनुचित दबाव डालने और उससे **राजनीतिक लाभ** हासिल करने के लिए किया जा सकता है।
- उदाहरण के लिए, ऋण चुकाने में विफल होने के कारण **चीन ने श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह** को 99 वर्षों के लिए अपने **कब्जे में ले लिया है।**
- **संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन:** चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे[29] जैसी परियोजनाओं के माध्यम से, BRI भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। ऐसा ही दृष्टिकोण BRI की भविष्य की परियोजनाओं का भी मार्गदर्शन कर सकता है।
- **वैश्विक प्रभुत्व का विस्तार:** बंदरगाहों और डिजिटल नेटवर्क के दोहरे उपयोग जैसी आशंकाओं की वजह से BRI को चीन के वैश्विक प्रभुत्व हेतु राज्य समर्थित एक अभियान के रूप में देखा जा रहा है।
- **अनैतिक व्यापार प्रथाओं का उपयोग:** BRI समझौतों में से लगभग 89% चीनी निर्माण कंपनियों द्वारा पूरे किये जाते हैं। इनमें चीनी श्रम का ही उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार, भ्रष्टाचार, लागत मुद्रास्फीति, गुप्त सौदे, 'छुपाये गए और कम रिपोर्ट किए गए ऋण' आदि जैसी समस्याएं भी इस परियोजना से जुड़ी हुई हैं।
- **पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम:** पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के पर्याप्त अध्ययन के अभाव और अन्य खतरों के कारण, इस परियोजना का **पर्यावरण एवं श्रम संबंधी मानकों के प्रति** अनुपालन खराब है।

BRI के उभरते विकल्प

विकसित देश लंबे समय से बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जापान एशियाई विकास बैंक के माध्यम से ऐसा कर रहा है। लेकिन बढ़ती क्षेत्रीय चिंताओं और चीन के बढ़ते प्रभाव ने **बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं*** को शुरू करने हेतु सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता को प्रकट किया है, जैसे:

विशेषताएं	**G7 द्वारा बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (B3W)**	**EU द्वारा ग्लोबल गेटवे**
परिचय	यह निम्न और मध्यम आय वाले देशों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु सामूहिक रूप से धन जुटाने के लिए G7 की एक पहल है।	लोगों और देशों को स्मार्ट, सतत एवं निष्पक्ष तरीके से जोड़ने हेतु यूरोप की रणनीति है।
मार्गदर्शक सिद्धांत		

[29] China-Pakistan Economic Corridor: CPEC

वित्त पोषण	विकास के लिए वित्तपोषण पर **अदीस अबाबा कार्रवाई एजेंडा** के अनुरूप द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और निजी क्षेत्र से पूंजी जुटाना।	**यूरोपीय संघ, उसके सदस्य देशों, वित्तीय तथा विकास संस्थानों** (जैसे यूरोपीय निवेश बैंक, पुनर्निर्माण और विकास के लिए यूरोपीय बैंक) तथा निजी निधियों द्वारा वित्त पोषण।
फोकस के प्रमुख क्षेत्र	फोकस के चार क्षेत्र हैं- **जलवायु; स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा; डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा लैंगिक समता और समानता।**	फोकस के पांच क्षेत्र हैं- **डिजिटल क्षेत्र; जलवायु और ऊर्जा; परिवहन; स्वास्थ्य; शिक्षा एवं अनुसंधान क्षेत्र।**

***- कॉप-26** में, यूनाइटेड किंगडम ने एक **स्वच्छ हरित पहल**[30] भी आरंभ की थी। इसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों के दौरान **विकासशील देशों में हरित विकास** के लिए **3 बिलियन पाउंड** से अधिक जलवायु वित्तपोषण प्रदान करना है।

वैश्विक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारत के लिए अवसर

G20 की एक पहल, **ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक** के अनुसार, वर्ष 2040 तक वैश्विक बुनियादी ढांचे की जरूरतों तथा वास्तविक निवेश के मध्य अनुमानित **15 ट्रिलियन डॉलर** का अंतर है। अन्य निवेशों की तुलना में वैश्विक बुनियादी ढांचे को हमेशा से ज्यादा अवसर मिलते रहे हैं।

- उदाहरण के लिए, भारत और जापान ने वर्ष 2017 में **एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर** की शुरुआत की थी।

लेकिन **भू-आर्थिक, भू-राजनीतिक** और **सामरिक हितों** के लिए BRI का लाभ उठाने हेतु चीनी प्रयास बढ़ते जा रहे हैं। इसने वैश्विक बुनियादी ढांचे में भारत के लिए अधिक अवसर पैदा किये हैं।

- **यूरोपीय संघ के साथ साझेदारी:** हाल ही में, यूरोपीय संघ ने भारत के साथ एक **व्यापक कनेक्टिविटी साझेदारी** पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य **डिजिटल, ऊर्जा, परिवहन और लोगों से लोगों के संपर्क** के लिए अफ्रीका, मध्य एशिया तथा हिन्द-प्रशांत में 'लचीली एवं धारणीय संपर्क परियोजनाओं' का समर्थन करना है।
- **बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (B3W) के साथ साझेदारी:** भारत के अपने **सिद्धांतों** और इसे दी जाने वाली **वरीयता** के कारण भारत के **B3W पहल** के साथ जुड़ने की संभावना है।
    - इसका चीन के प्रभुत्व वाले एशिया में **संतुलन लाने वाली पहल के रूप में उदय हो रहा है।**
    - यह **लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के सम्मान** से संबंधित साझा मूल्यों वाली पहल है।
    - यह **अधिक व्यावहारिक, समावेशी, पारदर्शी और नियम-आधारित संपर्क प्रणाली** की स्थापना करेगी।
    - इसका लक्ष्य **कोविड-19 के पश्चात् तेज़ी से रिकवरी** में अन्य देशों की मदद करना है। साथ ही, सामाजिक-आर्थिक महत्व की परियोजनाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है।
- **द्विपक्षीय संलग्नता:** चीन पर अविश्वास और BRI ऋणों से संबंधित कमियों के कारण एक प्रकार की रिक्तता उत्पन्न हुई है। भारत विशेष रूप से **अफ्रीकी और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में विकास परियोजनाओं** के माध्यम से इस रिक्तता को भर सकता है। इन देशों में चीन और भारत, दोनों पारंपरिक रूप से प्रतिस्पर्धा करते रहे हैं।

आगे की राह

- **नीतिगत समन्वय में सुधार:** यह निम्नलिखित से संभव है-
    - नौकरशाही प्रणाली को व्यवस्थित करके,
    - प्रक्रियाओं की मंजूरी के लिए अनेक केंद्रों की बजाय एक केंद्र की स्थापना करके तथा
    - उच्च प्रभाव वाली ढांचागत विकास परियोजनाओं की योजना बनाकर और उनका समर्थन करके।

[30] Clean Green Initiative

- **परियोजनाओं की व्यवहार्यता बढ़ाना:** सीमा पार निवेश की सुविधा और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को मजबूत करके आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इससे वैश्विक तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 के हानिकारक प्रभाव को कम किया जा सकेगा।
- **पूंजी की कमी को दूर करना:** निजी क्षेत्र से निजी क्षेत्र के वित्तपोषण मॉडल का उपयोग करना चाहिए। इससे समान विचारधारा वाले देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय **वित्तीय एकीकरण** को मजबूत किया जा सकेगा।
- **लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना:** परियोजनाओं के माध्यम से प्रदर्शन में सुधार के साथ लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना चाहिए। इससे लोगों का विश्वास प्राप्त किया जा सकेगा तथा उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाया जा सकेगा।

इन बाहरी पहलों के साथ-साथ भारत को **घरेलू क्षमताओं के निर्माण** पर भी कार्य करना चाहिए। भारत को बुनियादी ढांचे के निर्माण, आवाजाही तथा अन्य समाधानों जैसी अन्य सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। इस हेतु उसे लंबी अवधि को ध्यान में रखकर भी कार्य करने की आवश्यकता है।

2.3. जी-20 (G20)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारत G20 'ट्रोइका' में शामिल हुआ है। साथ ही, **भारत ने 1 दिसंबर, 2022 से G20 अध्यक्ष पद संभालने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है।**

अन्य संबंधित तथ्य

- 'ट्रोइका', G20 के भीतर एक शीर्ष समूह को संदर्भित करता है। इसमें मौजूदा, पूर्ववर्ती व भावी अध्यक्षताएं शामिल हैं। ट्रोइका में **भारत, इंडोनेशिया और इटली** सम्मिलित हैं।
  - भारत 1 दिसंबर, 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023 में भारत पहली बार **'G20 लीडर्स समिट'** का आयोजन भी करेगा।
- ट्रोइका सदस्य के रूप में, **भारत G20 के एजेंडे को सुसंगत बनाने और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इंडोनेशिया तथा इटली के साथ मिलकर कार्य करेगा।**

G20 के बारे में

- यह **विश्व की प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक रणनीतिक बहुपक्षीय मंच है।**
  - G20 का गठन 1990 के दशक में मुख्यतः दो घटनाओं का परिणाम था। जैसे कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में उत्पन्न वित्तीय संकट और इस तथ्य को स्वीकार करना कि इन उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से कई देशों को वैश्विक आर्थिक विमर्शों एवं अभिशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है।

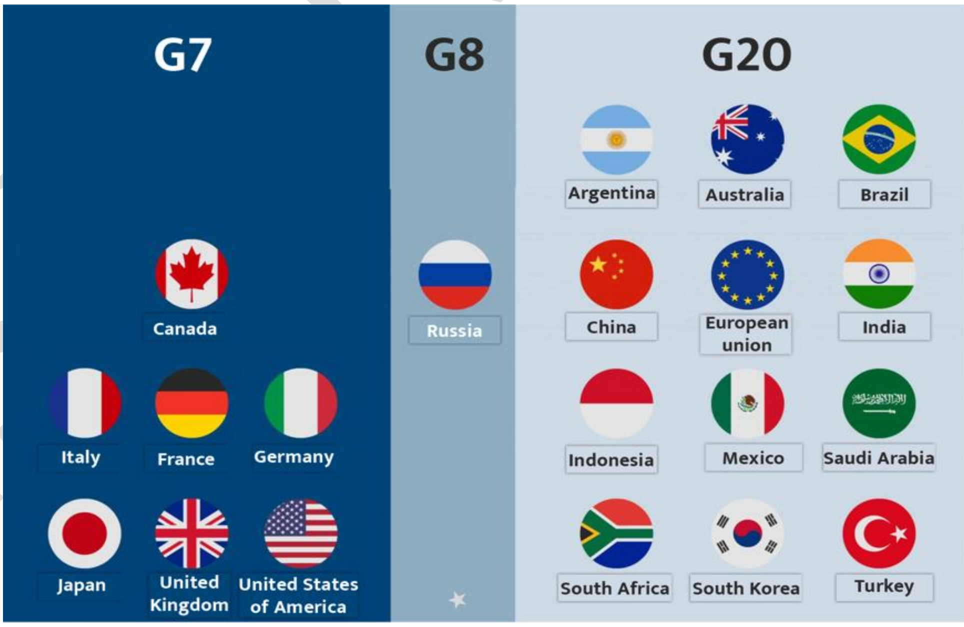

- इसकी **शुरुआत वर्ष 1999** में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के रूप में हुई थी। G20 को वर्ष 2008 में शिखर सम्मेलन के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट को दूर करना था।
  - यह **भविष्य में वैश्विक आर्थिक विकास और समृद्धि सुनिश्चित करने** में एक रणनीतिक भूमिका निभाएगा।
- G20 का कोई **स्थायी सचिवालय नहीं** है।
  - इसके एजेंडे तथा कार्यों का समन्वयन G20 नेताओं के निजी प्रतिनिधियों **(जिन्हें शेरपा के रूप में जाना जाता है)** द्वारा वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के साथ किया जाता है।
- **G20 के उद्देश्य इस प्रकार हैं:**
  - वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सतत विकास प्राप्त करने के लिए **सदस्यों के मध्य नीतिगत समन्वय स्थापित करना।**

- ○ **ऐसे वित्तीय विनियमों को बढ़ावा देना**, जो जोखिमों को कम करते हैं और भविष्य के वित्तीय संकटों को रोकते हैं; तथा
- ○ **एक नया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा तैयार करना।**

- भारत G20 प्रक्रिया का संस्थापक सदस्य रहा है। इसने नए विचारों को प्रस्तावित करने तथा समाधान खोजने में सक्रिय भूमिका निभाई है।

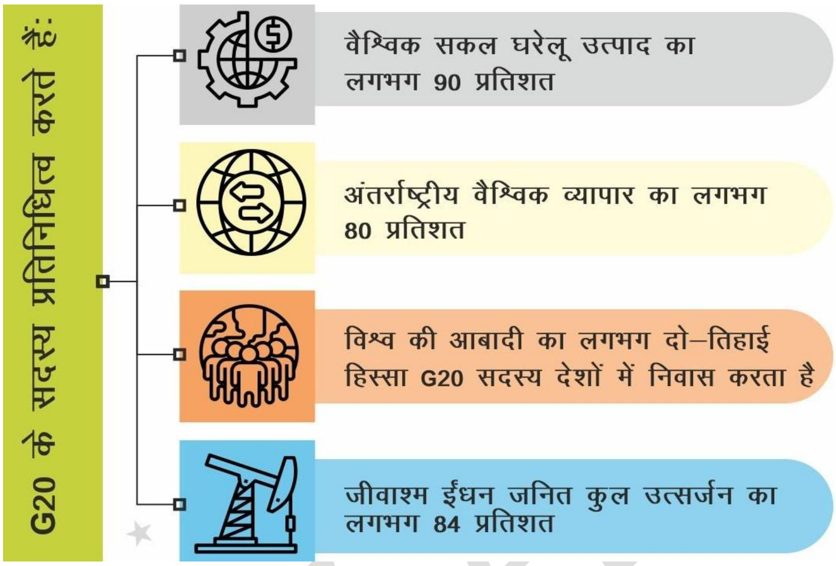

G20 की महत्ता

- **वैश्विक आर्थिक संवृद्धि:** G20, अपने आकार और रणनीतिक महत्त्व के कारण भविष्य में वैश्विक आर्थिक विकास के लिए मार्ग निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- **वैश्विक संकटों को संबोधित करना:** पिछले शिखर सम्मेलनों ने वर्ष 2008 के वित्तीय संकट, ईरानी परमाणु कार्यक्रम, कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को संबोधित किया है।
  - ○ G20 सदस्य देशों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक निवेश करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। साथ ही, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व वाले **कोविड-19 एकजुटता प्रतिक्रिया कोष** में योगदान करने का भी वादा किया है।
- **कर सुधार:** वर्ष 2008 में शिखर सम्मेलन की शुरुआत के बाद से अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली G20 विचार-विमर्श का एक नियमित मुद्दा रहा है। यह कम आय वाले विकासशील देशों की अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु चल रहे व्यापक कर सुधारों से लाभान्वित होने में मदद कर सकता है। यह सूचनाओं के आदान-प्रदान और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन[31] तथा आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण[32] परियोजनाओं के माध्यम से बड़ी कंपनियों द्वारा कर से बचने की समस्या को भी संबोधित करके देशों को लाभ पहुंचा सकता है।
  - ○ वर्ष 2021 के G20 रोम शिखर सम्मेलन में, नेताओं ने लगभग 140 देशों के मध्य एक समझौते का समर्थन किया था। इस समझौते का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय निगम कर प्रणाली में व्यापक बदलाव करना था।
  - ○ इस समझौते में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर 15 प्रतिशत न्यूनतम निगम कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही, कुछ कर राजस्व को पुनर्वितरित करने के लिए नए नियम भी शामिल किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि यह समझौता G20 तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के नेतृत्व में एक वर्ष तक चली एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है।
- **द्विपक्षीय संबंधों को व्यवस्थित करना:** कई विशेषज्ञ विदेश नीति निर्धारण में वैश्विक नेताओं के मध्य व्यक्तिगत संबंधों के पर्याप्त प्रभावों पर बल देते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में इतनी संख्या में वैश्विक नेताओं के एक मंच पर आने से ऐसे संबंधों के विकास और द्विपक्षीय संबंधों को व्यवस्थित करने के दुर्लभ अवसर मिलते हैं।
  - ○ शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठकों के परिणामस्वरूप कभी-कभी बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी होते रहे हैं।
- **मानव संसाधन विकास और रोजगार:** वर्ष 2014 में G20 ने वर्ष 2025 तक कार्यबल भागीदारी में लैंगिक अंतराल को 25% तक कम करने की प्रतिबद्धता प्रकट की थी। इस पहल के समर्थन में G20 ने राष्ट्रीय रोजगार योजनाएं भी विकसित की थीं। ये योजनाएं समावेशन के अवसर प्रदान करती हैं।
  - ○ वर्ष 2015 में G20 ने ऐसे युवाओं की **हिस्सेदारी को वर्ष 2025 तक 15 प्रतिशत तक कम करने** पर भी सहमति जताई थी, जिन पर **श्रम बाजार में स्थायी रूप से पीछे छूट जाने का सबसे अधिक खतरा** है।
  - ○ इस संबंध में लक्षित समूह के रूप में उन युवाओं की पहचान की गई है, जिनके कौशल निम्नस्तरीय हैं या जो अनौपचारिक रूप से रोजगार में हैं। इसके साथ ही, इस लक्षित समूह में वे युवा भी आते हैं जो न तो रोजगार में हैं और न ही शिक्षा या प्रशिक्षण[33] प्राप्त कर रहे हैं।

---

[31] Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD

[32] Base erosion and profit sharing: BEPS

[33] Neither in employment nor in education or training: NEETs

G20 के साथ समस्याएं

- **प्रभावी शक्ति का अभाव:** ऐसा तर्क दिया जाता रहा है कि **G20 कानूनी रूप से बाध्यकारी संस्था नहीं** है। इसे और अधिक अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** G20 समूह के पास एक **औपचारिक चार्टर का अभाव है।** इसके अलावा, G20 की कुछ सबसे महत्त्वपूर्ण बैठकें गोपनीय तरीके से आयोजित की जाती हैं।
- **संरक्षणवाद:** समूह के कुछ **नीतिगत निर्देश विशेषकर उदार समूहों के बीच अलोकप्रिय** रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलनों के दौरान होने वाले विरोध-प्रदर्शनों में ऐसा आरोप लगाया जाता रहा है कि यह समूह **बड़ी कंपनियों को मजबूत करने वाले व्यापार समझौतों को प्रोत्साहित** करता है।
- **अप्रभावी उपाय:** जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में इसकी भूमिका तथा **सामाजिक असमानता और लोकतंत्र के समक्ष वैश्विक खतरे से निपटने में विफलता** के लिए इसकी आलोचना की जाती है।
- **कम प्रतिनिधित्व:** आलोचकों का तर्क है कि यह समूह **अत्यंत सीमित** है। ऐसा लगता है कि **मेहमानों (जैसे कि अफ्रीकी देशों) को जोड़ने की इसकी परंपरा महज सांकेतिक है, ताकि यह दिखाया जा सके कि G20 विश्व की आर्थिक विविधता को दर्शाता है।**

निष्कर्ष

अब विश्व वास्तव में आपस में बहुत अधिक जुड़ा हुआ और एकीकृत है। इसलिए, सभी वैश्विक समस्याओं को हल करने के लिए सभी देशों को मिलकर कार्य करना होगा। G20 को सभी देशों को विशेष रूप से उभरते बाजारों जैसे इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील और मैक्सिको को एक साथ लाने के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान होगा। ये देश प्रमुख वैश्विक समस्याओं पर समन्वित कार्यों का समर्थन करने और वैश्विक लोकहित को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक शासन तंत्र में नए अभिकर्ता हैं।

2.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

2.4.1. विश्व व्यापार संगठन के विवाद निवारण समिति ने भारत द्वारा प्रदान की जाने वाली चीनी निर्यात सब्सिडी के विरुद्ध निर्णय दिया है {World Trade Organisation (WTO) Dispute Panel Rules Against India's Sugar Export Subsidies}

- ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और ग्वाटेमाला ने शिकायत की थी कि **भारत द्वारा गन्ना उत्पादकों को प्रदान की जाने वाली घरेलू सहायता,** विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा **नियत की गयी सीमा से अधिक है।**
    - इसके बाद, समिति ने अपने निष्कर्ष में यह पाया कि भारत **कृषि पर समझौते[34] के तहत अपने दायित्वों का पूरा पालन नहीं** कर रहा है।
- ध्यातव्य है कि **विश्व व्यापार संगठन के AOA के तहत** घरेलू समर्थन, निर्यात सब्सिडी और बाजार पहुंच के मामले में **घरेलू समर्थन एवं सरकारी संरक्षण को कम करने के लिए बाध्यकारी प्रावधान किये गये हैं।**
    - गन्ना उत्पादकों को घरेलू समर्थन, **उचित और लाभकारी मूल्य** (Fair and Remunerative Price: FRP), **राज्य परामर्शी मूल्य** (State-Advised Prices: SAPs), राज्य स्तरीय प्रोत्साहन आदि जैसे उपायों के माध्यम से प्रदान किया जाता है।
        - FRP के माध्यम से **गन्ना उत्पादकों को अनिवार्य न्यूनतम मूल्य** का भुगतान किया जाता है। **SAPs** के तहत राज्य सरकारें गन्ना उत्पादकों को विशिष्ट व अनिवार्य न्यूनतम मूल्य का भुगतान करती हैं।
    - गन्ना उत्पादकों के लिए भारत की निर्यात सब्सिडी में **उत्पादन सहायता योजना, बफर स्टॉक योजना और विपणन एवं परिवहन योजना** शामिल हैं।
- **भारत ने WTO के समक्ष यह प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि समर्थन बड़े पैमाने पर लघु और सीमांत किसानों को दिया गया था** एवं यह WTO में उसकी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप था।

- AOA के अनुसार, घरेलू समर्थन **न्यूनतम स्तर (De minimis) से अधिक नहीं होना चाहिए।**
    - न्यूनतम स्तर **विकसित देशों के लिए उत्पादन के मूल्य के 5%** तक और **भारत जैसे विकासशील देशों के लिए 10%** तक है।
- इसके अलावा, **AOA** और **अग्रीमेंट ऑन सब्सिडी एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स** के तहत, WTO के सदस्यों के लिए कई कृषि उत्पादों पर निर्यात सब्सिडी को प्रतिबंधित किया गया है।

---

[34] Agreement on Agriculture: AOA

2.4.2. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया {UN General Assembly (UNGA) Confers Observer Status on The International Solar Alliance (ISA)}

- यह दर्जा प्रदान करने से **ISA और संयुक्त राष्ट्र** के मध्य एक सुस्पष्ट परिभाषित सहयोग स्थापित करने में मदद मिलेगी। इससे वैश्विक ऊर्जा की संवृद्धि एवं विकास को लाभ प्राप्त होगा।
    - यह ISA को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय (न्यूयॉर्क) में **स्थायी कार्यालय स्थापित करने का विकल्प** भी प्रदान करेगा।
- **संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक के दर्जे के बारे में:**
    - **पहली बार स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा वर्ष 1946 में स्विस सरकार को प्रदान किया** गया था। इसके पश्चात् UNGA द्वारा कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया।
    - इसके अन्य पर्यवेक्षकों में शामिल हैं: गैर-सदस्य राज्य (जैसे कि **होली-सी**), अंतर-सरकारी और अन्य संगठन (उदाहरण के लिए, संकल्प 76/123 द्वारा **ISA**) तथा विशिष्ट एजेंसियां जैसे कि **कृषि एवं खाद्य संगठन** इत्यादि।
- ISA एक **अंतर-सरकारी संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन (सचिवालय: गुरुग्राम)** है। इसे भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से पेरिस जलवायु सम्मेलन, 2015 (UNFCCC के CoP21) में लॉन्च किया गया था।
    - यह **सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल बढ़ाने** के लिए एक सहयोगी मंच के रूप में कार्य करता है।

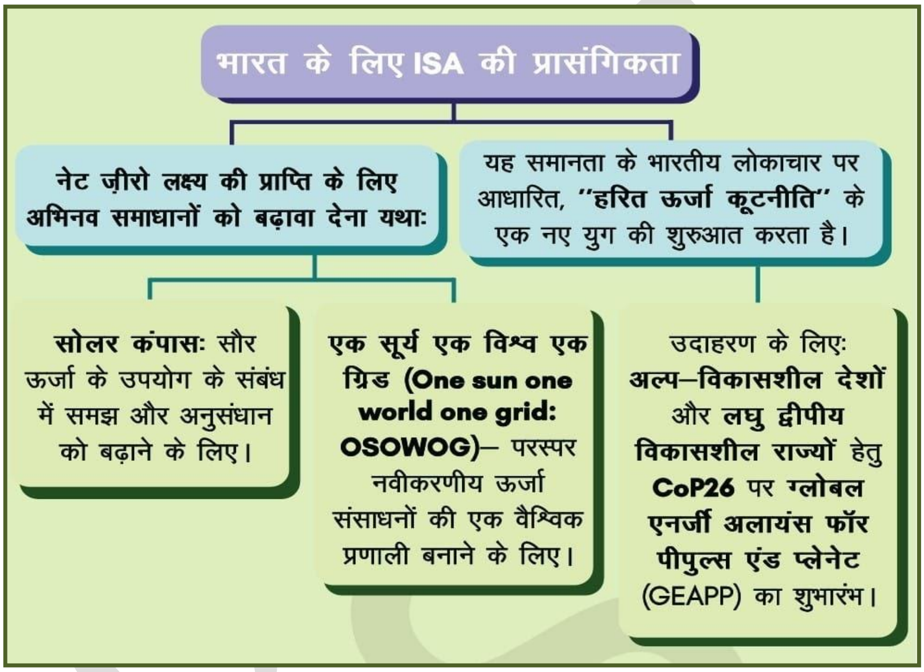

    - इसका उद्देश्य अपने सदस्य देशों में **ऊर्जा पहुंच व ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना** है।
    - इसमें **कुल 101 हस्ताक्षरकर्ता** (अंतिम हस्ताक्षरकर्ता - संयुक्त राज्य अमेरिका) हैं। इसमें से 80 **हस्ताक्षरकर्ताओं ने ISA फ्रेमवर्क समझौते** की पुष्टि (ratified) की है।

2.4.3. हिंद महासागर वार्ता (Indian Ocean Dialogue: IOD)

- हिंद महासागर वार्ता (IOD) के 8वें संस्करण की मेजबानी करते हुए, **भारत ने इस क्षेत्र के महत्व और इसे सुरक्षित एवं संरक्षित रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।**
    - **IOD इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का एक ट्रैक 1.5 फोरम है।** जहां अनौपचारिक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले सरकारी अधिकारी और गैर-आधिकारिक अभिकर्ता एक साथ कार्य करते हैं।
- **हिंद महासागर क्षेत्र[35] का महत्व:**
    - विश्व के आधे कंटेनर जलयान और **विश्व के दो-तिहाई तेल शिपमेंट इसी महासागर के समुद्री मार्गों से गुजरते हैं।**
    - **यहाँ विश्व के कुछ सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट हैं** - होर्मुज, मलक्का और बाब अल मंदेब जल संधियां। ये चोक पॉइंट वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।
    - इसमें **वैश्विक आबादी का लगभग 1/3, वैश्विक भूभाग का 25%** तथा वैश्विक तेल और गैस भंडार का लगभग 40% शामिल है।
- **IOR से संबधित भारत की पहलें:**
    - अपने अधिकांश छोटे पड़ोसियों जैसे मालदीव, मॉरीशस, श्रीलंका आदि के लिए **प्राथमिक सुरक्षा प्रदाता।**

---

[35] Indian Ocean Region: IOR

    - **विजन 'सागर/SAGAR' (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास):** इसका उद्देश्य भारत के भू-राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना एवं बढ़ावा देना है।
  - समुद्री सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी, आपदा जोखिम में कमी आदि पर ध्यान देने के लिए **हिंद-प्रशांत महासागर पहल**[36] ।
  - **अन्य पहलें:** हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी[37] (समुद्री सहयोग में वृद्धि), एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर आदि।

2.4.4. विदेश मंत्रियों के मध्य तीसरा भारत-मध्य एशिया संवाद दिल्ली में आयोजित किया गया (3rd India-Central Asia Dialogue Between Foreign Ministers Held in Delhi)

- इस संवाद का आयोजन भारत और पांच मध्य एशियाई देशों - **कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान** के मध्य किया गया था।
- **संयुक्त वक्तव्य के प्रमुख बिंदु:**
  - **अफगानिस्तान मुद्दा: UNSC रेजोल्यूशन 2593 (2021)** को यथावत रखने पर सहमति प्रकट की गई। इस रेजोल्यूशन में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि अफगान क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों को आश्रय, प्रशिक्षण, योजना-निर्माण या वित्तपोषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
  - **भारत ने "फोर सी (FOUR C)" दृष्टिकोण प्रस्तुत किया:** इसके तहत वाणिज्य (commerce), क्षमता वृद्धि (capacity enhancement), कनेक्टिविटी तथा आपसी संपर्क (contacts) पर ध्यान केंद्रित करते हुए **दोनों पक्षों के बीच सहयोग को और अधिक विस्तारित** करने पर चर्चा हुई।
  - **आतंकवाद: अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र के व्यापक सम्मेलन**[38] **के शीघ्र अंगीकरण** का आह्वान किया गया।
  - **कनेक्टिविटी:** क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए **ईरान में चाबहार बंदरगाह के पूर्ण उपयोग** पर निर्णय लिया गया।
- ये पांच मध्य एशियाई देश **इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के भी सदस्य हैं।** उन्होंने दिल्ली संवाद में भाग लेने के लिए अफगानिस्तान की स्थिति पर पाकिस्तान द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेने से मना कर दिया था।

- **भारत के लिए मध्य-एशिया क्षेत्र का महत्व:**
  - **भू-रणनीतिक महत्व** अर्थात् एशिया के विभिन्न क्षेत्रों और यूरोप एवं एशिया के बीच सेतु के रूप में।
  - **क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने** के लिए सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण।
  - इस क्षेत्र में **पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, स्वर्ण, यूरेनियम आदि जैसे खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में मौजूद** हैं, जिनका अभी दोहन किया जाना शेष है।
- **मध्य-एशिया क्षेत्र में भारत के लिए चुनौतियां:** चीन-पाकिस्तान का गठजोड़, प्रत्यक्ष संपर्क का अभाव, भारत का कम द्विपक्षीय व्यापार इत्यादि।

2.4.5. भारत-श्रीलंका मत्स्यन विवाद (India-Sri Lanka Fisheries Dispute)

- हाल ही में, **श्रीलंकाई अधिकारियों** ने 68 भारतीय मछुआरों को हिरासत में ले लिया तथा उनके 10 नौकाओं को भी ज़ब्त कर लिया। उनके अनुसार ये मछुआरे श्रीलंका के जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ रहे थे।
  - भारत ने श्रीलंका सरकार के समक्ष भारतीय मछुआरों को शीघ्र रिहा करने और उनके नौकाओं को छोड़ने का मुद्दा उठाया है।

---

[36] Indo-Pacific Oceans' Initiative: IPOI

[37] Indian Ocean Naval Symposium

[38] UN Comprehensive Convention on International Terrorism

- भारत-श्रीलंका मत्स्यन विवाद के लिए उत्तरदायी कारण:
    - परिभाषित समुद्री सीमा का अभाव: हालांकि, भारत और श्रीलंका ने वर्ष 1974-76 के मध्य चार समुद्री सीमा समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, किंतु दोनों देशों के मध्य कोई सुपरिभाषित समुद्री सीमा नहीं है।
        - दोनों देशों के मध्य हुए वर्ष 1974 के समझौते के बाद भारत ने **संसाधन संपन्न कच्चातिवु द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था।** तमिल मछुआरों को इस द्वीप पर सदियों से मछली पकड़ने का पारंपरिक अधिकार प्राप्त था।
    - **कठोर निगरानी:** वर्ष 2009 के बाद से, श्रीलंकाई नौसेना ने **तमिल विद्रोहियों की संभावित वापसी को रोकने के लिए** अपनी उत्तरी समुद्री सीमा की **निगरानी कठोर** कर दी है।
    - **यह तमिलनाडु तट के समीप समुद्री संसाधनों की कमी** (निरंतर बॉटम-ट्रॉलिंग के कारण) का ही परिणाम है कि भारतीय मछुआरे अपेक्षाकृत संसाधन-समृद्ध श्रीलंकाई जलक्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं।

        - **श्रीलंका** ने वर्ष 2017 में अपने जल क्षेत्र में **बॉटम-ट्रॉलिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था।**

2.4.6. न्यू डेवलपमेंट बैंक (New Development Bank: NDB)

- हाल ही में, **मिस्र** ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की है। बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और उरुग्वे के बाद, **मिस्र चौथा नया सदस्य देश बना है।** इससे इस बैंक की वैश्विक पहुंच और विस्तारित हो गई है।
- NDB की **स्थापना वर्ष 2015 में ब्रिक्स राष्ट्रों ने की थी।** इसका मुख्यालय **शंघाई** में स्थित है।
- NDB का उद्देश्य **ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं तथा विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे एवं सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधनों को जुटाना है।** इससे वैश्विक संवृद्धि और विकास के लिए बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के मौजूदा प्रयासों को पूरक बनाया जा सकेगा।

2.4.7. ऑपरेशन देवी शक्ति (Operation Devi Shakti)

- तालिबान के अधिग्रहण के बाद से **अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए** भारत सरकार द्वारा **ऑपरेशन देवी शक्ति** नामक बचाव अभियान चलाया गया।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण {Privatisation of Public Sector Banks (PSBs)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वित्त सचिव ने कहा है कि सरकार अधिकतर **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) का** 'अंततः' **निजीकरण** करेगी। साथ ही, इस क्षेत्र में सरकार अपनी **उपस्थिति को भी न्यूनतम बनाए रखेगी।**

अन्य संबंधित तथ्य

- वित्त मंत्री ने **संघीय बजट 2021-22** में घोषणा की थी कि सरकार के विनिवेश संबंधी निर्धारित लक्ष्य के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों का निजीकरण किया जाएगा।
- सरकार द्वारा **बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2021** को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रस्तुत करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
- इस विधेयक का उद्देश्य **वर्ष 1970 और 1980 के बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियमों**[39] तथा **बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949**[40] में संशोधन करना है, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने हेतु कानून बनाया जा सके।
- केंद्र सरकार ने अभी तक उन दो PSBs के नामों का चयन नहीं किया है, जिनका वित्त वर्ष 2022 में निजीकरण किए जाने की संभावना है।

PSBs के निजीकरण की आवश्यकता

- **बेहतर मानव संसाधन प्रबंधन के लिए:** निजीकरण से इस क्षेत्र में **उच्च स्तर के पेशेवर प्रबंधन** को अपनाने में सहायता मिलेगी। PSBs में कुशल मानव पूंजी की अत्यधिक कमी के कारण वे बाजार में अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में काफी पीछे हैं। PSBs की यह स्थिति मुख्य रूप से कर्मचारी को दिए जाने वाले मुआवजा पैकेज, **कौशल संबंधी क्षमता, विषम आयु प्रोफ़ाइल,** प्रतिबंधात्मक तैनाती (restrictive deployment) और अकुशल प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली के कारण है।
- **स्वायत्त निर्णय लेने के लिए:** सरकार द्वारा नियंत्रण और हस्तक्षेप के कारण PSBs के लिए मौजूदा माहौल में **प्रतिस्पर्धी बने रहना** कठिन हो जाता है। इस प्रकार, PSBs **पुरानी प्रणालियों और प्रथाओं** से ग्रस्त रहते हैं। ऐसे में उच्च स्तर की स्वतंत्रता से PSBs को तेजी से निर्णय लेने की सुविधा मिलेगी और नवाचार तथा विशेषज्ञता को भी बढ़ावा मिलेगा।
- **नवाचार करने और दक्षता हासिल करने के लिए:** निजी बैंक के रूप में इनके पास **नए उत्पादों (नई योजनाओं, सेवाओं, आदि) को लाने** के लिए इच्छाशक्ति और पूँजी होगी। साथ ही वे उद्योगों को संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने हेतु गुणवत्तापूर्ण सेवा तथा मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे। इससे **लागत प्रभावी सेवाओं** को लाने और **बेहतर ग्राहक संतुष्टि** प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- **ऋण कवरेज में बेहतर दक्षता के लिए:** निजी क्षेत्र के बैंकों की **संपत्ति की गुणवत्ता और ऋण कवरेज की दक्षता**, PSBs की तुलना में बेहतर होती है। वर्ष 2015 से 2019 की अवधि के लिए किये गए एक तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार, निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में **PSBs की गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियाँ**[41] **अधिक थीं।**
  - इस अध्ययन में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र से शीर्ष पाँच बैंकों (कुल संपत्ति के अनुसार) का चयन किया गया था। यह पाया गया कि सभी चयनित **निजी क्षेत्र के बैंकों का औसत NPA 5% से कम** था, जबकि सभी चयनित PSBs के लिए यह 5% से अधिक था।
- **PSBs की घटती बाजार हिस्सेदारी:** निजी बैंक मुख्यतः आर्थिक रूप से मजबूत ग्राहकों के साथ **आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्रों** में परिचालन करते हैं, जबकि PSBs मुख्यतः **आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों के बाजारों में** परिचालन करते हैं। साथ ही, शहरी और अर्ध-शहरी उपभोक्ता भी निजी बैंकों की ओर रुख कर रहे हैं।

PSBs के निजीकरण से संबंधित चिंताएँ

- **कमजोर वर्गों को दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं में बाधा:** निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपने लाभ कमाने के उद्देश्यों के कारण आबादी के संपन्न वर्गों और महानगरीय/शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसलिए PSBs के निजीकरण से समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं में बाधा आ सकती है।

---

[39] Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Acts of 1970 and 1980

[40] Banking Regulation Act, 1949

[41] Non Performing Assets: NPAs

- राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा **लोक हित** पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। साथ ही, इनके द्वारा आम लोगों को कई किफायती सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं।
    - PSBs के विलय से वर्ष 2017-2021 के बीच PSBs की 3,321 शाखाएं कम हो गई हैं। PSBs के निजीकरण से **इस प्रवृत्ति में और तेजी आएगी।**
- **रोजगार में कटौती:** PSBs के विलय से PSBs की कुल संख्या 27 से घटकर 12 हो गई है। इसके परिणामस्वरूप **कर्मचारियों की छंटनी हुई और बैंकों की कई शाखाएं बंद** हो गईं। PSBs के कुल कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2017 के 8.57 लाख से घटकर वर्ष 2021 में लगभग 7.7 लाख रह गई है।
    - निजीकरण से युवाओं के लिए **रोजगार के अवसर और कम होंगे। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों** को इससे नुकसान होगा, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के विपरीत, **निजी क्षेत्र में** कमजोर वर्गों के लिए **आरक्षण संबंधी नीतियों का पालन नहीं किया जाता है।**
- **जमा राशियों की सुरक्षा को लेकर चिंता:** हाल के दिनों में बड़ी संख्या में निजी बैंक और वित्तीय संस्थान विफल हुए हैं। लेकिन किसी भी **PSB को विफल होते हुए** नहीं देखा गया है। **PSBs** के निजीकरण से **PSBs में जमा राशियों** के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली संप्रभु गारंटी समाप्त हो जाएगी और इस प्रकार **घरेलू बचत कम सुरक्षित** रह जाएगी।
    - भारत में सभी **वाणिज्यिक बैंक जमा-राशियों का 65% और सभी व्यक्तिगत बैंक जमा-राशियों का 70% हिस्सा PSBs के पास** है। यह स्थिति दर्शाती है कि भारतीय ग्राहक PSBs द्वारा दी जाने वाली **जमा राशि की सुरक्षा और बचाव** को प्राथमिकता देते हैं।
- **बैंकों की विफलता के व्यापक आर्थिक प्रभाव:** बैंकों की विफलता से सभी क्षेत्रक प्रभावित होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था व्यापक रूप से प्रभावित होगी। वर्ष 1935 से 1947 तक देश में **बैंक की विफलता की लगभग 900 घटनाएं** हुईं। साथ ही, वर्ष 1947 से 1969 तक **बैंकों की विफलता की 665 घटनाएं** हुईं। इसके परिणामस्वरूप ही वर्ष 1969 में **बैंकों का राष्ट्रीयकरण** करने का कार्य किया गया।
    - इन सभी बैंकों के जमाकर्ताओं का जमा पैसा डूब गया था। वर्ष 1969 के बाद भी 36 बैंक विफल हुए लेकिन इन्हें अन्य सरकारी बैंकों में विलय करके बचा लिया गया था। कुछ हालिया उदाहरणों में **लक्ष्मी विलास बैंक** और **यस बैंक** का विफल होना शामिल है।
- **PSBs की समस्याओं का पूर्ण समाधान निजीकरण नहीं है:** बैंकों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख समस्या अर्थात् **NPA, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के बैंकों के लिए आम है।** सरकार को **राजकोषीय बाधाओं** के कारण सरकारी बैंकों को **अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराने में कठिनाई** हो सकती है। दूसरी तरफ बैंकों को अपने ऋण-वितरण संबंधी कार्यों को जारी रखने के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात[42] को बनाए रखने हेतु अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है।
    - कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की समस्याओं के कारण निजीकरण की ओर बढ़ना उचित नहीं है। व्याप्त दोषों को दूर करने के बजाय PSBs जैसी मूल्यवान बैंकिंग प्रणाली को समाप्त कर देना तर्कसंगत नहीं होगा। निजीकरण के विरोधियों का कहना है कि **कड़े विनियमन लागू करके तथा राजनीतिक नियंत्रण और नौकरशाही के नियंत्रण व प्रभाव से मुक्त करके ही** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत किया जा सकता है।

PSBs को मजबूत करने के लिए हाल ही में उठाए गए कदम

क्षेत्र	विवरण
तकनीक-सक्षम, स्मार्ट बैंकिंग	• **ऋण प्रबंधन प्रणालियों और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्रों** की स्थापना से खुदरा ऋण वितरण में लगने वाले समय में कमी आयी है। • **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs)** एवं खुदरा ग्राहकों के लिए डिजिटल रूप से ऋण प्रदान करने हेतु **PSBloansin59minutes.com** का शुभारंभ किया गया है तथा **व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली**[43] को अपनाया गया है। • ग्राहक प्रतीक्षा और लेन-देन के समय को कम करने के लिए **एकल-विंडो परिचालन** के साथ अत्यधिक लेनदेन वाली शाखाओं में **उन्नत कतार प्रबंधन प्रणाली** को अपनाया गया है। • कुछ PSBs ने समयबद्ध प्रोसेसिंग और ऐप-आधारित ऋण आवेदन तथा कृषि ऋण देने के लिए केंद्रीकृत प्रोसेसिंग हब को आरंभ किया है। • बड़े PSBs द्वारा विश्लेषण के माध्यम से **ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार संचालित ऋण प्रस्ताव** प्रदान किए जा रहे हैं।

---

[42] Capital Adequacy Ratio

[43] Trade Receivables Discounting System: TReDS

ऋण की निगरानी	• वित्तीय दबाव का सक्रिय रूप से पता लगाने और संपत्ति को NPAs बनाने से रोकने के लिए बैंकों में स्वचालित **अग्रिम चेतावनी प्रणाली**[44] की स्थापना की गयी है। साथ ही, समय रहते आवश्यक कार्रवाइयों के लिए तृतीय-पक्ष के डेटा और वर्कफ्लो (कार्यप्रवाह) का उपयोग किया जा रहा है।
जोखिम प्रबंधन	• बैंकों में **प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और साथ ही डेटा-चालित रिस्क स्कोरिंग तथा जाँच प्रणाली की शुरुआत की गई है।** यह **थर्ड पार्टी डेटा व गैर-वित्तीय जोखिम कारकों** को व्यापक रूप से गणना में लेता है और उच्च जोखिम वाले मामलों की उन्नत जाँच की सुविधा प्रदान करता है। • **जोखिम-आधारित** मूल्य निर्धारण का **बेहतर पालन किया जा रहा है।** • **बाजार से जुड़े मुआवजे** के संबंध में बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी को बाजार से नियुक्त करके बैंक के बोर्ड्स का सशक्तीकरण किया गया है।
संकल्प और वसूली	• **दबावग्रस्त परिसंपत्तियों** के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा **संशोधित विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क प्रदान किया गया है।** • ऑनलाइन वसूली के लिए **वन टाइम सेटलमेंट प्लेटफॉर्म** और पोर्टल, **eDRT (डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल)** की स्थापना की गई है।
शासन	• **गैर-कार्यकारी अध्यक्षों** को शामिल किया गया है। • **बोर्ड समितियों** की प्रणाली को मजबूत बनाया गया है। • गैर-आधिकारिक निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक के समान भूमिका निभाने का अधिदेश देकर उनका प्रभावी उपयोग किया गया है। साथ ही, उनके **समकक्षों द्वारा मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण** का प्रावधान किया गया है।
मानव संसाधन	• सभी अधिकारियों के लिए निरंतर सीखने हेतु **भूमिका-आधारित ई-लर्निंग** सुनिश्चित की गयी है। • **वस्तुनिष्ठ प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली** की स्थापना की गई है।
पुनर्पूंजीकरण	• सरकार द्वारा **3.17 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।** • **स्वयं बैंकों द्वारा 2.49 लाख करोड़ रुपये** से अधिक की राशि जुटाई गई है।
मार्केटिंग रणनीति और पहुँच	• मार्च 2018 और मार्च 2020 के बीच **समर्पित मार्केटिंग कार्यबल को दोगुना किया गया है।** • वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही और वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही के बीच कार्यबल और मार्केटिंग के गठजोड़ के माध्यम से **ऋण स्रोतों को चार गुणा किया गया है।**

आगे की राह

- **निजीकरण को कुछ PSBs तक सीमित किया जा सकता है:** हालांकि कुछ PSBs का निजीकरण, प्राप्त होने वाले अत्यधिक लाभों के आलोक में एक तार्किक निर्णय लगता है, लेकिन सभी बैंकों के निजीकरण का प्रयास, वर्षों से देश में **इन बैंकों से प्राप्त उल्लेखनीय योगदान को कमतर कर देगा।**
- **निजीकरण का श्रेणीबद्ध प्रारूप:** ऐसा हो सकता है कि सरकार निजीकरण किए जाने वाले PSBs से पूरी तरह से बाहर न निकले। इसके बजाय पहले कुछ वर्षों के लिए कम-से-कम **26% हिस्सेदारी अपने पास** रखे। यहाँ तक कि नरसिम्हम समिति-I ने भी PSBs में **सरकारी हिस्सेदारी को कम करके 33 प्रतिशत करने** की सिफारिश की थी। साथ ही, सरकार द्वारा अपनी हिस्सेदारी की बिक्री की सीमा **निवेशकों की रुचि और बाजार की स्थितियों** पर निर्भर होगी।
- **निवेशकों की पहचान:** इन बैंकों में हिस्सेदारी रखने के लिए एक **उपयुक्त और उचित निवेशक** की पहचान करना महत्त्वपूर्ण होगा। एक विकल्प यह हो सकता है कि **PSBs** के अधिग्रहण के संदर्भ में, **मौजूदा बड़े बैंकों के हितधारकों** पर विचार किया जा सकता है। वे **PSBs** को स्वतंत्र पहचान के साथ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के रूप में तब तक बनाए रख सकते हैं जब तक कि वे (PSBs) **बेहतर परिचालन दक्षता** प्राप्त नहीं कर लेते। तत्पश्चात अधिग्रहण करने वाले बैंक में इनका विलय किया जा सकता है।
- **बड़े बैंकों के उद्देश्य को प्राप्त करना:** निजीकृत **PSBs** का **विलय मौजूदा बड़े निजी बैंकों** के साथ किया जा सकता है। ऐसा उच्च जोखिम उठाने और ऋण वितरण क्षमता विकसित करने के लिए किया जा सकता है।
- **नई परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा[45] का विकास:** वर्ष 2015 में बैंकों की पिछली AQR मुख्यतः औपचारिक पुनर्गठन प्रक्रिया के बाहर, ऋणों की एवरग्रीनिंग करने वाले ऋणदाताओं का पता लगाने में विफल रही थी। **एवरग्रीनिंग** का मतलब यह है कि बैंक डिफ़ॉल्ट की कगार पर

---

[44] Early Warning Systems: EWS)

[45] Asset Quality Review: AQR

पहुंच चुके कर्जदारों को नए कर्ज देते हैं ताकि उन्हें मौजूदा कर्ज को चुकाने में मदद मिल सके। **इस प्रकार अशोध्य ऋणों (bad loans) की वास्तविक सीमा को उजागर नहीं किया जाता है।**

- RBI के ऑडिट में पाया गया था कि निजी क्षेत्र के ऋणदाता यस बैंक ने वित्त वर्ष 2019 में 3,277 करोड़ रुपये के अशोध्य ऋणों की सूचना नहीं दी थी।

3.2. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report: FSR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा **वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR)** का 24वाँ अंक जारी किया गया है। FSR, एक **छमाही रिपोर्ट** है। यह वित्तीय स्थिरता के **जोखिमों और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन** को दर्शाती है।

वर्तमान रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- **वैश्विक अर्थव्यवस्था:** वर्ष 2021 की दूसरी छमाही में **वैश्विक आर्थिक सुधार की गति मंद** हुई है। यह स्थिति मुख्य रूप से कोविड-19 संक्रमण के फिर से बढ़ने, नए वेरिएंट ओमीक्रोन, आपूर्ति में व्यवधानों एवं अड़चनों, उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव के कारण है।
- **घरेलू अर्थव्यवस्था:** घरेलू स्तर पर, **टीकाकरण में प्रगति ने वैश्विक महामारी की दूसरी लहर को कमजोर करते हुए रिकवरी** को फिर से हासिल करने में सक्षम बनाया है। **मंद गति के हालिया संकेतों** के बावजूद भी **कॉर्पोरेट क्षेत्र को मजबूती** मिल रही है और बैंक ऋण वृद्धि में भी सुधार हो रहा है।
- **जोखिम मूल्यांकन:** जोखिमों की सभी व्यापक श्रेणियों, यथा- **वैश्विक, समष्टि अर्थशास्त्रीय, वित्तीय बाज़ार, संस्थागत और सामान्य** को **'मध्यम' दर्जे** का माना गया था। **इन सबमें से वैश्विक और वित्तीय बाज़ारों** के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिमों को बाकी जोखिमों की तुलना में उच्च माना गया था।
    - **वस्तुओं की कीमतों, घरेलू मुद्रास्फीति,** इक्विटी के मूल्य में उतार-चढ़ाव, परिसंपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट, **ऋण में वृद्धि** और **साइबर व्यवधान** को प्रमुख जोखिमों के रूप माना जाता था। (मुख्य मापदंडों के लिए **तालिका देखें**।)
- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र:** MSME क्षेत्र को दिया जाने वाला ऋण मार्च 2021 की तुलना में सितंबर 2021 के अंत तक लगातार कम (वार्षिक आधार पर) होता गया। **MSMEs** के साथ-साथ **सूक्ष्म वित्त के** क्षेत्र में भी दबाव के उभरते संकेतों ने इस स्थिति की कड़ी निगरानी करने की आवश्यकता को उजागर किया है।

मापदंड	रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष	परिभाषा
सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (Gross Non-Performing Asset: GNPA) अनुपात	• **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों[46] के लिए:** आधार रेखा के संदर्भ में GNPA अनुपात **वर्ष 2021 के 6.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022 में 8.1 प्रतिशत** तथा **गंभीर दबाव की स्थिति में 9.5 प्रतिशत** तक हो सकता है। • **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों[47] के लिए:** GNPA अनुपात वर्ष 2020 में घट गया था। हालांकि, यह वर्ष 2021 के अंत में बढ़कर लगभग 6.5 प्रतिशत हो गया।	NPAs यह दर्शाता है कि बैंक के ऋण के कितने भाग पर **न चुकाए जाने या डूबने का खतरा विद्यमान** है। बहुत अधिक सकल NPAs अनुपात का मतलब है कि बैंक की **परिसंपत्ति की गुणवत्ता बहुत खराब स्थिति में** है।
पूंजी-से-जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (Capital to risk-weighted assets ratio: CRAR)	• **SCBs** का **CRAR** वर्ष 2021 में बढ़कर 16.6 प्रतिशत के नए उच्च स्तर पर पहुँच गया।	यह **जोखिम भारित आस्तियों और चालू देनदारियों के संबंध में बैंक की पूँजी** का अनुपात है।

[46] Scheduled commercial Banks: SCBs

[47] Non-Banking Financial Companies: NBFCs

प्रावधान कवरेज अनुपात (Provisioning Coverage Ratio: PCR)	• सितंबर 2021 में SCBs का PCR 68.1 प्रतिशत था।	PCR **सकल NPAs की तुलना में बैंक द्वारा की जाने वाली प्रोवीज़निंग** का अनुपात है। यह दर्शाता है कि किसी बैंक ने **ऋण के डूब जाने की स्थिति** से बचने या सुरक्षा के लिए कितनी निधि अलग से रखी है।

3.3. फिनटेक (FinTech)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से **"इनफिनिटी फोरम (InFinity Forum)"** का उद्घाटन किया। **"इनफिनिटी फोरम"** वस्तुतः फिनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी) के लिए एक नेतृत्वकारी मंच है।

संबंधित अवधारणाएं

- **नियो-बैंक:** नियो-बैंक **वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) कंपनियां हैं, तथा केवल-ऑनलाइन** आधार पर संचालित होती हैं। ये पूरी तरह से डिजिटल रूप से या मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित होती हैं, जैसे- रेजरपे एक्स (Razorpay X), एपीफाई (EpiFi) आदि।
    - इन्होंने **प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का लाभ उठाकर** पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली में अभूतपूर्व परिवर्तन का सूत्रपात किया है।
- **चैलेंजर बैंक: ये भी बैंकिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हैं।** हालांकि, वे अपनी भौतिक उपस्थिति भी बनाए रखते हैं।
    - वे पारंपरिक बैंकों से इस अर्थ में भिन्न हैं कि **उनकी उपस्थिति बहुत कम है।**

अन्य संबंधित तथ्य

- इसका आयोजन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक-सिटी (GIFT सिटी) और ब्लूमबर्ग के सहयोग से भारत सरकार के तत्वावधान में **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण**[48] द्वारा किया गया था।
- इसके तहत व्यापार और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी व्यक्तियों को एक मंच पर एक साथ लाया गया है। इसका उद्देश्य इस विषय पर चर्चा करना है कि समावेशी विकास और व्यापक पैमाने पर मानवता की सेवा के लिए कैसे फिनटेक उद्योग द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाया जा सकता है।

भारत के फिनटेक उद्योग के बारे में

- 'फिनटेक' शब्द **'वित्त (Finance)'** और **'प्रौद्योगिकी (Technology)'** शब्दों का संक्षिप्त रूप है। यह **वित्तीय सेवाओं** पर प्रभाव डालने वाले **तकनीकी नवाचार** को दर्शाने हेतु एक व्यापक शब्द है **(इन्फोग्राफिक देखें)।**

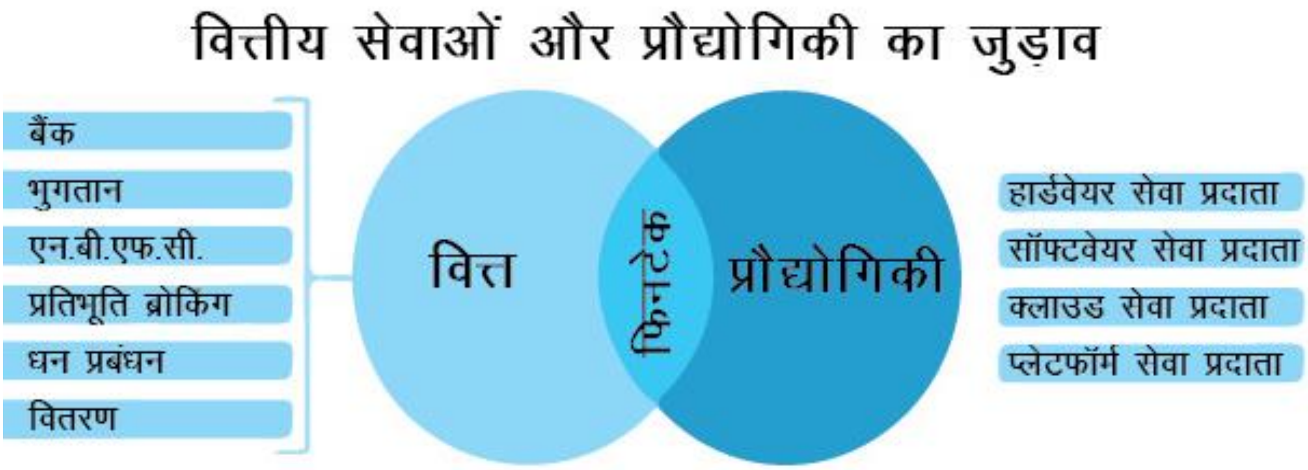

- भारतीय फिनटेक उद्योग का मूल्य **वित्त वर्ष 2020 में 50-60 बिलियन डॉलर** था। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय फिनटेक कंपनियों का मूल्य **वर्ष 2025 तक 150-160 बिलियन डॉलर** तक पहुंच जाएगा।

[48] International Financial Services Centres Authority: IFSCA

- भारत, फिनटेक को अपनाने के मामले में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अग्रणी देश है। भारत में मार्च 2020 के दौरान फिनटेक को **अपनाने की दर 87% थी**, जबकि **वैश्विक औसत दर 64% थी। भारत में विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक पारितंत्र मौजूद है।**

भारत में फिनटेक कंपनियों की क्षेत्रवार क्षमता

- **ऋण के मामले में:** फिनटेक में **ऋण प्रदान करने और निवेश** से जुड़े माहौल में सकारात्मक बदलाव करने की क्षमता है। फिनटेक कंपनियां उपभोक्ताओं और व्यवसायों को **पूंजी तक त्वरित और आसान पहुंच प्रदान** करने में मदद करती हैं। इसके तहत यह ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करते हुए **ऋण-प्रदाता और ऋण लेने वालों** (व्यक्ति या व्यवसाय) **के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क** स्थापित करती हैं। इसके उदाहरणों में **क्राउडफंडिंग और पीयर-टू-पीयर लेंडिंग** शामिल हैं।
- **भुगतान के मामले में:** फिनटेक सेवाओं के चलते उपयोग के अलग-अलग मामलों में धन का अंतरण संभव हो पाया है। उपयोग के अलग-अलग मामलों में P2P (व्यक्ति-से-व्यक्ति), P2M (व्यक्ति-से-व्यापारी), G2P (सरकार-से-व्यक्ति) आदि शामिल हैं। उदाहरण के लिए, **एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)** की शुरुआत ने भारत में भुगतान क्षेत्र को बढ़ावा दिया है।
- **बीमा और सलाहकार सेवाएं:** फिनटेक कंपनियों द्वारा **उपभोक्ताओं को अपने धन की बचत करने, निवेश करने और उनका प्रबंधन करने** के लिए मंच प्रदान किया जा रहा है। साथ ही, ये उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत ऋण, आवास ऋण, क्रेडिट कार्ड, बचत खाते और म्यूचुअल फंड जैसे **वित्तीय उत्पादों का विकल्प भी प्रदान कर रही हैं।**
- **पेंशन:** रोबो-अड्वाइस जैसी फिनटेक-आधारित प्रौद्योगिकियां **वित्तीय योजना (फाइनेंसियल प्लानिंग)** को अधिक सुलभ बना सकती हैं। ये कंपनियां **जोखिम प्रबंधन** के संबंध में सलाह देकर, निवेश प्रक्रियाओं के ऑटोमेशन को बढ़ाकर और साथ ही, **विनियामकीय अनुपालन को सहज बनाकर** पेंशन योजनाओं के प्रदर्शन की दक्षता में वृद्धि कर रही है।
- **अकाउंट एग्रीगेटर सेवाएं:** इन सेवाओं के तहत अलग-अलग वित्तीय सेवा प्रदाताओं से ग्राहक के वित्तीय डेटा को एकत्रित किया जाता है। इस डेटा का उपयोग उपभोक्ताओं को उनकी वित्तीय प्रतिबद्धताओं और लक्ष्यों को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग उनमें विश्लेषणात्मक क्षमता और अंतर्दृष्टि का निर्माण करने हेतु किया जा सकता है। वर्ष 2016 में, RBI ने अकाउंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की इच्छुक **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लिए दिशा-निर्देश** जारी किए हैं।
- **व्यापार वित्त:** इनवॉइस ट्रेडिंग, भारत में फिनटेक के लिए एक और उदीयमान क्षेत्र है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की सहायता करता है, जो अक्सर भुगतान में देरी के कारण **कार्यशील पूंजी और नकदी प्रवाह** की समस्याओं का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, ट्रेड्स (TReDS)[49] कई वित्त-प्रदाताओं के माध्यम से MSMEs को वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करने वाला एक ऑनलाइन तंत्र है।

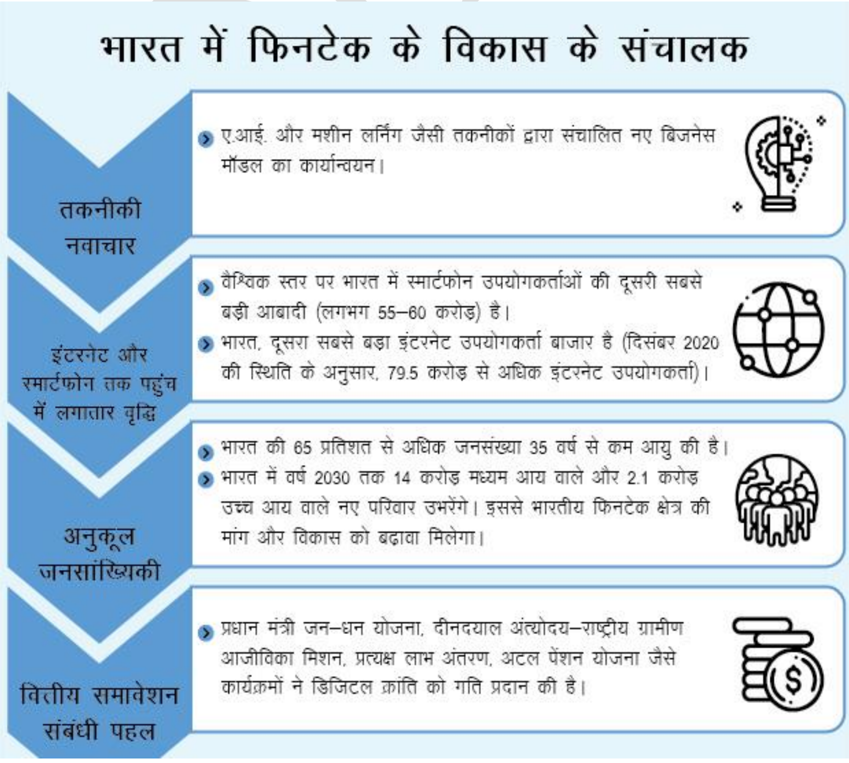

भारत में फिनटेक क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां

- **डेटा सुरक्षा और निजता संबंधी जोखिम:** वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में **डेटा सार्वजनिक होने, प्लेटफ़ॉर्म के बाधित होने और सूचना की चोरी** जैसी घटनाएं व्यापक स्तर पर घटित हो रही हैं। इसलिए **डेटा की सुरक्षा के लिए एक मजबूत तंत्र** विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। इस क्षेत्र से जुड़े हितधारकों को **इन खतरों को नियंत्रित करने हेतु तंत्र में अत्यधिक निवेश करने** के साथ-साथ डेटा सुरक्षा के लिए विनियामकीय अनिवार्यताओं का पालन भी करना होगा।
- **अपनाने से जुड़ी समस्याएं: प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय** के लिए फिनटेक को अपनाना आसान नहीं है। यह MSMEs की अधिकता वाले भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए विशेष रूप से जटिल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि MSMEs अभी भी डिजिटलीकरण की दिशा में काफी पीछे हैं।

---

[49] व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली / Trade Receivables Discounting System)

- **तेजी से बदलते नियम:** विनियामकीय अनुपालन से लागत में वृद्धि होती है। साथ ही, बार-बार होने वाले बदलावों से व्यवसाय संबंधी विश्वास का माहौल नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। कुछ विनियम जैसे कि निवेश के संबंध में विनियम विद्यमान हैं, लेकिन क्रिप्टोकरेंसी, भुगतान विनियम, डेटा, बुनियादी ढांचा सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में विनियम अपने विकास के चरण में हैं।
- **वित्तीय साक्षरता और जागरूकता की कमी:** भारत की लगभग **70%** आबादी गांवों में रहती है, जबकि इन फिनटेक मंचों का उपयोग बड़े पैमाने पर शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। जागरूकता और वित्तीय साक्षरता के माध्यम से फिनटेक के लिए **छोटे शहरों और कस्बों में** संभावनाएं खोजने की आवश्यकता है।

आगे की राह

- **बुनियादी ढांचे को मजबूत करना:** बुनियादी ढांचे में **दूरसंचार के साथ-साथ डिजिटल और वित्तीय बुनियादी ढांचे** (जैसे- ब्रॉडबैंड इंटरनेट, मोबाइल डेटा सेवाएं, डेटा रिपॉजिटरी, तथा भुगतान और निपटान सेवाएं) शामिल हैं। बुनियादी ढांचे को **कुशल डेटा संग्रह, प्रसंस्करण और पारेषण** में सक्षम होना चाहिए, जो कि फिनटेक क्षेत्र में प्रगति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
- **अनुकूल नीतिगत ढांचा:** एक सक्षम नीतिगत ढांचे द्वारा इस प्रौद्योगिकी की सफलता और व्यापक पैमाने पर अंगीकरण को सुगम बनाया जा सकेगा। इसके तहत नीति निर्माताओं को **बाजार केंद्रित** जोखिमों का समाधान करना चाहिए और **मानकीकरण, इंटरपोर्टेबिलिटी एवं प्रमुख अवसंरचनाओं तक निष्पक्ष और पारदर्शी पहुंच** को बढ़ावा देना चाहिए।
- **विकासशील वित्तीय प्रणालियों के प्रति समझ में वृद्धि करना:** इसके तहत उभरते अवसरों और जोखिमों की पहचान करना तथा नीतिगत अनुक्रियाओं का समय पर निर्माण करना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति संबंधित उद्योग के नवोन्मेषकों और पदधारियों को शामिल करते हुए सहयोगात्मक बातचीत को बनाए रखकर की जा सकती है।
- **कम मूल्य के और तीव्र गति वाले खुदरा मोबाइल भुगतान के लिए वैश्विक गठबंधन बनाना:** सरकार **UPI नेटवर्क के विस्तार** के माध्यम से साझेदारी करने या पड़ोसी देशों की सरकारों और विनियामकों के साथ वैश्विक गठबंधन बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। इस प्रकार की साझेदारी से सामाजिक और समावेशी उपयोग के मामलों को संभव किया जा सकता है, जैसे कि चिकित्सा कारणों से भारत आने वाले लोगों के लिए विप्रेषण की सुविधा आदि।
- **लक्षित डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान:** सरकार क्षेत्रीय भाषा के विज्ञापनों और व्यवस्थित रूप से योजनाबद्ध डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से मोबाइल भुगतान के संबंध में जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत **मोबाइल भुगतान की विश्वसनीयता को बढ़ाने** के लिए भुगतान में **साइबर सुरक्षा** जैसे घटकों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।
    - सरकार, **व्यापारी और ग्राहक अनुभव,** दोनों को बेहतर बनाने व ग्रामीण क्षेत्रों में भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ सहयोग कर सकती है।
    - कम आयु में **डिजिटल भुगतान साक्षरता** का निर्माण करने के लिए, डिजिटल भुगतान साक्षरता की मूलभूत अवधारणाओं को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है।
- **अन्य उपाय:**
    - **वित्तीय प्रणाली के व्यवस्थित विकास और स्थिरता के लिए** विनियामकीय ढांचे और पर्यवेक्षी तौर-तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। इसके तहत नए उत्पादों, गतिविधियों और मध्यवर्तियों के सुरक्षित प्रवेश की सुविधा प्रदान करना; भरोसा और विश्वास को बनाए रखना; और जोखिमों के विरुद्ध प्रतिक्रिया करना आदि शामिल हैं।
    - फिनटेक के आपराधिक दुरुपयोग संबंधी जोखिमों की पहचान कर, उसे समझकर, उसका आकलन कर तथा समस्या को दूर कर **वित्तीय प्रणालियों की सत्यनिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए।** इसके तहत धन-शोधन रोधी उपायों के अनुपालन को मजबूत करने वाली तथा आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना[50] करने वाली तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है।
    - फिनटेक गतिविधियों के प्रमुख पहलुओं के संबंध में अधिक कानूनी स्पष्टता और निश्चितता वाली **एक कुशल कानूनी व्यवस्था प्रदान करने के लिए संबंधित कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए।**

3.4. सर्विसेज़ डोमेस्टिक रेगुलेशंस (Services Domestic Regulations: SDR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व व्यापार संगठन (WTO) के 67 सदस्य देशों** ने **सर्विसेज़ डोमेस्टिक रेगुलेशन (SDR)** पर अपनी वार्ता संपन्न की।

सेवाओं में व्यापार और जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज़ (GATS)

[50] anti-money laundering and combating the financing of terrorism: AML/CFT

सेवा क्षेत्रक वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक गतिशील और सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला क्षेत्र है। यह **मूल्य वर्धन की दृष्टि से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 60% का प्रतिनिधित्व** करता है। **कुल रोजगार में से 50%** रोजगार सेवा क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है।

- सेवा क्षेत्रक से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम, **गैट्स (GATS)** द्वारा शासित होते हैं। गैट्स, **उरुग्वे दौर** की वार्ता का एक परिणाम है। यह समझौता (गैट्स) जनवरी 1995 में लागू हुआ।
- यह सभी प्रकार की सेवाओं के मामले में **सेवा व्यापार** को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक ढांचा प्रदान करता है। इसके केवल दो अपवाद हैं। ये हैं:
    - सरकारी प्राधिकरण के प्रयोग के लिए आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं, और
    - हवाई यातायात तथा हवाई परिवहन सेवाओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी सेवाएं।
- गैट्स, सेवाओं की आपूर्ति के **चार मोड** पर लागू होता है (जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है)। यह सेवाओं में व्यापार को उदार बनाने के लिए विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों (अलग-अलग मात्रा में) के लिए एक तंत्र स्थापित करता है।
- यह समझौता देशों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र भी प्रदान करता है।

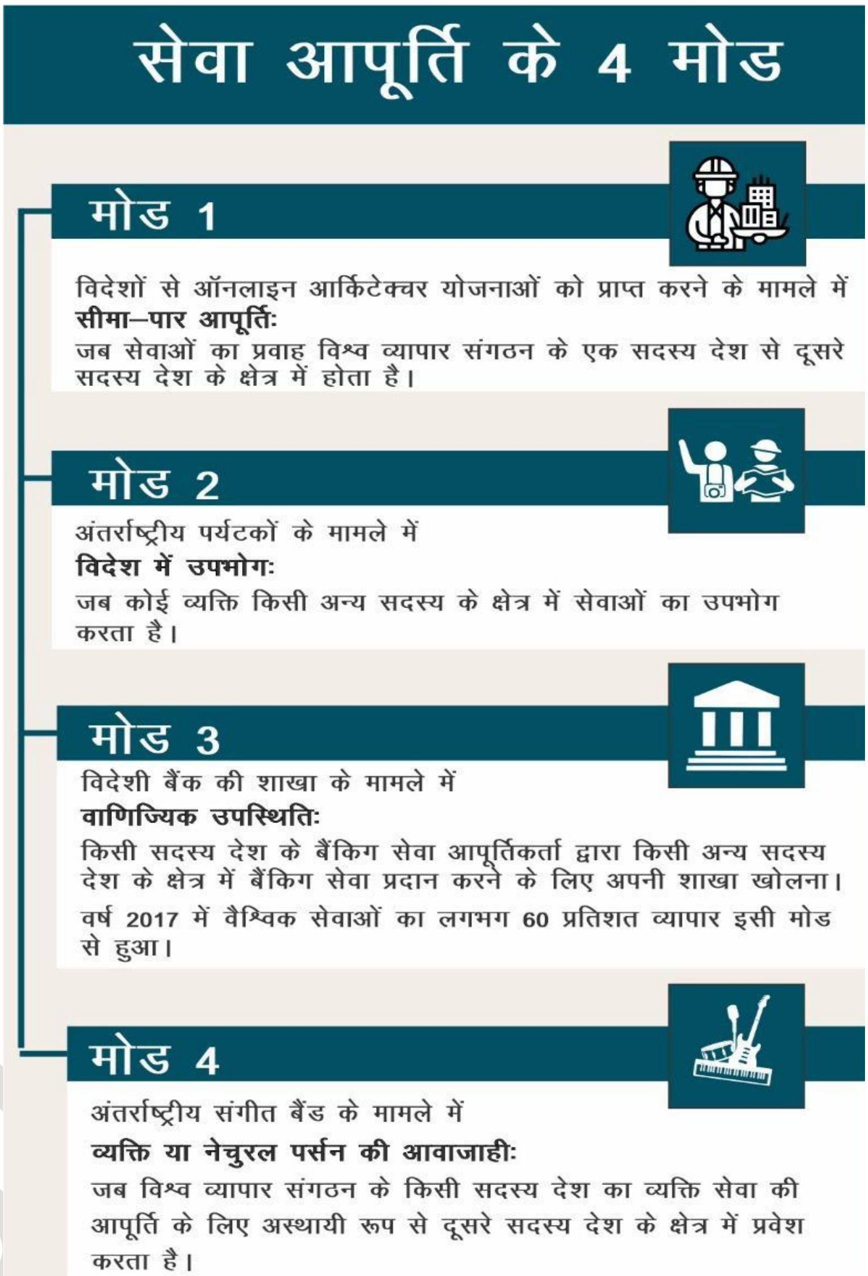

सर्विसेज़ डोमेस्टिक रेगुलेशन (SDR) और इसके संभावित लाभ

इसे वर्ष 2017 में ब्यूनस आयर्स में आयोजित 11वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान पेश किया गया था। यह नया **बहुपक्षीय समझौता** WTO के पिछले 26 वर्षों के इतिहास में **सेवाओं पर नियमों का पहला सेट** है।

- **सदस्यता:** इसके लिए सहमत **67 सदस्यों** में विकसित और विकासशील दोनों देश शामिल हैं। ये सदस्य देश विश्व व्यापार के 90% से अधिक के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे- संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ (EU), ब्राजील इत्यादि।
- **समावेशन की पद्धति (Incorporation methodology):**
    - इसके अंतर्गत सदस्यों के लिए नए विषयों को **अतिरिक्त प्रतिबद्धता (additional commitments)** के रूप में शामिल किया जाएगा। यह **GATS अनुसूचियों (GATS अनुच्छेद XVIII)** के तहत सेवाओं संबंधी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।
    - इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने अन्य देशों को भी इसमें शामिल करने पर सहमति दी है। हालाँकि, इसके लिए शर्त यह है कि नए देशों को "मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN)" की शर्त का पालन कर इसके लिए आवेदन करना होगा।
- **संभावित लाभ:**
    - वर्तमान में सेवा व्यापार की लागत, वस्तु व्यापार की लागत की तुलना में दोगुना है। SDR का मुख्य ध्यान सेवा व्यापार की लागत को कम करने पर है। इसके लिए बेतुके और अपारदर्शी नियमों को समाप्त करने पर जोर दिया जाना है।
    - यह अपने उद्देश्यों, साधनों आदि के माध्यम से बेतुके व बोझिल प्रक्रियाओं की समस्या का भी समाधान करेगा (इन्फ़ोग्राफिक देखें)।

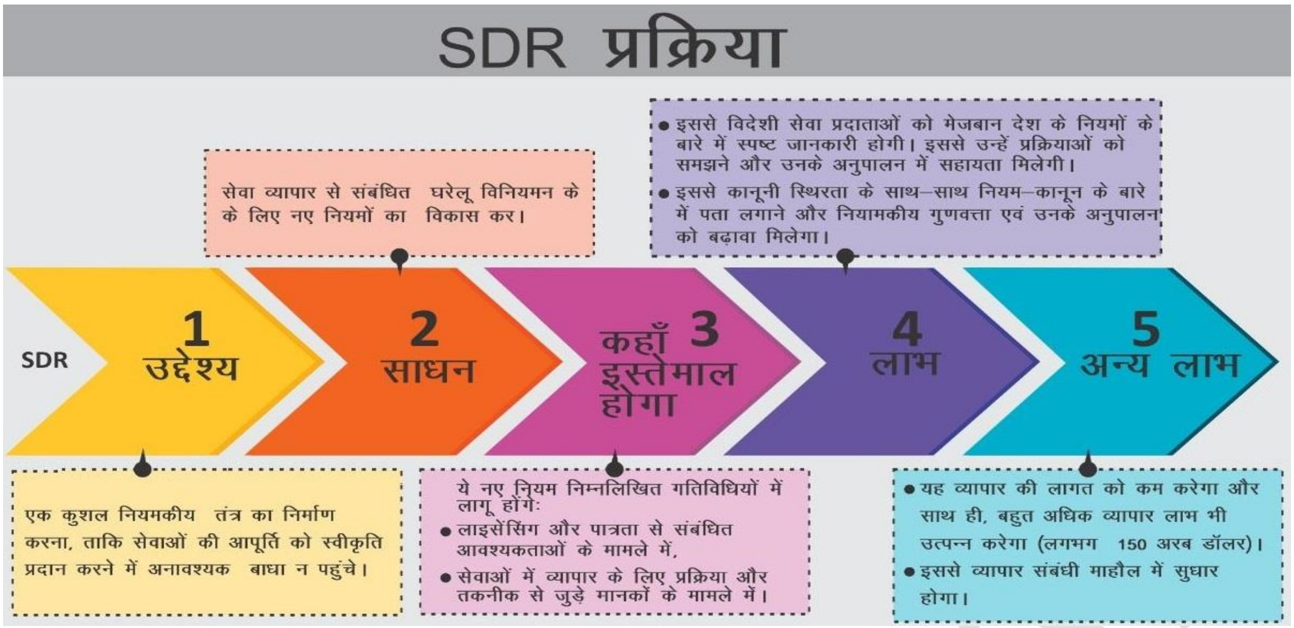

- इस समझौते की एक अनूठी विशेषता यह है कि, इन नियमों में पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव के प्रावधान शामिल नहीं हैं। यह **महिला सशक्तीकरण** का समर्थन करेगा और **सेवा व्यापार में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देगा।**

भारत जैसे देशों ने SDR पर क्या चिंता जाहिर की है?

SDR का उद्देश्य सेवा व्यापार के लिए **अधिक पारदर्शी परिवेश निर्मित करना, प्रशासनिक लागतों को कम करना** और विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों को लाभ प्रदान करना है। इसके बावजूद अन्य देशों द्वारा निम्नलिखित कारणों से इसका विरोध किया जा रहा है:

- यह **विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों की सहमति के बिना** समान उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक प्रतिस्पर्धी और समानांतर तंत्र स्थापित करने का एक प्रयास है।
- **गैट्स,** सदस्य देशों को यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि वे विभिन्न सेवा क्षेत्रों में कितनी बाजार पहुंच प्रदान करेंगे और किस हद तक विदेशी सेवा प्रदाताओं के साथ अलग व्यवहार करेंगे। हालांकि, अब SDR के कारण अल्पकालिक सेवा प्रदाताओं के लिए **बाजार पहुंच को बाधित किया जा सकता है।**
  - **उदाहरण के लिए:** यू.एस.ए., कनाडा और यूरोपीय संघ ने स्वतंत्र पेशेवरों के लिए बाजार पहुंच पर लगाम लगा दिया है और अल्पकालिक सेवाओं हेतु बाजार पहुंच देने से मना करने के लिए **मोड-4** का उपयोग किया है।
- अब SDR के जरिये योग्यता और लाइसेंसिंग शर्तों के साथ-साथ तकनीकी मानकों को लागू करना संभव हो सकेगा। इससे **सेवा व्यापार** और **पेशेवरों की सीमा-पार मुक्त आवाजाही को बाधित** किया जा सकता है।
- घरेलू नियमों (जैसे कि योग्यता संबंधी शर्तें और प्रक्रियाओं, तकनीकी मानकों, और लाइसेंसिंग आवश्यकताओं) द्वारा व्यापार में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करने से सदस्य देशों रोकने के लिए वर्ष 1999 में **वर्किंग पार्टी ऑन डोमेस्टिक रेगुलेशंस (WPDR)** की स्थापना (GATS के **अनुच्छेद VI:4** के तहत) की गई थी।

निष्कर्ष

- नयी व्यवस्था विभिन्न माध्यमों से वैश्विक उत्पादन के एक गतिशील और तेजी से बढ़ते घटक को संबोधित करती है। ये माध्यम हैं: योग्यता, आवेदन करने और लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रियाएं, आवेदन की अस्वीकृति के कारणों पर स्पष्टता और सेवाओं में व्यापार को प्रभावित करने वाले तकनीकी मानकों के बारे में जानकारी की आसान उपलब्धता।
- वर्ष 2020 तक, विश्व व्यापार संगठन के 70% से अधिक सदस्यों ने GATS से परे जाते हुए घरेलू नियमों के प्रावधानों के साथ कम से कम एक क्षेत्रीय व्यापार समझौता किया है। इसलिए, विश्व व्यापार संगठन के कानूनी ढांचे के भीतर अच्छी नियामक प्रथाओं को मजबूत करने के लिए उचित और निष्पक्ष समझौते की आवश्यकता है।

3.5. वैश्विक न्यूनतम कर दर (Global Minimum Tax Rate)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन[51] ने **15% वैश्विक न्यूनतम कर**[52] को घरेलू स्तर पर लागू करने के लिए **पिलर टू (या स्तम्भ-दो) मॉडल** के नियमों को जारी किया है।

---

[51] Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD

क्या आप जानते हैं?

1980 के दशक की शुरुआत में औसत वैश्विक कॉर्पोरेट कर की दर 40% से अधिक थी, जो घटकर वर्ष 2020 में 25% से भी नीचे आ गई है। ऐसा विभिन्न देशों द्वारा अपनी कर दरों में कमी करके व्यवसायों को आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ है।

वैश्विक न्यूनतम कर दर के बारे में

- इसके तहत अलग-अलग देश अपने यहाँ कारोबार करने वाली **बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs)** {जैसे कि गूगल, अमेजन, फेसबुक और एप्पल (GAFA)} पर न्यूनतम कर लगा सकेंगे। इसका उद्देश्य यह है कि ऐसी कंपनियों की जिन देशों में उपस्थिति है, वे वहां एक न्यूनतम कर का भुगतान करें। इससे MNCs द्वारा करों के भुगतान से बचने के प्रयासों को रोका जा सकेगा।
- इससे MNCs द्वारा निम्न-कर या टैक्स हैवन देशों में अपने लाभ को स्थान्तरित कर किसी भी प्रकार का लाभा प्राप्त करने में कमी आएगी। साथ ही, ऐसे देशों पर अब वैश्विक मानदंडों को सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ेगा।
    - ज्ञातव्य है कि अभी तक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर **इस आधार पर कर लगाया जाता है कि वे किस देश में अपना मुनाफा घोषित करती हैं, न कि जहाँ वे वास्तव में व्यवसाय करती हैं।**
    - इसके तहत **कई बड़ी कंपनियों द्वारा** अपने मुनाफे को निम्न-कर वाले देशों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इससे उन्हें **उन देशों में उच्च करों के भुगतान से बचने का विकल्प मिल जाता** है, जहाँ वे अपना अधिकांश व्यवसाय करती हैं।
- वैश्विक न्यूनतम कर वस्तुतः **'आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण'**[53] पर G20 देशों और OECD द्वारा सहमत **समावेशी फ्रेमवर्क का एक हिस्सा** है।
- वैश्विक न्यूनतम कर **750 मिलियन यूरो से अधिक राजस्व वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लागू होगा**। इसका उद्देश्य **डिजिटल तथा वैश्वीकृत विश्व के लिए प्रासंगिक कराधान संरचना विकसित करना** है।

OECD और वैश्विक न्यूनतम कर

- **BEPS पर OECD/G20 का समावेशी फ्रेमवर्क:** इसके तहत 139 देशों और क्षेत्राधिकारों द्वारा **सहयोग किया जा रहा है,** ताकि अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण तथा वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप उभरती **कर अपवंचन रणनीतियों को समाप्त** किया जा सके।
    - **BEPS:** यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली कर चोरी या अपवंचन की एक रणनीति है। इसके तहत कंपनियों द्वारा **कर नियमों में मौजूद खामियों** और असंतुलन का लाभ उठाया जाता है और **कृत्रिम रूप से मुनाफे को कम/शून्य कर वाले देशों में स्थानांतरित** कर दिया जाता है। जबकि ऐसे देशों में ये कंपनियां बहुत कम या न के बराबर आर्थिक गतिविधि करती हैं। इस प्रकार ऐसी कंपनियों को बहुत कम या शून्य कॉर्पोरेट कर का भुगतान करना पड़ता है।
- **हाल ही में, भारत सहित 130 से अधिक देश एक नए टू-पिलर प्लान (Two-pillar Plan) में शामिल हुए हैं।** इस योजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कराधान नियमों में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिस देश में कार्यरत या परिचालनरत हैं, वे वहीं कर के उचित हिस्से का भुगतान करें।

52 Global Minimum Tax: GMT

53 Base Erosion and Profit Shifting: BEPS

- इसके तहत OECD ने 15% वैश्विक न्यूनतम कर को **घरेलू स्तर पर लागू करने के लिए टू-पिलर मॉडल के नियमों को जारी किया** है।
- यह **मॉडल नियम सरकारों को टू-पिलर समाधान को लागू करने के लिए एक सटीक ढांचा** प्रदान करता है। साथ ही, यह **'ग्लोबल एंटी-बेस इरोजन रूल्स' (GloBE)** के लिए एक तंत्र निर्धारित करता है। यह मॉडल नियम वर्ष 2022 के दौरान घरेलू कानून में GloBE नियमों को शामिल करने में देशों की सहायता भी करेगा।
    - GloBE नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिस देश/क्षेत्राधिकार में परिचालनरत हैं, वे वहां अर्जित आय पर न्यूनतम कर का भुगतान करें।
    - किसी भी देश/क्षेत्राधिकार में **प्रभावी कर की दर जब न्यूनतम 15% की दर से कम हो**, तब **ये नियम अर्जित लाभ पर 'टॉप-अप टैक्स' लागू करने का भी प्रावधान** करते हैं।

ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट की आवश्यकता क्यों?

यह कम कर लगाने की होड़ को ख़त्म करने में सहायक है

- यह "कम से कम कर लगाने की होड़" को रोकने में मदद करेगा, क्योंकि कई देश व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए अपने करों में कटौती कर दूसरे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं।

इससे अतिरिक्त कर राजस्व का सृजन होगा

- कोविड–19 संकट के कारण बजट में कमी को देखते हुए, यह व्यवस्था कर राजस्व में वृद्धि करेगी। इससे सरकारों को सामाजिक विकास में निवेश करने और वैश्विक महामारी से लड़ने आदि में मदद मिलेगी।
- OECD का अनुमान है कि न्यूनतम कर से सालाना वैश्विक कर राजस्व में 150 अरब डॉलर का अतिरिक्त सृजन होगा।

यह कर चोरी पर नज़र रखने में सहायक है

- टैक्स जस्टिस नेटवर्क की एक रिपोर्ट के अनुसार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और धनी व्यक्तियों द्वारा की गई वैश्विक कर चोरी के कारण देशों को प्रतिवर्ष कर में कुल 483 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है।
- एक अनुमान के अनुसार, भारत को प्रतिवर्ष 10 अरब डॉलर से अधिक का कर नुकसान हो रहा है।

टैक्स हेवन देशों पर नियंत्रण

- यह कर की दर को कम रखने की प्रथा को बेअसर करेगा। साथ ही, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने लाभ को कम कर वाले देशों में स्थानांतरित करने से भी हतोत्साहित करेगा।
- विश्व की शीर्ष 200 कंपनियों में से लगभग 90 प्रतिशत की उपस्थिति टैक्स हेवन देशों में है।

राष्ट्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा

- यह बुनियादी आर्थिक कारकों जैसे कि कार्यबल का कौशल, नवाचार क्षमता और कानूनी एवं आर्थिक संस्थानों की क्षमता पर आधारित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। यह कम कर दरों के आधार पर प्रतिस्पर्धा का विरोध करता है, जो सरकारों को बुनियादी ढांचे और शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने (कम कर दरों के कारण) से वंचित करती हैं।

भारत के लिए निहितार्थ या भारत पर प्रभाव

- विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के लिए यह लाभदायक साबित होगा क्योंकि **भारत में प्रभावी घरेलू कर की दर, इस कर की सीमा से अधिक** है। इस प्रकार भारत एक बड़ा संभावित बाजार होने के कारण विदेशी निवेश को आकर्षित करना जारी रखेगा।
- इस कर समझौते का अर्थ है कि **वर्ष 2023 तक मौजूदा डिजिटल सर्विस टैक्स और अन्य एकपक्षीय करों** को समाप्त करना होगा। साथ ही, भारत को वर्ष 2016 में आरंभ किये गए **समकारी शुल्क** (equalization levy) को भी समाप्त करना पड़ेगा।
    - इससे भारत को **कर संबंधी अतिरिक्त अधिकार प्राप्त होंगे, जो भारत के लिए लाभदायक** हैं। हालांकि, इससे होने वाले लाभ का अंदाजा तब ही लग पाएगा, जब वर्तमान समकारी शुल्क से प्राप्त आय और नए 15 प्रतिशत वाले टैक्स से प्राप्त आय की तुलना की जाएगी।
- **भारत में हेडक्वार्टर वाले बड़े MNCs को भी पिलर-1 नियमों का पालन करने की आवश्यकता हो सकती है।** साथ ही, भारत को अन्य देशों के साथ अपने करारोपण अधिकार को साझा करने की आवश्यकता होगी।
- यह किसी **संधि के तहत** न्यूनतम कराधान व्यवस्था संबंधी लाभों को भी निष्प्रभावी कर सकता है।

 ©Vision IAS

- भारत को शीर्ष 100 में शामिल **अपर्याप्त रूप से डिजिटलीकृत कंपनियों से प्राप्त होने वाले राजस्व की हानि हो सकती** है।
- किसी अन्य देश में निवेश करने के संबंध में यह **देश में कर के आधार क्षरण को रोकेगा।** इसका कारण यह है कि अब सरकार किसी भारतीय निवासी के स्वामित्व वाले विदेशी व्यवसाय द्वारा 15% से कम कर भुगतान की स्थिति में किसी भी कमी को पुनः वसूल करने में सक्षम होगी।
- चूंकि भारत इन कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार रहा है। इसलिए भारत को इन **तकनीकी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण बाजार वाले देशों को** मुनाफे में अधिक हिस्सा (कर के रूप में) प्रदान किए जाने बल देना चाहिए।

चुनौतियाँ

- **वैश्विक सहमति:** कम कॉरपोरेट कर दर से छोटी अर्थव्यवस्थाओं को अपने यहां निवेश आकर्षित करने से बहुत लाभ होता है। वहीं विकसित अर्थव्यवस्थाओं को बेहतर बुनियादी ढांचे, श्रम गुणवत्ता, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिरता आदि के कारण अत्यधिक लाभ होता है। इसलिए इन नियमों के संबंध में वैश्विक सहमति एक चुनौती है।
- **सामाजिक-आर्थिक विकास पर प्रभाव:** सभी देश FDI के स्रोत के रूप में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कर प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। साथ ही, इन कंपनियों द्वारा संसाधनों के कुशल उपयोग, मांग सृजित करने तथा रोजगार पैदा करने में मदद मिलती हैं।
- **कर की दर पर सहमति:** विश्व असमानता रिपोर्ट[54] में यह सुझाव दिया गया है कि 15% की कर दर आम तौर पर उच्च आय वाले देशों में श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा भुगतान की जाने वाली कर दर से कम है। यह संबंधित देशों में कंपनियों द्वारा भुगतान की जाने वाली वैधानिक कर दर से भी कम है।
- **निर्धारित नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधा:** सरकारों द्वारा निर्धारित नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कर प्रोत्साहन का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अनुसंधान और विकास के लिए निवेश कर के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन या कर प्रोत्साहन के माध्यम से नवाचारी गतिविधियों या आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- **इस कर-व्यवस्था का संपन्न देशों के पक्ष में होना:** ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक न्यूनतम कर (GMT) के माध्यम से अर्जित **कुल नई नकदी का दो-तिहाई भाग G7 और EU को** प्राप्त होगा। इसके विपरीत विश्व की एक तिहाई से अधिक आबादी वाले **सर्वाधिक निर्धन देशों को इस नकदी का 3% से भी कम हिस्सा** प्राप्त होगा।
- **एकपक्षीय करों पर प्रतिबंध:** कई विकासशील देशों द्वारा इन नए कर नियमों को लागू करने की शर्त के तहत प्रौद्योगिकी कंपनियों पर सभी एकपक्षीय करों को समाप्त करने के प्रावधान के संबंध में चिंता व्यक्त की जा रही है।
    - कई देश डिजिटल सेवाओं पर कर से महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित करते हैं।

निष्कर्ष

वैश्विक न्यूनतम कर (GMT), **अंतर्राष्ट्रीय कर व्यवस्था को निष्पक्ष बनाने** के साथ-साथ डिजिटल तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसे बेहतर बनाने का **एक प्रशंसनीय प्रयास** है।

हालाँकि, इस समझौते के **समग्र कार्यान्वयन को बाधित करने** वाले **कई बड़े अवरोध मौजूद हैं।**

सर्वसम्मति बनाने के लिए इस प्रयास का समर्थन करने की आवश्यकता है क्योंकि **संपन्न तथा निर्धन दोनों ही प्रकार के देशों को वैश्विक महामारी और इसके परिणामस्वरूप होने वाले आर्थिक नुकसानों का सामना करने के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता है।**

3.6. पी.एम.-किसान (PM-KISAN)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से, **पी.एम.-किसान योजना** के तहत असफल लेनदेन (फेल्ड ट्रांजैक्शन) के बाद रिप्रोसेसिंग (फिर से भेजे जाने) के लिए लगभग **374.78 करोड़ रुपये की राशि लंबित** पड़ी हुई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस योजना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान **14.22 लाख लंबित असफल लेनदेन** दर्ज किए गए थे। **वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22** में, नवंबर 2021 तक **9.11 लाख** लंबित असफल लेनदेन दर्ज किए गए हैं।
- असफल लेनदेन की संख्या इस योजना के तहत **लेनदेन की कुल संख्या के एक प्रतिशत से कम** है।
- इस योजना के तहत **11.60 करोड़ से अधिक किसानों** को योजना शुरू होने के बाद से अलग-अलग किश्तों के माध्यम से **लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपये** का वित्तीय लाभ प्रदान किया जा चुका है।

[54] World Inequality Report

इस योजना के बारे में

- **प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम.-किसान)** एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है। यह योजना दिसंबर 2018 में शुरू की गई थी। इसका **100% वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा** किया जा रहा है।
- इस योजना के तहत प्रत्येक **पात्र किसान परिवार** को 2,000 रुपये की तीन किश्तों में **प्रति वर्ष 6,000 रुपये** का भुगतान किया जाता है। इस योजना के लिए परिवार की परिभाषा में **पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल** हैं।
- प्रारंभ में इस योजना के लिए **2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान** ही पात्र थे। हालांकि, जून 2019 से **इसका विस्तार करते हुए सभी किसानों** (अर्थात् 14 करोड़ किसान परिवार) को इसमें शामिल कर लिया गया था।
- इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार **सहायता के लिए पात्र किसान परिवारों की पहचान करने की जिम्मेदारी** संबंधित राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन की है। इस योजना के तहत राशि **सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित** की जाती है।
- इस योजना के संबंध में अपात्रता की विभिन्न श्रेणियाँ (बॉक्स देखें) निर्धारित की गई हैं।

पी.एम.-किसान योजना के तहत अपात्रता के मानदंड:

नीचे दी गयी श्रेणियों में से एक या अधिक से संबंधित सभी संस्थागत भूमि धारक और किसान परिवार अपात्र हैं। दूसरे शब्दों में, **पी.एम.-**किसान योजना के तहत निम्नलिखित लोग लाभ उठाने **के पात्र नहीं हैं:**

- **संवैधानिक पदों** के पूर्व और वर्तमान धारक;
- भूतपूर्व और वर्तमान **मंत्री**/राज्य मंत्री, **लोक सभा / राज्य सभा / राज्य विधान-मंडलों** के भूतपूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के भूतपूर्व और वर्तमान **महापौर**, जिला पंचायतों के भूतपूर्व और **वर्तमान अध्यक्ष;**
- केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों तथा इनकी क्षेत्रीय इकाइयों के सभी **सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी,** स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी **(मल्टी-टास्किंग स्टाफ/क्लास IV/ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर);**
- उपर्युक्त श्रेणी के सभी वयोवृद्ध/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी (मल्टी-टास्किंग स्टाफ/क्लास IV/ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर) जिनकी **मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या उससे अधिक** है;
- पिछले वित्त वर्ष में **आयकर का भुगतान करने वाले** सभी व्यक्ति;
- पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत और कार्यरत **पेशेवर,** जैसे- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट तथा आर्किटेक्ट।

पी.एम.-किसान योजना अन्य सब्सिडी योजनाओं से बेहतर क्यों है?

- **प्रत्यक्ष आय सहायता:** इस योजना का उद्देश्य कृषि इनपुट्स और अन्य **खर्चों को पूरा करने हेतु नकदी की कमी को दूर करके किसानों को आय सहायता प्रदान** करना है।
- **डेटा का सत्यापन:** पी.एम.-किसान वेब पोर्टल पर प्राप्त डेटा, **आधार तथा आयकर डेटाबेस सहित सत्यापन और वैधता के विभिन्न स्तरों** की जांच से होकर गुज़रता है।
- **पूर्वाग्रह रहित चयन:** ऐसी योजनाएं अक्सर **अभिजात वर्ग के नियंत्रण और चयन संबंधी पूर्वाग्रहों से प्रभावित** हो जाती हैं। हालांकि, **IFPRI-ICAR के अध्ययन** में दर्शाया गया है कि सामाजिक, आर्थिक और कृषिगत विशेषताओं के मामले में चयन संबंधी कोई पूर्वाग्रह नहीं था। इस योजना के **लागू होने के तीन महीने के भीतर** 30% किसानों को **आय सहायता राशि** प्राप्त हो गई थी।
  - प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) के माध्यम से निर्मित बैंकिंग अवसंरचना ने **राशि वितरण** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुरूप:** बहुपक्षीय व्यापार नियमों के उल्लंघन के लिए विश्व व्यापार संगठन (WTO) में भारत की **कृषि सब्सिडी और निर्यात सब्सिडी को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।** इस संदर्भ में इस योजना का विशेष महत्व है क्योंकि इस योजना के तहत प्रत्यक्ष आय सहायता को विश्व व्यापार संगठन में **ग्रीन बॉक्स** का हिस्सा माना जाता है।

इस योजना से संबंधित मुद्दे

- **अपर्याप्त राशि:** रंगराजन समिति द्वारा भारत की गरीबी रेखा का निर्धारण **ग्रामीण क्षेत्रों में ₹32 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में ₹47 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन** के आधार पर किया गया है। इस प्रकार **एक परिवार के लिए प्रतिदिन लगभग ₹17** की आय सहायता (पी.एम.-किसान द्वारा प्रस्तावित) सबसे कमजोर किसानों के **न्यूनतम भरण-पोषण के लिए भी** बिल्कुल अपर्याप्त है।
- **पट्टेदार किसानों और बटाईदारों की उपेक्षा:** पी.एम.-किसान योजना में **पट्टेदार किसानों या बटाईदारों को होने वाले लाभों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं** किया गया है। हालांकि ओडिशा में कालिया (KALIA) योजना के तहत प्रति **पट्टेदार किसान/बटाईदार** को प्रति वर्ष 10,000 रुपये का लाभ प्रदान किया जाता है, लेकिन इसके तहत **पट्टेदार किसानों/बटाईदार** किसानों की पहचान एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

- **लाभार्थियों की पहचान में डेटा विसंगतियों से संबंधित चिंताएँ:** कई राज्यों में **काश्तकारी से संबंधित रिकॉर्ड अधूरे** हैं तथा भूमि-संबंधी डेटा का डिजिटलीकरण नहीं किया गया है। इस तथ्य के आलोक में लाभार्थियों की पहचान करना **कठिन हो जाता** है।
  - वर्ष 2016 में नीति आयोग और खाद्य विभाग द्वारा एक संयुक्त अध्ययन आयोजित किया गया था। इस अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि तीन केंद्र शासित प्रदेशों में सब्सिडी वाले खाद्यान्नों की जगह नकद सहायता प्रदान करने वाला केंद्र सरकार का पायलट प्रोग्राम मुख्य रूप से डेटा संबंधी विसंगतियों के कारण विफल हो गया।
- **असफल लेनदेन:** पी.एम.-किसान योजना के तहत लेन-देन के असफल होने के कई कारण हैं, जैसे- **खाते का बंद या स्थानांतरित हो जाना, गलत IFSC कोड, खाते का निष्क्रिय हो जाना,** बैंक द्वारा प्रति लेन-देन क्रेडिट/डेबिट के लिए निर्धारित सीमा से अधिक राशि आदि।
- **कई लाभार्थियों का छूट जाना:** आंध्र प्रदेश में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि राज्य में इस योजना के तहत **लगभग 29% किसान लाभार्थियों को योजना का पूरा लाभ नहीं मिला** है। इसके अलावा, **बैंक द्वारा अस्वीकृत मामलों की अत्यधिक संख्या तथा "राज्य द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता"** वाले मामलों का **3 से 18 महीनों** तक समाधान नहीं किया गया।

आगे की राह

- **पर्याप्त नकदी अंतरण:** एक प्रभावी नकद अंतरण योजना के तहत **प्रभावित समुदाय को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करने हेतु पर्याप्त नकदी** उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, **तेलंगाना में रायथु बंधु (Rythu Bandhu)** योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान को प्रत्येक कृषि मौसम में ₹4,000 प्रति एकड़ भुगतान किया जा रहा है।
  - इसके अलावा, **ओडिशा में "कालिया अर्थात् आजीविका और आय संवर्धन योजना के लिए कृषक सहायता"[55] के अंतर्गत** अन्य लाभों के साथ-साथ पाँच फसली मौसम के दौरान एक किसान परिवार के लिए प्रत्येक फसली मौसम में 5,000 रुपये (अर्थात कुल 25,000 रुपये) का भुगतान किया जाता है।
- **मुद्रास्फीति के अनुरूप अंतरण:** विभिन्न क्षेत्रों में **अस्थिर बाजार और कीमतों में उतार-चढ़ाव** को देखते हुए, नकदी अंतरण को स्थानीय मुद्रास्फीति के अनुरूप रखना महत्त्वपूर्ण है। राजस्थान में केरोसिन के मामले में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की विफलता इस संबंध में एक प्रमुख उदाहरण है। केरोसिन के **बाजार मूल्य में अत्यधिक वृद्धि** के कारण यहां के परिवारों को DBT के तहत प्रदान की गई राशि केरोसिन खरीदने के लिए अपर्याप्त थी।
- **लाभ प्रदान करने का बेहतर समय: IFPRI-ICAR के अध्ययन** के अनुसार, कृषि के मौसम में किश्त प्राप्त करने वाले किसान द्वारा राशि को संभवतः कृषि कार्यों पर खर्च किया जाता है। जबकि गैर-कृषि मौसम में प्राप्त राशि को अन्य मदों में खर्च करने की संभावना अधिक होती है। इस प्रकार नकद लाभ प्राप्त करने का समय, उसके **व्यय के उद्देश्यों को निर्धारित करता** है।
- **समग्र प्रभाव उत्पन्न करना:** अध्ययन में पाया गया है कि **कृषि सलाहकार सेवाओं** में अधिक निवेश के माध्यम से सरकार, किसानों के लिए पी.एम.-किसान योजना के समग्र प्रभाव को प्राप्त कर सकती है। इसके तहत किसानों को **आय सहायता के कुछ या सभी हिस्से को उत्पादक संपत्तियों** में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए, पी.एम.-किसान के साथ-साथ कृषि सलाहकार सेवाओं द्वारा **पीढ़ी-दर-पीढ़ी से चली आ रही गरीबी को समाप्त किया जा सकता** है।
- **आई.टी. आधार को मजबूत बनाना: दक्षतापूर्वक कम्प्यूटरीकृत भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस और बेहतर आई.टी. अवसंरचना** वाले राज्यों द्वारा **पी.एम.-किसान** को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है। इसके तहत जिन किसानों के पास बैंक खाते नहीं हैं, उन्हें जन-धन योजना के तहत **शून्य बैंक बैलेंस वाले खाते** खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **बुनियादी ढांचे और अनुसंधान एवं विकास में निवेश:** कोई भी आय सहायता योजना सभी कृषक परिवारों को शामिल नहीं कर सकती है। इसलिए, **ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे** (सड़क, सिंचाई और विपणन से संबंधित बुनियादी ढांचे, आदि) और **कृषि अनुसंधान एवं विकास** में निवेश बढ़ाने से दीर्घकालिक परिणाम के रूप में **कृषि आय बढ़ाने** में सहायता प्राप्त होगी।

3.7. भारतीय रेलवे के वित्त पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट {Comptroller and Auditor General (CAG) Report on Indian Railways}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारतीय रेलवे के वित्त** पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्ट को संसद में पेश किया गया। इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि आमदनी, व्यय, भंडार और परिचालन दक्षता के संदर्भ में, रेलवे एक विकट स्थिति का सामना कर रहा है।

---

[55] Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation scheme: KALIA

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General of India: CAG)

- CAG, **अनुच्छेद 148** के तहत स्थापित एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- वह **भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग** का प्रमुख होता है।
- उसे **लोक निधि के संरक्षक** के रूप में भी जाना जाता है। वह केंद्र और राज्य स्तर पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है।
- CAG कार्यालय के प्रशासनिक व्यय **भारत की संचित निधि** पर भारित होते हैं।
- अपने पद से सेवा समाप्ति के बाद, CAG केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद का पात्र नहीं होता है।
- CAG द्वारा केवल महालेखापरीक्षक की भूमिका को निभाया जाता है, नियंत्रक की भूमिका को नहीं।
- इसकी मुख्य भूमिका रेलवे, डाक और दूरसंचार सहित **केंद्र तथा सभी राज्य सरकारों के विभागों एवं कार्यालयों** से संबंधित **खातों की लेखा परीक्षा और जाँच करना** है।
    - इसके द्वारा सरकार के स्वामित्व वाली या वित्तपोषित कंपनियों के लेखाओं की भी जाँच की जाती है।
- CAG द्वारा राष्ट्रपति को निम्नलिखित **तीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट्स** सौंपी जाती हैं:
    - विनियोग लेखा (Appropriation accounts) पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट;
    - वित्त लेखा (Finance accounts) पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट; और
    - सार्वजनिक उद्यमों (Public undertakings) पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

वर्तमान रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- **राजस्व प्राप्तियों में गिरावट:** कुल प्राप्तियों में **वर्ष 2018-19 में 6.47% की वृद्धि** की तुलना में **वर्ष 2019-20 में 8.30% की कमी** आई है।
- **क्रॉस-सब्सिडी:** माल ढुलाई से होने वाले लाभांश का उपयोग, नुकसान (यात्री और अन्य कोच आधारित सेवाओं के संचालन पर) की भरपाई के लिए किया गया था।

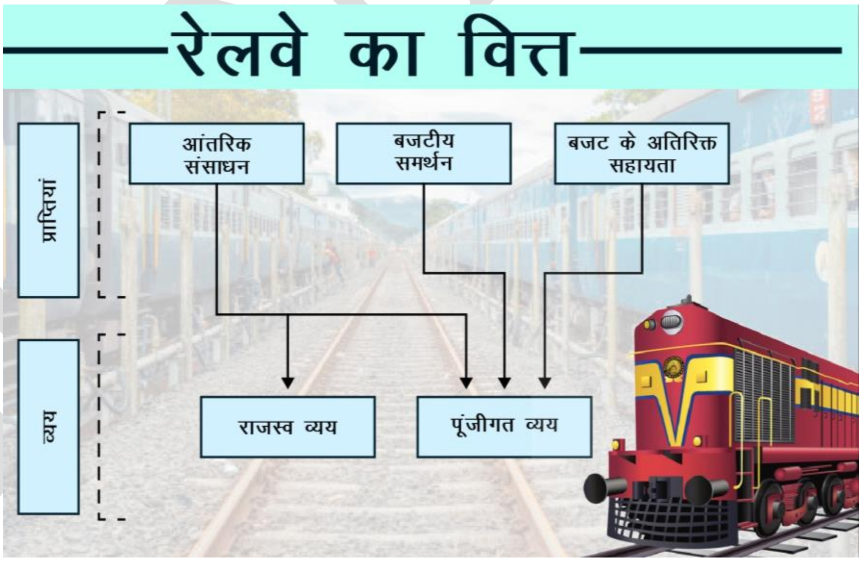

- **कोयले पर निर्भरता:** कोयले की ढुलाई पर निर्भरता अधिक है। इससे प्राप्त होने वाली आय वर्ष 2019-20 के दौरान **माल ढुलाई से प्राप्त होने वाली कुल आय का लगभग 49%** थी। थोक वस्तुओं की ढुलाई के पैटर्न में किसी भी बदलाव से माल ढुलाई से प्राप्त होने वाली आय उल्लेखनीय रूप से प्रभावित हो सकती है।
- **परिचालन अनुपात (Operating Ratio: OR):** यह अनुपात वर्ष 2018-19 के 97.29% से बदतर होकर **वर्ष 2019-20 में 98.36%** हो गया था। **पेंशन निधि के लिए कम धन का विनियोग करने** के कारण, रेलवे अधिशेष और उच्चतर परिचालन अनुपात दर्शाने में सफल रहा।
    - **परिचालन अनुपात** यातायात से **अर्जित राजस्व** और **परिचालन व्यय** (रेलवे के दिन-प्रतिदिन के संचालन में होने वाला व्यय) का अनुपात है।
    - इसका **उच्च अनुपात अधिशेष सृजित करने की ख़राब क्षमता को इंगित करता है।** इस अधिशेष का उपयोग पूंजी निवेश के लिए किया जा सकता है।
- **पूँजी उत्पादन अनुपात (Capital Output Ratio: COR): वर्ष 2019-20 में COR में वृद्धि** हुई। इससे पता चलता है कि लगाई गई पूंजी (capital employed) की तुलना में भारतीय रेलवे के प्रदर्शन में कमी आई है।
    - COR से उत्पादन की एक इकाई उत्पन्न करने हेतु लगाई गई पूंजी की मात्रा का पता चलता है।
- **आंतरिक संसाधनों में गिरावट: पूंजीगत परियोजनाओं के लिए आंतरिक संसाधनों** के योगदान में **गिरावट** आई। इसके परिणामस्वरूप सकल बजटीय सहायता[56] और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों[57] पर निर्भरता में वृद्धि हुई।

---

[56] Gross Budgetary Support: GBS

- भारतीय रेलवे के **राजस्व के तीन प्राथमिक** स्रोत हैं:
    - GBS में हर साल केंद्र सरकार के बजट आवंटन से मिलने वाली राशि शामिल होती है।
    - इसके अपने **आंतरिक संसाधन** (माल और यात्री राजस्व, रेलवे भूमि को पट्टे पर देना आदि)।
    - EBR में ऋण व साझेदारी के माध्यम से आमदनी और संस्थागत वित्तपोषण शामिल हैं।
- **कर्मचारियों की उत्पादकता:** वर्ष 2019-20 में कर्मचारियों की उत्पादकता में गिरावट का कारण माल ढुलाई तथा यात्रियों की संख्या में कमी होना था।

भारतीय रेलवे में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए 'पी.एम. गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान':** इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए एकल योजना और समन्वित कार्यान्वयन हेतु रेलवे और सड़क परिवहन को एक साथ लाने हेतु।
- **राष्ट्रीय रेल योजना (National Rail Plan: NRP) 2030:** वर्ष 2030 तक बुनियादी ढांचे का इस प्रकार विकास करना ताकि वर्ष 2050 तक की यातायात आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और माल ढुलाई में रेल के हिस्से को 45% तक बढ़ाया जा सके।
    - वर्ष 2024 तक कुछ अत्यंत महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे **100% विद्युतीकरण, भीड़भाड़ वाले मार्गों की मल्टी-ट्रैकिंग** आदि के त्वरित कार्यान्वयन हेतु **विजन 2024** को आरंभ किया गया है।

- **निजी संस्थाओं को बढ़ावा:** बिबेक देबरॉय समिति (2015) ने सिफारिश की थी कि भारतीय रेलवे के साथ प्रतिस्पर्धा में **माल और यात्री दोनों ट्रेनों** को चलाने के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति दी जानी चाहिए।
- **रेल विकास प्राधिकरण (Rail Development Authority: RDA):** केंद्र सरकार ने **यात्री और माल ढुलाई किराये की सिफारिश करने तथा सेवा स्तर के मानक निर्धारित करने के लिए** एक स्वतंत्र नियामक RDA की स्थापना को मंजूरी दी है।
- **समर्पित माल ढुलाई गलियारे (Dedicated Freight Corridors: DFCs):** माल की ढुलाई में तेजी और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाने तथा आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को बेहतर करने हेतु।
- **भारत गौरव ट्रेन योजना:** देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थानों का दर्शन कराने के लिए।
- **विविध ई-रसीद प्रणाली (Miscellaneous E-Receipts System: MERS) पोर्टल:** रेलवे को प्राप्त होने वाली आमदनी के डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए।

भारतीय रेलवे से संबंधित अन्य समस्याएं

- **संचालन दक्षता:** भारतीय रेलवे में बहुत अधिक संख्या में कर्मचारी हैं। इसमें शक्तिशाली मजदूर संघ भी शामिल हैं। यह **कई स्तरों पर निर्णय लेने वाला केंद्रीकृत संगठन** है। इस कारण साधारण फैसलों को भी कार्यान्वित करने में वर्षों लग जाते हैं।
- **पुरानी तकनीक:** रेलवे सेवाओं और प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता बहुत खराब है। इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोमोटिव की मौजूदा तकनीक काफी पुरानी है।
- **कम निवेश:** रेलवे के खराब वित्त के कारण इसमें कम निवेश हुआ है। इसके कारण **खराब सेवाएँ** तथा कम गति, देरी और सुरक्षा चिंताओं जैसी **समस्याएं** सामने आई हैं। इन समस्याओं के परिणामस्वरूप रेलवे को व्यवसाय में नुकसान हुआ है तथा इसके **वित्त में और गिरावट** आई है। यह रेलवे के लिए एक दुष्चक्र बन गया है।

[57] Extra Budgetary Resources: EBRs

- **लंबित परियोजनाएं:** अकुशल कार्यबल और धन की उपलब्धता में अनिश्चितता के कारण परियोजनाओं को पूरा करने में देरी होती है। इसके अलावा, नई परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए लगातार दबाव बना रहता है।
- **बुनियादी ढाँचा:** वर्तमान में रेलवे को **अपर्याप्त नेटवर्क क्षमता, यातायात में वृद्धि तथा बुनियादी ढाँचे से संबंधित बाधाओं** का सामना करना पड़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप रेल प्रणाली पर काम का बोझ बढ़ रहा है।
- **प्रतिस्पर्धा में वृद्धि:** सड़क और एयरलाइन परिवहन के साथ प्रतिस्पर्धा में तीव्रता से वृद्धि हो रही है। रेलवे तथा सड़क परिवहन के बीच आपसी समन्वय की कमी ने रेलवे की आमदनी क्षमता को कम कर दिया है। साथ ही बिना टिकट यात्रा जैसी समस्या से भी रेलवे को भारी नुकसान पहुंच रहा है।
- **साझा गलियारा:** माल और यात्री यातायात दोनों के लिए एक साझा गलियारा है। मालगाड़ियों की तुलना में यात्री रेलगाड़ियों को ज्यादा महत्त्व दिया जाता है जिससे वित्तीय नुकसान होता है।

आगे की राह

- **बुनियादी ढांचा:** सरकार को **बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विस्तार और रेलवे के बोझ को कम करने के लिए कार्यक्रमों** को आरंभ करना चाहिए। इसके तहत टर्मिनल क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ प्रौद्योगिकी को उन्नत करने और रेल मार्गों के विवेकपूर्ण विद्युतीकरण संबंधी कार्यक्रमों को आरंभ किया जाना चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी:** उच्च हॉर्सपॉवर वाले विद्युत और डीजल इंजन को अधिक ईंधन कुशल बनाने वाली प्रौद्योगिकी को अपनाने की आवश्यकता है। साथ ही, रेलवे क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए देश का एक तकनीकी आधार बनाना भी आवश्यक है।
- **माल ढुलाई में विविधता:** आमदनी बढ़ाने के लिए माल ढुलाई में विविधता लाने हेतु उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। साथ ही अन्य आमदनियों को बढ़ाने के लिए निष्क्रिय पड़ी संपत्तियों का भी उपयोग किया जाना चाहिए।
- **सेवा-गुणवत्ता में सुधार: रेलवे स्टेशनों, ट्रेन के डिब्बों** आदि में भोजन की गुणवत्ता और सुविधाओं में सुधार लाने के साथ ही इनको साफ रखने के लिए दंडनीय कानून भी लाए जा सकते हैं।
- **किराये में संशोधन:** यात्री तथा अन्य सेवाओं से संबंधित किराये पर फिर से विचार करना अत्यंत आवश्यक है। इसके द्वारा संचालन लागत को चरणबद्ध तरीके से वसूला जा सकता है और मुख्य गतिविधियों में होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।

3.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

3.8.1. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए {Guidelines For Central Public Sector Enterprise (CPSE) Disinvestment Released by Ministry Of Finance}

- ये दिशा-निर्देश **नई सार्वजनिक उद्यम नीति** को लागू करने के लिए **गैर-रणनीतिक CPSE के निजीकरण, विलय, बंद करने या उन्हें दूसरे PSUs की सहायक कंपनी बनाने** के उद्देश्य से जारी किए गए हैं।
- **प्रमुख प्रावधान:**
  - **सार्वजनिक उद्यम विभाग** बंद करने या निजीकरण के लिए गैर-रणनीतिक CPSEs की पहचान करेगा। साथ ही, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार करेगा।
  - एक बार स्वीकृति मिलने के बाद, विनिवेश या उद्यमों को बंद करने की **प्रक्रिया सात महीने के भीतर पूरी की जाएगी।**

- **विनिवेश** का आशय सरकार के स्वामित्व या हिस्सेदारी वाली किसी परिसंपत्ति या कंपनी या उसकी सहायक इकाई से सरकार की हिस्सेदारी या शेयर बेचने से है।
- इसके मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं- सरकार पर से वित्तीय बोझ को कम करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बाजार अनुशासन लागू करना, तथा कंपनी के प्रबंधन और / या स्वामित्व में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना आदि।
- **सरकारी शेयर या हिस्सेदारी के विक्रय के प्रतिशत के आधार पर, यह तीन प्रकार का होता है:**
  - **अल्पांश विनिवेश (Minority disinvestment):** इसके तहत सरकार

किसी PSU में 51% से अधिक हिस्सेदारी (या शेयर) और कंपनी के प्रबंधन पर नियंत्रण रखती है, उदाहरण के लिए- ओ.एन.जी.सी. लिमिटेड।

- **रणनीतिक विनिवेश (Strategic disinvestment):** जब सरकार किसी PSU में अपनी हिस्सेदारी को घटाकर 50% तक या इससे भी कम कर देती है और साथ ही प्रबंधन पर भी नियंत्रण क्रेता को सौंप देती है तो उसे **रणनीतिक विनिवेश** कहा जाता है, उदाहरण के लिए- BPCL की योजनाबद्ध बिक्री।
- **पूर्ण विनिवेश (Complete disinvestment):** इसका आशय अधिक से अधिक या पूर्ण हिस्सेदारी बेचने से है, जहां कंपनी का 100% नियंत्रण क्रेता को दे दिया जाता है, जैसे कि एयर इंडिया की हालिया बिक्री।

- **नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति {New Public Sector Enterprise (PSE) Policy}:**
  - आत्मनिर्भर भारत के लिए फरवरी 2021 में अधिसूचित, **नई नीति ने CPSEs को रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है। इसमें कुछ CPSEs को छूट प्रदान की गई है अर्थात् जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है** या जो सुभेद्य और कमजोर वर्गों का समर्थन करते हैं।

3.8.2. भुगतान या पेमेंट्स बैंक (Payments Bank)

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है।

अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त करने के लाभ

- अनुसूचित बैंक का तात्पर्य ऐसे बैंकों से है जिन्हें **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची** में शामिल किया गया है।
  - कुछ अन्य पेमेंट्स बैंकों को भी **दूसरी अनुसूची** में जोड़ा गया है जिनमें **फिनो पेमेंट्स बैंक** और **इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक** शामिल हैं।
- अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त करने के पश्चात्, पेटीएम पेमेंट्स बैंक नए व्यावसायिक अवसरों की तलाश कर सकता है। इसके अलावा सरकार तथा अन्य बड़े निगमों द्वारा जारी **रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, प्राथमिक नीलामी, फिक्स्ड-रेट और वेरिएबल रेट रेपो** और **रिवर्स रेपो** में भाग ले सकता है।
- यह **सीमांत स्थायी सुविधा**[58] में भी भाग ले सकता है। साथ ही, यह **सरकार द्वारा संचालित वित्तीय समावेशन योजनाओं में भागीदारी** के लिए भी पात्र होगा।

- यह अब **भारतीय रिज़र्व बैंक से बैंक दर पर पुनर्वित्तीयन सुविधा (Refinancing Facility), समाशोधन गृह / क्लीयरिंग हाउस की सदस्यता** और **मुद्रा भंडारण सुविधा तक पहुँच** प्राप्त करने के लिए पात्र है।

---

[58] Marginal Standing Facility: MSF

पेमेंट्स बैंक के बारे में

- **वर्ष 2013 में नचिकेत मोर** की अध्यक्षता वाले **छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं पर RBI की समिति** की सिफारिशों के आधार पर **पेमेंट्स बैंक** के गठन हेतु मंजूरी दी गयी थी।
- इसे **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत **पंजीकृत करना पड़ता** है। इसके लिए **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** के तहत **लाइसेंस** लेना होता है।
    - कोई प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह भुगतान बैंक की स्थापना के लिए किसी विद्यमान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ संयुक्त उद्यम की व्यवस्था कर सकता है।
- इसे RBI के द्वारा निर्धारित **नकद आरक्षित अनुपात (CRR)** बनाए रखना होता है और **सांविधिक तरलता अनुपात (SLR)** के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिलों में निवेश करना होता है।
- यह अस्थायी तरलता प्रबंधन के लिए **इंटर-बैंक अनकोलैटरलाइज़्ड कॉल मनी मार्केट** और **कोलैटरलाइज़्ड रेपो** और **CBLO[59] मार्केट** तक पहुँच स्थापित कर सकता है।
- पेमेंट्स बैंक की **न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी[60]** 100 करोड़ रुपये है। इसके लिए **न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) 15%** बनाए रखना आवश्यक है। पेमेंट्स बैंक के प्रमोटरों को **शुरू के 5 वर्षों** के लिए अपनी **चुकता इक्विटी पूंजी का कम-से-कम 40% हिस्सा** बनाये रखना पड़ता है।

3.8.3. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने LIC, GIC तथा न्यू इंडिया को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्ता के रूप में बरक़रार रखा है {IRDAI Retains LIC, GIC, New India As Domestic Systemically Important Insurers (D-SIIS)}

- भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), भारतीय सामान्य बीमा निगम (GIC) और न्यू इंडिया को **वर्ष 2020-21 के समान ही वर्ष 2021-22 के लिए भी D-SIIs के रूप में बनाए रखा गया है।**
    - भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) **वार्षिक आधार पर D-SIIs को निर्धारित करता है।**
- D-SIIs ऐसे आकार, बाजार महत्व और घरेलू एवं वैश्विक रूप से परस्पर जुड़े बीमाकर्ताओं को संदर्भित करता है, **जिनके संकटग्रस्त या विफल होने से घरेलू वित्तीय प्रणाली में व्यापक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी।**
    - इस प्रकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए **बीमा संबंधी सेवाओं की बाधा रहित उपलब्धता** हेतु इनका निरंतर कार्यशील रहना बहुत महत्वपूर्ण है।
    - ये बीमाकर्ता के रूप में **इतने विशाल या महत्वपूर्ण होते हैं कि इन्हें विफल नहीं होने दिया जा सकता।**
- **D-SII के निर्धारण हेतु मानदंड:**
    - **सकल राजस्व के संबंध में परिचालन का आकार;** प्रीमियम अधिग्रहण (premium underwritten); और प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति का मूल्य।
    - एक से अधिक क्षेत्राधिकार में **वैश्विक गतिविधियां।**
- D-SIIs के महत्व के कारण, इनके लिए प्रणालीगत जोखिमों और नैतिक खतरों के मुद्दों से निपटने के लिए **अतिरिक्त विनियामक उपाय किए गए हैं।**
- इसी प्रकार, **भारतीय रिज़र्व बैंक** प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (D-SIBs) अर्थात् ऐसे बैंक "जिन्हें विफल नहीं होने दिया जा सकता" का निर्धारण करता है।
    - **SBI, ICICI और HDFC बैंकों** को वर्ष 2020-21 के लिए D-SIBs के रूप में निर्धारित किया गया है।

3.8.4. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा एल्गो ट्रेडिंग को विनियमित करने का प्रयास किया जा रहा है (Sebi Seeking To Regulate Algo Trading)

- **एल्गोरिदम ट्रेडिंग या एल्गो ट्रेडिंग कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से की जाती है** तथा कंप्यूटर के माध्यम से ही शेयरों की खरीद और बिक्री की जाती है।
    - इसके तहत, प्री-प्रोग्राम्ड कंप्यूटर रणनीतियों द्वारा निर्धारित मापदंडों, निर्देशों या बाजार के पैटर्न और स्थिति के आधार पर क्रय-विक्रय किया जाता है।

---

[59] collateralized borrowing and lending obligation)

[60] paid-up equity capital)

- भारतीय शेयर बाजारों में दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम का लगभग 50 प्रतिशत एल्गो ट्रेडिंग के माध्यम से होता है।

- **एल्गो-ट्रेडिंग के लाभ:** यह तीव्र गति पर उच्च मात्रा में ऑर्डर दे सकता है, लेन-देन की लागत में कमी ला सकता है, अलग-अलग कीमत वाले शेयर्स की पहचान कर सकता है, व्यापक मूल्य परिवर्तन से बचा सकता है। साथ ही, यह बिना किसी मानवीय त्रुटि के अत्यधिक सटीक ट्रेडिंग की एक विधि है।
- **इसके विनियमन की आवश्यकता क्यों?**
  - भारत में एल्गो ट्रेडिंग वर्ष 2008 में शुरू हो गई थी। किंतु वर्ष 2015 में यह तथ्य उजागर हो चुका है था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने कुछ चयनित अल्गो ट्रेडर्स को ही प्राथमिक पहुँच प्रदान की थी।
  - बाजार में व्यवस्थित तरीके से हेरफेर कर और खुदरा निवेशकों को उच्च रिटर्न की गारंटी देकर उन्हें लुभाने हेतु इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।
- **इसके विनियमन से संबंधित चिंताएं:**
  - प्रस्तावित सेबी मानदंड लागू होने के बाद **एल्गो ट्रेडिंग की मात्रा में गिरावट की संभावना है,** क्योंकि प्री-प्रोग्राम्ड ट्रेडिंग रणनीतियों का अनुमोदन **एक जटिल मामला हो सकता है।**
  - सभी एल्गो रणनीतियों को उनकी **जटिल प्रकृति** के कारण **एक्सचेंजों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सकता है।**
  - एक्सचेंजों से मंजूरी लेने के लिए एल्गो प्रोग्राम प्रस्तुत करने का अर्थ यह होगा कि **वेंडर्स** को अपने **प्रोग्राम से संबंधित फॉर्मूले को बताना** पड़ सकता है।

3.8.5. थोक मुद्रास्फीति (Wholesale Inflation)

थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित थोक मुद्रास्फीति, **वर्ष 2021 में 14.23%** हो गई है, जो **वर्ष 2020 में 12.54%** (साल-दर-साल आधार पर) थी।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह 2011-12 की श्रृंखला में उच्चतम WPI दर है जो लगातार 8 महीनों से दो अंकों में बनी हुई है।
- ऐसा विनिर्माताओं द्वारा **उत्पादन करने पर कुल लागत में हुई वृद्धि** के कारण है। ईंधन पर करों में हालिया कमी के बावजूद लागत के कारण मूल्यों में वृद्धि हो रही है।
- बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यह अल्पावधि में **ऊँचे खुदरा या उपभोक्ता मूल्य-आधारित मुद्रास्फीति** में तब्दील हो सकती है।
- **बढ़ती मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार कारक:**
  - वर्ष 2021 में मुद्रास्फीति की उच्च दर मुख्य रूप से **खनिज तेलों, धातुओं, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, रसायन तथा रासायनिक उत्पादों, खाद्य उत्पादों आदि की कीमतों में वृद्धि** के कारण है।
  - चूँकि **परिवहन लागत में ईंधन एक प्रमुख इनपुट** है, इसलिए ईंधन की ऊँची कीमतें **वितरण लागत को और बढ़ा** देती हैं।
  - इनपुट के मूल्य में वृद्धि और आपूर्ति में अभाव की स्थिति के कारण उपभोक्ता स्तर पर कीमतें बढ़ा रहीं हैं और इससे परिणामस्वरूप मांग भी प्रभावित हो सकती है।
  - **नए ओमीक्रोन वैरिएंट** से उत्पन्न जोखिम भी **वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा** सकते हैं।
  - **विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये के हालिया मूल्यह्रास** ने भी उच्च थोक मुद्रास्फीति में योगदान दिया है।

थोक मूल्य सूचकांक

- यह **लेन-देन के प्रारंभिक चरण** के स्तर पर **थोक बिक्री के लिए वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता** है।
- WPI में 3 प्रमुख समूहों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को शामिल किया गया है, जैसे कि **प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन तथा विद्युत् और विनिर्मित उत्पाद।**
- **विनिर्मित उत्पादों के लिए फैक्ट्री मूल्य, कृषि उत्पादों के लिए कृषि-बाजार (मंडी) मूल्य** तथा **खनिजों के लिए खान मूल्य** को ट्रैक किया जाता है।
- WPI में शामिल प्रत्येक वस्तु को दिया गया भारांश **शुद्ध आयात के लिए समायोजित उत्पादन के मूल्य पर आधारित** होता है। WPI में **सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता** है।
- इसे **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग** के **आर्थिक सलाहकार कार्यालय** द्वारा जारी किया जाता है।
- अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का **आधार वर्ष** 2004-05 से संशोधित कर **2011-12** कर दिया गया है।

- WPI की नई श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि विनिर्मित उत्पादों के **सूचकांकों को तैयार करते समय अप्रत्यक्ष करों अब शामिल नहीं किया जा रहा है।**
- इसके पीछे तर्क यह है कि **अर्थव्यवस्था के उत्पादन पक्ष से निकलने वाले मूल्य संकेत राजकोषीय नीति से प्रभावित नहीं होते हैं।**

3.8.6. रुपे डेबिट कार्ड को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी (Incentive Scheme To Promote Rupay Debit Cards Approved)

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के (2,000 रुपये तक) भीम-यूपीआई (BHIM-UPI) लेनदेन {व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M)} को बढ़ावा देने के लिए** 1,300 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।
- इस योजना में शामिल होने वाले **बैंकों को रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई भुगतान के माध्यम से** किए गए लेन-देने के मूल्य (P2M) का कुछ प्रतिशत भुगतान करके प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **इस योजना के लाभ:**
  - इस योजना में शामिल बैंकों को मजबूत डिजिटल भुगतान प्रणाली के निर्माण में सुविधा मिलेगी।
  - यह योजना बैंक सुविधाओं से वंचित एवं हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए सुलभ डिजिटल भुगतान का विकल्प प्रदान करेगी।

3.8.7. प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल {MIS (Management Information System) Portal}

- MIS पोर्टल, भूमि संसाधन विभाग ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013** के तहत भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं में राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान करना है।
  - पहले चरण में, **01.01.2014 से शुरू किए गए भूमि अधिग्रहण को रैंकिंग उद्देश्यों के लिए कवर** किया जाएगा।
- रैंकिंग से **राज्यों के लिए विकासात्मक परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी** करना आसान हो जाएगा। साथ ही, इससे **परियोजनाओं की गति बढ़ाने में भी मदद** मिलेगी।

3.8.8. ULIP हैकथॉन - लॉजिक्सटिक्स (Ulip Hackathon - Logixtics)

- **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)** ने **यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) हैकथॉन - 'LogiXtics'** लॉन्च किया है।
- **ULIP हैकथॉन के बारे में:**
  - इसे **नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन** द्वारा आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य दूसरों के विचारों को ग्रहण या क्राउडसोर्स करना है जिससे **लॉजिस्टिक्स उद्योग को लाभ** हो।
  - ULIP को एक पारदर्शी मंच बनाकर भारत में दक्षता बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सभी हितधारकों को रियल टाइम में सूचना प्रदान करेगा तथा सूचना से संबंधित कमियों को दूर करेगा।
  - **ULIP** भारत के **लॉजिस्टिक्स उद्योग** को अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए पूरे व्यापार में **अधिक पारदर्शिता तथा दूरदर्शिता** लाएगा।

3.8.9. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्राइम (NSE Prime)

- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने एक नई कॉरपोरेट अभिशासन पहल "NSE प्राइम" की शुरुआत की है।
- **NSE प्राइम के बारे में:**
  - यह एक ढांचा है, जो सूचीबद्ध कंपनियों के लिए विनियमों द्वारा आवश्यक किए गए मानकों की बजाये **कॉरपोरेट अभिशासन के उच्च मानकों को निर्धारित करता है।**
  - NSE में सूचीबद्ध सभी कंपनियां **स्वेच्छा से NSE प्राइम को अपना सकती हैं।**
  - **लाभ:**
    - यह भारत में **कॉर्पोरेट अभिशासन मानकों के स्तर में वृद्धि करेगा।**
    - **निवेशकों को उन कंपनियों की पहचान करने में सक्षम करेगा,** जिन्होंने कॉर्पोरेट अभिशासन के उच्च मानक लागू करने की इच्छा प्रकट की है।
    - सूचीबद्ध कंपनियों में **निवेशकों की गुणवत्ता में वृद्धि करने में सहायक होंगे।**

3.8.10. कार्ड टोकनाइजेशन (Card Tokenisation)

- आर.बी.आई. ने ऑनलाइन लेनदेन के लिए कार्ड संबंधी **टोकन व्यवस्था के क्रियान्वयन/प्रवर्तन** को छह माह अर्थात् 30 जून 2022 तक के लिए **स्थगित कर दिया है।**
    - यह निर्णय कार्ड टोकनाइजेशन दिशा-निर्देशों पर अलग-अलग रिपोर्ट्स आने के बाद लिया गया है।
- कार्ड टोकनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा **कार्ड के विवरण को एक विशिष्ट कोड या टोकन के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है।** इसके तहत **कार्ड के विवरण को उजागर किए बिना ऑनलाइन खरीदारी** की जा सकती है।
- इसके अतिरिक्त, यह **डेटा सुरक्षा** को बेहतर बनाने में भी मदद करता है।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

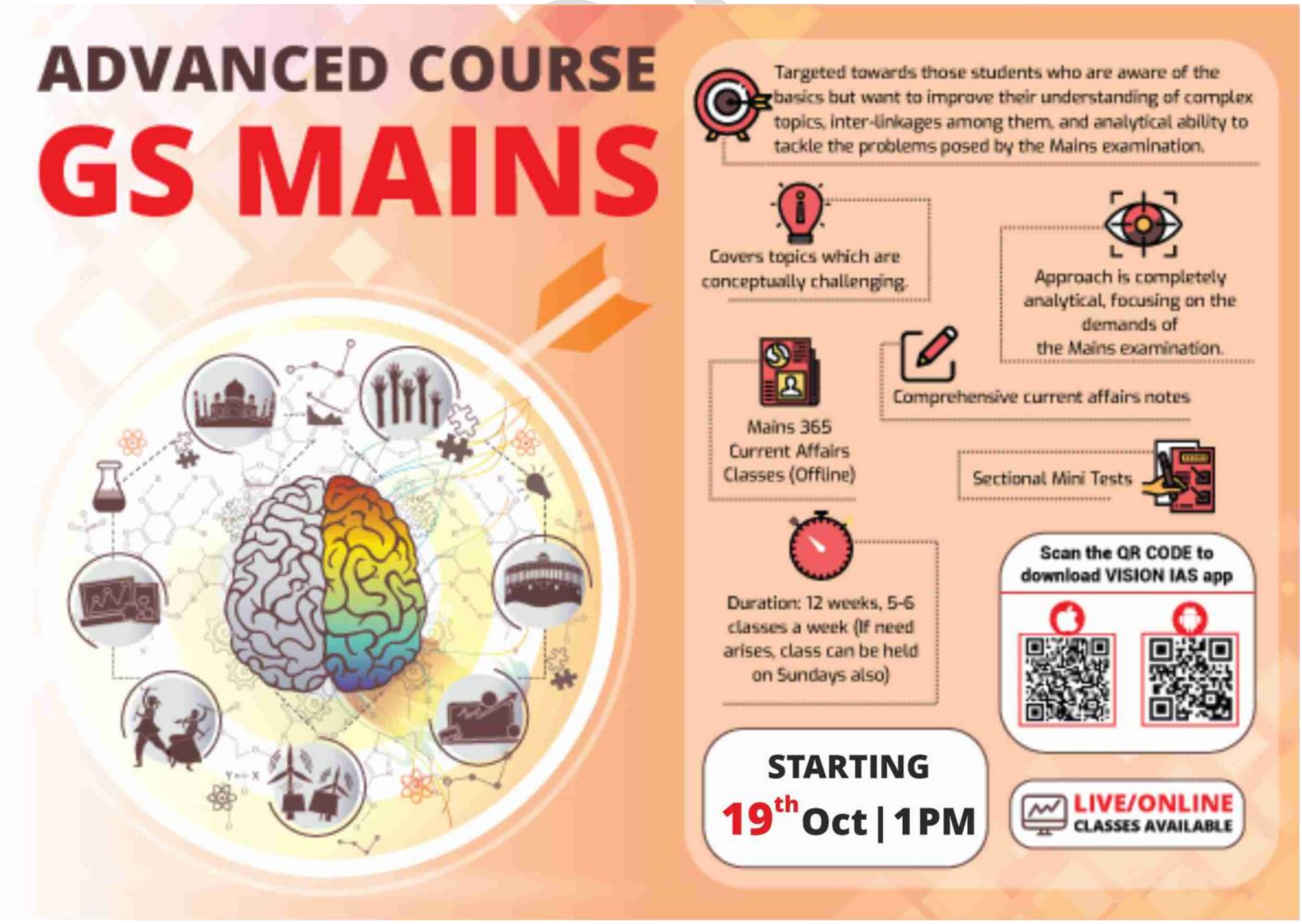

4. सुरक्षा (Security)

4.1. उभरती हुई प्रौद्योगिकियां और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरा (Emerging Technologies and Threat to National Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि शीघ्र ही स्वदेश में निर्मित **एंटी-ड्रोन तकनीक** उपलब्ध होगी। इससे पाकिस्तान की सीमा से सटे क्षेत्रों में सामना की जा रही ड्रोन संबंधी चुनौतियों से निपटा जा सकेगा।

उभरती हुई प्रौद्योगिकियां

- यह पदावली आमतौर पर उन प्रौद्योगिकियों के लिए उपयोग की जाती है, जो **वर्तमान में विकसित हो रही हैं, या जिनके अगले पांच से दस वर्षों के भीतर उपलब्ध होने की उम्मीद** है। साथ ही, यह उन प्रौद्योगिकियों के लिए भी प्रयुक्त होती है, जिनके द्वारा **महत्वपूर्ण सामाजिक या आर्थिक प्रभाव उत्पन्न किया जा रहा है या उत्पन्न करने की उम्मीद है।**
- इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, 3डी प्रिंटिंग, ब्लॉकचैन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- पाकिस्तान के ड्रोन सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार खतरा पैदा कर रहे हैं। **देश की सुरक्षा एजेंसियां इस स्थिति से निपटने के उपायों पर विचार-विमर्श कर रही हैं।**
  - हाल ही में, **जम्मू के वायु सेना के स्टेशन पर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स द्वारा हमला किया गया था।** इन ड्रोन्स पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस (IEDs) लगाए गए थे।

प्रौद्योगिकी और सुरक्षा

- ऐतिहासिक रूप से देखें तो **तकनीकी नवाचार में अग्रणी होना**, प्रमुख वैश्विक शक्तियों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है।
- आधुनिक छोटे हथियार, परमाणु हथियार, स्टेल्थ तकनीक तथा निर्देशित मिसाइल जैसे हथियारों का विकास करने और इन्हें सेना में शामिल करने से **सुरक्षा संबंधी समीकरण एक दम बदल जाते हैं।** कुछ मामलों में, तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी व्यापक बदलाव किए हैं।

उभरती प्रौद्योगिकी	संभावित लाभ	संभावित खतरे
ड्रोन/मानव रहित विमान[61]	• UAVs का निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है: ○ **हवाई फोटोग्राफी में** ○ **फिल्म निर्माण में,** ○ **बचाव अभियान में,** ○ **वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रण करने में,** ○ **भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की निगरानी** में आदि।	• UAV का दुरुपयोग **जासूसी-कार्य करने, चकमा देने, सुरक्षा बलों का ध्यान भटकाने** या उन्हें **संकेतहीन रखने** के लिए किया जा सकता है।
दूरी से संचालित हथियार प्रणाली[62]	• **बेहतर निगरानी** (रासायनिक और बायो डिटेक्शन सेंसर, ड्रोन आदि) में।	• **साइबर घुसपैठियों द्वारा नियंत्रण प्रणाली तक पहुंच प्राप्त की जा सकती है।** इससे निम्नलिखित मापदंडों को बदला जा सकता है जैसे कि: ○ किसी क्षेत्र में किसे अनुमति दी जानी

[61] Unmanned Aerial Vehicles: UAVs

[62] Remotely Operated Weapons Systems: ROWS

		है, और ○ किसे एक खतरे के रूप में देखा जाना है। • इसके परिणामस्वरूप चोरी या कोई अन्य बड़ी गड़बड़ी की जा सकती है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence: AI)	• AI के माध्यम से संभावी विश्लेषण व **आतंकवाद रोधी और कानून प्रवर्तन** संबंधी सूचना विज्ञान में सहायक।	• स्वचालित AI द्वारा साइबर हमले; इन प्रणालियों पर अति-निर्भरता और अति-जटिलता संबंधी जोखिम; आतंकवादी और अन्य विरोधियों द्वारा अधिक कुशल भौतिक हमलों का संचालन करने में मदद के लिए AI का उपयोग करने की संभावना आदि।
साइबर प्रौद्योगिकी	• परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों और अन्य जटिल औद्योगिक स्थलों पर **बेहतर सुरक्षा व्यवस्था में।**	• इससे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को हैक करने, उसमें व्यवधान और गड़बड़ी करने की संभावना संबंधी जोखिम में बढ़ोतरी हो सकती है।
मानवीय गुणों का बेहतर प्रदर्शन	• इसमें ध्यान, स्मरण क्षमता और भावनाओं में अपेक्षित हेरफेर करने वाले अनेक न्यूरोफार्मास्युटिकल्स (नूट्रोपिक्स), **शारीरिक प्रदर्शन को बेहतर करने वाली दवाएं** आदि शामिल हैं।	• इससे गुप्त रूप से जासूसी करने, कंप्यूटर सिस्टम के साथ संपर्क करने या सहयोगियों के साथ संवाद करने जैसे नए तरीके संभव हो सकते हैं।
प्रतिरक्षा और सुरक्षा के लिए बाह्य अंतरिक्ष का बढ़ता उपयोग	• राज्यों की आसूचना, निगरानी और जासूसी-कार्यों में; स्थल पर, समुद्र में और हवा में सेना की आवाजाही पर नज़र रखने में; गोपनीय और सामान्य दूरसंचार में; जी.पी.एस. निर्देशित हथियार में; साइबर युद्ध आदि में।	• युद्ध संबंधी उद्देश्यों के लिए निर्देशित ऊर्जा हथियारों[63] की तैनाती आरंभ करना और सैन्य उद्देश्यों के लिए उपग्रह प्रणालियों के उपयोग में संभावित वृद्धि।

उभरती प्रौद्योगिकियों के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा की बदलती तस्वीर

- **नए खतरे:** नई तकनीकों और मौजूदा प्रौद्योगिकियों के नए अनुप्रयोगों द्वारा श्रम बाजारों को बाधित तथा स्वास्थ्य, ऊर्जा व परिवहन प्रणालियों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जा सकता है।
- **सीमित विनियमन:** तकनीकी नवाचार बड़े पैमाने पर सरकारों के दायरे से बाहर हो रहे हैं। कई मामलों में नवाचार की दर देशों की नवीनतम घटनाओं और उनके संभावित सामाजिक प्रभावों से अवगत रहने की क्षमता को पीछे छोड़ रही है।
- **प्रभावशाली विरोधी:** उभरती हुई तकनीक से विरोधी भी अधिक आसानी से हथियार प्रणाली विकसित कर पाएंगे। इससे वे दूर तक, तेज और प्रभावशाली हमला कर सकते हैं तथा भारत को अंतरिक्ष सहित सभी युद्ध क्षेत्रों में चुनौती दे सकते हैं।
- **गैर-राज्य अभिकर्ताओं से खतरा:** हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में तीव्र और प्रभावी प्रगति हो रही है। साथ ही, विश्व द्वारा डिजिटल नेटवर्क संचार व लेनदेन को भी व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है। इससे दुर्भावनापूर्ण देशों और गैर-राज्य अभिकर्ताओं दोनों के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले खतरों में वृद्धि हुई है।
    - अल-कायदा और ISIS जैसे समूह अपना प्रभाव बढ़ाने तथा सहयोगियों की भर्ती के लिए फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब व अन्य प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन संचार का उपयोग कर रहे हैं।
- **अधिक प्रबल आतंकवादी खतरे:** आतंकवादियों के लिए परमाणु हथियार (या हथियार के रूप में उपयोग योग्य सामग्री) प्राप्त करने की संभावना से परमाणु सामग्री और/या अन्य महत्वपूर्ण अवसंरचना वाले केंद्रों की सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न हो रहा है।
- **सामूहिक विनाश के हथियारों[64] का खतरा:** शत्रु राष्ट्र जब स्वयं को तकनीकी रूप से बेहतर सैन्य बल वाले देशों का सामना करने में असमर्थ पाएंगे, तो वे WMD का विकास करके अपने विरोधी की क्षमता को प्रतिसंतुलित करने का विकल्प चुनेंगे।

---

[63] Directed Energy Weapons: DEW

[64] Weapons of Mass Destruction: WMD

भारत द्वारा उठाए गए कदम

- वर्ष 2015 में **राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन** आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक पूरे देश में 73 स्वदेशी सुपर कंप्यूटर स्थापित करना है।
- वर्ष 2020 में **नेशनल क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन मिशन** की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य संचार, कंप्यूटिंग, सामग्री विकास और क्रिप्टोग्राफी के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकियों के विकास की निगरानी करना है।
- **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर केन्द्रित कई समर्पित प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं।** इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम और संज्ञानात्मक (cognitive) प्रौद्योगिकियां, असममित (asymmetric) प्रौद्योगिकियां एवं स्मार्ट सामग्री जैसी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
- प्राप्त जानकारी के अनुसार **भारतीय सेना द्वारा** निर्देशित-ऊर्जा हथियार[65], वैकल्पिक रूप से मानवयुक्त लड़ाकू प्लेटफॉर्म और स्वॉर्म ड्रोन जैसी **उन्नत सैन्य प्रणालियों को विकसित किया जा रहा है।**
- हाल ही में, विदेश मंत्रालय (MEA) ने **नई और उभरती सामरिक प्रौद्योगिकी[66] प्रभाग** का गठन किया है। इसका उद्देश्य नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में विदेश नीति व अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित पहलुओं से निपटना है।
- भारत में एक **रक्षा साइबर एजेंसी** और एक **राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन** है। ये देश के विरुद्ध साइबर जोखिमों और खतरों से मुकाबला करने हेतु प्रणालियों को प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं।
- भारतीय सुरक्षा बलों को **हैंड-हेल्ड थर्मल इमेजर** प्रदान किए गए हैं। इनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा (LoC) की निगरानी सहित सुरक्षा संबंधी अनेक गतिविधियों में किया जा रहा है।

आगे की राह

- नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साझेदारियों / कार्यक्रमों को शुरू करना चाहिए। इसके तहत संबंधित **निवेशकों और कंपनियों** को उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में राष्ट्रीय सुरक्षा पर विचार करने हेतु **प्रोत्साहित करना चाहिए।**
- **बहुपक्षीय अभिशासन प्रणाली** को अपनाया जाना चाहिए। इसके तहत तकनीकी और मानक समाधान दोनों को आरंभ करने, आकार देने व कार्यान्वित करने के लिए अधिक संख्या में तथा विविध अभिकर्ता को शामिल करना चाहिए।
- **निम्नलिखित के लिए अधिक साझेदारियों और सहयोगात्मक माहौल का निर्माण करना चाहिए:**
  - दुनिया भर में उभरती हुई प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों को साझा करने के लिए,
  - प्रतिस्पर्धी खतरों को दूर करने के लिए,
  - राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को साझा करने के लिए और
  - नागरिक स्वतंत्रता, निजता और नैतिक प्रभावों पर विचार करने के लिए आदि।
- **सार्वजनिक-निजी रणनीतिक भागीदारी का निर्माण करना** चाहिए। इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए निजी पूंजी के उपयोग पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- सरकार द्वारा **उन्नत प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को विकसित करना और उन्हें अपनाना** चाहिए। साथ ही, निजी क्षेत्र के ग्राहक के रूप में सरकार की निर्भरता में सुधार करना चाहिए।

4.2. जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा (Climate Change and Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के प्रारूप संकल्प के विरुद्ध मतदान किया है। इस संकल्प में पहली बार जलवायु परिवर्तन को शांति के लिए खतरे के रूप में परिभाषित किया गया है।

UNSC के बारे में

- यह संयुक्त राष्ट्र (UN) के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
- इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है।

[65] Directed Energy Weapons: DEWs

[66] New, Emerging and Strategic Technologies: NEST

- इसमें 15 सदस्य देश हैं। इनमें से दस निर्वाचित (अस्थायी) सदस्य और पांच स्थायी सदस्य- चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और रूसी संघ हैं।
- प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है, लेकिन स्थायी सदस्यों के पास किसी भी मूल प्रस्ताव या संकल्प को वीटो करने की शक्ति होती है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सुरक्षा परिषद के इस प्रारूप संकल्प को संयुक्त राष्ट्र के 113 सदस्य देशों ने समर्थन प्रदान किया था। इसे परिषद के वर्तमान अध्यक्ष नाइजर और आयरलैंड ने प्रस्तुत किया था।
- इसका उद्देश्य **संघर्ष रोकथाम, संघर्ष प्रबंधन और शांति स्थापना** से संबंधित **संयुक्त राष्ट्र की कार्यसूची में जलवायु संबंधी सुरक्षा जोखिमों को व्यवस्थित रूप से समेकित करना** था।
- 15 सदस्यीय परिषद में प्रस्ताव के पक्ष में 12 मत पड़े थे। रूस और भारत ने इसका विरोध किया तथा चीन ने मतदान में भाग नहीं लिया।
    - चूंकि रूस परिषद के पांच वीटो-धारक स्थायी सदस्यों में से एक है, इसलिए इसके नकारात्मक वोट ने प्रारूप संकल्प को पारित नहीं होने दिया।

संकल्प की आवश्यकता

- **जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा के बीच अंतर्संबंध:** जलवायु परिवर्तन से विश्व में सुरक्षा संबंधी जोखिम पैदा हो रहे हैं (इन्फोग्राफिक देखें)। भविष्य में इन जोखिमों में और वृद्धि होगी। जल की कमी, प्रवास और आजीविका की हानि इसके प्रभाव होंगे।
    - उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक सुभेद्य लोग और देश, आतंकवादियों की भर्ती तथा हिंसा के प्रति भी सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं।
- **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)** के सम्मेलनों की प्रगति धीमी है। इससे प्राप्त परिणाम भी अपर्याप्त हैं। इस कारण जलवायु परिवर्तन और संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए त्वरित सामूहिक कार्रवाई की मांग की जा रही है।
- **UNSC के पास पहले से ही अपने अधिदेश में जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए साधन उपलब्ध हैं:** यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है। इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन के सुरक्षा संबंधी प्रभावों को शांति स्थापना, शांति निर्माण और मानवीय प्रतिक्रिया के महत्वपूर्ण कार्यों के साथ एकीकृत किया जाए।

संकल्प के संबंध में चिंताएं

- **संघर्षों को जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से देखना भ्रामक और मुद्दे का अतिसरलीकरण करना है:** हालाँकि जलवायु परिवर्तन में शांति और सुरक्षा को प्रभावित करने की क्षमता है, लेकिन दोनों के बीच पारस्परिक संबंध जटिल हैं। यह कुछ देशों में संघर्ष के वास्तविक कारणों से ध्यान हटाता है।
    - उदाहरण के लिए, अन्य कारकों जैसे पर्यावरणीय क्षरण, खाद्यान्न की कमी और संसाधनों के अनुचित वितरण के कारण तनाव व संघर्ष होने की संभावना सबसे अधिक रहती है।
- **जलवायु परिवर्तन UNSC के दायरे से बाहर है:** UNSC की प्राथमिक जिम्मेदारी "अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना" है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे इसके दायरे से बाहर हैं। जलवायु परिवर्तन से संबंधित सभी मामलों पर एक विशेष एजेंसी, UNFCCC में चर्चा की जाती है।
- **सहभागी दृष्टिकोण की कमी:** इस मुद्दे को UNSC के अधीन लाने से विश्व के औद्योगिक देशों को अधिक शक्तियां मिल सकती हैं। ये देश वीटो शक्ति रखते हैं और जलवायु संबंधी सुरक्षा मुद्दों पर भविष्य की कार्रवाई पर निर्णय लेने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके विपरीत UNFCCC में निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं।

आगे की राह

- **UNFCCC में जलवायु संबंधी सुरक्षा मुद्दों को शामिल करने के लिए चर्चा के दायरे का विस्तार किया जा सकता है।**
- **अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए मजबूत समर्थन प्रदान करना चाहिए।** इस समर्थन में सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण में निवेश भी शामिल होना चाहिए।
- **सभी देशों के सतत और समान विकास को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ाना चाहिए।** इसमें विशेष रूप से विकसित देशों द्वारा विकास संबंधी सहायता पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करना शामिल होना चाहिए।
- **जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न अभूतपूर्व चुनौतियों का अनुमान लगाने और उनका समाधान करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।** इन चुनौतियों में जलवायु परिवर्तन के कारण सीमाओं के पार बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापित होना, द्वीपीय राष्ट्रों के जलमग्न होने से उनके नागरिकों के राज्यविहीन होने की संभावना, जल की उपलब्धता में अत्यधिक कमी होना आदि शामिल हैं।
- **विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सूचना के प्रवाह** और आकलनों (विशेष रूप से पूर्व-चेतावनी प्रणाली पर) के आदान-प्रदान में सुधार करना।

4.3. इंटरनेट शटडाउन (Internet Shutdown)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति (2021-22) ने संसद में **'दूरसंचार सेवाओं/इंटरनेट का निलंबन और इसके प्रभाव'** पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 पर इस समिति की प्रमुख टिप्पणियां

- **इंटरनेट शटडाउन के लिए अपर्याप्त नियम:** इंटरनेट शटडाउन को ख़त्म करने के लिए कोई उचित प्रक्रिया निर्धारित नहीं है।
- **दूरसंचार सेवाओं के निलंबन के लिए अपरिभाषित आधार:** 'लोक आपात' और 'लोक सुरक्षा' के दो आधारों पर इंटरनेट शटडाउन का आदेश दिया जा सकता है। इन दोनों को **भारतीय तार अधिनियम, 1885 या वर्ष 2017 के नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है।**
    - इंटरनेट शटडाउन की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए मापदंडों का अभाव है। इस कारण, जिला स्तर के अधिकारी द्वारा व्यक्तिपरक मूल्यांकन के आधार पर शटडाउन का आदेश दिया जाता है।
- **अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करना:** नियमित पुलिसिंग और यहां तक कि प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए भी शटडाउन का सहारा लिया जाता है। उदाहरण के लिए परीक्षा में नकल को रोकना और स्थानीय अपराध को कम करना।
- **इंटरनेट शटडाउन का कोई रिकॉर्ड नहीं:** गृह मंत्रालय या दूरसंचार विभाग के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितने राज्यों ने कारण बताते हुए या अन्य विवरणों सहित इंटरनेट निलंबन आदेश जारी किए हैं।
- **धारा 144 के तहत इंटरनेट शटडाउन:** 2017 के नियमों के तहत शटडाउन के आदेश के विपरीत, राज्य **दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144** के अधीन शटडाउन का आदेश दे रहे हैं। इसे उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक बताया था।
- **इंटरनेट शटडाउन के कारण उच्च मौद्रिक हानि:** सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) के अनुसार, जहां शटडाउन लगाया जाता है या इंटरनेट सेवा को बाधित किया जाता है, उस प्रत्येक सर्किल क्षेत्र में दूरसंचार ऑपरेटरों को प्रति घंटे 2.45 करोड़ रुपये का नुकसान होता है।

इंटरनेट शटडाउन और इंटरनेट शटडाउन से संबंधित नियमों के बारे में

- **इंटरनेट शटडाउन** के तहत डिजिटल संचार को सोद्देश्य प्रतिबंधित किया जाता है। इसके अंतर्गत इंटरनेट सेवा तक पहुंच को सीमित या पूर्णतः बाधित कर दिया जाता है।
    - शटडाउन **राष्ट्रीय स्तर पर** हो सकता है या इसे किसी **किसी निश्चित क्षेत्र में लगाया जा सकता है।**
    - सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (SFLC) के अनुसार **वर्ष 2012 से अब तक भारत में कुल 550 इंटरनेट शटडाउन** हो चुके हैं।
- **इंटरनेट शटडाउन होने के कारण**
    - कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करना।
    - शांति स्थापित करना तथा राज्य की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना।
    - फेक न्यूज के प्रसार को रोकना और प्रशासनिक सुविधा के लिए उपयोग करना।
- **इंटरनेट शटडाउन के लिए नियम/कानूनी प्रावधान**
    - **दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017**

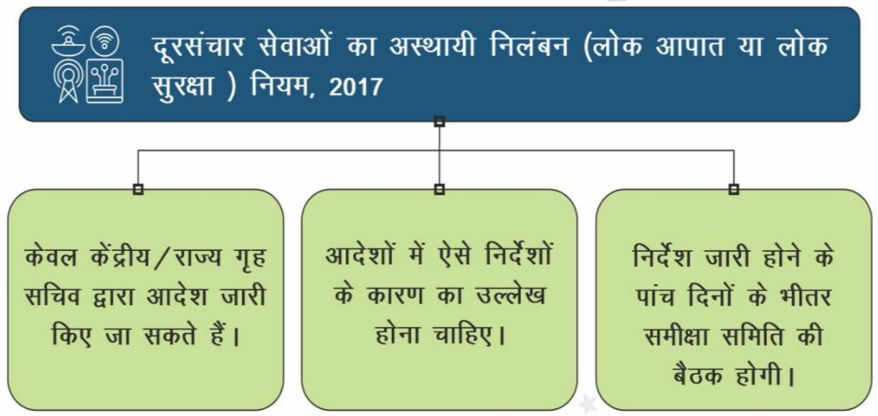

        - वर्तमान में, दूरसंचार सेवाओं का निलंबन (इंटरनेट शटडाउन सहित) वर्ष 2017 के नियमों द्वारा शासित है। ये नियम **भारतीय तार अधिनियम, 1885** के तहत अधिसूचित हैं।
        - वर्ष 2017 के नियम लोक आपात के आधार पर किसी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी रूप से शटडाउन का प्रावधान करते हैं (एक बार में 15 दिन तक)।
        - **भारतीय तार अधिनियम, 1885 केंद्र सरकार को कई प्रकार की दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने का अधिकार देता है।** इनमें इंटरनेट सेवाएं और उनके लिए लाइसेंस प्रदान करना भी शामिल हैं।
    - **उच्चतम न्यायालय (SC) के वर्ष 2020 के निर्णय के अनुसार**
        - SC ने दूरसंचार सेवाओं के निलंबन के सभी आदेशों को प्रकाशित करने का निर्देश दिया है, ताकि प्रभावित व्यक्ति इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकें।
        - वर्ष 2017 के नियमों के तहत इंटरनेट सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने की अनुमति नहीं है।
        - इंटरनेट शटडाउन से संबंधित **आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन** है।
    - उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के मद्देनजर, वर्ष 2020 में वर्ष 2017 के नियमों में संशोधन किया गया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन नियमों के तहत जारी किया गया **कोई भी निलंबन आदेश पंद्रह दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं** रहेगा। इस प्रकार के सभी आदेशों को प्रकाशित किए जाने की आवश्यकता है।

वर्ष 2017 से पहले **दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144** के तहत इंटरनेट शटडाउन का आदेश दिया जाता था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है।

इंटरनेट शटडाउन का प्रतिकूल प्रभाव

- **व्यवसायों और सेवा वितरण पर प्रभाव**
    - भारत में 1.5 करोड़ से अधिक व्हाट्सएप बिजनेस उपयोगकर्ता हैं। इनमें से अधिकतर छोटे और मध्यम व्यवसाय हैं। वे एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस[67] जैसे भुगतान के डिजिटल तरीकों पर निर्भर हैं।
    - यूनाइटेड किंगडम स्थित गोपनीयता और सुरक्षा अनुसंधान फर्म टॉप 10 वी.पी.एन. की रिपोर्ट के अनुसार, भारत को **वर्ष 2020 में इंटरनेट बंद होने से 2.8 बिलियन डॉलर** का नुकसान हुआ था। यह विश्व अर्थव्यवस्था को हुए 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल नुकसान का लगभग **70%** है।
- **डिजिटलीकरण के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों पर प्रभाव:** लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट शटडाउन का शिक्षा पर अधिक प्रभाव पड़ा है। इस समय बहुत से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के लिए ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। इसलिए एक इंटरनेट ब्लैकआउट सीखने के अवसरों को बाधित करता है।

---

[67] Unified Payments Interface: UPI

- **नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन:**
    - वर्ष 2020 में लगभग 42% शटडाउन ने मानवाधिकारों को सीधे तौर पर बाधित किया। उदाहरण के लिए चुनावों में हस्तक्षेप हुआ तथा सभा करने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता बाधित हुई।
    - जम्मू-कश्मीर में थोपे गए शटडाउन से यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन किया जा रहा है

समिति द्वारा की गई सिफारिशें

- **दूरसंचार सेवा के निलंबन का विनियमन**
    - इंटरनेट शटडाउन के सभी पहलुओं को संबोधित करने के लिए **नियमों की समीक्षा** करना।
    - जनता को अधिक असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए बदलती प्रौद्योगिकी के अनुसार नियमों को लागू करना।
    - इंटरनेट शटडाउन का आदेश देते समय राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए समान दिशा-निर्देश जारी करना।
- **दूरसंचार सेवाओं के निलंबन के लिए आधार:**
    - लोक आपात और लोक सुरक्षा को आधार मानने वाले मापदंडों को संहिताबद्ध करना।
    - इंटरनेट शटडाउन लगाने की स्थितियों को तय करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना।
    - देश में सभी इंटरनेट शटडाउन आदेशों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाकर रखना।
- **अन्य सिफारिशें**
    - यह सुनिश्चित किया जाए कि इंटरनेट शटडाउन का यथासंभव दुर्लभ ही उपयोग किया जाए।
    - दूरसंचार विभाग/गृह मंत्रालय द्वारा शटडाउन उठाने करने के लिए आनुपातिकता और प्रक्रिया के स्पष्ट सिद्धांत को निर्धारित किया जाना चाहिए, ताकि स्थिति नियंत्रण में आने पर भी इन्हें अनिश्चित काल तक नहीं बढ़ाया जा सके।
    - दूरसंचार विभाग को संपूर्ण रूप से इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने की बजाय चुनिंदा सेवाओं जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि पर प्रतिबंध लगाने के विकल्पों पर विचार करना चाहिए।

4.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News In Shorts)

4.4.1. विस्तारित रेंज पिनाका रॉकेट प्रणाली {Pinaka Extended Range (Pinaka-ER)}

- हाल ही में, **पिनाका-ER मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम (MRLS)** का पोखरण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।
- नई पिनाका ER **इसे लगभग 70 कि.मी. तक की मारक क्षमता प्रदान करती है।** यह मिसाइल की 45 किमी की मौजूदा रेंज से अधिक है।
    - **पिनाका 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकती है।**
    - इसे पुणे स्थित **DRDO-आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान प्रयोगशाला** तथा **उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला** द्वारा डिजाइन किया गया है।
- इसके अलावा, **एरिया डिनायल म्यूनिशंस (ADM) और स्वदेशी रूप से विकसित फ्यूज** के भी सफल परीक्षण किए गए हैं।

4.4.2. स्टैंड-ऑफ एंटी टैंक मिसाइल {Stand-Off Anti-Tank (SANT) Missile}

- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) तथा भारतीय वायु सेना (IAF) ने पोखरण रेंज में **देश में विकसित एवं हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली टैंक विध्वंसक SANT मिसाइल का सफल परीक्षण किया।**
- SANT मिसाइल एक **अत्याधुनिक मिलीमीटर वेव (MMW) तकनीक से लैस है। यह तकनीक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए उच्च परिशुद्धता के साथ हमला करने की क्षमता प्रदान करती है।**
    - **यह 10 किलोमीटर तक की सीमा में लक्ष्य को नष्ट कर सकती है।** इसका सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में वृद्धि करेगा।
    - भारतीय वायु सेना की मारक क्षमता और अधिक मजबूत बनाते हुए लंबी दूरी के बम तथा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन (SAAW) के बाद हाल के दिनों में परीक्षण किए जाने वाले स्वदेशी स्टैंड-ऑफ हथियारों की श्रृंखला में यह तीसरी मिसाइल है।

4.4.3. सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपीडो (Supersonic Missile Assisted Torpedo: SMART)

- हाल ही में, **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)** ने ओडिशा के व्हीलर द्वीप से **लंबी दूरी के सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपीडो** (SMART) का सफल परीक्षण किया।
- SMART प्रणाली अगली पीढ़ी की **मिसाइल आधारित स्टैंड ऑफ टॉरपीडो डिलीवरी प्रणाली है।**
- इसे टारपीडो की पारंपरिक दूरी से कहीं अधिक **दूरी तक पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए** डिज़ाइन किया गया है।

4.4.4. अग्नि प्राइम (Agni Prime)

- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने बालासोर में ओडिशा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से **नई पीढ़ी की परमाणु-सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि प्राइम'** का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
- यह **अग्नि श्रृंखला की छठी मिसाइल** है। इसकी **मारक क्षमता 1,000-2,000 किलोमीटर** है, जो संपूर्ण पाकिस्तान में महत्वपूर्ण लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। इसका **भार अग्नि 3 मिसाइल से 50% कम है** और इसे **रेल या सड़क** से लॉन्च किया जा सकता है। इसे **लंबी अवधि के लिए भंडारित किया जा सकता है और इसमें आसान परिवहन क्षमता भी विद्यमान है।**

4.4.5. नियंत्रित हवाई वितरण प्रणाली-500 {Controlled Aerial Delivery System-500 (CADS-500)}

- आगरा में **रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)** के हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (ADRDE) ने अपनी नियंत्रित हवाई वितरण प्रणाली (CADS-500) की उड़ान का प्रदर्शन किया।
- CADS-500 का उपयोग रैम एयर पैराशूट (RAP) की **पैंतरेबाजी क्षमताओं का उपयोग करके पूर्व निर्धारित स्थान पर 500 किलोग्राम तक के पेलोड की सटीक डिलीवरी के लिए** किया जा सकता है।
- यह अपनी ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इकाई के साथ, ऑपरेटिंग नियंत्रण प्रणाली द्वारा निर्धारित लक्ष्य स्थल की ओर वेपॉइंट नेविगेशन का उपयोग करके अपने उड़ान पथ को स्वायत्त रूप से संचालित करती है।

4.4.6. वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल {Vertical Launch Short Range Surface To Air Missile (VL-SRSAM)}

- भारत ने ओडिशा के तट पर चांदीपुर से **दूसरी बार इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।**
  - ये प्रक्षेपण, ऊर्ध्व प्रमोचन क्षमता के प्रदर्शन के लिए किए गए थे।
- इसका उद्देश्य **सी-स्किमिंग (sea-skimming) लक्ष्यों सहित निकट परास में विभिन्न हवाई खतरों को निष्प्रभावी करना है।**
  - सी-स्किमिंग लक्ष्य वे साधन हैं, **जो युद्धपोतों पर लगे रडार से बचने के लिए समुद्र की सतह के अधिकाधिक समीप उड़ते हैं।**
- इसे **भारतीय नौसेना** के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है।

4.4.7. प्रलय मिसाइल (Pralay Missile)

- **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा 'प्रलय' मिसाइल** का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।
- **'प्रलय' मिसाइल के बारे में**
  - यह स्वदेशी रूप से विकसित **सतह से सतह पर मार** करने वाली मिसाइल है।
  - 10 मीटर से कम की सटीकता के साथ इसकी मारक क्षमता 150-500 किलोमीटर है।
  - इसमें एक मार्गदर्शन प्रणाली है, जिसमें अत्याधुनिक नेविगेशन और एकीकृत एवियोनिक्स शामिल हैं।

4.4.8. आर्मी सिक्योर इंडीजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन (Army Secure Indigeneous Messaging Application: Asigma)

- इसे **भारतीय थल सेना** द्वारा लॉन्च किया गया है।
- यह सेना के रियल टाइम डेटा ट्रांसफर और मैसेजिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक **इन-हाउस मैसेजिंग सेवा** है।
  - इसे **आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क (AWAN) मैसेजिंग एप्लीकेशन के प्रतिस्थापन के तौर पर** सेना के इंटरनल नेटवर्क पर प्रयोग किया जा रहा है।
- इसमें **बहु-स्तरीय सुरक्षा, संदेश प्राथमिकता और ट्रैकिंग, डायनेमिक ग्लोबल एड्रेस बुक और सेना की आवश्यकताओं को पूरा** करने के लिए विभिन्न विकल्पों सहित कई समकालीन विशेषताएं शामिल हैं।

"You are as strong as your Foundation"
FOUNDATION COURSE
GENERAL STUDIES
PRELIMS CUM MAINS 2023
Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination
Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of GS Mains, GS Prelims & Essay
Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal student platform
Includes All India GS Mains, GS Prelims, CSAT & Essay Test Series
Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2022
Live - online / Offline Classes
ONLINE Students
NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts and subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions and convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail.
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
DELHI: 1 MAR, 9 AM | 9 MAR, 1 PM
11 JAN, 5 PM | 21 DEC, 9 AM
LUCKNOW: 9th Feb | JAIPUR: 15th Dec | PUNE: 31st Jan
HYDERABAD: 15th Dec | CHANDIGARH: 15th Feb
Emphasis on conceptual clarity to train the aspirants for developing an understanding to solve ethics case study from basic to advance level
Case studies covers all the exclusive topics from contemporary and current issues as well as previous Year UPSC Paper Case studies
To discuss on Various techniques on writing soring answers.
One to one mentoring session
ETHICS
Case Studies Classes
ADMISSION OPEN
Focus on contemporary issues and interlinking case studies with topics of current interest.
Regular Doubts clearing session and personal guidance for the ethics paper throughout your preparation
Daily Class assignment and discussion
Comprehensive & updated ethics material

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. जैव विविधता (संशोधन) विधेयक {Biological Diversity (Amendment) Bill), 2021}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021[68] को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति[69] के पास भेज दिया गया।

पृष्ठभूमि - जैव विविधता अधिनियम, 2002 के बारे में

- यह अधिनियम जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों का संधारणीय उपयोग करने और जैव संसाधनों तथा संबंधित ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और समान साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था।
- **लक्ष्य: "जैव विविधता अभिसमय"**[70] तथा **"पहुंच और लाभ साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल"** के तहत भारत के दायित्वों को पूरा करना।
- यह जैव विविधता अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए एक विकेन्द्रीकृत **त्रिस्तरीय व्यवस्था** प्रदान करता है (इन्फोग्राफिक देखें)।

जैव विविधता प्रबंधन समितियां[71] **लोक जैव विविधता रजिस्टर**[72] **तैयार करने के लिए उत्तरदायी** हैं। इसमें संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध पारंपरिक ज्ञान के विवरण सहित सभी वनस्पतियों और जीवों का रिकॉर्ड होता है।

जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 में प्रस्तावित संशोधनों में शामिल हैं:

- **छूट का विस्तार:** इसके तहत निम्नलिखित को निश्चित उद्देश्यों के लिए **जैविक संसाधन तक पहुँच प्रदान करने हेतु** राज्य जैव विविधता बोर्ड[73] को पहले से सूचित करने से छूट दी गई है:
    - पंजीकृत आयुष चिकित्सा पेशेवरों को;
    - संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान का उपयोग,

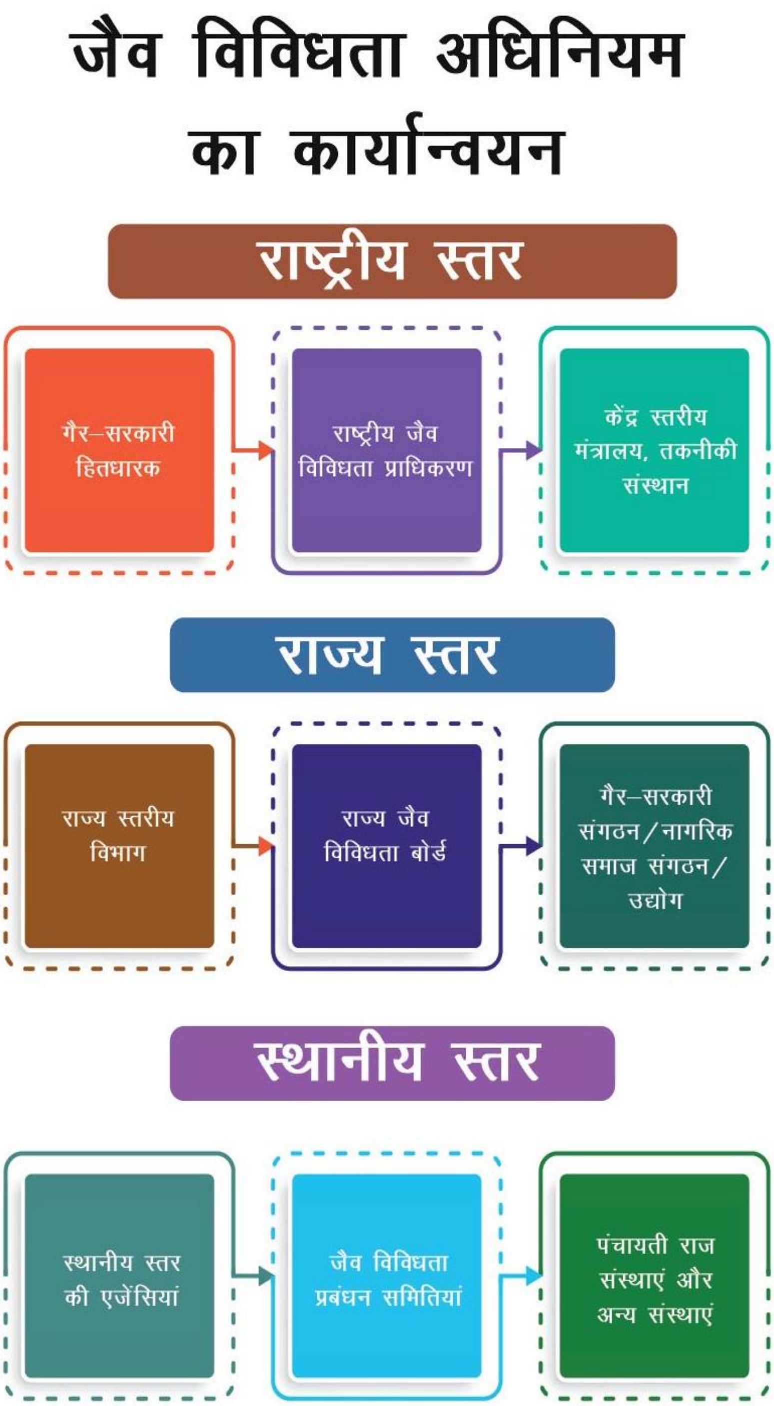

---

68 The Biological Diversity (Amendment) Bill, 2021

69 Joint Parliamentary Committee: JPC

70 Convention on Biological Diversity: CBD

71 Biodiversity Management Committees: BMC

72 People's Biodiversity Registers: PBR

73 State Biodiversity Board: SBB

औषधीय पौधों की खेती और इसके उत्पादों को तैयार करने वाले स्थानीय लोगों को;

  - आहार और आजीविका के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति सहित स्वदेशी चिकित्सा का अभ्यास करने वाले लोगों को।

- **जैव संसाधनों और बौद्धिक संपदा अधिकारों तक पहुंच का सरलीकरण:**
  - अब निर्धारित निकायों को जैव संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए **राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण**[74] से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले ऐसे निकायों में भारत में किसी भी गैर-भारतीय शेयरधारिता या प्रबंधन वाले पंजीकृत संगठन भी शामिल थे। इसमें परिवर्तन कर इसे भारत में पंजीकृत किसी विदेशी नियंत्रण वाली कंपनी को शामिल कर दिया गया है।
  - आवेदक अब IPR[75] हासिल करने से पहले (न कि IPR के लिए आवेदन करने से पहले) NBA की स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं।
  - कोई भी जिसे जैव संसाधनों को प्राप्त करने के लिए NBA से मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, उसे **संबंधित SBB को पूर्व सूचना देनी होगी।** इसके अलावा, उन्हें IPR हासिल करने से पहले NBA के साथ पंजीकृत होना होगा। साथ ही, उन्हें हासिल IPR का वाणिज्यिक उपयोग करने से पहले **NBA की पूर्व स्वीकृति** प्राप्त करनी होगी।

- **कुछ अपराधों की प्रकृति में कटौती:** इस अधिनियम के तहत अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाने वाले प्रावधान को हटा दिया गया है। हालांकि, अब 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- **BMC से संबंधित प्रावधान:** राज्य सरकार, जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMC) की संरचना निर्धारित करेगी। इसमें सात से ग्यारह सदस्य हो सकते हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारें मध्यवर्ती या जिला पंचायत स्तर पर भी BMCs का गठन कर सकती हैं।
- **राज्य संकटापन्न (थ्रेटंड) प्रजातियों की घोषणा कर सकते हैं:** केंद्र सरकार, राज्य सरकार को ऐसी किसी भी प्रजाति/प्रजातियों को संकटापन्न के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार दे सकती है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं।
  - हालांकि, किसी भी संकटापन्न प्रजाति को अधिसूचित करने से पहले, राज्य सरकार को NBA से परामर्श करना होगा।
- **NBA का विस्तार:** राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में 11 अतिरिक्त सदस्य शामिल किए जाएंगे, जिनमें शामिल हैं:
  - 6 पदेन सदस्य, जो वन्य जीव, वानिकी अनुसंधान और पंचायती राज से संबंधित होंगे;
  - **4 प्रतिनिधि SBBs** से (चक्रानुक्रम आधार पर) लिए जाएंगे; और
  - **1 सदस्य-सचिव** (जो जैव विविधता संरक्षण से संबंधित मामलों का अनुभव रखता हो)। **सदस्य-सचिव NBA का मुख्य समन्वय अधिकारी होगा।**
- **परिभाषाओं में परिवर्तन:** उदाहरण के लिए, **'जैव-उपयोग (bio-utilisation)'** शब्द को हटा दिया गया है, और **'जैव सर्वेक्षण (bio-survey)'** को फिर से परिभाषित किया गया है।

---

[74] National Biodiversity Authority: NBA

[75] बौद्धिक संपदा अधिकार या Intellectual Property Rights

पहुँच और लाभ-साझाकरण (access and benefit-sharing) क्या है?

जब कोई भारतीय या विदेशी कंपनी या व्यक्ति जैव संसाधनों जैसे कि औषधीय पौधों और उनसे संबंधित ज्ञान तक पहुँच प्राप्त करना चाहती/चाहता है, तो उसे राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होता है। इसके बाद बोर्ड द्वारा लाभ-साझाकरण शुल्क या रॉयल्टी या शर्तों को लगाया सकता है ताकि कंपनी इन संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग से होने वाले मौद्रिक लाभ को उन स्थानीय लोगों के साथ साझा करे जो उस क्षेत्र में जैव विविधता का संरक्षण कर रहे हैं।

एक प्रासंगिक घटना: लाभ-साझाकरण प्रावधानों में रियायत की मांग करने वाली आयुष कंपनियां

- उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड (UBB) द्वारा वर्ष 2016 में दिव्य फार्मेसी को एक नोटिस भेजा गया था। इसमें कहा गया था कि कंपनी द्वारा UBB को सूचित किए बिना ही अपने आयुर्वेदिक फॉर्मूलेशन के लिए राज्य से जैव संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, जो कि जैव विविधता अधिनियम का उल्लंघन है। इसलिए कंपनी "पहुंच और लाभ-साझाकरण शुल्क" का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।
- उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड के नोटिस को चुनौती देते हुए, कंपनी ने भारतीय कंपनियों से लाभ-साझाकरण को निर्धारित करने संबंधी जैव विविधता बोर्ड की शक्तियों को चुनौती देते हुए दिसंबर 2016 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की।
- न्यायालय द्वारा वर्ष 2018 में अपने निर्णय में पहुंच और लाभ-साझाकरण शुल्क संबंधी जैव विविधता बोर्ड की शक्तियों को बरकरार रखा गया।

प्रस्तावित संशोधनों से जुड़ी चिंताएं

- **बड़ी कंपनियों को पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने या लाभों को साझा करने की अनिवार्यता से बचने का विकल्प:**
    - अधिकांश आयुष कंपनियां, अभ्यास करने वाले आयुष चिकित्सकों के नाम से पंजीकृत हैं। इसलिए आयुष चिकित्सकों को छूट मिलने से उनकी कंपनियों को भी छूट मिल सकती है।
    - यह प्रमाणित करना कठिन है कि कंपनियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल वन क्षेत्रों से आया है या कृषि भूमि से।
    - भारत में पंजीकृत लेकिन विदेशी प्रबंधन वाली कंपनी को किसी जैव संसाधन का उपयोग करने और उससे उत्पाद को विकसित करने के लिए NBA से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए NBA के हस्तक्षेप के बिना उत्पाद की बिक्री से होने वाला कोई भी मौद्रिक लाभ स्थानीय समुदायों को प्राप्त नहीं हो पाएगा।
- **परिभाषाओं में परिवर्तन से जुड़े मुद्दे:**
    - **बायो-पायरेसी संबंधी खतरा:** जैव-उपयोग (Bio-utilisation) शब्द को हटाने के कारण मुख्य रूप से अभिलक्षण (characterisation), वर्णन (inventorisation) और जैव-आमापन (bioassay) जैसे व्यावसायिक हितों के लिए उपयोग की जाने वाली गतिविधियों का पता लगाना कठिन हो सकता है।

- **"जैव संसाधन या ज्ञान" के स्थान पर मात्र "अनुसंधान के परिणाम" के उपयोग** से लोगों द्वारा कई खामियों का फायदा उठाया जा सकता है। इसके तहत एक बार NBA से स्वीकृति प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति बिना किसी प्रतिबंध के या NBA की जानकारी के बिना किसी तीसरे पक्ष को जैव संसाधन या ज्ञान को हस्तांतरित कर सकता है।
- **जैव सर्वेक्षणों के विनियमन के बारे में अनिश्चितता:** शोधकर्ता द्वारा किसी संसाधन जैसे कि पादप या कीट के भौतिक, रासायनिक और अन्य विशेषताओं या किसी पदार्थ की क्षमता (जैव पदार्थ पर इसके प्रभाव को मापकर) को समझने के लिए अध्ययन और परीक्षण किया जाता है। इस विषय को विधेयक से हटा दिया गया है। इससे जैव सर्वेक्षणों के बारे में अनिश्चितता पैदा हो गई है कि इसे कैसे विनियमित किया जाएगा।

- NBA के अध्यक्ष का पद पहले से ही मौजूद है, ऐसे में NBA **में 'सदस्य सचिव' पद के प्रावधान से शक्ति के दो केंद्र बन सकते हैं।**

आगे की राह

स्थानीय समुदायों के हितों की रक्षा करने और उनके साथ लाभ को साझा करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। साथ ही, कानून का मुख्य विषय भारत की समृद्ध जैव विविधता और संबंधित ज्ञान का संरक्षण होना चाहिए। इसके अलावा, केंद्रीय और राज्य बोर्डों एवं स्थानीय समितियों की त्रिस्तरीय संरचना के माध्यम से जैव विविधता तथा स्थानीय उत्पादकों के हितों की भी रक्षा की जानी चाहिए।

5.2. वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 {Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2021}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** में संशोधन के लिए लोक सभा में एक विधेयक पेश किया गया।

पृष्ठभूमि - वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972[76] के बारे में

- यह अधिनियम देश की पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वन्य जीवों, पक्षियों और पादपों के संरक्षण का प्रावधान करता है।
- इसके तहत चार श्रेणियों, यथा- राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, सामुदायिक रिजर्व और संरक्षित रिजर्व[77] के रूप में संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा करने का अधिकार है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित निकायों की स्थापना की गई है:
  - **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड**
  - **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण**
  - **केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण**
- इस अधिनियम में **विशेष रूप से संरक्षित पादपों (एक अनुसूची), विशेष रूप से संरक्षित जीवों या प्राणिजात (चार अनुसूचियां) और पीड़क (वर्मिन) प्रजातियों (एक अनुसूची) के लिए कुल 6 अनुसूचियां** बनाई गई हैं। इस प्रकार पादपों और जीवों या प्राणिजात के अलग-अलग समूहों को अलग-अलग तरीके से संरक्षण प्रदान किया गया है।
  - **पीड़क (vermin) प्रजाति:** इसका आशय बीमारियों को फैलाने वाले या फसलों या पशुओं को क्षति पहुँचाने वाले जीवों की प्रजाति से है।

वर्तमान संशोधन के पीछे तर्क

- **अनुसूचियों को स्पष्टता प्रदान कर उन्हें युक्तिसंगत बनाना:** अनुसूचियों के वर्तमान वर्गीकरण के कारण अस्पष्टता उत्पन्न होती है और लोगों को इसे समझने में भी कठिनाई होती है। यह स्थिति इसलिए है क्योंकि WPA के तहत चार अनुसूचियों में सूचीबद्ध जीवों के लिए दो स्तर पर संरक्षण प्रदान किया गया है:
  - **अनुसूची I और अनुसूची II के भाग II में सूचीबद्ध प्रजातियां,** जिन्हें उच्च स्तर का संरक्षण प्रदान किया गया है।
  - **अनुसूची II, अनुसूची III और अनुसूची IV के भाग I में सूचीबद्ध प्रजातियां,** जिन्हें निम्नतर स्तर का संरक्षण प्रदान किया गया है।
- **साइट्स** (वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय)[78] के **प्रावधानों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए,** क्योंकि भारत इसका एक पक्षकार देश है।
- आक्रामक विदेशज प्रजातियों[79] पर नियंत्रण को सक्षम बनाने के लिए।
- **निम्नलिखित के संबंध में कुछ प्रावधानों को जोड़ा गया है:**
  - संरक्षित क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन के लिए।

---

[76] Wild Life (Protection) Act, 1972 (WPA)

[77] National Parks, Wildlife Sanctuaries, Community Reserves and Conservation Reserves

[78] Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

[79] invasive alien species

- जब्त किए गए जीवित जीवों की बेहतर देखभाल के लिए।
    - जब्त किए गए वन्य जीव के अंगों और उत्पादों का निपटान करने के लिए।
- **इस अधिनियम को बेहतर रूप से लागू करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाने के लिए।**

वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 के माध्यम से प्रस्तावित संशोधन

- **अनुसूचियों का युक्तिकरण (Rationalisation of the Schedules):** इस विधेयक में अनुसूचियों की कुल संख्या को **6 से घटाकर 4** करने का प्रस्ताव किया गया है:
    - **विशेष रूप से संरक्षित जीवों (एनिमल्स)** के लिए अनुसूचियों की संख्या को घटाकर **2** कर दिया गया है (इनमें से **अनुसूची 1** में प्रजातियों को उच्चतम स्तर का संरक्षण प्रदान किया गया है),
    - **पीड़क प्रजातियों** के लिए अलग से बनाई गई अनुसूची को हटा दिया गया है, और
    - साइट्स के तहत **परिशिष्टों (Appendices) में सूचीबद्ध** अनुसूचित प्रजातियों के लिए **एक नयी अनुसूची** जोड़ी गयी है।

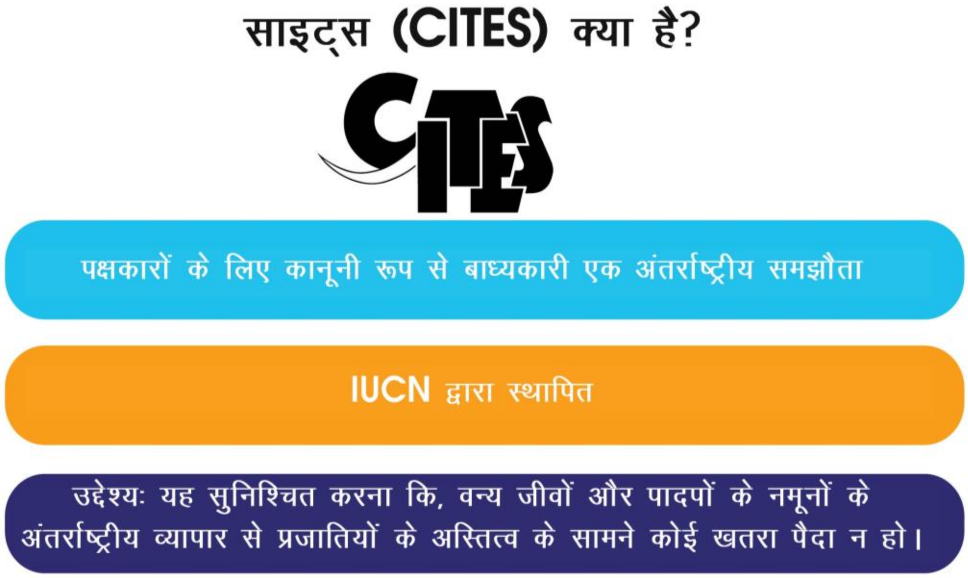

- इसके तहत **केंद्र सरकार अब अधिसूचना जारी कर** किसी भी क्षेत्र और निर्धारित अवधि के लिए **वन्य जीवों को पीड़क (vermin) प्रजातियों के रूप में घोषित कर सकती है।**
- **आक्रामक विदेशज प्रजातियों पर नियंत्रण:** यह संशोधन केंद्र सरकार को आक्रामक विदेशी प्रजातियों के आयात, व्यापार, स्वामित्व या प्रसार को विनियमित या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। इसके लिए केंद्र सरकार किसी अधिकारी को आक्रामक प्रजातियों को कब्जे में लेने और उसका निपटान करने के लिए अधिकृत कर सकती है।
    - **आक्रामक विदेशज प्रजातियां:** ऐसे प्राणिजात या वनस्पतिजात जो भारतीय मूल के नहीं होते हैं और जिनके वन क्षेत्र या अन्य इलाकों में प्रवेश से वन्य जीवन या इसके पर्यावास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- **साइट्स के कार्यान्वयन के लिए एक नया अध्याय 5ख (VB)** जोड़ा गया है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं:
    - **प्राधिकारियों का पदनाम:** केंद्र सरकार निम्नलिखित को नामित करेगी:
        - **प्रबंधन प्राधिकारी (Management Authority):** यह अनुसूचित प्रजातियों के व्यापार के लिए निर्यात या आयात का परमिट देगा।
        - **वैज्ञानिक प्राधिकारी (Scientific Authority):** यह उन प्रजातियों के जीवन को प्रभावित करने वाले पहलुओं पर सलाह देगा, जिनका निर्यात किया जा रहा है।
    - **पहचान चिन्ह (Identification mark):** साइट्स के अनुसार, प्रबंधन प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित नमूने (specimen) के लिए पहचान चिन्ह का उपयोग किया जा सकता है। पहचान चिन्ह में परिवर्तन करना या इसे हटाना प्रतिबंधित है।

- **पंजीकरण प्रमाण-पत्र:** अनुसूचित जीवों के जीवित नमूने को रखने वाले व्यक्ति को प्रबंधन प्राधिकारी से पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

- **अभयारण्यों का नियंत्रण:** केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई प्रबंधन योजना के अनुसार **मुख्य वन्य जीव संरक्षक**[80] द्वारा सभी अभयारण्यों का नियंत्रण, प्रबंधन और रखरखाव किया जायेगा।
  - **अनुसूचित क्षेत्रों या अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006** के तहत आने वाले क्षेत्रों के अभयारण्यों के मामले में संबंधित **ग्राम सभा** के साथ उचित परामर्श के साथ प्रबंधन योजना को तैयार किया जायेगा।
- **कैद जीवों को सौंपने (Surrender of captive animals) के लिए एक नई धारा 42A:** इसके तहत कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी बंदी जीव या जीव के उत्पादों को मुख्य वन्य जीव संरक्षक को सौंप सकता है।
  - ऐसी किसी भी बंदी जीव या उसके उत्पादों को मुख्य वन्य जीव संरक्षक को सौंपने वाले व्यक्ति को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा और इन जीवों व उत्पादों पर राज्य सरकार का अधिकार हो जाएगा।
- **दंड:** इस विधेयक द्वारा 1972 के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया गया है।

उल्लंघन के प्रकार	1972 के अधिनियम के तहत	2021 के विधेयक के तहत
सामान्य उल्लंघन	25,000 रुपये तक	1,00,000 रुपये तक
विशेष रूप से संरक्षित प्राणियों के मामलें में	कम से कम 10,000 रुपये	कम से कम 25,000 रुपये

- **कुछ प्रतिबंधों में ढील:**
  - प्राकृतिक पर्यावास में कोई बदलाव किए बिना या पर्यावास या वन्य जीवों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किये बिना अगर कोई **फिल्म निर्माण** किया जाना है तो उसके लिए अभयारण्य में प्रवेश करने या वहाँ रहने की **अनुमति दी जा सकती है।**
  - केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार **हाथियों के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र रखने वाले व्यक्तियों द्वारा जीवित हाथियों के स्थानांतरण या परिवहन की अनुमति** होगी।
  - स्थानीय समुदायों द्वारा **अभ्यारण में पशुओं को चराना** या उन्हें लाना या ले जाना, पीने और घरेलू कार्य हेतु जल का वैध रूप से उपयोग करना, आदि **निर्धारित गतिविधियां धारा 29 के तहत प्रतिबंधित नहीं होंगी।** इसके लिए किसी भी प्रकार के परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
- **अन्य परिवर्तन:**
  - अधिनियम की प्रस्तावना में वन्य जीवों के 'संरक्षण' और 'प्रबंधन' के पहलुओं को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है।
  - **केंद्र सरकार** को राज्य सरकार द्वारा पट्टे पर दिए गए या हस्तांतरित क्षेत्रों में **संरक्षण रिज़र्व घोषित करने की अनुमति** दी गयी है।
  - **राज्य वन्यजीव बोर्ड को स्थायी समिति गठित करने की अनुमति दी गयी है।**
  - **केंद्र सरकार को सूचना मांगने** और अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी करने **हेतु सक्षम बनाया गया है।**
  - मुख्य वन्य जीव संरक्षक या अधिकृत अधिकारी को सूचित किए बिना **किसी भी अभयारण्य के दस किलोमीटर के दायरे में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के हथियार के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं** किया जाएगा।

निष्कर्ष

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन का कार्य काफी समय से लंबित था। साथ ही, यह साइट्स के प्रावधानों के कुशल कार्यान्वयन के लिए भी आवश्यक है।

5.3. विकास प्रेरित विस्थापन (Development Induced Displacement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के इतिहास में अब तक की सिंचाई परियोजनाओं में से **पोलावरम सिंचाई परियोजना के कारण** सर्वाधिक **लोगों को विस्थापित** होना पड़ेगा। इसके पूर्ण होने तक आंध्र प्रदेश में लगभग 1 लाख से अधिक परिवारों को विस्थापित होना पड़ेगा।

अन्य संबंधित तथ्य

- पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण **गोदावरी नदी** पर किया जा रहा है।
- इस परियोजना के कारण **पहले से ही जलमग्न** हो चुके क्षेत्र और आने वाले वर्षों में **जलमग्न** होने वाले क्षेत्र मुख्य रूप से **अनुसूचित क्षेत्र** (scheduled areas) हैं। इन अनुसूचित क्षेत्रों में मुख्य रूप से **जनजातीय आबादी** रहती है।

---

[80] Chief Wild Life Warden

विकास प्रेरित विस्थापन अर्थात् विकास गतिविधियों के कारण होने वाले विस्थापन के बारे में

- **अवसंरचना परियोजनाओं** के निर्माण के कारण संबंधित **भौगोलिक क्षेत्र के सभी परिवारों को किसी अन्य जगह पर पुनः बसाया** या पुनर्स्थापित किया जाता है।
- **श्रेणियाँ:** विकास प्रेरित विस्थापन को **दो श्रेणियों** (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) में विभाजित किया जा सकता है:
    - **प्रत्यक्ष विस्थापन (Direct displacement)**: इसके तहत किसी परियोजना को आरंभ करने या उसका निर्माण करने के कारण लोगों को प्रत्यक्ष रूप से विस्थापित करना पड़ता है।
    - **अप्रत्यक्ष विस्थापन (Indirect displacement) :** इसके तहत **विकास परियोजनाओं के संचालन के कारण** आस-पास के लोगों को उस क्षेत्र को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि ऐसी परियोजनाओं के संचालन हेतु आस-पास के प्राकृतिक और पर्यावरणीय संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। इस प्रकार लोग अपनी आजीविका के पारंपरिक साधनों से वंचित हो जाते हैं।
- **वैश्विक स्थिति:**
    - **प्रत्यक्ष विस्थापन:** विश्व बैंक द्वारा किए गए आकलनों के अनुसार, वर्ष 1990 से प्रत्येक वर्ष वैश्विक स्तर पर **लगभग एक करोड़** लोगों को **न चाहते हुए भी** अवसंरचना संबंधी विकास परियोजनाओं के कारण **विस्थापित होना पड़ा।** इस तरह के जबरन विस्थापन के प्रमुख कारण सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाएं हैं।
    - **अप्रत्यक्ष विस्थापन:** विश्व बैंक के अनुसार, उसके द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के कारण होने वाले विस्थापन में बड़े बंधों की हिस्सेदारी केवल 26.6 प्रतिशत है। हालांकि, कुल विस्थापन में बड़े बंधों के कारण होने वाले विस्थापन की हिस्सेदारी लगभग **62.8 प्रतिशत** है।

इस मामले में भारत की स्थिति

- भारत में पिछले 50 वर्षों के दौरान विकास परियोजनाओं के कारण लगभग 5 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं।
- भारत की कुल आबादी में केवल 8.08% जनजातीय आबादी शामिल है, लेकिन **कुल विस्थापित आबादी में इनकी हिस्सेदारी लगभग 40% से अधिक रही है।** साथ ही, **विस्थापित लोगों में 20% अनुसूचित जाति के लोग भी शामिल रहे हैं।**
- भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा किए गए 54 बड़े बाँधों के अध्ययन के अनुसार, एक बड़े बांध के कारण औसत रूप से 44,182 लोगों को विस्थापित होना पड़ता है।

विकास प्रेरित विस्थापन से संबंधित खतरे

- **भूमिहीन होने की स्थिति:** विकास परियोजनाओं के कारण लोगों को उनकी जमीन से बेदखल करने से लोग अपनी **उत्पादक और वाणिज्यिक गतिविधियों के आधार को खो देते हैं।** इसके तहत विस्थापित लोग मुख्य रूप से अपनी प्राकृतिक और मानव निर्मित संपत्ति को खो देते हैं, जिसके कारण वे आर्थिक रूप से अक्षम और निर्धन हो जाते हैं।

- **बेरोजगारी: उद्योगों, सेवाओं या कृषि क्षेत्र में कार्यरत लोगों** के लिए शहरी और ग्रामीण विस्थापन, दोनों ही स्थितियों में **मजदूरी आधारित रोजगार खोने का खतरा** बहुत अधिक होता है। पुनर्वासित लोगों को प्रायः **बेरोजगारी या अल्प-बेरोजगारी संबंधी समस्या** का लंबे समय तक सामना करना पड़ता है।
- **बेघर होना:** पुनर्वास किए जाने वाले **कई लोगों को घर न होने संबंधी समस्या का लम्बे समय तक सामना नहीं करना पड़ता** है। लेकिन कुछ के लिए, बेघर होना या **घर की सुख-सुविधाओं से संबंधित अभाव की स्थिति लंबी अवधि** तक बनी रहती है।

- **संसाधनहीन होना:** जब कोई परिवार अपनी आर्थिक आमदनी के आधार को खो देता है और लगातार आमदनी से वंचित हो जाता है, तब ऐसी स्थिति को संसाधन विहीनता की स्थिति या हाशियाकरण (marginalization) कहते हैं। ऐसी स्थिति में परिवार आर्थिक रूप से संसाधन विहीन होने के साथ-साथ प्रायः सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी पतन या गिरावट का सामना करते हैं। इसे सामाजिक स्थिति में गिरावट, अन्याय और असहाय स्थिति की भावना के रूप में देखा जा सकता है।
- **खाद्य असुरक्षा:** जबरन विस्थापन के कारण लोगों के लिए **अस्थायी या लंबी अवधि तक अल्पपोषण** का खतरा बढ़ जाता है। अल्प पोषण का आशय सामान्य शारीरिक विकास और सामान्य कार्य करने के लिए **आवश्यक न्यूनतम कैलोरी-प्रोटीन से कम कैलोरी-प्रोटीन ग्रहण करने से है।**
- **अस्वस्थता और मृत्यु दर में वृद्धि:** व्यापक पैमाने पर जनसंख्या के विस्थापन से लोगों के **स्वास्थ्य स्तर में भी गंभीर गिरावट** का खतरा पैदा हो जाता है। लोगों को विस्थापन-प्रेरित सामाजिक तनाव और मनोवैज्ञानिक आघात के साथ-साथ पुनर्वास से संबंधित बीमारियों, विशेष रूप से **परजीवी और रोगवाहक-जनित रोगों के प्रकोप** का भी सामना करना पड़ता है।
  - **असुरक्षित जल आपूर्ति** और काम-चलाऊ सीवेज प्रणाली के कारण महामारी, दस्त, जल जनित बिमारी आदि का खतरा बढ़ जाता है। इससे विस्थापित आबादी के **सबसे कमजोर समूह** जैसे कि शिशु, बच्चे और बुजुर्ग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।
- **सामाजिक ताने-बाने का टूटना:** इस प्रकार के विस्थापन से एक क्षेत्र में लम्बे समय से चला आ रहा परस्पर सहयोग करने वाला **अनौपचारिक सामाजिक ताना-बाना** टूट जाता है। इससे उत्पादकों और उनके उपभोक्ताओं के बीच **व्यापार संबंध** के साथ-साथ स्थानीय श्रम बाजार भी बाधित होता है।
- **मानवाधिकारों का उल्लंघन:** किसी व्यक्ति को उसके स्थायी निवास-स्थान से विस्थापित करना और **उसकी** संपत्ति के नुकसान का **उचित मुआवजा न देने से मानवाधिकारों का उल्लंघन** हो सकता है। साथ ही, विस्थापित आबादी को किसी अन्य आबादी के साथ बसाने से **सांप्रदायिक हिंसा का खतरा** भी बढ़ सकता है।
- मनमाने तरीके से हुए विस्थापन से **नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के उल्लंघन** का भी खतरा बना रहता है। इसके तहत मनमानी गिरफ्तारी, अपमानजनक व्यवहार या सजा, अस्थायी या स्थायी रूप से मताधिकार का निलंबन और किसी की राजनीतिक आवाज को दबाना आदि शामिल हैं।

पुनर्वास और इससे संबंधित समस्याओं को दूर करने की दिशा में किए गए प्रयास

राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति (2007) {National Rehabilitation and Resettlement Policy (2007)}

- इसने **परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास पर राष्ट्रीय नीति**[81]**, 2003** का स्थान लिया है।
- इसका मुख्य लक्ष्य विकास संबंधी गतिविधियों के लिए भूमि की आवश्यकता के साथ-साथ भू-स्वामियों और अन्य लोगों के बीच **संतुलन बनाना** तथा उनके हितों का संरक्षण करना है।
- **उद्देश्य:**
  - **विस्थापन को कम करना** और जहां तक संभव हो विस्थापन न करना या कम से कम लोगों का विस्थापन करने वाले विकल्पों को बढ़ावा देना;
  - विस्थापन से प्रभावित परिवारों की सक्रिय भागीदारी के साथ **पर्याप्त पुनर्वास पैकेज** और पुनर्वास प्रक्रिया के शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना;
  - यह सुनिश्चित करना कि **समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों का संरक्षण करने** के लिए विशेष सावधानी बरती जाए।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम[82]**, 2013**

- यह अधिनियम भूमि अधिग्रहण के एवज में **पुनर्वास और पुनर्स्थापन** का प्रावधान करता है, ताकि **किसानों की उपेक्षा न हो।** इसके तहत

---

[81] National Policy on Resettlement and Rehabilitation for Project Affected Families

[82] Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act

उन **"सार्वजनिक उद्देश्यों"** को **परिभाषित** किया गया है, जिसके लिए सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है।

- इस अधिनियम के अनुसार एक **व्यापक पुनर्वास और पुनर्स्थापन पैकेज** प्रदान किया जाता है। इस पैकेज का उद्देश्य विस्थापन के कारण अपनी आजीविका खो चुके लोगों को सहायता प्रदान करना है। इसमें भूमिहीन और बटाईदार किसानों को भी शामिल किया गया है।
- इस अधिनियम में **स्कूलों और खेल के मैदानों, स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों, सड़कों और प्रत्येक परिवार के लिए बिजली के कनेक्शन और सुरक्षित पेयजल** के निश्चित स्रोतों का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत **ग्राम सभा की भूमिका को महत्व दिया** गया है तथा सरकार के लिए **ग्राम सभा के साथ परामर्श करना** अनिवार्य कर दिया गया है।

आगे की राह

- **एक कार्य योजना विकसित करना:** सरकार को मानवाधिकारों के संबंध में राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को अपनाना चाहिए। इन योजनाओं में **विकास के कारण मनमाने विस्थापन के विरुद्ध रोकथाम और संरक्षण** प्रदान करने वाले प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिए।
- इसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए:
    - विस्थापित लोगों की समस्याओं की **पहचान** करना और **विस्थापित लोगों को** नए क्षेत्र में बसने में **सहायता करने** के लिए आवश्यक उपाय करना।
    - विस्थापित व्यक्तियों और पुनर्वास वाले क्षेत्रों में पहले से रहने वाली आबादी के बीच **संघर्ष को कम करने संबंधी** उपायों को अपनाना। इसके तहत दोनों के मध्य आपस में बातचीत करने हेतु सभाओं को आयोजित किया जा सकता है।
    - पुनर्वास योजनाओं में **विस्थापित आबादी के साथ-साथ** पुनर्वास वाले क्षेत्रों में पहले से रहने वाली आबादी की आवश्यकताओं **को भी ध्यान में रखना।** साथ ही, आरोप-प्रत्यारोप या नाराजगी की भावना को रोकने के लिए उपाय करना।
- **पुनर्वास और पुनर्स्थापन से सम्बंधित लाभों की पात्रता में महिलाओं के साथ समान व्यवहार करना:** पुनर्वास और पुनर्स्थापन से सम्बंधित लाभों की पात्रता के संबंध में महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष समानता प्रदान करनी चाहिए। **बालिग बेटी और बालिग बेटे** के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। इसी तरह, **पुनर्वास और पुनर्स्थापन संबंधी नीति** के तहत महिला मुखिया वाले परिवार को भी मान्यता देनी जानी चाहिए और उनके साथ **लाभों का समान वितरण** किया जाना चाहिए।
- संबंधित अधिकारियों द्वारा विस्थापन के दौरान **विस्थापित व्यक्तियों को उनके अधिकारों** के बारे में सार्वजनिक रूप से **जानकारी प्रदान करनी** चाहिए। अधिकारियों को अनिवार्य रूप से विस्थापित लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए उपायों के बारे में **जनता को बताना** चाहिए।
- **अन्य उपाय:**
    - विस्थापन की आवश्यकता वाली किसी भी विकास संबंधी परियोजना को प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को उचित रूप से पुनर्वासित करने के बाद आरंभ करना चाहिए।
    - प्रभावित व्यक्तियों के गारंटीकृत अधिकारों से संबंधित उल्लंघन को दर्ज करने के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली को स्थापित करना चाहिए।
    - विकास परियोजनाओं को लागू करते समय सतत विकास के सिद्धांत, प्रदूषक द्वारा भुगतान के सिद्धांत और एहतियाती उपाय के सिद्धांत को अपनाना चाहिए।

देश की आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और उसमें सुधार करने के लिए **विकास परियोजनाएं बहुत आवश्यक होती हैं।** इसलिए, विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित लोगों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से बचना चाहिए ताकि ऐसी परियोजनाएं **सभी के लिए फायदेमंद** हों।

5.4. बांध सुरक्षा अधिनियम, 2019 (Dam Safety Act, 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राज्य सभा द्वारा **बांध सुरक्षा विधेयक, 2019** पारित किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस अधिनियम में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को **बांध सुरक्षा के संबंध में एक-सामान प्रक्रियाओं को अपनाने में मदद** करने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही, यह देश में विशेष बाँधों के **सुरक्षित संचालन** को सुनिश्चित करने के लिए एक **संस्थागत तंत्र को भी स्थापित करता** है।
- यह देश के सभी बड़े बाँधों की **पर्याप्त निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान** करता है ताकि बांध की दुर्घटना / विफलता से संबंधित आपदाओं को रोका जा सके।
- इसे वर्ष 2019 में ही लोक सभा द्वारा पारित कर दिया गया था।

बाँधों के बारे में

- बांध, नदियों पर बनाए गए **कृत्रिम अवरोध** होते हैं। इनके द्वारा नदी के जल को भंडारित या संग्रहित किया जाता है। साथ ही, ये सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और जल आपूर्ति में भी सहायता करते हैं।
- भारत में निर्माणाधीन बाँधों सहित बड़े बाँधों की 5,745 है (जून 2019 तक)।
    - विश्व में सर्वाधिक बांध के मामले में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद **भारत तीसरे स्थान पर** है।
    - भारत में अधिकांश **बाँधों का निर्माण और रखरखाव राज्यों द्वारा** किया जाता है। हालांकि, कुछ बड़े बाँधों का प्रबंधन दामोदर घाटी निगम या भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड जैसे स्वायत्त निकायों द्वारा किया जाता है।
- इनमें से **75% से अधिक बड़े बांध 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं** और **लगभग 220 बांध 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं।**
- इनमें से **अधिकांश बड़े बांध महाराष्ट्र** (2,394), मध्य प्रदेश (906) और गुजरात (632) में हैं।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1917 में तिघरा बांध (मध्य प्रदेश) की विफलता से लेकर अब तक लगभग 40 बड़े बांध विफल हो चुके हैं।
    - वर्ष 1979 में **मच्छू बांध (गुजरात)** की विफलता के कारण सबसे भयानक बांध आपदा घटित हुई थी।
    - नवंबर 2021 में **अन्नामय्या बांध (आंध्र प्रदेश) की विफलता** के चलते 20 लोगों की मौत हो गई। यह बाँध के कुप्रबंधन या विफलता का सबसे हालिया मामला है।
- केंद्रीय जल आयोग[83] के तहत कार्यरत **केंद्रीय बांध सुरक्षा संगठन** द्वारा बांध मालिकों या अधिकारियों को **तकनीकी सहायता** प्रदान की जाती है। साथ ही, इसके द्वारा बाँधों के संबंध में डेटा का प्रबंधन भी किया जाता है।
- **राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति** द्वारा बांध सुरक्षा के संबंध में नीतियों और विनियमों को तैयार किया जाता है।
- **केंद्रीय जल आयोग और बांध सुरक्षा:**
    - विश्व बैंक से सहायता प्राप्त **बांध सुरक्षा आश्वासन और पुनरुद्धार परियोजना**[84] को चार राज्यों यथा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु में लागू किया गया था।
    - **बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना**[85] का उद्देश्य चयनित बाँधों की सुरक्षा में सुधार करना और बांध की सुरक्षा से संबंधित बुनियादी सुविधाएं आदि को स्थापित करना है।
- **भारत में बांध सुरक्षा के लिए उठाए गए अन्य कदम:**
    - भारत में सभी बड़े बाँधों के लिए संपत्ति और उनकी दशा से संबंधित डेटा के प्रभावी संग्रह और प्रबंधन के लिए बांध स्वास्थ्य और पुनरुद्धार निगरानी[86] सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है।
    - दक्षिण भारतीय क्षेत्र में किसी स्थान पर भूकंपीय खतरे का अनुमान लगाने के लिए **भूकंपीय जोखिम विश्लेषण सूचना प्रणाली**[87] को स्थापित किया गया है।
- वर्ष 2007 में, **आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल** ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें संसद से बांध सुरक्षा पर एक कानून बनाने का अनुरोध किया गया था।
- इसके परिणामस्वरूप, **बांध सुरक्षा विधेयक, 2010** को **अनुच्छेद 252** के तहत लोक सभा में पेश किया गया था। **अनुच्छेद 252, संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की अनुमति देता है।** बशर्ते, इसके लिए राज्यों द्वारा अपने विधान-मंडल में पारित संकल्प द्वारा संसद को अपने राज्यों के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अनुरोध किया गया हो।

---

[83] Central Water Commission: CWC

[84] Dam Safety assurance and Rehabilitation Project

[85] Dam Rehabilitation and Improvement Project: DRIP

[86] Dam Health and Rehabilitation Monitoring: DHARMA

[87] Seismic hazard analysis information system: SHAISYS

 ©Vision IAS

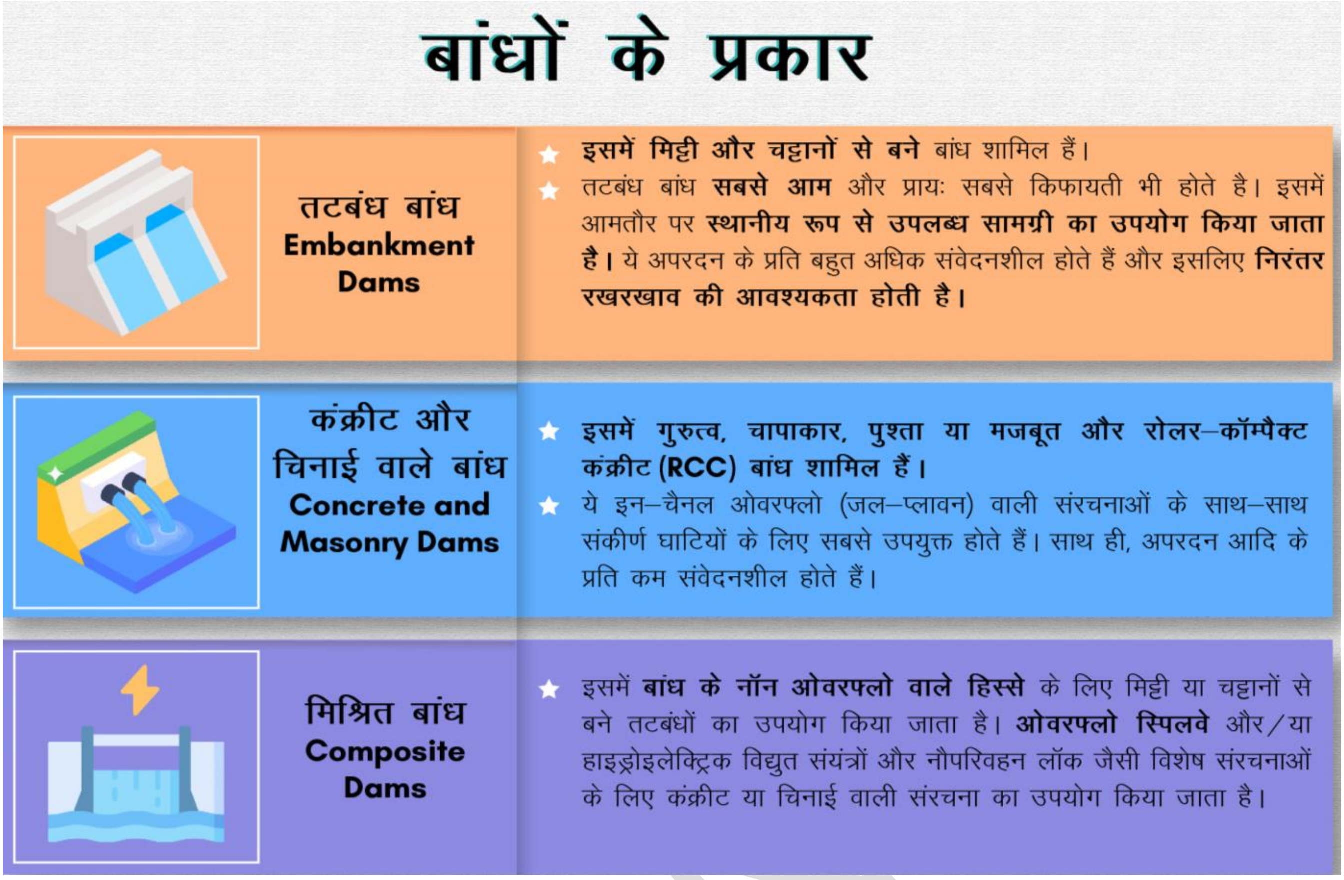

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2019 के प्रमुख बिंदु

किस प्रकार के बाँधों पर लागू	• यह अधिनियम देश में **सभी निर्धारित बाँधों (specified dams)** पर लागू होता है। इन निर्धारित बाँधों में शामिल हैं: ○ 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले बांध, या ○ 10 मीटर से 15 मीटर के मध्य की ऊंचाई वाले बांध, जो जलाशय क्षमता के संबंध में बांध के डिजाइन से संबंधित निश्चित शर्तों को पूरा करते हों।
बांध सुरक्षा प्राधिकरण	• **इसके तहत निगरानी के चार स्तर होंगे, दो केंद्रीय स्तर पर और दो राज्य स्तर पर।** ○ बांध सुरक्षा के संबंध में एक-समान नीतियों, प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं को विकसित करने में मदद के लिए **राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति**[88] का गठन किया जाएगा। ○ बांध सुरक्षा नीतियों और मानकों के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक विनियामक निकाय के रूप में **राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण**[89] **को स्थापित किया जाएगा।** ▪ NDSA द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय सभी पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा। ○ इसके तहत राज्य स्तर पर, **राज्य बांध सुरक्षा समिति** (SCDS) के गठन और **राज्य बांध सुरक्षा संगठन** (SDSO) की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ▪ SDSO द्वारा **सभी निर्धारित बाँधों के संचालन और रखरखाव की निगरानी, निरीक्षण एवं समीक्षा** की जाएगी। ▪ प्रत्येक SDSO को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी बांध की विफलता की घटना की रिपोर्ट NDSA को करनी होगी।

[88] National Committee on Dam Safety: NCDS

[89] National Dam Safety Authority: NDSA

बांध के मालिकों (Dam owners) का दायित्व	• **बांध के सुरक्षित निर्माण, संचालन, रखरखाव और पर्यवेक्षण के लिए बांध मालिक उत्तरदायी** होंगे। उनके द्वारा प्रत्येक बांध के लिए **बांध सुरक्षा इकाई (dam safety unit)** का गठन किया जाएगा।
	• **बांध मालिकों** द्वारा निम्नलिखित कार्य भी किए जाएंगे:
	  ○ आपातकालीन कार्य योजना तैयार करना,
	  ○ जोखिम मूल्यांकन का अध्ययन करना, और
	  ○ व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन तैयार करना।

अपराध और दंड का प्रावधान	• इस अधिनियम के तहत अधिकृत किसी व्यक्ति को उसके कार्यों को करने से रोकने पर या निर्देशों का पालन करने से मना करने पर एक साल की कैद हो सकती है। • जीवन की हानि के मामले में, व्यक्ति को दो साल की कैद भी हो सकती है।
अन्य	• यह **उभरती जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों के कारण बांध सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण चिंताओं** का व्यापक समाधान प्रस्तुत करता है। • इसके तहत बाँधों के नियमित निरीक्षण और खतरों के वर्गीकरण का प्रावधान भी किया गया है।

इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों?

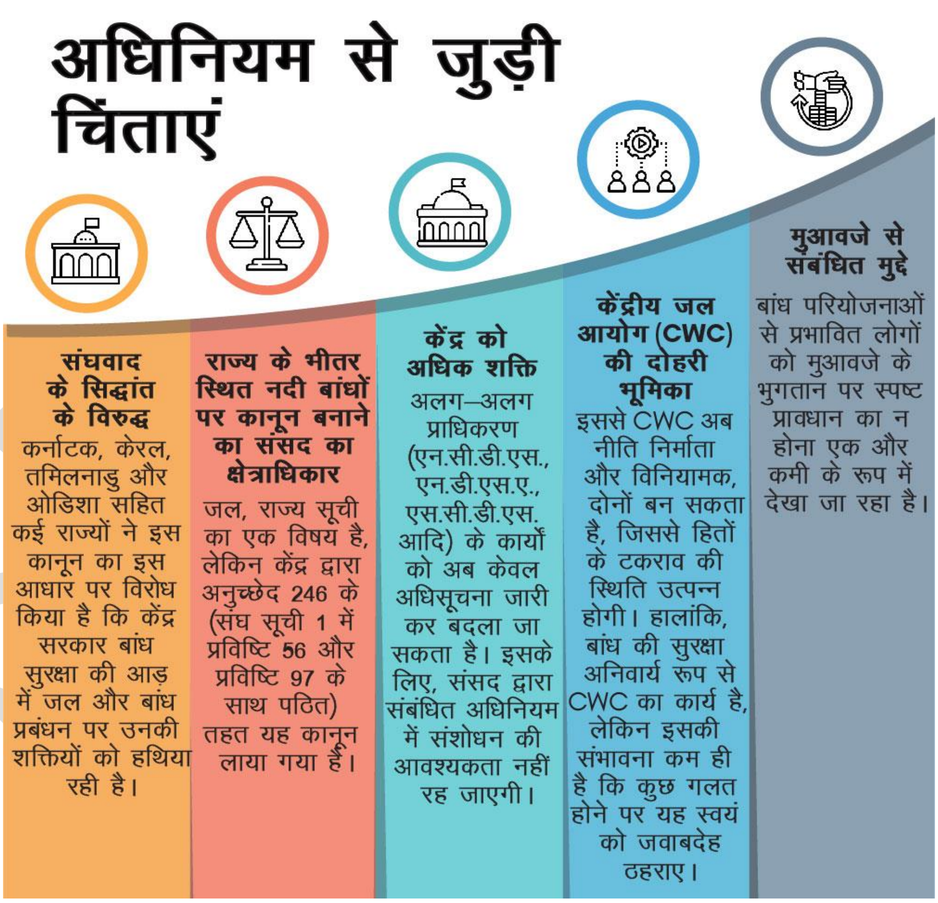

- **सुरक्षा:** एक असुरक्षित बांध मानव जीवन, वनस्पतियों और जीवों, पारिस्थितिकी तथा सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के लिए खतरा उत्पन्न करता है। इसके अलावा, बहुत अधिक पैसा खर्च कर निर्मित महत्वपूर्ण भौतिक अवसंरचना के लिए सुरक्षा संबंधी उपाय करना भी महत्वपूर्ण है।
  - बांध सुरक्षा से संबंधित उचित संस्थागत ढांचे के अभाव के कारण बाँधों की जांच, डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव में अलग-अलग स्तर की खामियां बनी हुई हैं।
- **दोहरी भूमिका में सहायक:** नदी जल का उपयोग कर सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाना और साथ ही बाढ़ एवं सूखे की अनियमितता से पीड़ित व्यापक आबादी की समस्याओं को कम करना।
- **बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना:** इन आवश्यकताओं में पीने और औद्योगिक उपयोग के लिए जल, कृषि कार्यों के लिए सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, अंतर्देशीय नौपरिवहन आदि शामिल हैं।
- **राष्ट्रीय जल सुरक्षा:** यह बढ़ती आबादी के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों के कारण भारत में जल संकट की उभरती स्थितियों के समाधान के लिए भी महत्वपूर्ण है।
- **अंतर-राज्यीय संघर्षों का समाधान:** इस अधिनियम के अनुसार, यदि एक राज्य के बांध दूसरे राज्य के क्षेत्र में आते हैं, तो NDSA द्वारा SDSO की भूमिका निभाई जाएगी। इस प्रकार अंतर-राज्य संघर्ष के लिए संभावित कारण समाप्त हो जाएंगे।
- **एक समान तंत्र:** इस अधिनियम में केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर एक संस्थागत तंत्र प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य बाँधों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य संरचनागत और गैर-संरचनागत उपायों को प्रस्तुत करना है।

* **सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना:** बांध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानसून के पहले और बाद की स्थिति की जाँच करने जैसे कई प्रोटोकॉल पहले से ही अस्तित्व में हैं। हालांकि, अभी तक ऐसे प्रोटोकॉल कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं थे, और संबंधित एजेंसियों के पास इन्हें लागू करने की कोई शक्ति भी नहीं है।

निष्कर्ष

बांध की सुरक्षा देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है। एक असुरक्षित बांध मानव जीवन, वनस्पतियों और जीवों, पारिस्थितिकी तथा सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति के लिए खतरा होता है।

इसलिए, भारत में निर्धारित मानकों के आधार पर बाँधों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए कुशल निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव हेतु कानून बनाना आवश्यक है।

हालांकि, कई राज्यों द्वारा उठाये गए मुद्दों को देखते हुए, केंद्र सरकार को राज्यों के साथ बातचीत कर उनके मुद्दों का समाधान करना चाहिए तथा राज्यों के पक्ष को भी कानून में स्थान देना चाहिए।

5.5. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (Protection Of Plant Varieties and Farmers Rights Act: PPV&FR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण[90] ने कई आधारों पर पेप्सिको इंडिया होल्डिंग को आलू के **FC-5** किस्म (जिसे **FL-2027** भी कहा जाता है) के लिए दिए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द कर दिया है। उल्लेखनीय है कि PPV&FRA का गठन **पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम**[91] के तहत किया गया है।

इस मुद्दे की पृष्ठभूमि

आलू की **FL-2027*** किस्म को **पेप्सी** द्वारा वर्ष 2009 में पेश किया गया था। पेप्सी कंपनी ने लगभग 12,000 किसानों के साथ अनुबंध कृषि व्यवस्था के माध्यम से इसे पेश किया था। समझौते के अनुसार, पेप्सिको द्वारा इन किसानों को बीज की आपूर्ति की जाती है और उनसे उपज को खरीद लिया जाता है।

***यहाँ** FL का आशय **फ्रिटो लेज़** है, जिसका उपयोग 'लेज़' ब्रांड के आलू चिप्स बनाने के लिए किया जाता है।

FL-2027 किस्म को वर्ष 2016 में भारत में **पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001** के तहत पंजीकृत किया गया था।

वर्ष 2019 में, पेप्सिको ने गुजरात में नौ किसानों (कुछ छोटे किसानों सहित) पर अवैध रूप से अपनी पंजीकृत आलू की किस्म की खेती करने और अधिनियम की धारा 64 के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा दायर किया था। साथ ही, कंपनी द्वारा मुआवजे के लिए उन पर 1 करोड़ रुपये का दावा भी किया गया।

किसानों ने केस को वापस लेने की मांग को लेकर दबाव बनाना आरम्भ कर दिया। पेप्सी कंपनी ने राज्य सरकार के साथ विचार–विमर्श के बाद केस को वापस ले लिया।

अब पेप्सी द्वारा गलत जानकारी देने, पंजीकरण के लिए योग्य नहीं होने और किसानों के अधिकारों का हनन करने के आधार पर **FL-2027** के पंजीकरण को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही, यह भी बताया गया कि कंपनी ने गलत तरीके से बीज की "पहले से ही विद्यमान" किस्म को 'नई' किस्म के रूप में प्रस्तुत किया था।

---

[90] Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority: PPV&FRA

[91] PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS RIGHTS ACT: PPV&FR

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में

- **बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं**[92] यानी **ट्रिप्स समझौते** के अनुच्छेद 27(3)(b) के तहत **वर्ष 2001 में PPV&FR अधिनियम** पारित किया गया था।
    - यह अधिनियम **पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ**[93] के नियमों के अनुरूप है। UPOV का गठन करने वाले कन्वेंशन को वर्ष 1961 में पेरिस में अपनाया गया था और इसे वर्ष 1972, 1978 और 1991 में संशोधित किया गया था। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य समाज के लाभ के लिए पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना है। साथ ही, पौधों की विविधता के संरक्षण हेतु एक प्रभावी तंत्र प्रदान करना और उसे बढ़ावा देना भी है।
- इस अधिनियम के बाद भारतीय कृषि क्षेत्र में बौद्धिक संपदा को संरक्षण प्रदान करने की शुरुआत हुई। साथ ही, यह विश्व का **एकमात्र IPR कानून है जो न केवल पौधे की किस्मों के प्रजनकों / ब्रीडरों को बल्कि उनसे जुड़े किसानों को भी बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करता है।**
- **इस अधिनियम के उद्देश्य:**
    - पौधों की नई किस्मों के विकास के लिए पौधों के आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा उनको उपलब्ध कराने में किसानों के योगदान के लिए **किसानों के अधिकारों को मान्यता देना** और उनका संरक्षण करना।
    - **देश में कृषि विकास को तीव्र करना;** पौधे की नई किस्मों के विकास के लिए सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना; पौधा प्रजनकों (plant breeder) के अधिकारों का संरक्षण करना।
    - किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और पौधा रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए देश में **बीज उद्योग के विकास को सुगम बनाना।**
- **संस्थागत तंत्र:**
    - **पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV&FRA):** इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए **कृषि और सहकारिता विभाग** द्वारा इसका गठन किया गया है। इस प्राधिकरण के सामान्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:
        - **पौधों की नई किस्मों का पंजीकरण करना,**
        - पौधों की नई किस्मों के लिए **विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता**[94] **का परीक्षण करने वाले दिशा-निर्देश विकसित करना,**
        - कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ औपचारिक संबंधों के माध्यम से **पौधों की नई किस्मों के विकास और वाणिज्यीकरण को सुगम बनाना,**
        - संरक्षण और सुधार में लगे किसानों, किसान समुदाय, विशेष रूप से आदिवासी और ग्रामीण समुदाय को **मान्यता देना और उन्हें पुरस्कृत करना,**
        - बीज सामग्री के भंडारण के लिए राष्ट्रीय **जीन बैंक का रखरखाव करना,**
        - आर्थिक रूप से लाभदायक पौधों और **पादप आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करना।**
- **पौधा किस्म संरक्षण अपीलीय अधिकरण**[95]**:** इस अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णयों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। साथ ही, अधिकरण को एक वर्ष के भीतर अपील का निपटारा करना होगा।
- **पात्रता मानदंड:** इस अधिनियम के तहत ऐसे बीज पंजीकरण के लिए पात्र हैं जो विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता (DUS) के मानदंडों को पूरा करते हैं। वृक्षों और लताओं के लिए पंजीकरण के बाद दिए गए संरक्षण की अवधि 18 वर्ष और मौजूदा किस्मों के संबंध संरक्षण अवधि 15 वर्ष है।
- इस अधिनियम में पंजीकरण के लिए योग्य पौधों की किस्मों को निर्धारित किया गया है, जिन्हें संरक्षण हेतु पंजीकृत किया जा सकता है। इनमें शामिल हैं:
    - नई किस्में
    - मौजूदा किस्म
    - किसानों द्वारा प्रस्तुत कोई अन्य किस्म
    - अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म (Essentially derived variety)

---

92 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS

93 International Union for the Protection of New Varieties of Plants: UPOV

94 Distinctiveness, Uniformity and Stability: DUS

95 Plant Varieties Protection Appellate Tribunal: PVPAT

* **इस अधिनियम के तहत अधिकार:**

प्रजनकों के अधिकार (Breeders Rights)	• **संरक्षित / पंजीकृत किस्म के उत्पादन, बिक्री, विपणन, वितरण, आयात या निर्यात का पूर्ण अधिकार** प्रजनकों के पास होगा। • ब्रीडर (प्रजनक) द्वारा एजेंट / लाइसेंसधारी को नियुक्त किया जा सकता है। साथ ही, अधिकारों के उल्लंघन के मामले में वें सिविल न्यायालय भी जा सकते हैं।
शोधकर्ताओं के अधिकार (Researchers Rights)	• **शोधकर्ता,** प्रयोग या अनुसंधान के उद्देश्य से इस **अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी भी किस्म का उपयोग** कर सकते हैं। • इसमें किसी नई किस्म को विकसित करने के उद्देश्य से मूल किस्म में किसी दूसरे किस्म का उपयोग करना भी शामिल है। लेकिन बार-बार उपयोग के लिए संबंधित पंजीकृत ब्रीडर की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
किसानों के अधिकार (Farmers Rights)	• यदि किसी किसान द्वारा नई किस्म का क्रमिक विकास किया गया है, तो वह ऐसी किस्म के प्रजनक / ब्रीडर के रूप में **पंजीकृत होने और संरक्षण का हकदार** है। • **अधिनियम की धारा 39 (1):** पंजीकृत नई किस्म की खेती करने वाले सभी किसानों को "संरक्षित बीज को सुरक्षित रखने, उपयोग करने, रोपने, पुनः रोपने, विनिमय करने, साझा करने या बेचने" का अधिकार है। हालाँकि, इसमें ब्रांडेड बीजों को शामिल नहीं किया गया है। • पंजीकृत किस्म से अपेक्षित परिणाम प्राप्त न होने पर **इस अधिनियम की धारा 39 (2)** के तहत किसानों के लिए **मुआवजे का प्रावधान** किया गया है। • इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण या रजिस्ट्रार या अधिकरण या उच्च न्यायालय के समक्ष किसी भी कार्यवाही में किसान को किसी भी **शुल्क का भुगतान नहीं करना** होगा। ऐसे शुल्कों का भुगतान **राष्ट्रीय जीन निधि**[96] से किया जाएगा।

वर्तमान निर्णय के निहितार्थ

* **हालिया निर्णय एक मिसाल सिद्ध होगा:** इस अधिनियम के तहत अधिकारों के उल्लंघन का यह पहला मामला था। इस निर्णय ने किसानों की **बीज संबंधी स्वतंत्रता (seed freedoms)** को बरकरार रखा है। साथ ही, इस बात का भी संकेत दिया है कि देश में IPR धारकों द्वारा किसानों के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती है।
* इस निर्णय में वर्तमान अधिनियम और इसके कार्यान्वयन में व्याप्त कमियों को उजागर किया गया है जैसे कि-
  * **लागू करने से जुड़े मुद्दे:** कृषि, राज्य सूची का एक विषय है। इसे लागू करने का दायित्व राज्यों पर छोड़ दिया गया है। इसलिए राज्यों के कृषि से संबंधित कानूनों में बहुत अधिक अंतर मौजूद हैं। ऐसे में किसानों और एग्रीगेटर्स के मध्य स्पष्ट अंतर न होने के कारण किसानों को प्रदान किए जाने वाले संरक्षणों का उपयोग एग्रीगेटर्स के द्वारा भी कर लिया जाता है।
    * उदाहरण के लिए, जब कोई एग्रीगेटर (जो एक एकड़ जमीन का मालिक है और जो स्वयं को किसान भी मानता है) किसान से बीज एकत्र करता है और फिर उसे ब्रांड के नाम से बेचता है, तो इससे किसानों से मूल बीज की चोरी करने संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। अनधिकृत और आनुवंशिक रूप से संशोधित HTBt कपास के बीजों का व्यापक प्रसार इसका एक उदाहरण है।
  * **IPR के संरक्षण के अभाव में नवाचार बाधित हो सकता है:** PPV&FR के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय कंपनियों को मूल बीज (parent seeds) जमा करना अनिवार्य होता है। इस प्रावधान ने कई घरेलू और विदेशी कंपनियों को नवीनतम किस्मों को बाजार में पेश करने से हतोत्साहित किया है।
  * वर्तमान में, बीज बाजार के वार्षिक राजस्व का 3% से भी कम अनुसंधान से संबंधित गतिविधियों में उपयोग किया जाता है, जबकि वैश्विक मानक 10-12% है।
  * **नई किस्मों के पंजीकरण के लिए जटिल और धीमी प्रक्रिया।**
  * **पंजीकरण के दौरान प्रक्रियात्मक ख़मियों की मौजूदगी।**

आगे की राह

* **राज्यों के अलग-अलग कानूनों और विनियमों में व्यापक अंतर को दूर करने की आवश्यकता है।**
* **नवाचार संबंधी लाभों को किसानों तक पहुंचाया जाना चाहिए।**

[96] National Gene Fund: NGF

- इसके लिए, प्रसंस्करण और पूर्व-प्रसंस्करण संयंत्रों व आपूर्ति श्रृंखलाओं सहित समग्र कृषि अवसंरचना में और अधिक निवेश करने की आवश्यकता है।

5.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

5.6.1. नैरोबी घोषणा-पत्र (Nairobi Declaration)

- हाल ही में, **अफ्रीकी मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों द्वारा "नैरोबी घोषणा-पत्र"** को अपनाया गया है।
- इस घोषणा-पत्र ने **अफ्रीका में सेंडाई फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन (PoA) पर प्रतिबद्धताओं को पूरा करने** पर बल दिया है।
    - PoA यह स्पष्ट करता है कि अफ्रीका महाद्वीप पर सेंडाई फ्रेमवर्क को कैसे लागू किया जाएगा।
- सेंडाई फ्रेमवर्क वर्ष 2005-2015 की तुलना में **वर्ष 2030 तक प्राकृतिक और मानव-प्रेरित आपदाओं के प्रभाव को काफी हद तक कम करने के लिए देशों एवं समुदायों का मार्गदर्शन करता है।**

5.6.2. हैदरपुर आर्द्रभूमि (Haiderpur Wetland)

- भारत ने **हैदरपुर आर्द्रभूमि को देश के 47वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया है।**
    - रामसर एक आर्द्रभूमि स्थल है। इसे **रामसर कन्वेंशन के तहत नामित किया गया है**। यह कन्वेंशन एक अंतर-सरकारी पर्यावरण संधि है। यह संधि वर्ष 1975 में लागू हुई थी।
- हैदरपुर आर्द्रभूमि **उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर-बिजनौर सीमा पर स्थित है।**
- इसका निर्माण वर्ष 1984 में **सोलानी और गंगा नदियों के संगम पर मध्य गंगा बैराज के निर्माण द्वारा** किया गया था। यह **हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य** का एक हिस्सा है।

5.6.3. वैश्विक मीथेन पहल (Global Methane Initiative: GMI)

- हाल ही में, भारत ने GMI स्टीयरिंग लीडरशीप मीटिंग की सह-अध्यक्षता की।
- GMI **सरकारों के बीच एक स्वैच्छिक और अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी** है। यह **विकसित और संक्रमणकारी अर्थव्यवस्थाओं वाले विकासशील देशों के बीच साझेदारी के माध्यम** से मानव जनित **मीथेन उत्सर्जन में वैश्विक गिरावट लाने** के लिए स्थापित की गई है।
    - इसे **वर्ष 2004 में गठित किया** गया था और **45 देश इसके सदस्य** हैं।
- हाल ही में, **UNFCCC के COP26** (ग्लासगो) में भी, **वैश्विक मीथेन प्रतिबद्धता लॉन्च** की गई थी। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को वर्ष 2020 के स्तर से 30% तक कम करना है।
- मीथेन एक ग्रीनहाउस गैस है। इसका **कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 25-28 गुना अधिक हानिकारक प्रभाव** पड़ता है।
    - यह कार्बन डाइऑक्साइड के बाद वातावरण में **दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पायी जाने वाली ग्रीन हाउस गैस** है।

5.6.4. संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 49 हजार ग्रामीण अधिवास जल प्रदूषण से प्रभावित हैं (Nearly 49k Rural Habitations Affected with Water Contamination, Says Parliamentary Panel Report)

- **जल संसाधन पर स्थायी समिति** ने चिंता प्रकट करते हुए रेखांकित किया है कि **आर्सेनिक, फ्लोराइड, लोहा, नाइट्रेट, भारी धातु और उच्च लवणता** के कारण कई अधिवास दूषित जल से प्रभावित हैं। इसके प्रमुख निष्कर्षों में शामिल हैं-
    - वित्त वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के अंत में **जल जीवन मिशन (JJM)** के तहत **खर्च करने के बाद बची हुई राशि** में और अधिक वृद्धि हो गई थी।
        - **JJM का लक्ष्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक परिवार को नल से जलापूर्ति हेतु कनेक्शन उपलब्ध कराना है।**
    - शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता 20,000 रुपये है, **जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह राशि मात्र 12,000 रुपये है।**

टिप्पणियाँ	सिफारिशें
• लोहे और लवणता **जैसे अन्य दूषित पदार्थों से प्रभावित बस्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए की गई**	• ऐसे अधिवासों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सभी जल गुणवत्ता प्रभावित **अधिवासों में सामुदायिक**

कार्रवाई के संबंध में स्पष्टता का अभाव है। यह जल की गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियों का बड़ा हिस्सा है। • पिछले वर्ष की तुलना में **इस वर्ष जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या में कमी आई** है। • कुछ उद्योगों द्वारा हानिकारक और **अनुपचारित रसायनों को विमुक्त करने** की सूचना के संबंध में गैर-गंभीर दृष्टिकोण।	**जल शोधन संयंत्रों की स्थापना** के लिए संबंधित राज्यों के परामर्श से एक **समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना** चाहिए। • **पर्याप्त संख्या में जल परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली जानी चाहिए।**

5.6.5. गैर-जीवाश्म ईंधन से विद्युत क्षमता (Electricity Capacity From Non-Fossil Fuel)

- भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से **संस्थापित विद्युत क्षमता के 40% के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।**
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, **कुल गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित संस्थापित ऊर्जा क्षमता 156.83 गीगावाट है और कुल संस्थापित विद्युत् क्षमता 390 गीगावाट है।**
- ज्ञातव्य है कि सरकार ने ग्लासगो में आयोजित हुए CoP-26 सम्मेलन में वर्ष **2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावॉट विद्युत् क्षमता प्राप्त करने** के लक्ष्य की घोषणा की थी।

5.6.6. UNDP ने भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का व्यापक विस्तार करने की योजना बनाई है {UNDP Plans to Drastically Expand Plastic Waste Management (PWM) in India}

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के PWM (2018-2024) कार्यक्रम का लक्ष्य **वर्ष 2024 तक भारत के 100 शहरों में अपने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को लगभग तिगुना करना है।**
  - UNDP ने हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड तथा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड सहित अन्यों के साथ साझेदारी में इस परियोजना को आरंभ किया है। इसका लक्ष्य **भारत में पर्यावरण पर प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रभाव को कम करने के लिए मौजूदा प्रणालियों को आधार के रूप में उपयोग करना है।**
  - यह **चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए** सभी प्रकार के प्लास्टिक के संग्रह, पृथक्करण और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देगा।
  - अब तक **83,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्र किया जा चुका है।**
  - **अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को संस्थागत करने** के प्रयास में यह **परियोजना 5,500 सफाई साथियों तक पहुंच गई है।**
  - 9,000 सफाई साथियों की मदद के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम **'उत्थान'** आरंभ किया गया था।
  - हालांकि, **कोविड-19 महामारी के कारण** मेडिकल प्लास्टिक अपशिष्ट सहित कचरे में व्यापक वृद्धि के बाद इस कार्यक्रम में कुछ अवरोध उत्पन्न हुआ है।
- **UNDP, नीति आयोग के साथ भी कार्य कर रहा है।** साथ ही, उसने संयुक्त रूप से स्थानीय नगरपालिकाओं के साथ-साथ निजी क्षेत्र के लिए भी एक 'हैंडबुक' मॉडल विकसित किया है।
  - 'हैंडबुक' में संपूर्ण प्लास्टिक अपशिष्ट मूल्य श्रृंखला के घटकों को प्रतिनिधित्व देकर और चर्चा करके **PWM का व्यापक अवलोकन** किया गया है।

5.6.7. बोसेनबर्गिया अल्बोल्यूटिया और बोसेनबर्गिया रूब्रोलुटिया (Boesenbergia Albolutea & Boesenbergia Rubrolutea)

- पादपों की ये दो प्रजातियां अब अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) के तहत **वन में विलुप्त**[97] **के रूप में वर्गीकृत हो चुकी हैं।** इन्हें लगभग 125 वर्ष पहले खोजा गया था।
- बोसेनबर्गिया **रूबोलुटिया खासी पहाड़ी, मेघालय की स्थानिक प्रजाति** थी। बोसेनबर्गिया **अल्बोलुटिया अंडमान द्वीप** के लिए स्थानिक पादप था।
  - ये प्रजातियां **जीनस बोसेनबर्गिया** के तहत वर्गीकृत हैं। बोसेनबर्गिया **फूलों वाले पौधों के अदरक कुल के ज़िंजीबेरासी (Zingiberaceae) परिवार** से संबंधित है।
- उनके विलुप्त होने के संभावित कारणों में **जलवायु परिवर्तन, मानवीय हस्तक्षेप और अति-दोहन या प्राकृतिक आपदाएं** शामिल हैं।

---
[97] Extinct in the Wild: EW

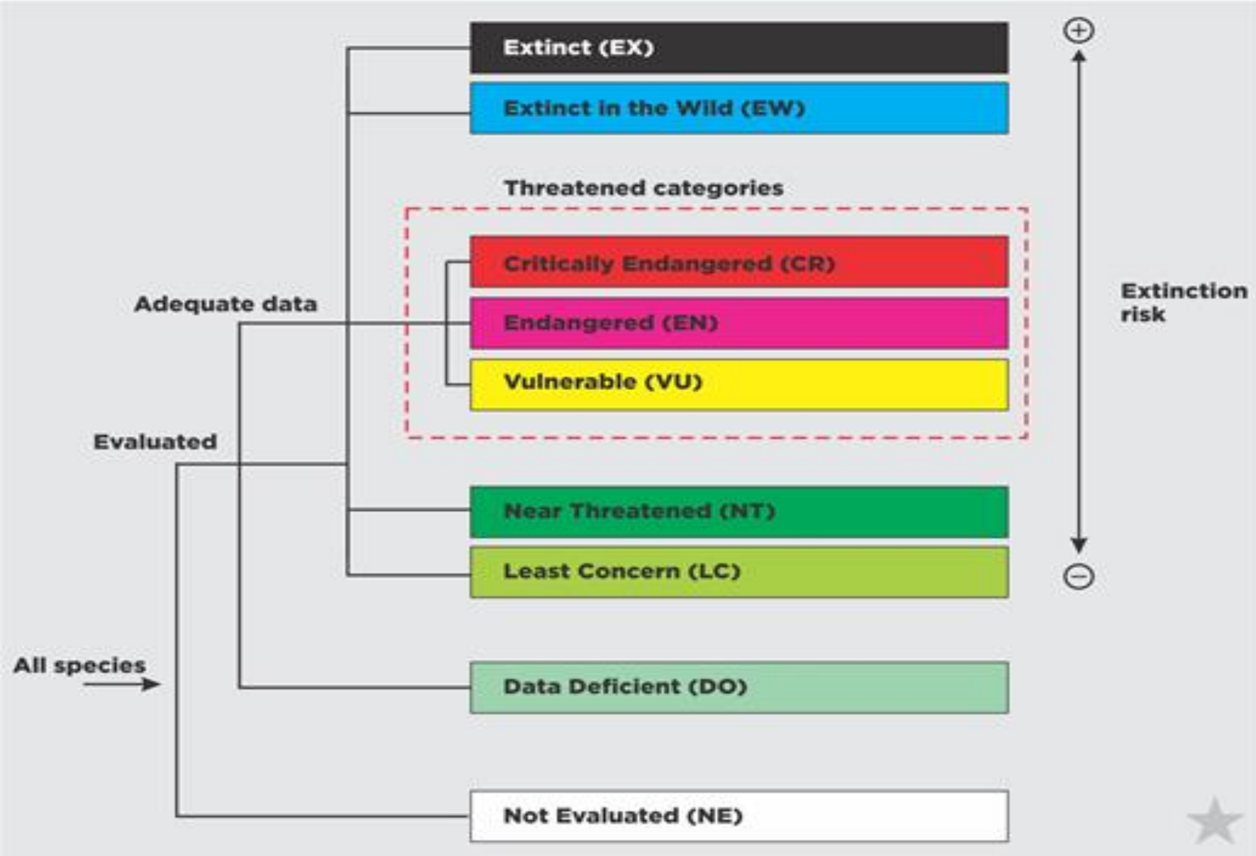

5.6.8. कैनरी ब्लैक बी (Canary Black Bee)

- कैनरी द्वीप में कंब्रे विएजा ज्वालामुखी के प्रस्फुटन के **लगभग 50 दिनों के बाद,** ज्वालामुखी की राख से ढके छत्ते के अंदर **हज़ारों मधुमक्खियां जीवित पाई गईं है।**
- मधुमक्खियां **ज्वालामुखी की गैसों से बचने हेतु छत्ते में बने छोटे-छोटे छिद्रों को भरने के लिए प्रोपोलिस (Propolis) का उपयोग करती हैं।** यह पौधों और कलियों से एकत्रित किये गए पदार्थों से निकलता है।
    - **प्रोपोलिस** एक राल जैसा मिश्रण होता है, जिसे कभी-कभी मधुमक्खी से प्राप्त गोंद के रूप में जाना जाता है।
    - आमतौर पर, प्रोपोलिस का उपयोग मधुमक्खियों द्वारा **शहद को वर्षा जल और हवा से बचाने के लिए किया जाता है।**

5.6.9. कोयला मंत्रालय ने मिशन कोकिंग कोल की स्थापना की है {Ministry of Coal Has Set Up Mission Coking Coal (MCC)}

- **MCC,** भारत में कोकिंग कोल के उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति बनाने के लिए गठित **अंतर-मंत्रालयी समिति** की सिफारिशों पर आधारित है।
    - कोकिंग कोयले की कोक में परिवर्तित होने की क्षमता को संदर्भित करता है। यह कार्बन का एक विशुद्ध रूप है। इसका उपयोग साधारण ऑक्सीजन भट्टियों में किया जा सकता है।
    - कोकिंग कोल का उपयोग **वात भट्टी (ब्लास्ट फर्नेस) से इस्पात के निर्माण** में किया जाता है।
        - **घरेलू कोकिंग कोयला, राख की उच्च मात्रा (18% - 49% के मध्य) उत्पन्न करने वाला कोयला है।** यह वात भट्टी में सीधे उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए, इसे आयातित कोकिंग कोल (<9% राख) के साथ मिश्रित किया जाता है।
- **MCC का उद्देश्य:**
    - **घरेलू कोकिंग कोल के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने के लिए** कार्य योजना तैयार करना।
    - **नई तकनीकों** को अपनाना।
    - **निजी क्षेत्र के विकास** के लिए कोकिंग कोल ब्लॉकों का आवंटन करना।
    - नई कोकिंग कोल धोवनशालाओं (washeries) की स्थापना करना, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में वृद्धि करना और **गुणवत्ता मानकों** में सुधार करना।

- यह उत्पादन को बढ़ावा देने और **घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करता है। इससे आयात में कमी संभव होगी** और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को बल मिलेगा।
    - देश द्वारा वार्षिक आधार पर लगभग 50 मीट्रिक टन कोकिंग कोयले का आयात किया जाता है। **वित्त वर्ष 2020-21 में आयातित कोकिंग कोयले का मूल्य 45,435 करोड़ रुपये था।**

5.6.10. सरकार ने वाहन निर्माताओं को वाहनों में फ्लेक्स-फ्यूल इंजन लगाने के लिए परामर्शिका जारी की है (Government Issues Advisory To Carmakers To Introduce Flex-Fuel Engines In Vehicles)

- कार निर्माताओं को **फ्लेक्स फ्यूल इंजन लगाने के लिए छह महीने का समय** दिया गया है, ताकि भविष्य में कारें भी एथेनॉल से चल सकें।
- FFV, वाहनों का **वह रूपांतरित संस्करण है जो गैसोलिन (पेट्रोल/डीजल) और एथेनॉल मिश्रण के विभिन्न स्तर वाले** मिश्रित पेट्रोल से संचालित होता है।
    - वर्तमान में **ब्राजील** में इनका सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। इससे **लोगों को ईंधन** (गैसोलीन और इथेनॉल) **को प्रतिस्थापित करने का विकल्प प्राप्त हो गया है।**
    - फ्लेक्स-ईंधन या फ्लेक्सीबल (लचीला) ईंधन, गैसोलीन और मेथनॉल या इथेनॉल के मिश्रण से बना एक **वैकल्पिक ईंधन** है।
- **FFV के लाभ:**
    - **यह जैव-ईंधन का उपयोग करने का विकल्प** प्रदान करता है, जो पेट्रोल से बेहतर है (आयात विकल्प, लागत प्रभावी, प्रदूषण मुक्त और स्थानीय है)।
        - **पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल-मिश्रण** प्राप्त करने की लक्षित तिथि **पांच वर्ष बढ़ाकर वर्ष 2025 कर दी गई है।**
    - **अधिशेष खाद्यान्न** (इथेनॉल बनाने में उपयोग किया जा सकता है) **की समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है।**
    - **तेल आयात पर निर्भरता को कम करने में सहायक।**
- **चुनौतियां:**
    - उत्पादन लाइनों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में **ऑटो कंपनियों से अतिरिक्त निवेश** की आवश्यकता है।
    - इथेनॉल **इंजन में जंग का कारण बन सकता है और उसे क्षति** भी पहुंचा सकता है।
    - इथेनॉल **गैसोलीन की तरह किफायती नहीं है,** क्योंकि यह समान स्तर की ईंधन दक्षता प्रदान नहीं करता है।

5.6.11. कृषि फोटोवोल्टिक {Agricultural Photovoltaic (AGRI-PV)}

- कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (CIAL) ने **बड़े पैमाने पर एग्री-वोल्टिक कृषि पद्धति** विकसित की है।
- एग्री-वोल्टिक, **फसल और सौर ऊर्जा उत्पादन की एक मिश्रित प्रणाली है।** इसमें एक ही भूमि क्षेत्र पर एक ही समय में सौर पैनलों के नीचे फसलों का उत्पादन किया जाता है।
- यह **सतत विकास प्राप्त करने के प्रयासों में एक उभरती हुई प्रणाली है,** जो भोजन और ऊर्जा उत्पादन को जोड़ती है।
- **एग्री-वोल्टिक प्रणाली (AVS) में PV-मॉड्यूल** को एक झुकाव कोण पर संस्थापित किया जाता है। यह कोण संस्थापन स्थल की ऊंचाई के बराबर होता है।
- एग्री-वोल्टिक पद्धति, **विद्युत उत्पादन और कृषि उपज दोनों को प्राप्त करके** वर्तमान परिस्थितियों को नियंत्रित करती है।

5.6.12. भारत-यूरोपीय संघ स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी (India-Eu Clean Energy and Climate Partnership)

- **हाल ही में, भारत-यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की बैठक** आयोजित हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने अपनी स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी को बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की है।
    - **भारत-यूरोपीय संघ स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी** की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से इस साझेदारी को क्रियान्वित करने के लिए वर्ष 2023 तक **विस्तृत कार्यक्रम बनाने** पर सहमति व्यक्त की है।
        - ऊर्जा पैनल ने **ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, ग्रिड एकीकरण, संधारणीय वित्तपोषण** आदि पर तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की है।
        - इस मजबूत सहयोग के अतिरिक्त, भारत और यूरोपीय संघ द्वारा इन क्षेत्रों में **नए अध्ययन, अध्ययन से जुड़े दौरों एवं संयुक्त कार्यशालाओं, ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान** भी किया जाएगा।

5.6.13. "नेट जीरो" ऊर्जा भवनों के लिए ज़ीरो लेबलिंग {Shunya Labelling For Net Zero Energy Buildings (NZEB)}

- हाल ही में, **NZEB और नेट पॉजिटिव एनर्जी बिल्डिंग (NPEB) के लिए "शून्य कार्यक्रम"** को शुरू किया गया था।
- **NZEB अत्यल्प ऊर्जा मांग वाली** अत्यधिक कुशल इमारतें हैं।
- एक वर्ष में एक इमारत में खपत की गई कुल ऊर्जा को कुल निर्मित क्षेत्र से विभाजित कर प्राप्त किये गए **एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स (EPI) के आधार पर:**
  - 10 ≤ EPI ≤ 0 kWh/m2/वर्ष वाले भवनों को **शून्य लेबल** प्रदान किया जाएगा।
  - EPI < 0 kWh/m2/वर्ष वाले भवनों को **शून्य+ लेबल** प्रदान किया जाएगा।
- यह **ऊर्जा कुशल भवनों के निर्माण** और **इसे NZEB/NPEB बनाने और सुधार करने के लिए प्रोत्साहित** करेगा।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

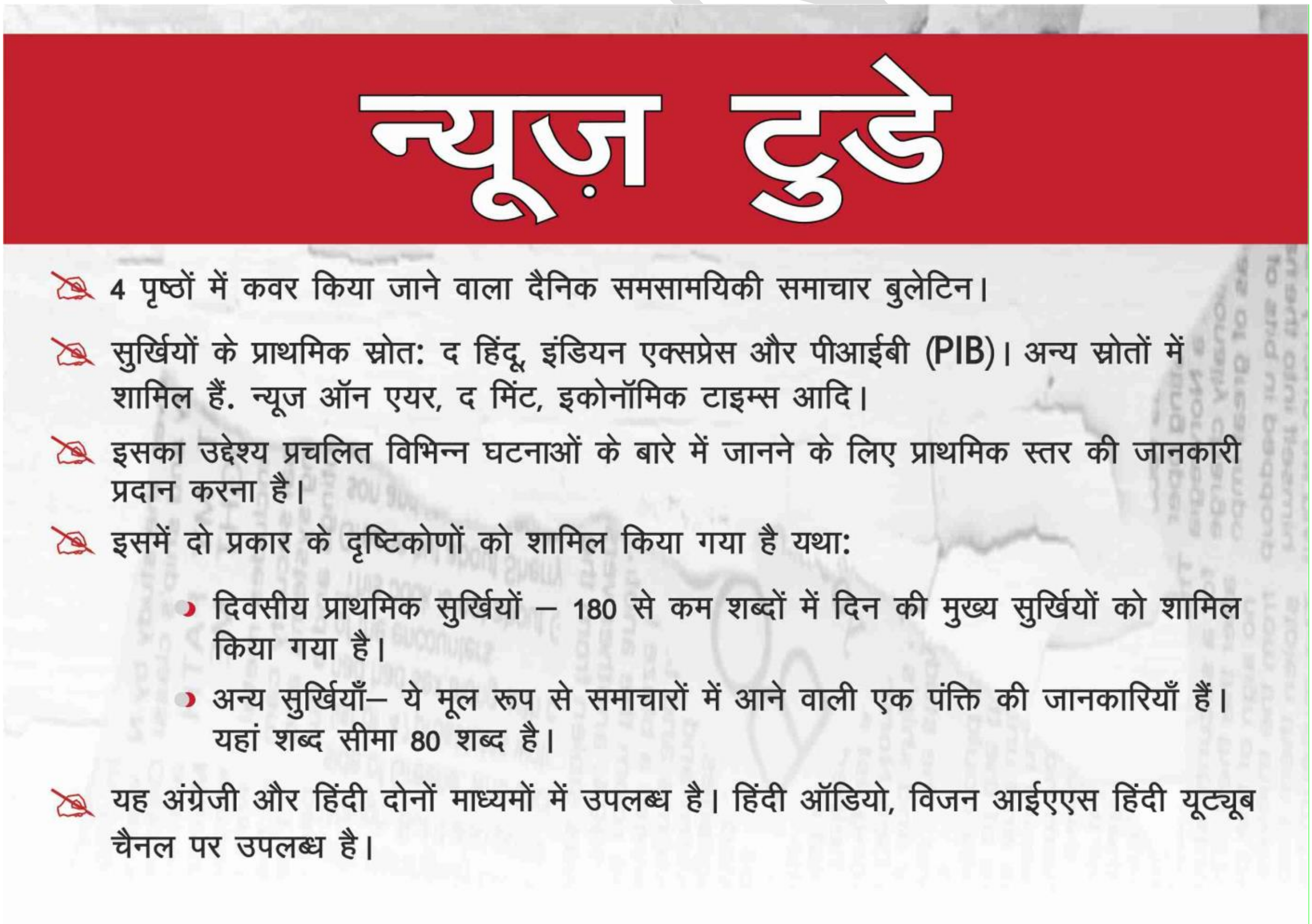

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. महिलाओं के विवाह की आयु (Marriage Age of Women)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोक सभा में **बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021** पेश किया गया। इस विधेयक में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम वैध आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष (पुरुषों के बराबर) करने का प्रावधान है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह प्रस्ताव **केंद्र के एक कार्यबल द्वारा नीति आयोग को प्रस्तुत की गई सिफारिशों पर आधारित है।** कार्यबल की अध्यक्षता **जया जेटली** ने की थी। इस कार्यबल का गठन निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित मामलों की जांच के लिए किया गया था:
  - मातृत्व की आयु,
  - मातृ मृत्यु दर[98] कम करने की अनिवार्यता,
  - पोषण स्तरों में सुधार तथा अन्य संबद्ध मुद्दे।
- **प्रारूप विधेयक की मुख्य विशेषताएं:**
  - यह विधेयक बाल विवाह निषेध अधिनियम[99], 2006 में संशोधन करेगा।
  - **उद्देश्य:** महिलाओं के विवाह योग्य आयु को पुरुषों के समान बनाना, मौजूदा कानूनों, जिनमें विवाह से जुड़े पक्षों को शासित करने वाले रीतिरिवाज़, परिपाटी और प्रथाएं शामिल हैं, उन्हें रद्द करना आदि।
  - यह विधेयक विवाह संबंधी कुछ अन्य कानूनों में भी संशोधन करता है ताकि उन कानूनों में महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष किया जा सके। ये हैं:
    - भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872,

---

[98] Maternal Mortality Rate: MMR

[99] Prohibition of Child Marriage Act: PCMA

        - पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936,
        - मुस्लिम वैयक्तिक विधि (शरीयत) अधिनियम, 1937,
        - विशेष विवाह अधिनियम, 1954,
        - हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और
        - विदेशी विवाह अधिनियम, 1969
    - **बालक की परिभाषा (Definition of child):** 'चाइल्ड या बालक' का आशय एक ऐसे व्यक्ति (पुरुष या स्त्री) से है, जिसने जो अभी 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।
    - इस संशोधन की सिफ़ारिश इसलिए की गई है, क्योंकि यह संविधान की मूल भावना की पूर्ति करेगा। यह कार्य विवाह के संबंध में लैंगिक निष्पक्षता को सुनिश्चित करके और महिला सशक्तीकरण को सुगम बनाकर किया जाएगा।

विवाह की आयु बढ़ाने के सकारात्मक पहलू

- **लैंगिक निष्पक्षता:** इस निर्णय से, सरकार महिलाओं और पुरुषों, दोनों की विवाह योग्य आयु को एक समान कर देगी।
- **महिला सशक्तीकरण:**
    - **शिक्षा:** कई लड़कियों को विवाह के लिए अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है। इस प्रकार, विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करने से उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने का समय और उच्चतर शिक्षा प्रदान करने का अवसर दिया जा सकेगा।
    - **स्वास्थ्य:**
        - **शारीरिक स्वास्थ्य:** छोटी आयु में विवाह करने से लड़कियों को सामान्य और प्रजननीय स्वास्थ्य का अधिकतम लाभ नहीं मिल पाता है। छोटी आयु में विवाह और परिणामस्वरूप, अल्पायु में ही गर्भावस्था माता व बच्चे, दोनों के पोषण स्तरों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। इससे शिशु मृत्यु दर (IMR) और मातृत्व मृत्यु दर (MMR) में भी बढ़ोतरी होती है।
        - **मानसिक स्वास्थ्य:** कम आयु में विवाहित लड़कियों के पास घर की जिम्मेदारियों को संभालने की पर्याप्त समझ नहीं होती है। यह ऐसी विवाहित लड़कियों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है।
    - **आर्थिक सहभागिता:** कम आयु में विवाह के कारण भारत की एक चौथाई महिलाएं अभी भी श्रमबल का हिस्सा नहीं बन पाई हैं। उल्लेखनीय है कि 130 करोड़ की जनसंख्या में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है।
    - **बाल विवाह के मामलों में कमी होगी:** हाल ही में, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किये गए हैं। आंकड़ों के अनुसार, बाल विवाह के मामलों में कमी हुई है। यह वर्ष 2015-16 के 27% से घटकर वर्ष 2019-20 में 23% पर पहुँच गयी। सरकार इसे और कम करने का प्रयास कर रही है। विवाह की आयु बढ़ाने से बालविवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सहायता मिल सकती है। इससे आगे बाल विवाह के मामलों में कमी आएगी।

विवाह की आयु बढ़ाने की आलोचना

- **विवाह की औसत आयु में वृद्धि:** वर्ष 2019 के सरकारी डेटा के अनुसार, महिला के लिए विवाह करने की औसतन आयु 22.1 वर्ष है। यह औसत आयु वर्षों से धीरे-धीरे बढ़ी है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि यह परिवर्तन स्वैच्छिक है। चूंकि, महिलाओं के बीच शिक्षा की दर में सुधार हुआ है, इस कारण यह बदलाव आया है।
- **शिक्षा में बढ़ोतरी, किन्तु महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में गिरावट:** पिछले दो दशकों से उच्चतर शिक्षा में, विशेषकर महिलाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है। इसलिए, महिलाओं के विवाह की आयु का 18 वर्ष होना कोई अवरोधक कारक नहीं है। लेकिन, शिक्षा में बढ़ोतरी से महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में वृद्धि नहीं हो पाई है।
    - इसलिए, यह प्रस्तावित कानून महिला सशक्तीकरण में बाधा बनने वाली सामाजिक और सांस्कृतिक पितृसत्तात्मक प्रथाओं की ओर ध्यान नहीं देता।
- **बाल विवाह को रोकने का विकल्प/समाधान नहीं है:** अभी महिलाओं की विवाह करने की कानूनी आयु 18 वर्ष निर्धारित है, तब भी भारत में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित है। ऐसे विवाहों में कमी, मौजूदा कानूनों की वजह से नहीं, बल्कि महिला शिक्षा और रोज़गार के अवसरों में बढ़ोतरी के कारण हो रही है।
    - इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि महिलाओं के विवाह की कानूनी न्यूनतम आयु बढ़ाने के बजाय, बाल विवाह के मूल कारणों जैसे गरीबी और शिक्षा के अभाव, पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे समाज में मूल्यवान परिवर्तन लाया जा सकेगा।
- **गर्भावस्था के लिए सबसे सुरक्षित आयु:** सभी आयु वर्गों में से 20-24 वर्ष की महिलाओं (जो महिलाएं 18 वर्ष या उससे अधिक आयु में विवाह करती हैं) की मातृत्व मृत्यु दर सबसे कम है।

- **कानून का दुरुपयोग:** यह कानून बलपूर्वक आरोपित किया जाएगा। यह विशेष रूप से हाशिए पर रहे समुदायों (जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) को कानून का उल्लंघन करने वाले अपराधी बनाकर उनपर नकारात्मक प्रभाव डालेगा।
    - साथ ही, यह संशोधन जनसंख्या के बड़े हिस्से को अवैध विवाह करने पर मजबूर करेगा।
- **अन्य कानूनों के विपरीत:** 18 वर्ष की आयु में एक व्यक्ति मतदान कर सकता है किंतु अपनी इच्छा से विवाह नहीं कर सकता।
    - इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013 के **आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम** के अनुसार, लैंगिक संबंधों के लिए सहमति की आयु 18 वर्ष है। अब, सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा यह अनुमान किया जा रहा है कि सहमति की आयु को भी 21 वर्ष किया जाएगा, ताकि इसे महिलाओं के लिए विवाह की संशोधित आयु के समान किया जा सके।
    - इसी प्रकार, **बाल श्रम (संरक्षण और विनियमन)(संशोधन) अधिनियम, 2016,** 14-18 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों को (खतरनाक पेशों और प्रक्रियाओं को छोड़कर), अन्य सुरक्षित आजीविका कार्य करने की अनुमति देता है। किन्तु प्रस्तावित कानून 21 वर्ष से कम आयु में विवाह करने को प्रतिबंधित करता है।
- **लैंगिक निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के अन्य तरीके:** वर्ष 2018 में, भारत के विधि आयोग ने पुरुषों के विवाह करने की कानूनी न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष करने की सिफारिश की थी। साथ ही, महिला एवं पुरुषों दोनों के लिए विवाह करने की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष ही निर्धारित करने का सुझाव दिया था।

आगे की राह: निम्नलिखित कदम पहले उठाए जाने चाहिए, क्योंकि जब तक इन्हें क्रियान्वित और महिलाओं को सशक्त नहीं किया जाएगा, तब तक इस कानून की प्रभावशीलता को सुनिश्चित कर पाना कठिन होगा।

- **सूचना, शिक्षा और संचार:** निर्णय की सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक लोक जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है। साथ ही, युवा छात्र एवं छात्राओं को व्यक्तिगत वित्तीय स्थायित्व के महत्व और किशोरावस्था में गर्भावस्था के खतरों के बारे में बताकर संवेदनशील बनाया जा सकता है।
- **महिला सशक्तीकरण:** लड़कियों के लिए स्कूलों और महाविद्यालयों तक पहुँच को सुगम बनाना चाहिए। इसमें दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों के होने पर उन्हें परिवहन की सुविधा प्रदान करना भी शामिल है। पॉलिटेक्निक संस्थानों में महिलाओं का प्रशिक्षण, कला और व्यवसाय प्रशिक्षण एवं जीविका में वृद्धि जैसे उपाय अपनाने चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रमों में लैंगिक शिक्षा को औपचारिक रूप से शामिल करना चाहिए।
- **बाल विवाह को कम करने के लिए लक्षित दृष्टिकोण:** सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के परिवारों की लड़कियों को कम आयु में विवाह करने के लिए मजबूर किया जाता है। इन लड़कियों को, विशेषकर शिक्षा को जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। इससे महिलाओं की विवाह की आयु अपनेआप बढ़ जाएगी।

6.2. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना (Beti Bachao, Beti Padhao Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **"बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना के विशेष संदर्भ में शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरण"**[100] शीर्षक से एक संसदीय समिति की रिपोर्ट को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था।

BBBP योजना की अभी तक की उपलब्धियां

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) के अनुसार, पिछले 6 वर्षों से, निगरानी योग्य लक्ष्यों के आधार पर निम्नलिखित विकास हुआ है:

मापदंड	विवरण	स्तर
जन्म के समय लिंगानुपात (Sex Ratio at Birth: SRB)	• वर्ष 2021 में, **SRB में 19 अंकों का सुधार हुआ। यह 918 से बढ़कर 937 हो गया है।** • कुछ ज़िले जिनमें अत्यधिक सुधार हुआ है, वे हैं- मऊ (उत्तर प्रदेश), करनाल, महेंद्रगढ़, व रेवाड़ी (हरियाणा) तथा पटियाला (पंजाब)।	सुधार

[100] Empowerment of Women through Education with Special Reference to Beti Bachao-Beti Padhao (BBBP) Scheme

स्वास्थ्य	• वर्ष 2019-20 में **संस्थागत प्रसव** की दर में **सुधार** देखा गया। यह **87% से बढ़कर 94% पर पहुँच गया।**	सुधार
शिक्षा	• माध्यमिक स्तर के स्कूलों में लड़कियों के **सकल नामांकन अनुपात** और लड़कियों के लिए अलग शौचालय वाले स्कूलों की दर में **सुधार** हुआ है।	सुधार

BBBP योजना के बारे में

- इसकी शुरुआत **वर्ष 2015** में हरियाणा के **पानीपत** से हुई थी। **यह घटते बाल लिंगानुपात और लड़कियों के सशक्तीकरण से संबंधित अन्य मुद्दों के समाधान पर लक्षित है।**
- इसका उद्देश्य बालिका के जन्म और उसके अधिकारों के प्रति समाज के व्यवहार में बदलाव लाना है। इस योजना का लक्ष्य निम्नलिखित समूहों के साथ सूक्ष्म संचार के माध्यम से सोच में परिवर्तन लाना है:
    - **प्राथमिक:** युवा और नव विवाहित दम्पति, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं, एवं माता-पिता।
    - **माध्यमिक:** युवा, किशोर (लड़का और लड़की), ससुराल, चिकित्सक/ प्रैक्टिशनर, निजी अस्पताल, उपचार गृह व नैदानिक केंद्र।
    - **तृतीयक:** अधिकारी, पंचायती राज संस्थान, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्त्ता, महिला स्वयं सेवक समूह/ संगठन, धार्मिक नेता, स्वैच्छिक संस्थाएं, मीडिया, चिकित्सीय समितियां तथा उद्योग।
- यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय अर्थात् इन तीन मंत्रालयों का एक समन्वित प्रयास है।
    - महिला और बाल विकास मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है।
- **BBBP के दो मुख्य घटक:**
    - BBBP का पक्ष समर्थन और मीडिया अभियान; तथा
    - चयनित ज़िलों में बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेप।
- BBBP योजना में **व्यक्तिगत रूप से नकद प्रोत्साहन घटकों के लिए कोई प्रावधान नहीं** किया गया है। इस कारण यह **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना नहीं** है।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 से, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने BBBP अभियान के कार्यान्वयन के लिए **चयनित जिलों के जिला कलेक्टरों को प्रत्यक्ष सहायता अनुदान का वितरण शुरू कर** दिया है।

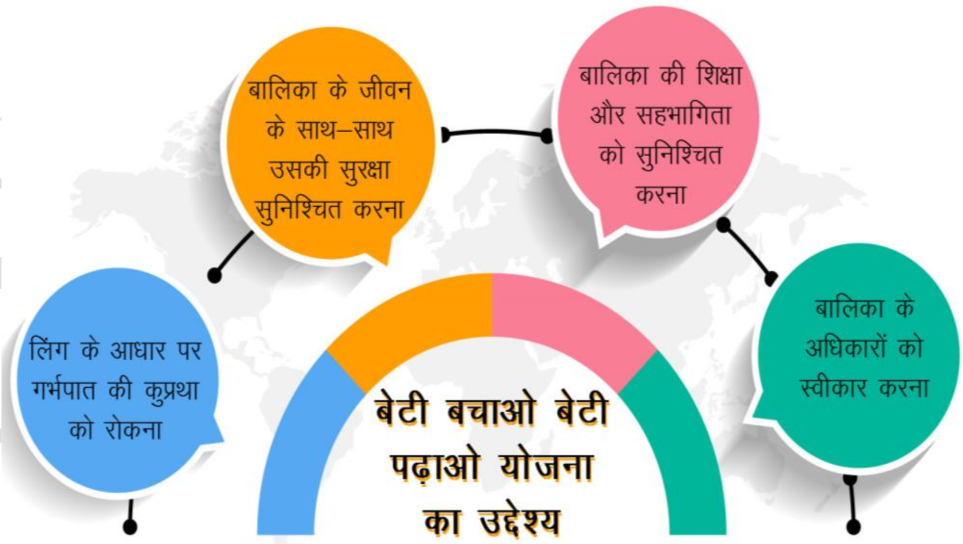

इस रिपोर्ट में रेखांकित मुद्दे

- **क्षेत्रीय हस्तक्षेपों में निधि का अपर्याप्त व्यय:** योजना के लिए केवल मीडिया विज्ञापन पर ही 80 % व्यय किया गया था। विज्ञापनों की बजाय **शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने** की आवश्यकता है।
- **धन का बहुत कम उपयोग:** इस योजना के आरंभ से लेकर वर्ष 2019-20 तक, कुल बजटीय आवंटन 848 करोड़ रुपये था। राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों ने **केवल 25.13% धनराशि ही व्यय की** है। यह निधि के बहुत कम उपयोग और खराब प्रदर्शन को दर्शाता है।
- **ख़राब निगरानी:** टास्क फ़ोर्स की अनियमित बैठकें और ज़िलों से व्यय की मासिक रिपोर्ट एवं विवरणों को एकत्रित करने में देरी, दिशा-निर्देशों के गैर-अनुपालन की स्थिति को दर्शाते हैं। इससे यह पता चलता है कि योजना की उपयुक्त तरीके से निगरानी या समीक्षा नहीं की जा रही है।
- स्कूलों में **कार्यात्मक शौचालयों का अभाव,** लड़कियों के लिए पढ़ाई बीच में छोड़ने का मुख्य कारण है।

इस रिपोर्ट में की गयी सिफ़ारिशें

- **योजनाबद्ध व्यय:** सरकार को पर्याप्त वित्तीय प्रावधान करके अन्य कार्यक्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए। इससे योजना के अंतर्गत परिकल्पित शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित परिणामों तक पहुंचने में मदद मिल सकेगी।
- **समीक्षा और निगरानी:** अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित लेखा परीक्षण और गतिविधियों को रियल टाइम आधार पर अपडेट किया जाना चाहिए।
- **लक्ष्य उन्मुख दृष्टिकोण:** राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को निधि आवंटित करना आवश्यक है। लेकिन यह आवंटन पहले जारी की गई निधि के वास्तविक उपयोग पर आधारित होना चाहिए। साथ ही, यह पिछली निधि के व्यय/उपयोग की उचित जांच के बाद ही जारी की जानी चाहिए। नोडल मंत्रालय के पास राज्यों के लिए लक्ष्य उन्मुख दृष्टिकोण होना चाहिए। उसे समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए।
- **आधारभूत ढांचा:** सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए 100% पृथक कार्यात्मक शौचालयों के निर्माण की समयसीमा निर्धारित की जानी चाहिए। साथ ही, जल शक्ति मिशन के साथ मिलकर, इन विद्यालयों में नल का साफ़ पानी भी सुनिश्चित करना चाहिए।
- **बढ़ता समुदाय संघटन:** योजना के बारे में सकारात्मक चर्चा को प्रोत्साहित करके बड़े पैमाने पर लड़कियों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। इसके लिए निजी सहभागिता, NGOs की भागीदारी और स्वयं-सेवक समूहों का प्रयोग किया जा सकता है।
- **श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों का अनुकरण:** जिन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में बाल लिंगानुपात कम है, उन्हें श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों का अनुकरण करना चाहिए।

कन्याओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **सुकन्या समृद्धि योजना:** यह लड़कियों के लिए **एक लघु बचत योजना** है। इसे BBBP अभियान के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य कन्या की शिक्षा और विवाह से जुड़े खर्च को पूरा करना है।
- **विज्ञान ज्योति योजना:** माध्यमिक विद्यालयों में मेधावी छात्राओं के लिए एक समान अवसर तैयार करना, ताकि वे उच्चतर शिक्षा में विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) का अध्ययन कर सकें।
- **बालिका समृद्धि योजना:** समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों को सहायता प्रदान करना। साथ ही, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कन्याओं के नामांकन को सुनिश्चित करना और उसे बरकरार रखना।
- **लाडली योजना:** इस योजना को हरियाणा सरकार ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य कन्या के जन्म को लेकर पैदा होने वाली हीन भावना का समापन करना है।

लिंगानुपात बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम:

- **गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्ण निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994** को लागू करके प्रसव पूर्व लिंग चयन को अपराध घोषित किया गया है। इससे प्रसव पूर्व लिंग चयन में कमी आई है। साथ ही, अवैध गर्भपात करने वाले चिकित्सकों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जाती है।
- जन्म प्रमाण-पत्र को प्रूफ आईडी के रूप में दिखाकर प्रसव वाले दिन ही बचत खाता खोलने की सुविधा प्रदान की गई है। इसमें **जननी सुरक्षा योजना राशि** के रूप में पहली राशि जमा की जा सकती है। यह कन्याओं के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक योजना है।

6.3. भारत में एडटेक (शिक्षा प्रौद्योगिकी) क्षेत्र (EdTech Sector in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय ने नागरिकों को एडटेक कंपनियों के प्रति सावधानी बरतने की सलाह जारी की है।

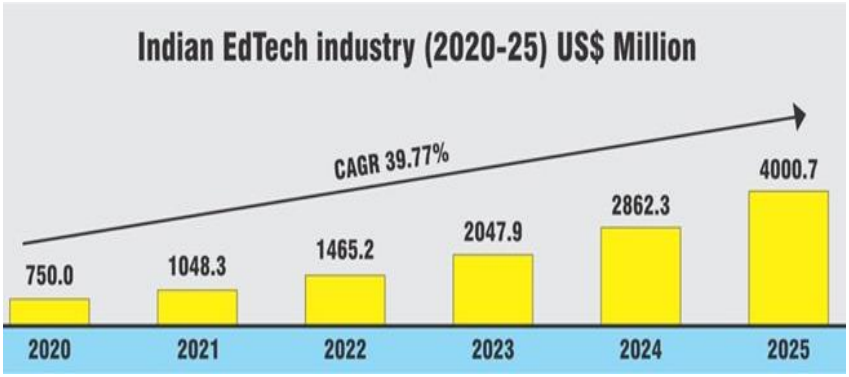

एडटेक के बारे में

एडटेक, "शिक्षा प्रौद्योगिकी"[101] का संक्षिप्त नाम है। इसमें विद्यार्थियों और कर्मचारियों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कंप्यूटर, कंप्यूटर

[101] Education Technology: EdTech

प्रोग्राम व शैक्षणिक प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है।

- **वर्ष 2020 में भारतीय एडटेक उद्योग का मूल्य 750 मिलियन डॉलर** था। वर्ष 2025 तक 39.77% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर[102] से बढ़कर इसके 4 बिलियन डॉलर होने की संभावना है।
- वर्तमान में **4,530 से अधिक एडटेक कंपनियां हैं** (सितंबर 2021)। इनमें से 435 एडटेक कंपनियां विगत 2 वर्षों में शामिल हुई हैं।
- **भारत में मुख्य एडटेक स्टार्टअप्स:** वैश्विक (कोर्सेरा, सिंपलीलर्न, उदासिटी, लिंडा.कॉम, स्किससॉफ्ट आदि) और भारतीय (बायजू, अनएकेडमी, टॉपर, अपग्रैड आदि)।

एडटेक के लाभ

- **सीखने का लोचशील विकल्प:** ऑनलाइन शिक्षा समय और स्थान पर आधारित नहीं होती। इसके लिए विद्यार्थियों को अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ केवल एक लैपटॉप या स्मार्टफोन की ज़रूरत होती है। साथ ही, कामकाजी लोग अपने समयानुसार कोर्स को पूरा कर सकते हैं।
- **अधिक किफ़ायती:** यह नियमित व भौतिक परिसर वाले शिक्षा की तुलना में बहुत किफायती होती है। यह उन विद्यार्थियों की मदद करती है, जो नियमित कॉलेज डिग्री प्राप्त/ पूरी नहीं कर पाते हैं।
- **गेमीफिकेशन और शैक्षणिक मनोरंजन में बढ़ोतरी:** कंपनियां खेल और पहेलियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करती हैं। इससे विद्यार्थियों के लिए विषयों को समझना आसान और रोचक बन जाता है।
- **नौकरी के लिए जरूरी कौशल प्रदान करता है:** एडटेक कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले करियर एडवांसमेंट पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों को बेहतर नौकरियां प्राप्त करने, नौकरी बदलने, पदोन्नति प्राप्त करने, अच्छे वेतन के लिए बात करने और क्षेत्र में प्रासंगिक बने रहने में मदद करते हैं।
- **पारंपरिक मॉडल का पूरक:** पहले से मौजूद शैक्षिक अवसंरचना में अतिरिक्त मांगों को पूरा करने के साधन नहीं हैं। ई-लर्निंग इस कमी को काफ़ी हद तक समाप्त करने में मदद कर सकती है।
- **दूरस्थ शिक्षा:** एडटेक, डायरेक्ट टू डिवाइस मॉडल का उपयोग करके व्यापकता और गति को सक्षम करता है। यह भौगोलिक बाधाओं को समाप्त करता है। इससे विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय शिक्षा तक पहुँचने में मदद मिलती है। अध्यापक दूर से प्रबंधन करने वाले सुविधा दाता बन जाते हैं।
- **सरकार के डिजिटल प्रयासों का पूरक:** सरकार ने 'डिजिटल इंडिया' और 'स्किल इंडिया' जैसे विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इनका उद्देश्य डिजिटल साक्षरता को प्रसारित करना, ज्ञान आधारित समाज का निर्माण करना तथा शिक्षा नीति के तीन सिद्धांतों, 'सुलभता, समानता एवं गुणवत्ता' को क्रियान्वित करना है।

ऑनलाइन शिक्षा की मुख्य श्रेणियाँ

प्राथमिक और माध्यमिक पूरक शिक्षा	विद्यालयों में प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में नामांकित छात्रों के लिए स्कूली शिक्षा का पूरक
उच्चतर शिक्षा	पारंपरिक उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों को एक विकल्प प्रदान करती है
परीक्षाओं की तैयारी	प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को कोचिंग देने के उद्देश्य से ऑनलाइन कार्यक्रम
कौशल विकास और प्रमाण–पत्रों का ऑनलाइन बाज़ार	कौशल विकास के लिए यूजर्स की सहायता हेतु बनाए गए पाठ्यक्रम, जिनसे प्रमाणन भी प्राप्त हो सकता है
भाषा और सामान्य शिक्षा	गैर–अकादमिक विषयों को सीखना जैसे कि अंग्रेजी बोलना और गिटार बजाना

[102] Compound annual growth rate: CAGR

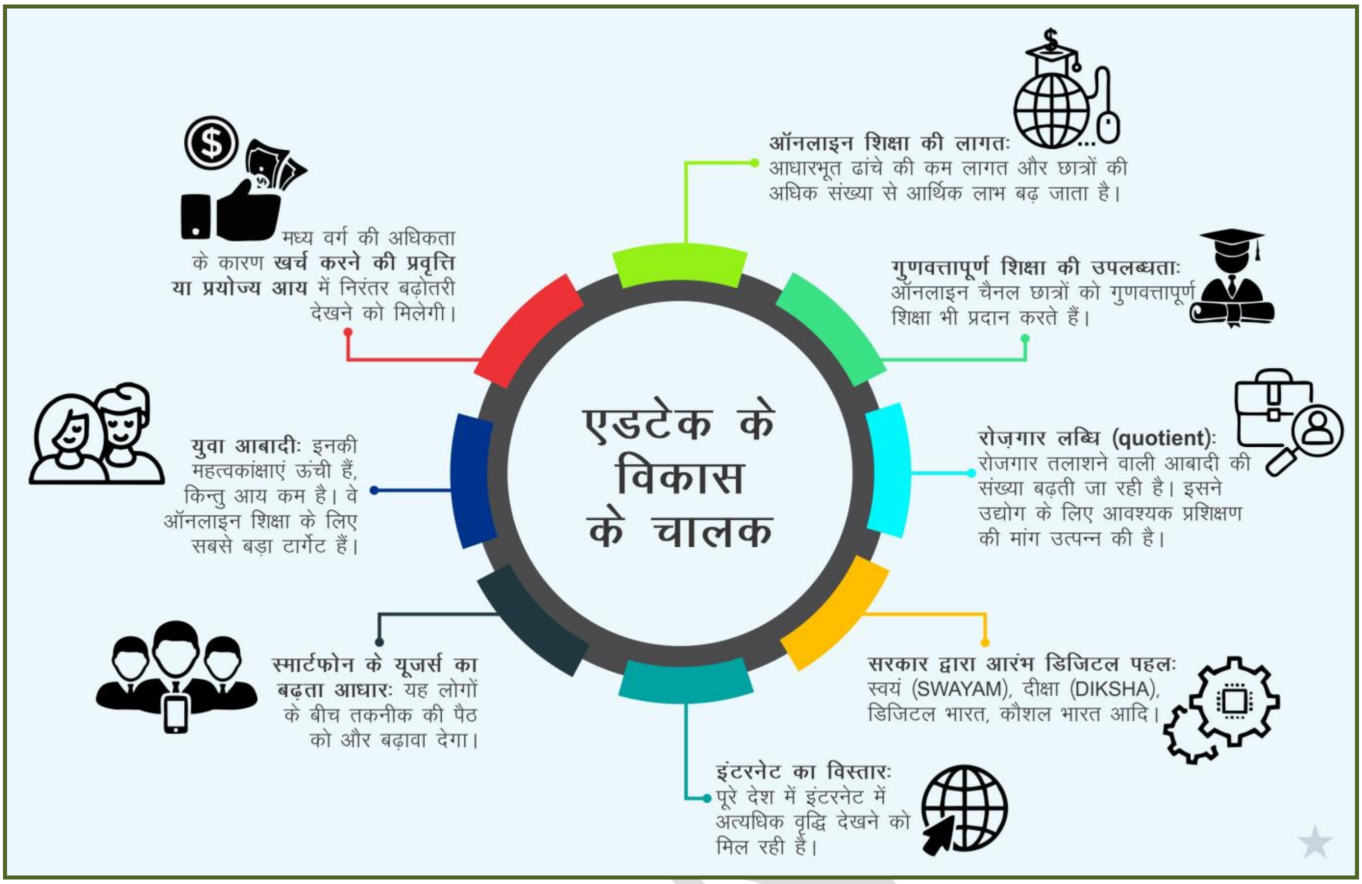

विनियमन की ज़रूरत क्यों?

- **महामारी के कारण पारंपरिक शिक्षा में बाधा:** स्कूलों और महाविद्यालयों ने अब डिजिटल और ऑनलाइन माध्यम को अपना लिया है। इससे विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा जारी रखने में मदद मिल रही है। इसलिए डिजिटल अनुभवों में व्याप्त असमानता को भी ध्यान में रखना चाहिए।
- **साइबर खतरों पर नियंत्रण:** साइबर बुलिंग, कम आयु के बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री के विषयों पर नज़र रखना, साइबर हमलों या फिशिंग घोटालों से बच्चों को बचाना, अध्यापकों/ प्रशिक्षकों/कंटेन्ट बनाने वालों की जांच करना आदि।
- **गोपनीयता से संबंधित चिंता:** एडटेक कंपनियों की गोपनीयता नीति अनिश्चित और अस्पष्ट होती हैं। यह मान लिया जाता है कि सहमति और जिम्मेदारी उपयोगकर्ता की है। ज़्यादातर उपभोक्ताओं के पास न तो इसकी कानूनी समझ होती है और न ही उन्हें समझाया जाता है।
- **सामाजिक कौशल को नज़रंदाज़ करता है:** अनेक शैक्षिक सिद्धांतवादियों, मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों को यह भय है कि जो विद्यार्थी केवल ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वह अपने सामाजिक कौशल को विकसित नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यह है कि यह कौशल अन्य लोगों के साथ परस्पर संवाद से ही विकसित होता है।
- **झूठे वादे:** कुछ एडटेक कंपनियां अनभिज्ञ अभिभावकों को लक्षित करके, उन्हें निःशुल्क सेवाएं देने के प्रलोभन में उनसे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मेंडेट पर हस्ताक्षर या ऑटो-डेबिट की सुविधा को चालू करवा लेती हैं।
- **नाबालिगों के अधिकारों का संरक्षण:** भारत में अधिकतर एड-टेक कंपनियां बारहवीं तक के पाठ्यक्रम और प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इसलिए, इनके ज्यादातर उपभोक्ता नाबालिग ही होते हैं। भारतीय कानून के तहत, नाबालिग (यानी 18 वर्ष या उससे कम) किसी समझौते का हिस्सा नहीं बन सकते।
- **सामाजिक और नैतिक मुद्दे:** पक्षपाती कंटेंट वितरण, करियर संबंधी निर्णयों पर प्रभाव, शिक्षकों के कौशल विकास या पुनर्विकास में कमी, विनियामकीय स्वीकृति के बिना ही कंटेंट का मानकीकरण एवं आधुनिकीकरण आदि।

आगे की राह

- **डिजिटल आधारभूत ढांचे को मज़बूत बनाना:** अधिक लोगों तक शैक्षिक कंटेन्ट का प्रचार करने के लिए कम खर्च वाले डिजिटल मंचों पर विचार करने की ज़रूरत है। केरल के नेबरहुड शिक्षण केंद्र इस तरह के मंचों के एक उदाहरण हैं।
- **सामाजिकता:** छात्रों को सामाजिक जुड़ाव बढ़ाने का पर्याप्त अवसर देने के साथ ही उनके भावनात्मक कल्याण में निवेश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही तरीके की डिजिटल विषय सामग्री की वजह से इनके साथ समझौता किया गया है।

- **डेटा संरक्षण:** डेटा को किस तरह संग्रहीत, संचित व संसाधित किया जाता है तथा उसका कैसे विश्लेषण व उपयोग किया जाता है, इसकी एक निर्धारित प्रणाली एवं नीति होनी चाहिए। एडटेक कंपनियों के डेटा गोपनीयता कार्यालयों और वैध अधिकारियों से संपर्क करने का माध्यम अंतिम उपभोक्ता के पास होना चाहिए।
- **जागरूकता:** शिक्षण संस्थानों और सरकारी शिक्षण विभागों को जागरूकता अभियान आयोजित करवाना चाहिए। साथ ही, इन एडटेक कार्यक्रमों की नियमित ऑडिटिंग और प्रदर्शन समीक्षा करवानी चाहिए।

शिक्षा मंत्रालय ने हितधारकों के लिए "क्या करें और क्या न करें" निर्देश जारी किए:

- सदस्यता शुल्क भुगतान के लिए ऑटो डेबिट विकल्प से बचें।
- एडटेक कंपनियों के विज्ञापनों पर आँख मूँद कर भरोसा न करें।
- किसी भी एडटेक मंच का उपयोग करने से पहले शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए **'प्रज्ञाता (PRAGYATA)'** दिशा-निर्देशों में उल्लिखित बाल सुरक्षा दिशा-निर्देशों को पढ़ें।
- अभिभावक की सहमति के बिना खरीदारी की अनुमति न दें। ऐप से खरीदारी से बचने के लिए RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार ओ.टी.पी. आधारित भुगतान को अपनाया जा सकता है।

शिक्षा मंत्रालय ने एडटेक कंपनियों को भी निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है:

- ई-कॉमर्स इकाइयों के रूप में मान्य एडटेक कंपनियों को **उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020** का पालन करना होगा।
- शिक्षण संस्थानों (जिनमें एडटेक कंपनियां और उनके कार्यक्रम भी शामिल हैं) के विज्ञापनों में विज्ञापन पर स्व-विनियमन के लिए एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड्स कौंसिल ऑफ़ इंडिया (ASCI) की संहिता का भी अनुपालन करना होगा।

6.4. सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (Surrogacy (Regulation) Act , 2021)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2021 पारित किया था। यह राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात कानून बन गया है।

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की मुख्य विशेषताएं

- **सरोगेसी को परिभाषित करता है:** सरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें एक महिला इस इरादे से एक 'इच्छुक दंपति' के लिए बच्चे को जन्म देती है कि जन्म के बाद वह (महिला) बच्चे को इच्छुक दंपति को सौंप देगी।

सरोगेसी के प्रकार

- **परोपकारी सरोगेसी (Altruistic surrogacy):** इसमें गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा खर्च और बीमा कवरेज के अलावा सरोगेट मां को कोई मौद्रिक मुआवजा नहीं दिया जाता है।
- **व्यावसायिक सरोगेसी (Commercial surrogacy):** इसमें सरोगेसी या उससे संबंधित प्रक्रियाओं में बुनियादी चिकित्सा खर्च और बीमा कवरेज के साथ-साथ **मौद्रिक लाभ या पुरस्कार** (नकद या वस्तु के रूप में) भी शामिल होता है।
  - भारत में इसे **पहली बार वर्ष 2002 में वैध बनाया गया** था। इसके बाद भारत, विश्व की **"किराये की कोख" का केंद्र** बन गया।
  - हालांकि, इसमें शामिल पक्षों के लिए उचित कानूनों और सुरक्षा उपायों की कमी के कारण, कई नैतिक कानूनी चुनौतियां उत्पन्न हुईं।
- सरकार ने **वर्ष 2015 में विदेशी नागरिकों के लिए सरोगेसी पर प्रतिबंध** लगा दिया।

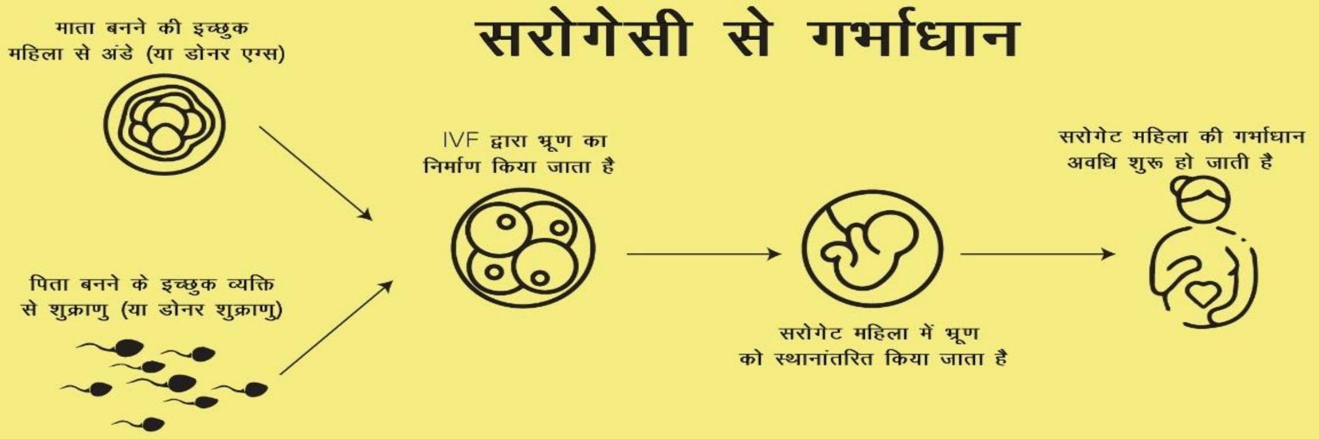

- **विनियमन के लिए बनाए गए नए निकाय:**
    - **राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड का गठन:** इसका अध्यक्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रभारी मंत्री होता है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं:
        - सरोगेसी से संबंधित नीतिगत मामलों पर **केंद्र सरकार को सलाह देना**;
        - अधिनियम के कार्यान्वयन की **समीक्षा और निगरानी** करना,
        - सरोगेसी क्लीनिक्स के लिए **आचार संहिता निर्धारित करना;**
        - सरोगेसी क्लीनिक्स के भौतिक बुनियादी ढांचे, प्रयोगशाला और नैदानिक उपकरण एवं विशेषज्ञ समूहों के लिए **न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना;**
        - अधिनियम के तहत गठित विभिन्न निकायों के प्रदर्शन की निगरानी करना;
        - राज्य से सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्डों के कामकाज की निगरानी करना।
    - प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर **राज्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्डों का गठन करना।**
- **सरोगेसी का विनियमन:**
    - यह कानून **वाणिज्यिक सरोगेसी को प्रतिबंधित** करता है, लेकिन **परोपकारी सरोगेसी की अनुमति** देता है।
    - सरोगेसी की अनुमति तब दी जाती है जब यह,
        - उन इच्छुक दम्पति के लिए हो, जो बांझपन से पीड़ित हैं;
        - केवल परोपकारी सरोगेसी उद्देश्यों के लिए हो;
        - वाणिज्यिक उद्देश्य से, वेश्यावृत्ति या शोषण के अन्य रूपों के लिए बच्चे पैदा करने के लिए नहीं हो, तथा
        - विनियमों के उपबंधों के अनुसार किसी भी स्थिति या बीमारी के लिए हो।
    - **सरोगेसी क्लिनिक्स का पंजीकरण** अनिवार्य कर दिया गया है।
    - केंद्र और राज्य सरकारें अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने एवं मूल्यांकन करने के लिए **एक या अधिक उपयुक्त अधिकारियों** की नियुक्ति कर सकेंगी।
- **सरोगेट माता के लिए पात्रता मानदंड:** निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए गए हैं-
    - एक **विवाहित महिला जिसका स्वयं का एक बच्चा हो** और जिसकी आयु 25 से 35 वर्ष है;
    - अपने **जीवनकाल में केवल एक बार सरोगेट हो;**
    - सरोगेसी के लिए चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
- **दम्पतियों के लिए पात्रता मानदंड:** इच्छुक दम्पति के पास उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी **"आवश्यकता का प्रमाण-पत्र"** और **"पात्रता का प्रमाण-पत्र"**[103] होना चाहिए।

103 Certificate of essentiality and certificate of eligibility

- **अन्य विशेषताएं:**
  - सरोगेसी प्रक्रिया से पैदा हुए **बच्चे को इच्छुक दंपत्ति की जैविक संतान** माना जाएगा।
  - सरोगेट बच्चे के **गर्भपात** के लिए **सरोगेट माता की लिखित सहमति और उपयुक्त प्राधिकारी की अनुमति** की आवश्यकता होती है। यह अनुमति **गर्भपात की चिकित्सकीय समाप्ति अधिनियम, 1971**[104] के अनुरूप होनी चाहिए।
  - **अपराध के लिए दंड और जुर्माना:** 10 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना।

सरोगेसी पर कानून का महत्व

- **बाजार विनियमन के लिए प्रावधान:** यह अधिनियम सरोगेसी क्लीनिक्स के पंजीकरण का प्रावधान करता है। साथ ही, दुरुपयोग को रोकने के लिए दंड के संदर्भ में उचित सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करता है।
- **सरोगेट माता के अधिकारों की रक्षा:** ऐसा माता को उचित **प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद देखभाल** के मूल अधिकार सुनिश्चित करके किया जाता है। इससे पहले, सरोगेट को असुरक्षित स्थानों पर जन्म देने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे माता और बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था।
  - इसके अलावा, **गर्भपात के प्रावधान के साथ महिलाओं को उनके शरीर पर अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों** को अपनाया गया है। साथ ही, बच्चे के प्रति **सरोगेट माता-पिता की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है।**
- **बच्चे के अधिकारों की रक्षा-** आनुवंशिक या अन्य दिव्यांगता के कारण **बच्चे का परित्याग** या दम्पति की सामाजिक या वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन की कानूनी रूप से **अनुमति नहीं है।**
- **देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देता है:** भारत सरोगेसी के लिए एक बड़ा बाजार है। जैसा कि इस तथ्य से पता चलता है कि **वर्ष 2012 में, भारत के सरोगेसी उद्योग का आकार 2 अरब डॉलर प्रति वर्ष था।** इसमें देश भर में 3,000 से अधिक फर्टिलिटी क्लीनिक सम्मिलित थे।
- **इच्छुक अभिभावकों का समर्थन करता है:** उन्हें अपने जीवन के अधिकार का प्रयोग करने और अपने परिवार को पूरा करने में मदद करता है।

अधिनियम की कमियां

- **वाणिज्यिक सरोगेसी पर पूर्ण प्रतिबंध:** वाणिज्यिक सरोगेसी पर पूर्ण प्रतिबंध, इस उद्योग को गुप्त तरीके से चलाने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही, यह सरोगेट माताओं को और भी सुभेद्य बना सकता है।
  - **बी. के. पार्थसारथी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार** मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय लिया था कि प्रजनन के बारे में फैसला करने का अधिकार अनिवार्य रूप से एक निजी इच्छा का मामला है। इस तरह के निर्णय लेने की प्रक्रिया में राज्य की भूमिका की कड़ी जांच की जानी चाहिए।
- **केवल विषमलैंगिक जोड़ों के लिए सरोगेसी का प्रावधान करना: देविका विश्वास बनाम भारत संघ** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि **प्रजनन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन के अधिकार' का एक अनिवार्य पहलू है।**
  - इस प्रकार, केवल विषमलैंगिक जोड़ों और एक विशेष आयु वर्ग के भीतर सरोगेसी को मान्यता देना, जबकि **एलजीबीटी समुदाय, एकल व्यक्तियों एवं वृद्ध दंपतियों को प्रजनन विकल्पों से वंचित करना** अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 का भी स्पष्ट उल्लंघन है।
- **'बंध्यता' की परिभाषा को गर्भधारण में विफलता तक सीमित करने जैसे मुद्दे:** इसमें उन सभी मामलों को शामिल नहीं किया गया है, जिनकी वजह से एक दंपत्ति बच्चा पैदा करने में असमर्थ होता है।
  - उदाहरण के लिए, चिकित्सीय स्थितियां जहां महिला गर्भधारण तो कर सकती है, लेकिन बच्चे को गर्भावस्था की पूरी अवधि तक पोषित करने में असमर्थ है।
- **सरोगेट माता का 'करीबी रिश्तेदार' होने की अनिवार्यता संबंधी मुद्दा:** अधिनियम यह परिभाषित नहीं करता है कि 'करीबी रिश्तेदार' में कौन शामिल हैं। साथ ही, परिवारों में बहू को इसके लिए मजबूर किए जाने की भी संभावना है।

आगे की राह

- **प्रसव के बाद होने वाले अवसाद संबंधी देखभाल:** सरकार को प्रसव बाद के अवसाद को ध्यान में रखना चाहिए और इसके लिए प्रावधान करना चाहिए। साथ ही, मातृत्व लाभ दोनों माताओं को दिया जाना चाहिए।
- **आई.वी.एफ. उपचार के लिए समय-सीमा को समाप्त करना:** सरकार को लोगों को सरोगेसी का सहारा लेने की अनुमति देने से पहले आई.वी.एफ. उपचार के लिए निर्धारित समय को समाप्त करने पर विचार करना चाहिए। इसका कारण यह है कि कई महिलाएं बच्चे पैदा करने के लिए चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त होती हैं। साथ ही, कुछ कम-ज्ञात और अनिर्धारित बीमारियों से पीड़ित हैं जैसे " टोकोफोबिया "या बच्चे के जन्म का डर इत्यादि।

---

104 Medical Termination of Pregnancy Act, 1971

VISIONIAS

- **व्यावसायिक सरोगेसी को शामिल करने के लिए सरोगेसी के विकल्प का समय से परे विस्तार:** उचित सुरक्षा उपायों के साथ सरोगेसी बाजार का विस्तार करने से बच्चे के प्यार से वंचित लोगों को मदद मिलेगी।

6.5. विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 (World Migration Report 2022)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन[105] ने **विश्व प्रवासन रिपोर्ट- 2022** जारी की।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह रिपोर्ट प्रासंगिक प्रवासन डेटा का विश्लेषण करती है। इसका उद्देश्य **प्रवास, इसके मुख्य चालकों और संबंधित घटनाओं (जैसे कि जलवायु परिवर्तन, मानव तस्करी और कोविड-19 के प्रभाव) की समझ एवं अध्ययन को बढ़ावा देना है।**
    - वर्ष 2000 से, IOM प्रत्येक दो वर्षों में अपनी प्रवासन रिपोर्ट जारी करता है।

प्रवास – एक नज़र में

पिछले 21 वर्षों में, विश्व स्तर पर प्रवास में 62 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है

	प्रवास रिपोर्ट वर्ष 2000	प्रवास रिपोर्ट वर्ष 2022
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या	173 मिलियन	281 मिलियन
विश्व की जनसंख्या में प्रवासी आबादी का अनुमानित अनुपात	2.8%	3.6%
महिला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का अनुमानित अनुपात	49.4%	48%
अंतर्राष्ट्रीय बाल प्रवासियों का अनुमानित अनुपात	16%	14.6%
प्रवासी श्रमिकों का अनुमानित अनुपात	उपलब्ध नहीं	169 मिलियन
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजा गया या प्रेषित धन (डॉलर में)	128 बिलियन	720 बिलियन
शरणार्थियों की संख्या	14 मिलियन	26.4 मिलियन
आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या	21 मिलियन	55 मिलियन

मुख्य निष्कर्ष

- वर्ष 2022 की रिपोर्ट से पता चलता है कि कोविड-19 के कारण वैश्विक आवाजाही में आई बाधा पर यदि ध्यान न भी दिया जाये तो भी, **प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण आंतरिक विस्थापन में काफी वृद्धि हुई है।**
- **ऐतिहासिक संघर्षों की तुलना में जलवायु परिवर्तन के कारण घटित होने वाली आपदाओं** से अधिक लोग विस्थापित हो रहे हैं।
- इससे पहले, **विश्व बैंक ने अनुमान लगाया** था कि उप-सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका में **वर्ष 2050 तक 143 मिलियन लोग अपने देशों में ही, एक जगह से दूसरी जगह प्रवास कर जाएंगे।** इस प्रवास का कारण जलवायु परिवर्तन संबंधी घटनाएं होंगी।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या में वर्ष 1970 से लगातार वृद्धि हुई है। यह वर्तमान में पृथ्वी पर पूरी आबादी का लगभग 3.6% है।
    - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवास करने का मुख्य कारण रोजगार की तलाश है।
    - सभी वैश्विक प्रवासियों में से **61% या तो यूरोप या एशिया** में रहते हैं। इन दोनों महाद्वीपों में क्रमशः **87 मिलियन और 86 मिलियन प्रवासी** रहते हैं।
- काम के लिए प्रवासन के कारण **अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण (रेमिटेंस) में कई गुणा वृद्धि** हुई है।

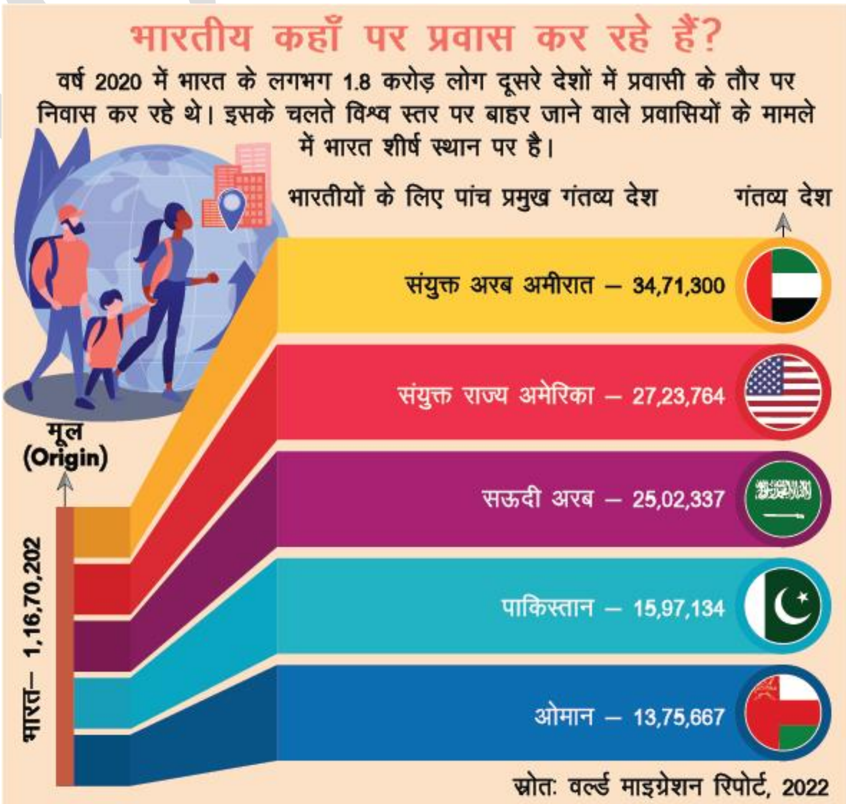

[105] International Organization for Migration: IOM

- कोविड-19 की वजह से **वर्ष 2020 में प्रवासन में केवल 2.4% की एक छोटी सी गिरावट** देखी गई है।
- वर्ष 2020 में, **भारत, चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र** रेमिटेंस प्राप्त करने वाले शीर्ष पांच देश थे।

- **डिजिटल तकनीक का उपयोग अनियमित प्रवास को समर्थन देने** के लिए किया जाता है। साथ ही, यह प्रवासियों को अपमानजनक और शोषणकारी प्रवासी तस्करों एवं मानव तस्करों से बचाने में सक्षम भी बनाता है।
    - उदाहरण के लिए, कई सरकारी संगठनों ने उभरती हुई तकनीकों का उपयोग किया है। इनमें **बायोमेट्रिक डेटा के उपयोग सहित वीज़ा आवेदन जमा करने वाले ई-प्लेटफ़ॉर्म और प्रस्थान-पूर्व जाँच के क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता** जैसी तकनीकें शामिल हैं।
- कोविड-19 महामारी के कारण **मानव तस्करी की घटनाओं में वृद्धि हुई है।** साथ ही, इसने मानव तस्करी की आशंका को और बढ़ाया है।
- रिपोर्ट से पता चलता है कि **अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अभी तक प्रवासन और शरणार्थियों पर ग्लोबल कॉम्पैक्ट को लागू करने में सफल नहीं** हुआ है।
    - यह इस बात की भी पुष्टि करता है कि शरणार्थी सहायता और वैश्विक पुनर्वास लक्ष्य अपर्याप्त हैं। साथ ही, **न तो अभूतपूर्व स्तर की सुरक्षा आवश्यकताओं का निपटान किया गया है और न ही उन देशों के साथ एकजुटता प्रदर्शित की गई है, जो विश्व भर के शरणार्थियों की विशाल आबादी की मेजबानी करते हैं।**

ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजी (Global Compact on Refugees: GCR) के बारे में

- **संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर, 2018 को** इसका समर्थन किया था।
- यह शरणार्थियों को उचित सहायता देने के लिए मेजबान देशों और समुदायों के बीच **जिम्मेदारी-साझा करने** को बढ़ावा देने हेतु बनाया गया है।
- यह **बेहतर पूर्वानुमान और न्यायसंगत जिम्मेदारी-साझा करने के लिए एक रूपरेखा** है। इसकी यह मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना शरणार्थी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं किया जा सकता है।
- यह **सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य हितधारकों के लिए एक ब्लूप्रिंट** प्रस्तुत करता है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि **मेजबान समुदायों को आवश्यक सहायता** मिल सके और शरणार्थी बेहतर जीवन जी सकें।

6.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

6.6.1. विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 (World Inequality Report 2022)

हाल ही में, **'विश्व असमानता रिपोर्ट 2022'** को जारी किया गया है। इसमें **वैश्विक पूंजी, आय, लैंगिक और पारिस्थितिकी संबंधी असमानता** के आंकड़ों को दर्शाया गया है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- **प्रकाशक:** पेरिस स्थित **'वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब'।**
- **उद्देश्य:** वैश्विक असमानता की स्थिति पर अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- **प्रमुख निष्कर्ष:**
    - **संपत्ति की असमानता**
        - **आय एवं संपत्ति की असमानताएं लगभग प्रत्येक स्थान पर बढ़ रही हैं।** यह वृद्धि विनियमन और उदारीकरण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के बाद अर्थात् 1980 के दशक के पश्चात् तेज हुई है।
        - **देशों के बीच असमानता** की तुलना में **देशों के भीतर असमानता** अधिक है।
        - धनी देशों में सरकारी पदों पर बैठे लोगों के पास न के बराबर संपत्ति है या वे कर्ज में डूबे हुए हैं। इसका अर्थ है कि सारी संपत्ति निजी क्षेत्र के पास है।
    - **आय की असमानता**
        - **मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका**[106] में सर्वाधिक असमानता व्याप्त है, जबकि **यूरोप में** असमानता का स्तर **सबसे कम है।**
        - भारत, विश्व में सबसे अधिक असमानता वाला देश है। वर्ष 2021 में, इसके **शीर्ष 10 प्रतिशत** की आय कुल **राष्ट्रीय आय का 57% हिस्सा** थी, जबकि **नीचे के 50 प्रतिशत** की हिस्सेदारी मात्र **13%** थी।
    - **लैंगिक असमानता:** कार्य से प्राप्त कुल आय (श्रम आय) में महिलाओं की हिस्सेदारी वर्ष 1990 में लगभग 30% थी और वर्तमान में यह **35% से भी कम है।**
    - भारत में **महिला श्रम आय की हिस्सेदारी लगभग 18% है।** यह एशियाई औसत से भी कम है।

[106] Middle East and North Africa: MENA

- **पारिस्थितिकी संबंधी असमानता:**
  - संपत्ति की असमानता का कार्बन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों के साथ परस्पर गहरा संबंध रहा है।
  - उत्तरी अमेरिका में **औसत प्रति व्यक्ति उत्सर्जन (27%)** सबसे अधिक है। इसके बाद यूरोप और चीन का स्थान है।
  - भारत में **निचले स्तर की 50% आबादी , यूरोपीय संघ** के निचले स्तर की 50% आबादी में औसत व्यक्ति की तुलना में **औसतन पांच गुना कम उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है।**

संबंधित तथ्य

भारत में असमानता के संबंध में 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण[107]' के आंकड़े

- विकास के कुल स्तर में 31% की बढ़ोतरी हुई है तथा विकास की असमानता में 41% की गिरावट आई है।
- **उत्तर प्रदेश की 37.8% आबादी** बहुआयामी निर्धनता सूचकांक[108] के गरीबी के स्तर से नीचे है। इसके विपरीत केरल में **केवल 0.71% आबादी** MPI के निर्धनता के स्तर से नीचे है।
  - MPI को ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल[109] द्वारा जारी किया जाता है। इसके द्वारा **विशेष रूप से गरीबी के विस्तृत गैर-मौद्रिक निर्वाह मानक सूचकांक** को विकसित किया जाता है।
- कम विकसित राज्यों में अधिक सुधार हो रहा है। इसका अर्थ है कि क्षेत्रीय असमानता में कमी हो रही है।
  - उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्य **स्वच्छता, घर के भीतर वायु प्रदूषण आदि जैसे संकेतकों के संदर्भ में** कुछ विकसित राज्यों के मानकों तक पहुंच रहे हैं।

6.6.2. 'शी इज ए चेंजमेकर' कार्यक्रम ('She Is a Changemaker' Programme)

- हाल ही में, राष्ट्रीय महिला आयोग ने **राजनीति से जुड़ी महिलाओं के लिए 'शी इज ए चेंजमेकर' नामक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम** का शुभारंभ किया है।
- इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर महिला राजनीतिज्ञों के नेतृत्व कौशल को विकसित करना है।
- इसे महिला राजनीतिज्ञों के लिए क्षमता निर्माण के उद्देश्य से क्षेत्रवार शिक्षण संस्थानों के सहयोग से आरंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत **निर्णय लेने, संचार कौशल सहित, भाषण, लेखन आदि में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।**
- इसमें ग्राम पंचायत से लेकर संसद सदस्य और राष्ट्रीय/राज्यों के राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों सहित राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में सभी स्तरों पर महिला प्रतिनिधि शामिल हैं।

6.6.3. नीति आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया {NITI Aayog Releases Northeastern Region (NER) District SDG Index and Dashboard 2021-22}

- पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य (SDG) सूचकांक और डैशबोर्ड **नीति आयोग तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (M/DoNER)** का एक सहयोगी प्रयास है। इसमें **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** से तकनीकी सहायता भी प्राप्त हुई है। यह आठ पूर्वोत्तर राज्यों के जिलों के प्रदर्शन को मापने पर केंद्रित है।
  - यह **भारत में SDG के स्थानीयकरण की दिशा** में एक कदम है अर्थात् वर्ष 2030 SDG को स्थानीय कार्रवाई और उसके प्रभाव में रूपांतरित करना है।
  - इस SDG सूचकांक का **विकास और कल्याणकारी गतिविधियों, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल आदि की योजना बनाने के लिए एक आधार** के रूप में उपयोग किया जाएगा।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) के लिए प्रमुख पहलें**
  - **पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम** लिमिटेड[110] **का पुनरुद्धार:** इसका उद्देश्य बेहतर कृषि सुविधाएं प्रदान करने, किसानों को क्लस्टर में प्रशिक्षण देने, जैविक बीज और उर्वरक आदि जैसी **नवीन योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद** करना है।

---

[107] National Family Health Survey: NFHS

[108] Multidimensional Poverty Index: MPI

[109] Oxford Poverty and Human Development Initiative: OPHI

[110] North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited: NERAMAC

VISION IAS

- राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-पाम ऑयल (NMEO-OP)
    - **नवीन उपज का 50% पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए लक्षित है।**
- **पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (NEDFi)** द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करके NER के **शिल्पियों को विकसित करने के लिए आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना** संचालित की जा रही है।
- सड़कों के निर्माण/ उन्नयन के लिए **पूर्वोत्तर राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम (NESRIP)** आरंभ किया गया है।
- स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कोविड-19 के प्रकोप का सामना करने के लिए **पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना**[111] निर्मित की गई है।

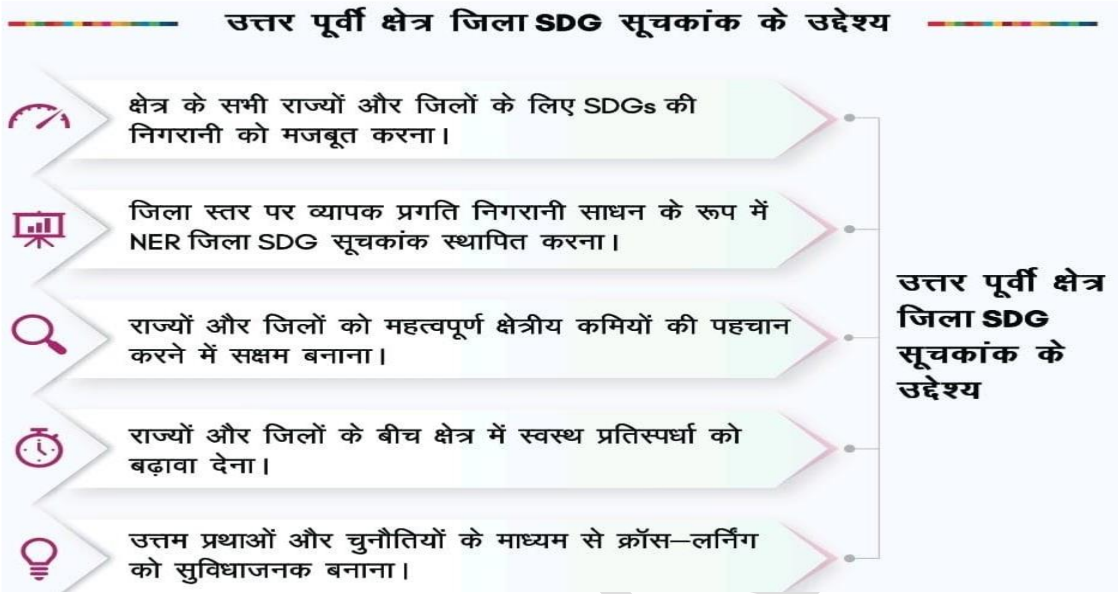

6.6.4. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी भारत को 'कचरा मुक्त' बनाने के लिए रोडमैप जारी किया {Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) Launches Roadmap to make Urban India 'Garbage Free'}

- MoHUA ने **कचरा मुक्त शहरों (GFC) की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल-टूलकिट 2022** लॉन्च की। यह अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एक महत्वपूर्ण **अभिशासन साधन** है।
- टूलकिट को **स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) 2.0** की प्राथमिकताओं के साथ संबद्ध किया गया है। इसमें डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रह, स्रोत पर पृथक्करण, अपशिष्ट प्रसंस्करण और डंप साइट के उपचार के लिए उच्च भारांश आवंटित किया गया है।
    - SBM 2.0 को कचरा मुक्त शहर बनाने के समग्र दृष्टिकोण के साथ शुरू किया गया था। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए SBM-U 2.0 के तहत स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अनुसार प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को कम से कम 3 स्टार कचरा मुक्त बनाना प्रमुख उद्देश्य है।
        - कचरा मुक्त शहर के लिए एक **सेवन स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल** परिभाषित किया गया है। यह स्वच्छता के उच्च मानकों की ओर अग्रसर होने के लिए शहरों की आकांक्षाओं पर आधारित है (इन्फोग्राफिक देखें)।

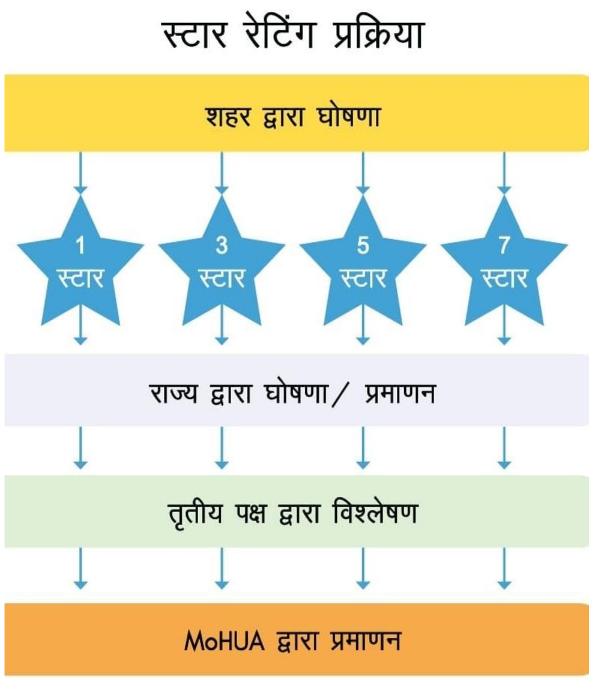

- मौजूदा **GFC प्रोटोकॉल** को संशोधित करने और मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए टूलकिट को आवश्यक समझा गया, ताकि प्रत्येक

[111] North East Special Infrastructure Development Scheme: NESIDS

शहरी स्थानीय निकाय, **GFC** प्रमाणीकरण के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित हो सके।

- SBM-U 2.0 और 15वें वित्त आयोग दोनों से सरकारी निधियां प्राप्त करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कम से कम 1-स्टार प्रमाणन प्राप्त करना एक आवश्यक शर्त बनाई गई है।

6.6.5. सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम (Sustainable Urban Development and Service Delivery Program)

- भारत और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने **शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं।**
  - सतत शहरी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्तर पर **शहरी सुधारों के लिए आवश्यक नीतियां और दिशा-निर्देश स्थापित करेगा।**
  - **सेवा वितरण** कार्यक्रम, राज्य और **शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर विशिष्ट सुधार कार्य एवं कार्यक्रम प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।**
- ADB आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को ज्ञान और सलाहकार संबंधी सहायता प्रदान करेगा।
  - यह विशेष रूप से चयनित निम्न आय वाले **राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों का भी समर्थन** करेगा।

6.6.6. अटल नवाचार उपलब्धि संस्थान रैंकिंग (Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements: ARIIA)

- ARIIA, **शिक्षा मंत्रालय (MoE)** की एक पहल है। यह भारत के सभी प्रमुख उच्चतर शिक्षण संस्थानों को व्यवस्थित रूप से रैंक प्रदान करती है। यह रैंकिंग छात्रों और संकायों के बीच नवाचार, स्टार्टअप्स एवं उद्यमिता विकास से संबंधित संकेतकों पर आधारित है।
- इस वर्ष की रैंकिंग में **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास शीर्ष** पर है। दूसरे स्थान पर **IIT बॉम्बे है। भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बेंगलुरु इस वर्ष छठे स्थान पर है।**

6.6.7. संसदीय स्थायी समिति ने "स्कूल की पाठ्यपुस्तकों के कंटेंट और डिजाइन में सुधार" हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की है {Parliamentary Standing Committee (PSC) Submitted “Reforms in Content and Design of School Textbooks” Report}

- पाठ्यपुस्तकों में गैर-ऐतिहासिक तथ्यों के संदर्भों की पहचान करने के लिए समिति का गठन किया गया था। इस समिति का उद्देश्य **भारतीय इतिहास के सभी चरणों का आनुपातिक संदर्भ सुनिश्चित करना और महान उपलब्धियां प्राप्त करने वाली महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश** डालना था।
- **समिति की प्रमुख सिफारिशें**
  - पाठ्य-पुस्तक के कंटेंट, ग्राफिक्स और लेआउट, पूरक सामग्री एवं शैक्षणिक दृष्टिकोणों से संबंधित **अनिवार्य मानकों को विकसित** किया जाना चाहिए।
  - चित्रों, ग्राफिक्स, क्यूआर कोड और अन्य ऑडियो-विजुअल कंटेंट के उपयोग के माध्यम से **बच्चों के अधिक अनुकूल पाठ्यपुस्तकों** की आवश्यकता है।
  - **प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यपुस्तकों को दो उद्देश्यों की पूर्ति करनी चाहिए:** शिक्षा के मुख्य घटकों (पढ़ना, लिखना आदि) को एक मजबूत आधार प्रदान करना और छात्रों में जिज्ञासा पैदा करना।
  - पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न राज्यों और जिलों के अब तक **अज्ञात उन पुरुषों एवं महिलाओं के जीवन विवरण को शामिल करना चाहिए,** जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय इतिहास, गौरव तथा एकता को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
  - ऐतिहासिक व्यक्तित्वों और स्वतंत्रता सेनानियों के **गलत चित्रण** में सुधार किया जाना चाहिए।
  - नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला जैसे **प्राचीन विश्वविद्यालयों में अपनाई गई शैक्षिक पद्धतियों का अध्ययन किया जाना चाहिए।** साथ ही, उन पद्धतियों को शिक्षकों के लिए एक आदर्श संदर्भ के रूप में स्थापित करने हेतु उन्हें उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।
  - **पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए।** इसके अतिरिक्त दर्शन, विज्ञान, गणित आदि क्षेत्रों में प्राचीन भारत के योगदानों को भी पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया जाना चाहिए।

6.6.8. श्रेष्ठ योजना (Shrestha Yojna)

- डॉ. भीम राव अम्बेडकर **की 66वीं पुण्यतिथि (महापरिनिर्वाण दिवस) के अवसर पर** "श्रेष्ठ योजना" को शुरू किया गया है।
  - इसे **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा** कार्यान्वित किया जा रहा है।

- इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करके **अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और समग्र विकास में सहायता करना है।**

6.6.9. शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2020 {Shakti Criminal Laws (Maharashtra Amendment) Bill, 2020}

- **महाराष्ट्र विधानसभा ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए** शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है।
- **इस विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधान**
  - यह विधेयक एसिड हमला, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार जैसे अपराधों के लिए **मृत्युदंड का प्रावधान करता है।**
  - साथ ही, इस विधेयक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए जांच, सुनवाई एवं अपील के निपटान में लगने वाले समय को भी कम करने हेतु प्रावधान किए गए हैं।
  - इसके अंतर्गत **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट डेटा कंपनियों को पुलिस जांच के लिए डेटा साझा करने हेतु उत्तरदायी बनाया गया है।**
- यह विधेयक **आंध्र प्रदेश के दिशा अधिनियम पर आधारित है।**

6.6.10. केंद्र सरकार ने मोटे अनाज की खरीद के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन किया (Centre Revises Guidelines for Procurement of Coarse Grain)

- हाल ही में, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने **मोटे अनाज की खरीद, आवंटन, वितरण एवं बिक्री के लिए संशोधित दिशा-निर्देश** जारी किये हैं। नए दिशा-निर्देशों के तहत, ज्वार और रागी की वितरण अवधि को क्रमशः 6 व 7 महीने तक बढ़ा दिया गया है।
  - पहले के दिशा-निर्देशों में राज्यों को केंद्रीय पूल के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से मोटा अनाज खरीदने की अनुमति दी गई थी। यह केंद्र और भारतीय खाद्य निगम के पूर्व अनुमोदन के अधीन था। खरीद की गई मात्रा को **क्रय अवधि के समाप्त होने के 3 महीने के भीतर वितरित किया जाना आवश्यक था।**

भौगोलिक अवस्थाएं	ज्वार/ सोरघम मिलेट	रागी/ फिंगर मिलेट
तापमान	गर्म और शुष्क जलवायु में अच्छी फ़सल होती है। खरीफ़ मौसम में इसे 20–35 डिग्री सेल्सियस और रबी मौसम में 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए होता है।	20–35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता
वर्षा	वार्षिक रूप से 45–100 से.मी. तक वर्षा की ज़रूरत।	दाने के पकने के दौरान सूखे मौसम की ज़रूरत होती है। वार्षिक रूप से 70–120 से.मी. वर्षा की ज़रूरत।
मिट्टी के प्रकार	6–7.5 की पी.एच. दर के साथ अच्छी जल निकासी और ह्यूमस वाली बलुई व दुमट **(sandy, loamy)** मृदा में अच्छी फसल होती है।	4.5–8 की पी.एच. दर के साथ लाल, काली, बलुई, दुमट और लैटेराइट मृदा में अच्छी फसल होती है।
सबसे बड़ा उत्पादक	भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक **महाराष्ट्र** है।	भारत में रागी का सबसे बड़ा उत्पादक **कर्नाटक** है।

- **वितरण अवधि को बढ़ाने का महत्व:**
  - इन जिंसों की खरीद और उनके उपभोग में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि राज्यों के पास लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली/ अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत इन्हें वितरित करने के लिए अधिक समय होगा।
  - खरीद के बढ़ने से, इन फसलों की **खरीद से लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या** भी बढ़ेगी।
    - सरकार द्वारा मोटे अनाज की खरीद मुख्य रूप से **गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश** से की जाती है।
  - मोटे अनाज के उपभोग से बच्चों और किशोरों में कुपोषण की समस्या का समाधान किया जा सकता है।
    - मोटे अनाज **अत्यधिक पौष्टिक, अम्ल नहीं बनाने वाले व ग्लूटेन मुक्त** होते हैं। इनकी आहार संबंधी विशेषताएं भी बेहतर होती हैं।

6.6.11. उपभोक्ता संरक्षण (जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र) नियम, 2021 {Consumer Protection (Jurisdiction of the District Commission, The State Commission and The National Commission) Rules, 2021}

- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act: CPA), 2019** के प्रावधानों तहत इन नियमों को अधिसूचित किया है।
    - यह निर्णय, आर्थिक अधिकार क्षेत्र से संबंधित **मौजूदा प्रावधानों** के कारण **लंबित मामलों में वृद्धि और मामलों के निपटान में होने वाली देरी कारण लिया गया है।**
- CPA, 2019 का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है। इसके लिए इसके तहत **उपभोक्ता संबंधी विवादों का समय पर और प्रभावी प्रशासन एवं निपटान के लिए एक प्राधिकरण स्थापित किया गया है।** CPA, 2019 को CPA,1986 के स्थान पर लाया गया है।
    - CPA, 2019 के अधीन उपभोक्ता संबंधी विवादों के समाधान के लिए तीन स्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र की व्यवस्था की गई है। इसमें जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग शामिल हैं।
    - यह उपभोक्ता आयोग के **प्रत्येक स्तर के धन-संबंधी अधिकार क्षेत्र को भी निर्धारित करता है।**

आयोग	**मौजूदा प्रावधानों के तहत अधिकार क्षेत्र**	**नया धन-संबंधी अधिकार क्षेत्र**
ज़िला	1 करोड़ रुपये तक	**50 लाख रुपये तक**
राज्य	1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच	**50 लाख रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपये तक**
राष्ट्रीय	10 करोड़ रुपये से अधिक	**2 करोड़ रुपये से अधिक**

- **उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए CPA, 2019 के तहत निम्नलिखित व्यवस्था प्रदान की गई है:**
    - यदि किसी शिकायत के तहत वस्तुओं का **विश्लेषण** या परीक्षण करना **आवश्यक नहीं है, तो ऐसी शिकायतों पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेना।** साथ ही, किसी शिकायत के तहत वस्तुओं का विश्लेषण या परीक्षण करना आवश्यक है, तो पांच महीने के भीतर निर्णय लेना।
    - ई-दाखिल (E-Daakhil) पोर्टल के माध्यम से **इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करने का विकल्प।**
    - **मध्यस्थता** के माध्यम **से विवादों का समाधान करने का विकल्प।**

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति (National Strategy on Blockchain)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ब्लॉकचेन पर एक राष्ट्रीय नीति विकसित की है।

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी: एक नज़र में

- ब्लॉकचेन वस्तुतः **डिजिटल खाता-बही हेतु उपयोग की जाने वाली एक प्रौद्योगिकी** है। यह कंप्यूटर प्रणाली के संपूर्ण नेटवर्क में **वितरित (Distributed) और विकेंद्रीकृत (decentralised)** होती है। वर्ष 2009 में सातोशी नाकामोतो ने क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन को डिजाइन और तैयार करने के लिए पहली बार इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया था।
- ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी कई **अलग-अलग प्रौद्योगिकियों को मिलाकर** तैयार की गई एक तकनीक है, जिनमें वितरित प्रणाली, क्रिप्टोग्राफी आदि जैसी प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं।
- ब्लॉकचेन वस्तुतः ब्लॉक की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है। इसमें विशिष्ट श्रृंखला होती है जिसमें ब्लॉक एक-दूसरे से रैखिक रूप से जुड़े होते हैं। **प्रत्येक ब्लॉक में नेटवर्क पर होने वाले लेन-देन की जानकारी, पहले के ब्लॉक का पता, समयावधि की जानकारी आदि मौजूद होती है।**

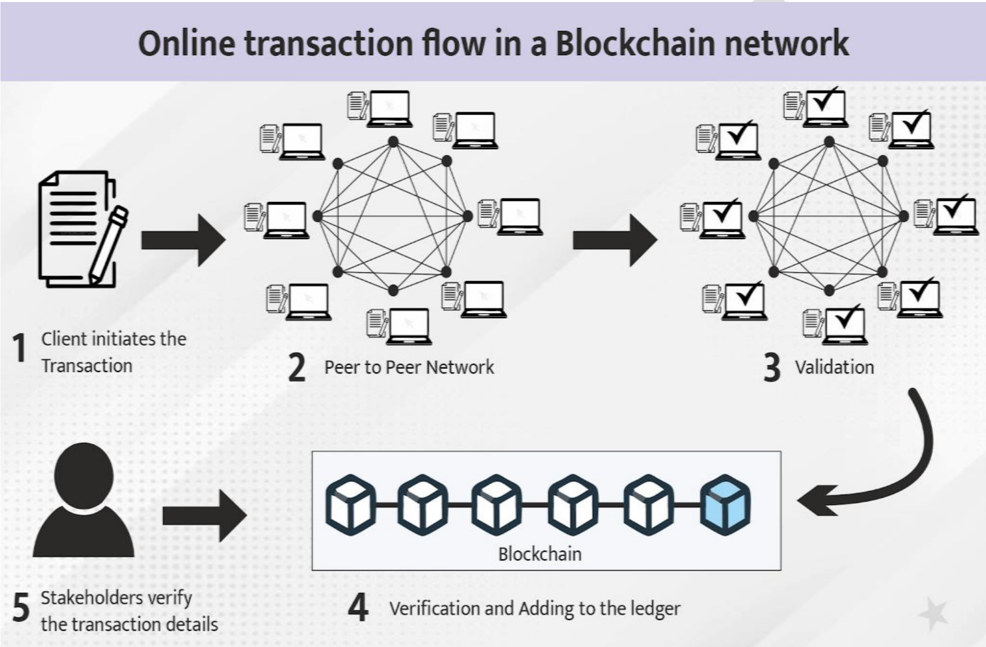

- ब्लॉक में एकत्रित डेटा और लेन-देन की जानकारी को किसी **संशोधन/हेरफेर से सुरक्षित रखने के लिए क्रिप्टोग्राफिक हैश एल्गोरिद्म**[112] **का प्रयोग किया जाता है।** इसकी **पुष्टि/सत्यापन** ब्लॉकचेन नेटवर्क के अलग-अलग नोड पर **सहमति प्रोटोकॉल** [113] के जरिये की जाती है। अर्थात् सहमति के बगैर संग्रहित डेटा में एकपक्षीय रूप से संशोधन/हेरफेर नहीं किया जा सकता है।
- ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल लेन-देन वाले प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए दुनिया भर में **ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म** तैयार किये जा रहे हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म अलग-अलग श्रृंखलाओं के साथ कार्य करने में सक्षम होते हैं। हाइपरलेजर, कॉसमॉस, पोल्का-डॉट, रेड-बेली, इथिरियम आदि कुछ लोकप्रिय ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म हैं।

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का महत्त्व

- **विकेंद्रीकृत कार्य प्रणाली:** ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी उचित प्रमाणीकरण तथा अनुमोदन सुविधा के साथ सक्षम वितरित खाता-बही भंडारण प्रणाली[114] उपलब्ध कराती है। इसलिए इसमें लेन-देन की पुष्टि/सत्यापन के लिए **किसी तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं होती है।**
- **पारदर्शिता और दक्षता की प्राप्ति हेतु:** किसी भी मूर्त या अमूर्त संपत्तियों के मूल्य को ब्लॉकचेन नेटवर्क पर प्रदर्शित करते हुए उसे ट्रैक किया जा सकता है। इससे पारदर्शिता तथा प्रोसेसिंग/प्रसंस्करण की गति में तेजी आने के साथ-साथ लागत में भी कमी आती है।
- **धोखाधड़ी की रोकथाम हेतु:** एक ऐसी प्रणाली को हैक करना अत्यधिक कठिन होता है जिसमें डेटा को अलग-अलग स्थानों पर संरक्षित किया गया हो। हालाँकि, ब्लॉकचेन में डेटा की हैकिंग आसान नहीं है, किंतु यदि ऐसा हो भी जाता है, तो सूचनाओं को आसानी से दोबारा सुरक्षित किया जा सकता है।

---

112 Cryptographic Hash Algorithms

113 Consensus Protocols

114 Distributed Ledger Storage Mechanism

- **डिजिटल जगत में भरोसे को सुनिश्चित करने हेतु:** पारदर्शिता, कुशलता, सुरक्षा और जवाबदेही जैसी विशेषताओं की वजह से यह डिजिटल दुनिया में विश्वास को बनाए रखने में मदद करती है।
- **अलग-अलग क्षेत्रों में उपयोग हेतु उपयुक्त:** ब्लॉकचेन का उपयोग अनुमति और अनुमति-रहित मॉडल दोनों में किया जा सकता है। इन मॉडलों का उपयोग शिक्षा, शासन, वित्त और बैंकिंग, चिकित्सा सुविधा, रसद, साइबर सुरक्षा, मीडिया, कानूनी, विद्युत आदि जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में किया जा सकता है।

ब्लॉकचेन के मॉडल

सार्वजनिक/अनुमति-रहित	**निजी/अनुमति की आवश्यकता**
कोई भी शामिल हो सकता है, पढ़, लिख और लेन-देन कर सकता है।	सिर्फ अनुमति प्राप्त भागीदार ही लिख और लेन-देन कर सकते हैं।
सभी को सहमति प्रोटोकॉल (Consensus Protocols) में नाम रहित रूप से भाग लेने की अनुमति है।	सिर्फ अनुमति प्राप्त नोड ही सहमति प्रोटोकॉल में भाग ले सकते हैं।
यह सही मायनों में विकेंद्रीकृत है, क्योंकि अज्ञात लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं।	यह आंशिक रूप से ही विकेंद्रीकृत है, क्योंकि इसमें ज्ञात लोग ही भाग लेते हैं।
भागीदारों की संख्या ज्यादा होने की वजह से लेन-देन पूरा होने में लंबा समय लग जाता है।	भागीदारों की संख्या कम होने की वजह से इस मॉडल में लेन-देन पूरा होने में कम समय लगता है।

संभावित उपयोग के उदाहरण

- **ई-गवर्नेंस:** इस प्रौद्योगिकी का प्रभावी रूप से उन स्थितियों में उपयोग किया जा सकता है जहाँ किसी विशिष्ट कार्य पद्धति में कई संगठन या विभाग संलग्न हों। इससे न सिर्फ महत्त्वपूर्ण सम्बद्ध प्रणाली ज्यादा प्रभावी बनती है, बल्कि इसमें भरोसा, पारदर्शिता और जवाबदेही में भी बढ़ोतरी होती है।
    - इसमें संपत्तियों के रिकॉर्ड का रख-रखाव, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और शैक्षिक प्रमाण पत्रों आदि का रख-रखाव भी शामिल है।
    - उदाहरण के लिए- संयुक्त अरब अमीरात ने **स्मार्ट दुबई पहल** के तहत एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें दुबई को वर्ष 2021 तक विश्व के पहले ऐसे शहर के रूप में स्थापित करना था जहाँ सब कुछ ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर आधारित हो। इसके अलावा, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से लेकर पर्यावरणीय संधारणीयता तक सभी घटकों को ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी से संचालित किया जाना है।
    - एस्टोनिया की सरकार भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्रमाणिकता जाँचने के लिए **कुंजीरहित हस्ताक्षर अवसंरचना[115] प्रौद्योगिकी** का उपयोग कर रही है।
        - KSI वस्तुतः समयावधि की जानकारी के साथ-साथ सर्वर समर्थित डिजिटल हस्ताक्षर सेवाएँ प्रदान करने हेतु वैश्विक स्तर पर उपयोग में लाई जाने वाली एक प्रणाली है।
- **बैंकिंग:** ब्लॉकचेन की मदद से बैंकिंग लेन-देन में भुगतान क्षति से जुड़े जोखिमों को टाला जा सकता है। इसके अलावा यह सीमापारीय लेन-देन शुल्क को कम करने के साथ-साथ कॉर्पोरेट सेक्टर में होने वाले भुगतान और धन प्रेषण (Remittances) में लगने वाले शुल्क को भी कम कर सकती है।
- **आपूर्ति श्रृंखला:** ब्लॉकचेन की मदद से ऐसे मजबूत रिकॉर्ड तैयार किये जा सकते हैं जिनका उपयोग उत्पादों को उनके प्रेषित किये जाने के स्थान से लेकर वितरण के स्थान तक की सूचना का वास्तविक समय में आकलन करने के लिए किया जा सकता है। इससे आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली की विश्वसनीयता और कुशलता बढ़ेगी।
- **चिकित्सा सुविधा:** ब्लॉकचेन नेटवर्क की सुरक्षित श्रृंखला स्थापित करने से मरीजों के रिकॉर्ड के रख-रखाव, सहमति प्राप्ति से संबंधित फॉर्म, बिलिंग और सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि की निगरानी में मदद मिल सकती है।
- **ई-न्यायालय:** ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विभिन्न विभागों या संस्थाओं जैसे कि पुलिस, न्यायपालिका, विधिक मामलों के विभाग आदि के डेटा को इस प्रकार से संरक्षित/संग्रहित किया जा सकता है कि उनके बीच तालमेल बना रहे।
- **अन्य क्षेत्रक जैसे कि ऑटोमोटिव, पर्यटन, बीमा, रियल एस्टेट आदि।**

[115] Keyless Signature Infrastructure: KSI

इस दिशा में किए गए अन्य महत्त्वपूर्ण प्रयास

- **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC)** द्वारा **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवा संस्थान (NICSI)** के सहयोग से ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में एक उत्कृष्टता केंद्र (CoE) को स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यप्रणाली में ब्लॉकचेन के अंगीकरण और उसके उपयोग की गति को बढ़ाना है।
- **नीति आयोग** ने गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक और रसायन लिमिटेड (GNFC) के साथ मिलकर **उर्वरक सब्सिडी के लिए** ब्लॉकचेन आधारित एक प्रणाली विकसित की है।
- **राज्य स्तर पर किये गए प्रयास:** तेलंगाना राज्य के शमशाबाद जिले में संपत्ति पंजीकरण हेतु ब्लॉकचेन आधारित व्यवस्था अपनाई गई है और प्रायोगिक आधार पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।

अगले 5 वर्षों के लिए रणनीतियाँ और परिणाम संबंधी लक्ष्य: राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क

- **आवश्यकता:** अनेक रिपोर्ट में इस तथ्य की संभावना व्यक्त की गई है कि आने वाले समय में बुनियादी प्रौद्योगिकी के रूप में वैश्विक स्तर पर उपभोक्ता आधार में ब्लॉकचेन की हिस्सेदारी बढ़कर 30% हो जायेगी।
- **योजना:** इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने **राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क (NBF)** को डिजाइन तथा तैयार करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य ब्लॉकचेन के लिए एक साझा अवसंरचना उपलब्ध कराने के साथ ही ब्लॉकचेन को एक सेवा के तौर पर[116] शुरू करना है। प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क का उपयोग ई-गवर्नेंस क्षेत्र के लिए किया जाएगा। इसके पश्चात् समय के साथ उपयोग के आधार पर अलग-अलग मामलों में इसका उपयोग किया जाएगा।

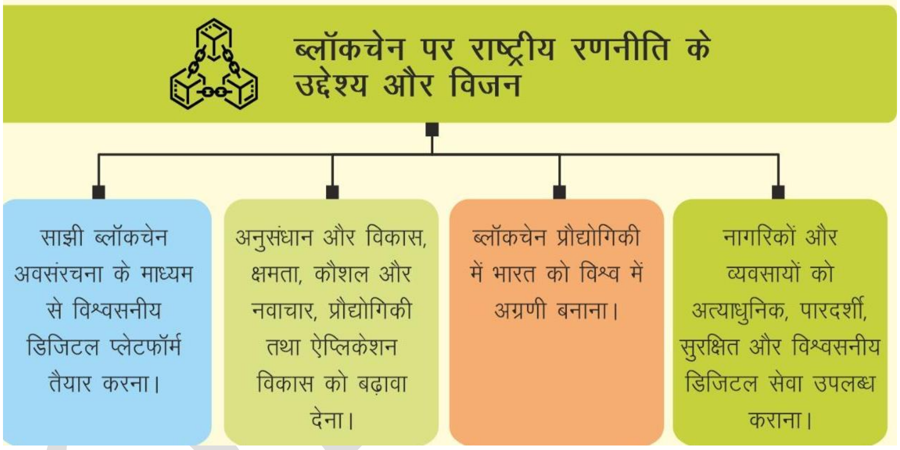

इस फ्रेमवर्क में **निम्नलिखित घटकों** को शामिल किया है जिन्हें बहुआयामी दृष्टिकोण वाली रणनीति के लिए उपयोग में लाया जाएगा:

- **देश भर में पृथक भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार नोड स्थापित किये जाएंगे**, ताकि बड़े पैमाने पर नागरिक सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकें और साथ ही इस प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग कई क्षेत्रों में किया जा सके। इससे अलग-अलग क्षेत्रों जैसे- स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, वित्त आदि में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का महत्त्वपूर्ण तरीके से उपयोग किया जा सकेगा।
- **ब्लॉकचेन से जुड़ी चुनौतियों के संदर्भ में अनुसंधान और विकास:** इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उन्नत अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने हेतु विभिन्न शोध परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा। इनका उद्देश्य ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों में विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना तथा कमजोरियों का पता लगाना होगा।
- चिन्हित किये गए उन्नत तरीकों तथा उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं को शामिल करते हुए **एक स्वदेशी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म को डिजाइन और तैयार** किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण सेवाओं** जैसे- ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर (ई-साइन), ई-प्रमाण और डिजिलॉकर **के साथ इसके एकीकरण को प्रोत्साहित** किया जाएगा।
- **जागरूकता उत्पन्न करना:** उपयोगकर्त्ताओं की जागरूकता के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। इनका उद्देश्य ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, मंत्रालय/सरकारी विभागों/न्यायपालिका तथा कानून लागू करने वाली एजेंसियों (LEAs) को प्रेरित करना है। उल्लेखनीय है कि इससे नए-नए क्षेत्रों में ब्लॉकचेन के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।
- **नीतियाँ और विनियमन:** राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क के विकास के साथ-साथ इस प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन के दौरान हासिल अनुभवों के अनुरूप मौजूदा नियम-कानूनों/विनियमों और नीतियों को अपडेट/अद्यतित किया जाएगा।

---

116 Blockchain as-a-Service: BaaS

- **इनके अंगीकरण हेतु प्रोत्साहन:** केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अपनी योजनाएँ और दिशा-निर्देश तैयार किये जाएंगे, जिसमें इस क्षेत्र हेतु दिये जाने वाले वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन की जानकारी शामिल होगी। इससे देश में ब्लॉकचेन को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
- **मानव संसाधन विकास:** सरकार ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (NASSCOM) के सहयोग से **फ्यूचर स्किल प्राइम कार्यक्रम** की शुरूआत की है ताकि ब्लॉकचेन समेत उभरती हुई अन्य प्रौद्योगिकियों में नए कौशल और अतिरिक्त कौशल प्राप्त किये जा सकें। इसका उद्देश्य देश में आवश्यक प्रतिभा-भंडार उपलब्ध कराना है।
- **बहु-संस्थानिक रणनीति:** राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क की योजना बनाने और इसे लागू करने के लिए बहु-संस्थानिक रणनीति से संबंधित एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इसमें सरकार के विभिन्न हितधारकों, प्रमुख शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों, स्टार्टअप तथा उद्योग जगत को शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सी-डैक (C-DAC), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा संस्थान (NICSI), राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) जैसे संगठन तथा राज्य सरकारें इस दिशा में मिलकर काम करेंगी।
  - इसके अलावा, मार्गदर्शन उपलब्ध कराने तथा रणनीति की नियमित तौर पर समीक्षा और निगरानी हेतु एक **ब्लॉकचेन सलाहकार परिषद** और **संचालन समिति** का गठन किया जाएगा।

संबंधित तथ्य

प्रीसिडियो सिद्धांत[117]: विकेंद्रीकृत भविष्य के लिए बुनियादी मूल्य

- इस सिद्धांत को **विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक ब्लॉकचेन परिषद द्वारा** जारी किया गया है।
- इस दस्तावेज में डेवलपर, सरकारों, कार्यपालिकाओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, कॉर्पोरेट बोर्ड और अन्य समेत **सभी भागीदारों** से अपील की गई है कि वे **ब्लॉकचेन का उपयोग करते समय इन सिद्धांतों (इन्फोग्राफिक्स देखें) पर अमल करें।** साथ ही, वे अपने इकोसिस्टम को इस योग्य बनाएँ कि बुनियादी नज़रिये के तौर पर उपयोगकर्त्ताओं की सुरक्षा के संदर्भ में इन सिद्धांतों के प्रयोग से जुड़े निर्णय स्वयं ले सकें।
- प्रीसिडियो सिद्धांत को **चार व्यापक स्तंभों के रूप में वर्गीकृत किया गया है** जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है।
- परिचालन दस्तावेज के तौर पर इनका उपयोग किया जाना ही इन सिद्धांतों का उद्देश्य है, **न कि कानूनी तौर पर बाध्यकारी दस्तावेज के तौर पर।**

7.2. कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी (Drone Technology In Agriculture)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय कृषि मंत्री ने **कीटनाशकों के अनुप्रयोग में ड्रोन के प्रयोग हेतु मानक संचालन प्रक्रिया**[118] जारी की है। यह कदम फसल सुरक्षा तथा मृदा और फसल पोषक तत्वों के छिड़काव के आलोक में उठाया गया है।

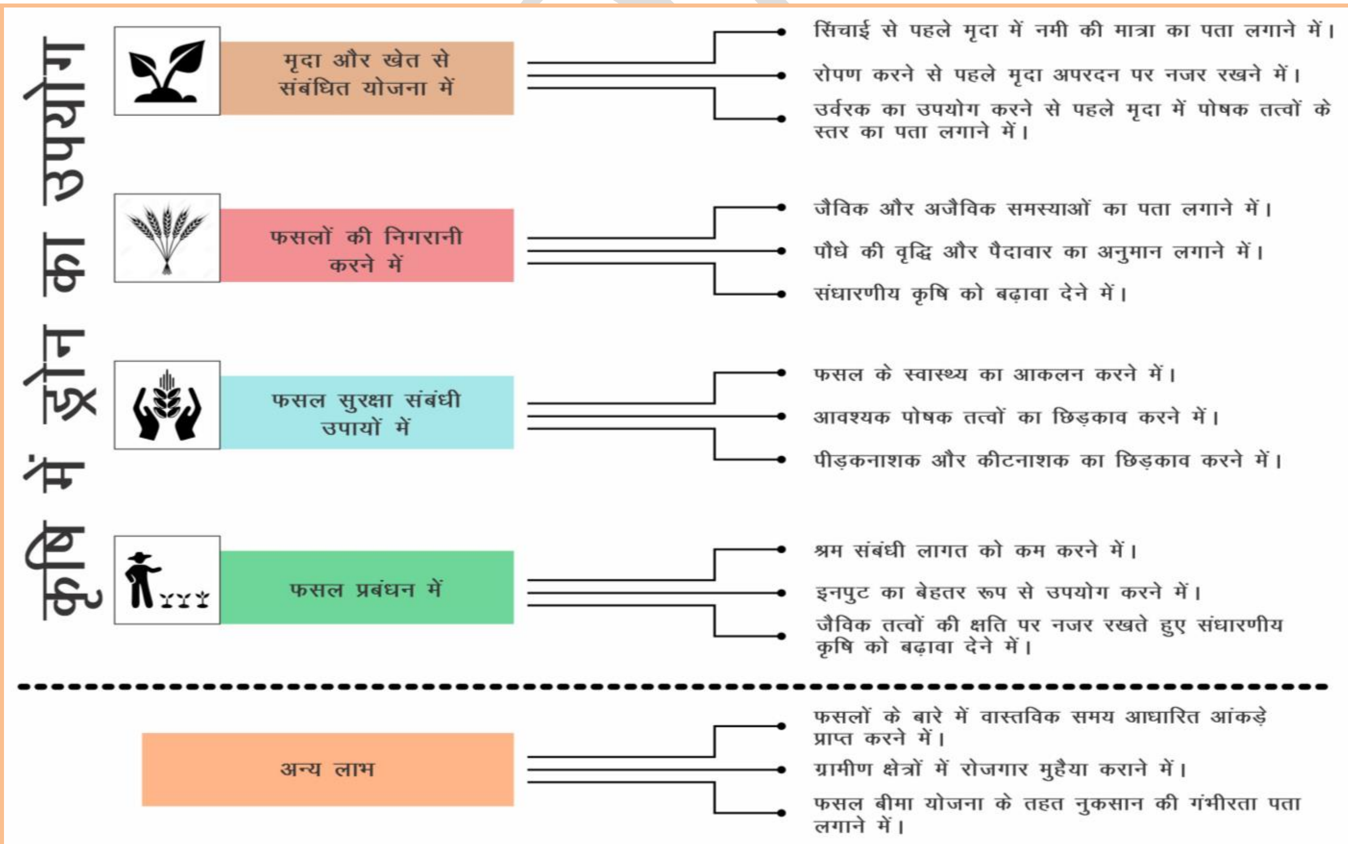

---

[117] Presidio Principles

[118] Standard Operating Procedure: SOP

मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के प्रमुख प्रावधान

- इसमें ड्रोन के परिचालन **से पहले, बाद में और परिचालन के दौरान आपातकालीन प्रबंधन योजना** हेतु निर्देश शामिल हैं ताकि प्रभावी तथा सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित किया जा सके।
- इस मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में **कीटनाशकों के अनुप्रयोग** से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है और कृषि, वानिकी, गैर-फसली क्षेत्रों आदि में ड्रोन के प्रयोग की अनुमति प्रदान की गई है। इन पहलुओं में शामिल हैं:
  - वैधानिक प्रावधान, परिचालन अनुमति और अन्य महत्वपूर्ण मानदंड, जैसे- परिचालन क्षेत्रफल दायरे से संबंधित प्रतिबंध, भार संबंधी वर्गीकरण, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में परिचालन पर प्रतिबंध, ड्रोन पंजीकरण, सुरक्षा बीमा, ड्रोन के परिचालन से संबंधित प्रमाणन[119], संचालन संबंधी योजना, हवाई उड़ान क्षेत्र, मौसम की स्थिति आदि।

कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग क्यों किया जाता है?

- कीटनाशकों की विषाक्त प्रकृति (Biocides) के कारण पारंपरिक उपयोग के तरीकों से निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती हैं:
  - **श्रम की उच्च लागत, एकसमान छिड़काव न होना** और **आवश्यकता से अधिक अनुप्रयोग।**
  - **पर्यावरण संबंधी जोखिम और मुँह, श्वास या त्वचा से संपर्क होने की स्थिति में स्वास्थ्य-संबंधी जोखिम** उत्पन्न होना, मृदा और जल का प्रदूषण।
- ड्रोन का उपयोग कर इनमें से **अधिकतर समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।**

कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावना

"ड्रोन" से आशय **मानव रहित विमान प्रणाली** से है, अर्थात् एक ऐसा विमान जो **स्वायत्त रूप से** संचालित हो सकता है या जिसे किसी पायलट के बगैर दूर से **संचालित किया जा सकता है (ड्रोन नियमावली, 2021)**।

- कई क्षेत्रों में इसके उपयोग को देखते हुए नियमित कृषि गतिविधियों को आधुनिक बनाने हेतु इसकी निहित क्षमता का दोहन किया जा सकता है। **इसके साथ ही इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग (ML) के साथ भी जोड़ा जा सकता है।**
  - इसे खनन, बुनियादी ढाँचा, निगरानी, आपातकालीन प्रतिक्रिया, परिवहन, भू-स्थानिक मानचित्रण, रक्षा और कानून प्रवर्तन आदि के क्षेत्र में भी उपयोग में लाया जा सकता है।
- यह निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में समाधान खोजने में भी मदद करेगा:
  - **बढ़ती खाद्य मांग को पूरा करने हेतु,** जैसा कि वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या 9 बिलियन तक पहुँचने की संभावना व्यक्त की गई है;
  - **कीटों के आक्रमण/अतिरेक की स्थिति में तीव्र प्रतिक्रिया हेतु,** उदाहरण के लिए, भारत में वर्ष 2020 में टिड्डियों के झुंड से फसलों को बचाने के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया था।
  - सूक्ष्म स्तर पर संसाधन प्रबंधन के माध्यम से **कृषि संबंधी भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए** ताकि अनुपयुक्त कृषि विधियों की समस्या से निजात मिल सके। उदाहरण के लिए, एक प्रयोग में ऐसा देखा गया कि ड्रोन की सहायता से ब्राजील में सोयाबीन की खेती में शाकनाशी (Herbicide) का उपयोग 52% तक कम हो गया।
  - ड्रोन और अन्य कृषि उपकरणों के मध्य प्रत्यक्ष संचार के माध्यम से **स्मार्ट कृषि की दिशा में सहायता प्रदान करने के लिए।** इसमें खेत का मानचित्रण और कृषि उपकरणों तक इन मानचित्रों को प्रेषित करने के लिए ड्रोन इनपुट का प्रसंस्करण शामिल है।

चुनौतियाँ

- **इसका वाणिज्यिक संचालन** छोटी और विखंडित जोत के कारण **अलाभकारी हो सकता है।** उदाहरण के लिए कृषि जनगणना (वर्ष 2015-16) के अनुसार, भारत में लगभग 86% किसानों के पास 5 एकड़ से कम भूमि है।
- अपेक्षाकृत उच्च पेलोड के कारण ड्रोन की **उड़ान का समय** (20-60 मिनट) **और उड़ान का क्षेत्र सीमित** होना।
- रख-रखाव से संबंधित समस्याओं के कारण ड्रोन की **प्रारंभिक लागत का उच्च होना।**
- ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन कवरेज के लिए **कनेक्टिविटी का मुद्दा।**
- **ज्ञान और कौशल से संबंधित मुद्दे,** क्योंकि ड्रोन का उपयोग करने के लिए किसान के पास विशेष कौशल और संबंधित ज्ञान आवश्यक है।
- **ड्रोन के दुरुपयोग से संबंधित चिंताएँ,** विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में गोपनीयता और सुरक्षा का उल्लंघन हो सकता है।
- **मौसम पर निर्भरता,** जैसा कि उच्च वायु प्रवाह या बरसात के मौसम में इनका परिचालन कठिन हो सकता है।

---

[119] Piloting Certification

VISIONIAS

आगे की राह

मानक संचालन प्रक्रिया (SOP), ड्रोन नियमावली, 2021 के साथ-साथ राष्ट्रीय कानूनों या नियमावली का अभाव जैसी समस्याएँ अब तक की सबसे बड़ी चुनौतियाँ रही हैं। इस पर भविष्य में ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, **ड्रोन के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना** से कृषि सहित सभी क्षेत्रकों को लाभ होगा। इससे भारत वर्ष 2030 तक वैश्विक ड्रोन केंद्र बनने की क्षमता को हासिल कर सकता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) पहले से ही **भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI)** और सहयोगी संस्थानों के माध्यम से SENSAGRI पर काम कर रही है। SENSAGRI, **सेंसर आधारित स्मार्ट कृषि**[120] का संक्षिप्त रूप है। इसका उद्देश्य हाइपरस्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग[121] सेंसर का उपयोग करके ड्रोन आधारित फसल और मृदा स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली के लिए स्वदेशी प्रोटोटाइप विकसित करना है। इसके संचालन की गुणवत्ता का अध्ययन करने के लिए **अनुसंधान के दायरे** का और विस्तार किया जाना चाहिए। साथ ही संपर्क और कौशल से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए **दूरसंचार, कौशल** और **अन्य नीतियों/पहलों** को भी सुदृढ़ करना आवश्यक है।

7.3. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (James Webb Space Telescope: JWST)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नासा के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप (जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप) को कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) नासा की एक **इन्फ्रारेड फ्लैगशिप वेधशाला है।**
- इसे **नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और कनाडियन अंतरिक्ष एजेंसी (CSA) के मध्य** एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विकसित किया गया है।
- **मिशन के उद्देश्य:**
  - बिग बैंग के बाद निर्मित **पहली आकाशगंगाओं या दीप्तिमान आकाशीय** पिण्डों की खोज करना।
  - **यह पता लगाना कि आकाशगंगाएँ कैसे विकसित हुईं।**
  - प्रथम चरण से लेकर ग्रहीय प्रणाली के निर्माण तक **तारों के निर्माण की प्रक्रिया का अवलोकन करना।**
  - हमारे अपने सौर मंडल सहित **ग्रहीय प्रणालियों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों का मापन करना** तथा उन प्रणालियों में जीवन की संभावनाओं की खोज करना।
- **जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) को सूर्य और पृथ्वी के लग्रांज बिंदु 2 (L2) पर स्थापित किया जाएगा।**
  - लग्रांज बिंदु, **अंतरिक्ष में** विशिष्ट **अवस्थितियों को संदर्भित करते हैं। इन अवस्थितियों पर स्थापित पिंड** स्थिर बने रहते हैं, क्योंकि इन पर दो निकाय प्रणालियों (जैसे- सूर्य और पृथ्वी) द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है। इस प्रकार इन अवस्थितियों पर स्थापित कोई छोटी वस्तु या छोटा पिंड पृथ्वी के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हुए हमेशा पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर बना रहता है। दूसरे शब्दों में, इस स्थिति में भेजी गई वस्तु को न तो सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा और न ही पृथ्वी इसे अपनी ओर खींच सकेगी, बल्कि वस्तु उस अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थिर बना रहता है, अतः ऐसे संतुलन बिंदु जहाँ सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वीय बल बराबर होते हैं लग्रांज बिन्दु कहलाते हैं।
- **जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) पर लगे वैज्ञानिक उपकरण:** इसमें नियर इन्फ्रारेड कैमरा, नियर इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ, मिड इन्फ्रारेड इंस्ट्रूमेंट और फाइन गाइडेंस सेंसर/नियर इन्फ्रारेड इमेजर और स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ शामिल हैं।
- **जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) को** हबल स्पेस टेलीस्कोप (HST) का **उत्तराधिकारी माना जा रहा है।**

---

[120] SENsor based Smart AGRIculture

[121] Hyperspectral Remote Sensing: HSR

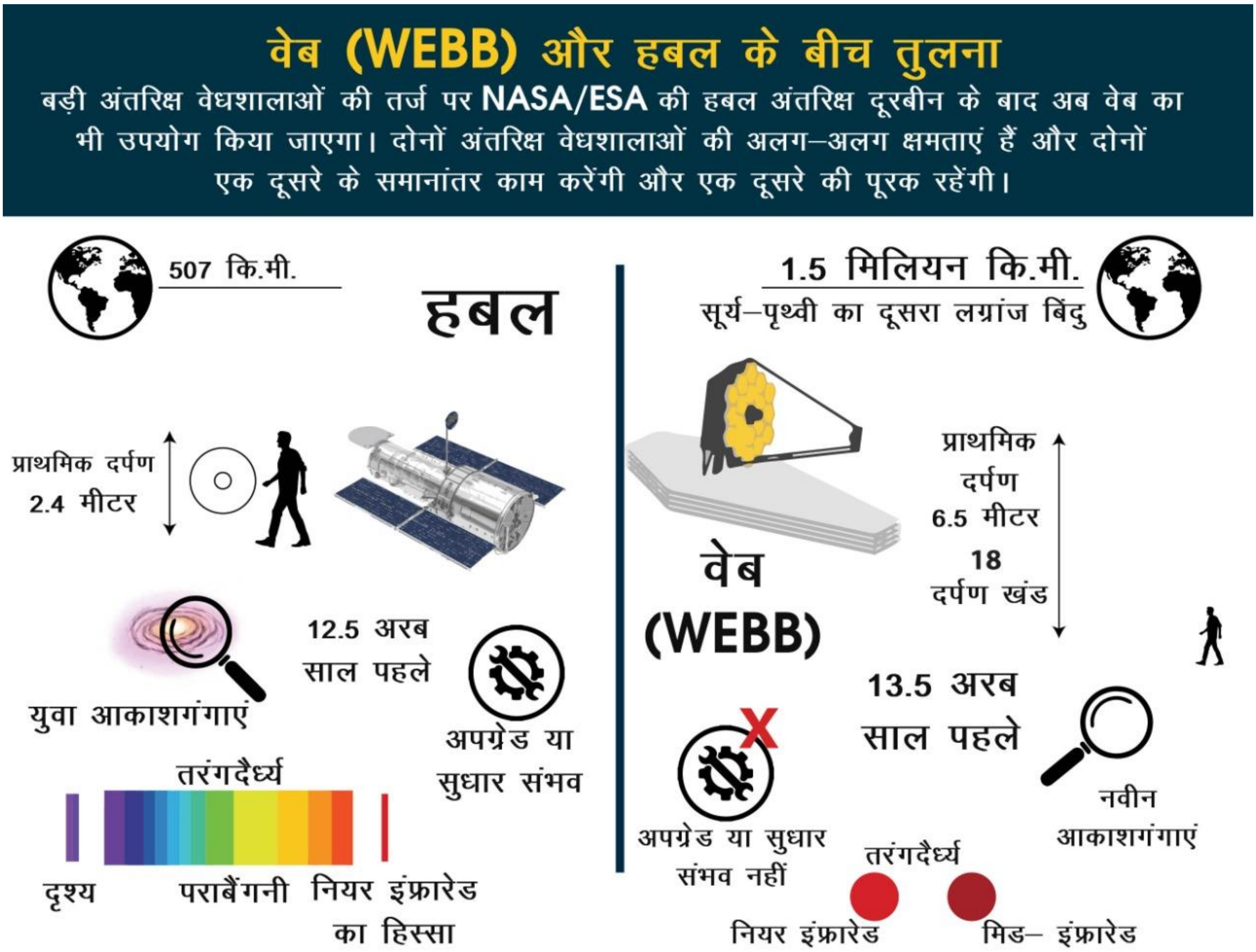

वेब बनाम हर्शल अंतरिक्ष वेधशाला (Webb vs Herschel Space Observatory)

- वर्ष 2009 में, **यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी** द्वारा हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी नामक एक **इन्फ्रारेड टेलीस्कोप** को प्रक्षेपित किया गया था।
- यह भी **सूर्य की परिक्रमा करता है, जैसा कि** वेब (Webb) द्वारा किया जाएगा। वेब और हर्शल के बीच **प्राथमिक अंतर, तरंग दैर्ध्य परास का है: वेब की रेंज 0.6 से 28 माइक्रोन है, जबकि हर्शल की रेंज 60 से 500 माइक्रोन है।**
- इसके अलावा, **हर्शल का दर्पण** वेब से **छोटा** है। इसका व्यास 3.5 मीटर है, जबकि वेब के प्राथमिक दर्पण का व्यास 6.5 मीटर है।

7.4. पार्कर मिशन (Parker Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नासा का पार्कर सोलर प्रोब[122] सूर्य के ऊपरी परिमंडल (Upper Atmosphere) अर्थात् कोरोना से होकर उड़ान भरने में सफल रहा है। इस दौरान इसने वहाँ मौजूद कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन किया।

पार्कर सोलर प्रोब (PSP) के बारे में

- पार्कर सोलर प्रोब को वर्ष 2018 में प्रक्षेपित किया गया था। यह **नासा के "लिविंग विद ए स्टार" कार्यक्रम का हिस्सा है।** इस कार्यक्रम का उद्देश्य जीवन और समाज को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली सूर्य-पृथ्वी प्रणाली से संबंधित पहलुओं का अन्वेषण करना है।
- इसका नामकरण एक भौतिक विज्ञानी यूजीन न्यूमैन पार्कर के नाम पर किया गया है। इन्होंने **तारों से कैसे ऊर्जा उत्सर्जित होती है,** के बारे में अवधारणाएँ प्रस्तुत की थीं।
- सूर्य के ताप से बचाव के लिए PSP पर **कार्बन-कंपोजिट शील्ड का उपयोग** किया गया है ताकि लगभग 2,500 F (1,377 डिग्री सेल्सियस) **तापमान पर भी यह काम करता रहे।**
- यह सूर्य के निकट (ऊपरी परिमंडल) से गुजरने वाला **इतिहास का पहला अंतरिक्ष यान** बन गया है।

---

[122] Parker Solar Probe: PSP

- सूर्य के बाह्य परिमंडल या कोरोना में प्रवेश **करने से पहले इस अंतरिक्ष यान की कक्षीय गति को धीरे-धीरे कम करने के लिए शुक्र ग्रह की परिक्रमा के माध्यम से उसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों** का उपयोग किया गया था।

पार्कर सोलर प्रोब (PSP) मिशन का महत्त्व

- **सूर्य के क्रम-विकास से संबंधित बेहतर समझ प्राप्त करने हेतु:** सूर्य का निर्माण करने वाले तत्वों की जानकारी प्राप्त करने से वैज्ञानिकों को **हमारे तारे, सूर्य और सौर मंडल पर इसके प्रभाव के संबंध में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में** मदद मिलेगी। साथ ही, इसके परिणामस्वरूप ब्रह्मांड के अन्य तारों के बारे में भी हमारे ज्ञान में वृद्धि और सुधार हो सकता है।
- **चरम मौसमी घटनाओं के पूर्वानुमान हेतु:** PSP, वैज्ञानिकों को सौर तूफानों का पूर्वानुमान लगाने में सहायता के लिए नई और मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है। इस प्रकार, यह अंतरिक्ष से संबंधित प्रमुख मौसमी घटनाओं के पूर्वानुमान को बेहतर करने में भी मदद कर सकता है।
  - सौर तूफान वस्तुतः सूर्य की सतह पर होने वाले व्यापक विस्फोटों से उत्पन्न होते हैं। ये हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र को उथल-पुथल कर सकते हैं। इससे हमारी संचार प्रणालियाँ बाधित हो सकती हैं, उपग्रह से संचार संपर्क टूट सकता है। इसके साथ ही हमारे विद्युत ग्रिड भी प्रभावित हो सकते हैं।

- **कोरोना से संबंधित तथ्यों को उजागर करने हेतु:** कोरोना में कुछ **अहम प्रक्रियाएँ और घटनाएँ घटित होती हैं** जिनके बारे में फिलहाल स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए:
  - सूर्य के **प्रकाश मंडल (फोटोस्फीयर)** पर तापमान **लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है,** लेकिन **कोरोना के** भीतर तापमान कई **मिलियन डिग्री या उससे अधिक** तक पहुँच सकता है।

- ○ सूर्य से इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और भारी आयनों **जैसे आवेशित कणों का बाह्य प्रवाह,** कोराना क्षेत्र में अचानक **पराध्वनिक (supersonic) सौर पवनों का रूप ले लेता है।**

उपलब्धियाँ

- वर्ष 2019 में, पार्कर सोलर प्रोब द्वारा **सूर्य के अत्यधिक निकट सौर पवनों में मौजूद चुंबकीय ज़िग-ज़ैग संरचनाओं** की खोज की गई थी। इन्हें **स्विचबैक (switchbacks)** कहा जाता है। हालाँकि, ये कैसे और कहाँ निर्मित होते हैं यह अभी भी एक रहस्य है। तब से लेकर PSP सूर्य से अपनी दूरी को आधा करते हुए सूर्य के इतना नजदीक पहुँच गया है कि **सूर्य की सतह** पर इन संरचनाओं की उत्पत्ति के क्षेत्रों की पहचान कर सके।
- अप्रैल, 2021 में, पार्कर सोलर प्रोब (PSP) **कोरोना के बाह्य छोर** को पार करने में सफल रहा था, जिसे **आल्फवेन क्रिटिकल बाउंड्री** कहा गया है। यह एक ऐसी सीमा है जहाँ सौर परिमंडल का अंत और सौर पवनों का आरम्भ होता है।
- अंततः, वर्ष 2025 तक यह फोटोस्फीयर की 7 मिलियन कि.मी. सीमा तक पहुँच जाएगा।

कुछ अन्य सौर मिशन: नासा का हेलियोफिजिक्स मिशन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का सोलर ऑर्बिटर, भारत का आदित्य-L1 मिशन।

- **आदित्य L1:** इसे वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में प्रक्षेपित किया जाएगा। यह **ब्रह्मांड की उत्पत्ति और कई अन्य अज्ञात खगोलीय तथ्यों के बारे में और अधिक जानकारी** प्रदान करेगा। आदित्य L1 मिशन में अंतरिक्ष यान को **पृथ्वी से 1.5 मिलियन कि.मी. दूर L1 लग्रांज बिंदु** पर स्थापित किया जाएगा। **L1 लग्रांज बिंदु:** यह पृथ्वी और सूर्य के बीच का एक स्थान/बिंदु होता है जहां उपग्रह पर दोनों पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, उपग्रह को कक्षा में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय (centripetal) बल के बराबर होता है।

7.5. सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 {Assisted Reproductive Technology (ART) Regulation Act 2021}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद द्वारा ART विनियमन अधिनियम, 2021 को पारित कर दिया गया है। इस कानून को ART सेवाओं के सुरक्षित और नैतिक अभ्यास को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- **ART की परिभाषा:** ART में वे सभी तकनीकें शामिल हैं जो मानव शरीर के बाहर शुक्राणु या डिम्बाणुजन कोशिका (अपरिपक्व अंड कोशिका) संचालन करने और किसी स्त्री की जननीय प्रणाली में युग्मक या भ्रूण (gamete or embryo) को स्थानांतरित करके गर्भधारण करवाने का प्रयत्न करती हैं।
- **ART क्लीनिक्स और बैंकों का विनियमन:** प्रत्येक ART क्लिनिक और बैंक को **भारत में बैंकों और क्लीनिक्स की राष्ट्रीय रजिस्ट्री**[123] **के तहत** पंजीकृत होना अनिवार्य है।
    - इसके तहत स्थापित **राष्ट्रीय रजिस्ट्री** देश में सभी ART क्लीनिक्स और बैंकों के विवरण के साथ एक केंद्रीय डेटाबेस के रूप में कार्य करेगी।

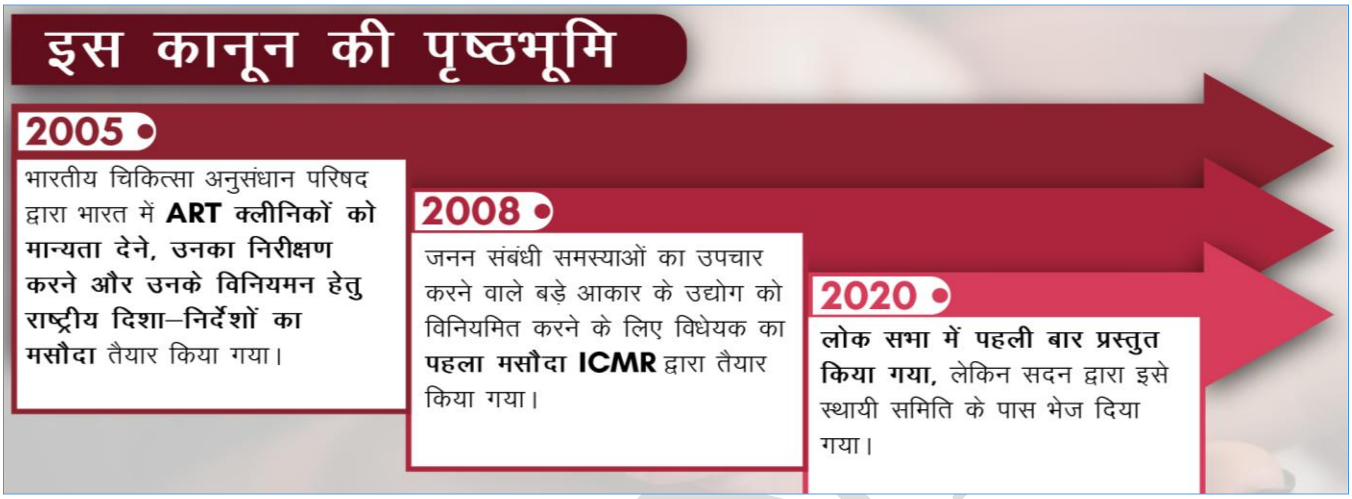

-
    - पंजीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए **राज्य सरकारों द्वारा पंजीकरण प्राधिकरण की नियुक्ति की जाएगी।**
        - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव रैंक या उससे ऊपर वाले रैंक के अधिकारी को पंजीकरण प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
    - **ART बैंक** ऐसा संगठन होता है जिसे ART क्लीनिक्स या उनके रोगियों को शुक्राणु (sperm) या वीर्य (semen), डिम्बाणुजन कोशिका या डिम्बाणुजन (oocytes, or oocyte) कोशिका दाताओं की आपूर्ति करने के लिए स्थापित किया गया है।
- **ART के माध्यम से जन्मे बच्चों के अधिकार:** ART की सहायता से जन्मे बच्चे को **प्रक्रिया में शामिल दंपत्ति की जैविक संतान** माना जाएगा। साथ ही, ऐसे जन्मे बच्चे को वे सभी अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो प्राकृतिक रूप से जन्म लेने वाले बच्चों को प्राप्त होते हैं।
    - दाता (donor) का ऐसे बच्चे पर कोई जनकीय (parental) अधिकार नहीं होगा।
- **राष्ट्रीय और राज्य बोर्ड:** इस अधिनियम के तहत **ART सेवाओं** को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य बोर्डों का गठन किया गया है।
    - राष्ट्रीय बोर्ड की सिफारिशों, नीतियों और विनियमों के अनुरूप राज्य बोर्ड द्वारा ART के लिए नीतियों और दिशा-निर्देशों को लागू करने में समन्वय किया जाएगा।
    - **राष्ट्रीय या राज्य बोर्ड या बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई शिकायत के अलावा किसी भी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान नहीं लिया जाएगा।**
- **कठोर दंड का प्रावधान:** इस अधिनियम में लिंग चयन; मानव भ्रूण या युग्मक की बिक्री; कानून का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों, रैकेट और संगठन चलाने वालों के विरुद्ध कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।
- **इसके तहत युग्मक के दान और आपूर्ति तथा** ART सेवाएँ प्रदान करने से संबंधित शर्तों को भी निर्धारित किया गया है।

ART के प्रकार

बांझपन का उपचार करने के लिए ART का उपयोग किया जाता है।

- **इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF):** यह ART का सबसे सामान्य रूप है, जिसे अधिकतम रोगियों द्वारा उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान प्रयोगशाला में स्त्री के अंडाणु को पुरुष शुक्राणु के साथ संयोजन कराया जाता है। इसके बाद भ्रूण अंतरण नामक प्रक्रिया द्वारा निषेचित अंडाणु को स्त्री के गर्भाशय के अंदर अंतरित कर दिया जाता है।

---

123 National Registry of Banks and Clinics: NRBC

- श्री पैरेंट बेबी की अवधारणा के साथ **माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी (MRT)** भी IVF का ही एक रूप है।

- **गेमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर[124]:** इस प्रक्रिया में पुरुष शुक्राणु और स्त्री अंडाणु का प्रयोगशाला में संयोजन कराया जाता है। इसके बाद अंडाणु को स्त्री की फैलोपियन ट्यूब में प्रत्यारोपित किया जाता है और **निषेचन की प्रक्रिया स्त्री के शरीर के अंदर होती है।**
- **अंत:गर्भाशयी गर्भाधान[125]**: इसे **कृत्रिम गर्भाधान** के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रक्रिया में अंडोत्सर्ग के समय या उससे ठीक पहले लंबी संकरी ट्यूब के माध्यम से पुरुष साथी (या दाता) के शुक्राणु को स्त्री के गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है।
- **जेस्टेशनल सरोगेसी[126]:** इसमें IVF के माध्यम से इच्छुक माता-पिता या दाताओं के अंडाणु और शुक्राणु का उपयोग करके भ्रूण का सृजन किया जाता है और फिर उसे सरोगेट महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इस प्रकार जन्म लेने वाला बच्चा जैविक रूप से सरोगेट माता से संबंधित नहीं होता है, जिसे अक्सर जेस्टेशनल करियर या गर्भ वाहक कहा जाता है।

इस अधिनियम से जुड़ी चिंताएँ

- **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:**
  - **अनुच्छेद 14:** यह विवाहित विषमलैंगिक (heterosexual) दंपत्तियों और विवाह की उम्र से अधिक उम्र की स्त्री को ART का उपयोग करने की अनुमति देता है। लेकिन यह **एकल पुरुषों, साथ रहने वाले विषमलैंगिक युगलों और LGBTQ[127] व्यक्तियों तथा युगलों को ART के उपयोग की अनुमति नहीं देता** है।
    - यह **नवतेज जौहर बनाम भारत संघ (2018) वाद** में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले की भावना के खिलाफ है, जिसमें राज्यों को समलैंगिक युगलों के लिए समान संरक्षण जैसे सकारात्मक कदम उठाने की सलाह दी गई थी।
  - **अनुच्छेद 23:** जननीय श्रम प्रदान करने के एवज में पर्याप्त मुआवजा नहीं दिए जाने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होता है। इसमें बलात-श्रम को प्रतिबंधित किया गया है।
- **दाता को कम संरक्षण:** इसमें अंडाणु दाता की सुरक्षा को लेकर अत्यंत कम उपाय किये गए हैं, क्योंकि अंडाणु का प्रत्यारोपण एक जटिल प्रक्रिया है और इसे गलत तरीके से करने पर दाता की मृत्यु तक हो सकती है।
- **ART अधिनियम और सरोगेसी विनियमन अधिनियम[128], 2021 के मध्य असंतुलन:** दोनों अधिनियम में परस्पर तालमेल का अभाव हैं, क्योंकि ART अधिनियम में जहाँ मुख्य ART प्रक्रियाओं को परिभाषित नहीं किया गया है, वहीं इनमें से कई को SRA में परिभाषित किया गया है।
  - **दोहराव:** दोनों कानूनों के तहत **पंजीकरण के लिए कई निकायों की स्थापना की गई है** जिसके परिणामस्वरूप दोहराव और **विनियमन संबंधी समस्या उत्पन्न** होगी। उदाहरण के लिए, सरोगेसी क्लीनिक के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्री को सरोगेसी की सूचना देना अनिवार्य नहीं है, जबकि ART बैंकों और क्लीनिक्स को प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में **राष्ट्रीय रजिस्ट्री** को सूचना देना अनिवार्य है।
  - **अपराध: ART अधिनियम** के तहत संबंधित अपराध जमानती प्रकृति के हैं लेकिन SRA के तहत गैर जमानती प्रकृति के हैं।
  - **रिकॉर्ड:** ART अधिनियम के तहत **10 वर्षों** तक रिकॉर्ड बनाए रखना अनिवार्य है जबकि SRA के तहत रिकॉर्ड को **25 वर्ष** तक बनाए रखना अनिवार्य है।
- **स्पष्टता का अभाव:** इस अधिनियम के तहत युग्मक और भ्रूण की बिक्री, अंतरण या उपयोग को प्रतिबंधित करने वाले प्रावधान अस्पष्ट हैं और यह दान किये गए युग्मकों पर निर्भर रहने वाले **विदेशी और घरेलू माता-पिता को भ्रमित करते हैं।**

- **सरोगेसी:** सरोगेसी, ART आधारित प्रक्रिया है। इसके तहत इच्छुक दंपत्तियों द्वारा अपने बच्चे को जन्म देने के लिए सरोगेट माता का चयन किया जाता है।

आगे की राह

- **शिकायत प्रकोष्ठ:** नियम के तहत ART क्लीनिक्स और बैंकों द्वारा शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना अनिवार्य है। हालांकि, इसकी जगह क्लीनिक्स में नैतिक समितियों को स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनिवार्य परामर्श सेवाएँ भी क्लिनिक से स्वतंत्र होनी चाहिए।

---

124 Gamete intrafallopian transfer: GIFT

125 Intrauterine insemination: IUI

126 Gestational surrogacy

127 Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer

128 Surrogacy Regulation Act: SRA

VISIONIAS

- **परिभाषा:** कमीशनिंग "दंपत्ति", "बांझपन", "ART क्लीनिक्स" और "बैंकों" की परिभाषाएँ SRA और ART अधिनियम दोनों में एकसमान होनी चाहिए।
  - **कमीशनिंग दंपत्ति:** अर्थात् बच्चे की इच्छा वाले ऐसे बाँझ विवाहित दंपत्ति जो ART क्लीनिक्स और बैंकों से सेवाएँ प्राप्त करना चाहते हैं।
- **गोपनीयता बनाए रखना:** ART क्लीनिक्स और बैंकों को कमीशनिंग माता-पिता, स्त्रियों और दाताओं से जुड़ी जानकारी को गोपनीय बनाए रखना चाहिए।
- **सहमति:** क्लिनिक को ART के इच्छुक सभी पक्षों की लिखित सहमति के बाद ही संबंधित उपचार या प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए और साथ ही उन्हें बीमा सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए।

7.6. डोपिंग रोधी विधेयक (Anti-Doping Bill)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने **लोक सभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021** पेश किया है।

डोपिंग के बारे में

- **एथलीट यानी खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जो प्रतिबंधित है। इसे ही डोपिंग कहा जाता है।**
  - जब कोई खिलाड़ी किसी प्रकार की औषधि या नशीले पदार्थ का सेवन करता है, तो उसे सामान्य खिलाड़ियों की तुलना में अनुचित रूप से बढ़त (प्रदर्शन के संबंध में) मिल जाती है। अतः इस तरह के नशीले पदार्थों/औषधियों के सेवन पर रोक लगाने से सबको समान अवसर मिलेगा और सभी खिलाड़ियों के बीच समानता सुनिश्चित की जा सकेगी।

- **विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी**[129] सभी प्रकार के प्रतिस्पर्धी खेलों में डोपिंग की निगरानी करती है।
  - WADA को एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के तौर पर वर्ष 1999 में स्थापित किया गया था। इसमें दुनिया भर के खेल संगठन और सरकारें शामिल हैं जिनके द्वारा समान रूप से आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है।
  - WADA **समय-समय पर प्रतिबंधित पदार्थों और तरीकों की सूची को अपडेट करती रहती है।** इनमें, स्टेरॉयड, ऐनबालिक स्टेरॉयड, उत्तेजना बढ़ाने वाले पदार्थ, और जीन डोपिंग शामिल हैं। कुछ पदार्थों जैसे कि नारकोटिक्स का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है, जबकि शराब जैसे पदार्थ के उपयोग पर केवल खेल के दौरान ही प्रतिबंध लगाया गया है।
  - हालाँकि राष्ट्रीय स्तर पर डोपिंग की निगरानी हेतु एक **राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी**[130] की स्थापना की गई है। यह केंद्रीय **खेल मंत्रालय** के अधीन एक स्वायत्त संस्था है।

---

[129] World Anti-Doping Agency: WADA

- **WADA, विश्व डोपिंग रोधी संहिता (World Anti-Doping Code) के आधार पर खेलों में डोपिंग की निगरानी करती है।** इस संहिता में खेल संगठनों और सरकारी संस्थाओं के लिए डोपिंग रोधी नीतियाँ, विनियमन और नियमों के निर्माण के लिए एक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया गया है।
    - राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले किसी भी खिलाड़ी को आयोजन के दौरान डोपिंग रोधी एजेंसी या खेल आयोजन समिति द्वारा किसी भी समय रक्त और/या मूत्र के नमूने देने के लिए कहा जा सकता है। प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के दौरान और उसके बाद भी खिलाड़ी की जाँच की जा सकती है।
- **WADA प्रत्यक्ष रूप से स्वयं ऐसे जाँच/परीक्षण नहीं** करती है, बल्कि यह उन प्रयोगशालाओं को अधिकृत करती है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य मानकों का पालन करती हैं।
- **विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी** द्वारा प्रकाशित नई रिपोर्ट के अनुसार, **वर्ष 2019 में भारत में डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन[131] के 152 मामले सामने आए थे जो विश्व के कुल मामलों का 17% है।**
    - इस सूची में भारत तीसरे स्थान पर है। डोपिंग के आरोपी सबसे अधिक बॉडी बिल्डिंग (57) क्षेत्र से संबंधित रहे हैं।

इस विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

- **डोपिंग पर रोक:** यह विधेयक **खिलाड़ियों, सहायक कर्मचारियों तथा अन्य लोगों की डोपिंग में किसी प्रकार की संलिप्तता/भागीदारी को प्रतिबंधित करता है।**
    - यदि किसी खिलाड़ी या उसके सहायक द्वारा डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो:
        - उनके पदकों, अंकों और पुरस्कारों को जब्त करने के साथ ही खेल से संबंधित परिणामों को रद्द या उन्हें परिणामों से वंचित कर दिया जाएगा।
        - एक तय अवधि के लिए किसी प्रतिस्पर्धा या कार्यक्रम में भाग लेने हेतु उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है।
        - उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
        - टीम स्पोर्ट/खेल समूह के लिए इसकी क्या सजा होगी, यह नियम-कानून के जरिये तय किया जाएगा।
        - नियम का उल्लंघन करने/होने पर सुनवाई के बाद ही राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक समिति (NADA) द्वारा सजा निर्धारित की जाएगी।
    - **छूट:** यदि किसी एथलीट को किसी चिकित्सीय स्थिति के कारण किसी प्रतिबंधित पदार्थ या तरीके की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे चिकित्सकीय उपयोग के तौर पर छूट प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के पास आवेदन करना होगा।
- **राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी:** इस विधेयक में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) के कामकाज को वैधानिक ढाँचा प्रदान करने हेतु प्रावधान किये गए हैं। इससे NADA को भारतीय खेल जगत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के उपायों को मजबूत बनाने तथा इसके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त होगा।
    - NADA की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसायटी के तौर पर हुई थी। हालाँकि इसे भंग करके इसका पुनर्गठन किया जाएगा। इसे **एक महानिदेशक के माध्यम से शासित किया जाएगा जिसे केंद्र सरकार नियुक्त करेगी।**
    - **एजेंसी के कार्यों** में शामिल है:
        - डोपिंग रोधी गतिविधियों की योजना बनाना और कार्यान्वयन तथा निगरानी सुनिश्चित करना।
        - डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन की जाँच करना।
        - डोपिंग रोधी अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- **खेल में डोपिंग की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय बोर्ड:** विधेयक में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार खेल में डोपिंग की रोकथाम के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की जाएगी। यह बोर्ड डोपिंग रोधी नियम-कानून और डोपिंग की रोकथाम पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन के संबंध में सरकार को सुझाव प्रदान करेगा।
    - बोर्ड, **एजेंसी की गतिविधियों पर नजर रखेगा और उसे निर्देश देगा।**
    - बोर्ड में **एक अध्यक्ष और दो सदस्य शामिल होंगे जिनकी नियुक्ती केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।**
- **अनुशासनात्मक और अपील पैनल:** यह बोर्ड एक **राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल का गठन** करेगा जो **डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन की स्थिति में सजा को निर्धारित** करेगी। इस पैनल में **एक अध्यक्ष और चार उपाध्यक्षों (सभी कानूनी विशेषज्ञ) के अलावा दस सदस्य (चिकित्सक और सेवानिवृत्त प्रमुख एथलीट)** शामिल होंगे।

---

[130] National Anti-Doping Agency: NADA

[131] Anti-doping Rule Violations: ADRVs

- **डोप परीक्षण प्रयोगशाला:** मौजूदा **राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला**[132] **ही प्रमुख डोप परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में कार्य करेगी।** केंद्र सरकार अतिरिक्त राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना कर सकती है।
  - **हाल ही में,** NDTL को WADA की तरफ से पुनः मान्यता प्रदान कर दी गई है। इसकी मान्यता 20 अगस्त, 2019 को निलंबित कर दी गई थी। सितंबर 2018 में इस प्रयोगशाला का यथास्थान मूल्यांकन किया गया था जिसमें कुछ नियमों का अनुपालन नहीं किया गया था। इसी आधार पर NDTL की मान्यता को निलंबित कर दिया गया था।

राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (National Dope Testing Laboratory: NDTL)

- **विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA) ने** NDTL को पुनः **मान्यता प्रदान कर दी है।**
  - इससे **खेल में उत्कृष्टता के उच्चतम वैश्विक मानकों** को प्राप्त करने के भारत के प्रयासों को बढ़ावा मिला है।
- NDTL की स्थापना खेलों में प्रतिबंधित मादक पदार्थों की जाँच हेतु **अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) और WADA द्वारा स्थायी रूप से मान्यता प्राप्त** करने के उद्देश्य से की गई थी।
  - इसकी प्रमुख गतिविधियों में **वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, डोपिंग रोधी क्षमताओं का विकास शामिल है।**

विधेयक का महत्त्व

- **डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को मजबूत करना:** यह भारत में डोपिंग मुक्त खेल सुनिश्चित करने के लिए खेलों में **डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम** के संचालन तथा ढाँचागत और मौजूदा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है।
  - वर्तमान में, NADA के पास छापेमारी/कानूनी कार्रवाई के लिए कोई संस्था मौजूद नहीं है हालाँकि इसकी डोपिंग रोधी अपील समिति को ही यह काम भी करना पड़ता है।
- **तकनीकी और चिकित्सीय विशेषज्ञता:** यह विधेयक **NDTL तथा अन्य डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना का भी प्रावधान** करता है। देश की बड़ी आबादी और खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस तरह की प्रयोगशालाओं द्वारा अधिक संख्या में नमूनों के परीक्षण हेतु क्षमता को मजबूत बनाया जा सकेगा। इससे भारत को **देश में बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी करने में भी मदद** मिलेगी।
- **कानूनी समर्थन:** यदि इसे संसद द्वारा पारित किया जाता है, **तो इससे देश में डोपिंग रोधी मानदंडों को कानूनी समर्थन** मिलेगा।
- **अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन:** इससे खेल में **डोपिंग के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को प्रभावी तरह से लागू** किया जा सकेगा।
  - इस अभिसमय **का उद्देश्य डोपिंग के उन्मूलन के लिए खेल में डोपिंग की रोकथाम और उसके विरुद्ध लड़ाई को बढ़ावा** देना है।
  - भारत ने वर्ष 2005 में अभिसमय पर हस्ताक्षर किया और नवंबर 2007 में इसकी पुष्टि की थी।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021 वस्तुतः भारत को एक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा खिलाड़ियों की सुरक्षा और लंबे समय तक उन्हें स्वस्थ रखने के साथ-साथ खेलों में नैतिक रूप से भाग लेने की दिशा में प्रेरित करने हेतु अन्य प्रयासों को मजबूत करना होगा। गुडविल एम्बेसडर, डोपिंग न करने वाले प्रसिद्ध आइकॉन एथलीट तथा मीडिया भावी एथलीटों तक पहुँचने में मदद करते हुए खेल में स्वस्थ भागीदारी का प्रचार कर सकते हैं। इससे खिलाड़ियों की पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल किया जा सकता है।

7.7. विश्व मलेरिया रिपोर्ट, 2021 (World Malaria Report 2021)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट का 2021 संस्करण** जारी किया गया है। इसमें कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र मलेरिया से निपटने के लिए देशों द्वारा की गई कार्रवाईयों का आकलन किया गया है।

मलेरिया के बारे में

- यह **मच्छर के काटने से होने वाला रक्त संबंधी जानलेवा रोग है, जो प्लाज्मोडियम परजीवी** के कारण उत्पन्न होता है। यह परजीवी **मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से** लोगों में संचारित होता है।
- **परजीवियों की ऐसी 5 प्रजातियाँ** हैं जिनसे मनुष्यों में मलेरिया संचारित होता है। इनमें से 2 प्रजातियाँ- **पी.फाल्सीपेरम** (अफ्रीकी महाद्वीप) और **पी.विवैक्स** (उप-सहारा अफ्रीका के बाहर) सर्वाधिक जोखिम उत्पन्न करती हैं।
- हालाँकि यह **निवारण योग्य** रोग **है जिसका उपचार भी संभव** है।

[132] National Dope Testing Laboratory: NDTL

- **मलेरिया का टीका:**
    - मध्यम से उच्च पी.फाल्सीपेरम मलेरिया संक्रमण वाले क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने **RTS,S/AS01 (RTS,S)** नामक मलेरिया वैक्सीन के व्यापक उपयोग की सिफारिश की है।
    - यह पुनः संयोजक प्रोटीन टीका[133] अपने **ब्रांड नाम मॉसक्यूरिक्स**[134] से प्रसिद्ध है। इसके उपयोग से छोटे बच्चों में **मलेरिया और जानलेवा गंभीर मलेरिया को काबू पाने में मदद मिली है,** साथ ही अस्पताल में भर्ती होने की दर में भी कमी आई है।

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **मलेरिया के मामले और मृत्यु:**
    - **वर्ष 2020 में** 85 मलेरिया-स्थानिक देशों में **मलेरिया संक्रमण के** अनुमानित **241 मिलियन मामले** सामने आए हैं, जो वर्ष 2019 के 227 मिलियन की तुलना में अधिक है।
    - वर्तमान में **उप-सहारा अफ्रीका** क्षेत्र में **मलेरिया के मामलों की संख्या** सर्वाधिक रही है। वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर मलेरिया के कुल मामलों में से 95 प्रतिशत मामले इस क्षेत्र में दर्ज किये गए, साथ ही मलेरिया से होने वाली कुल मृत्यु में से लगभग 96 प्रतिशत मृत्यु यहीं दर्ज की गईं।
    - **वर्ष 2019** की तुलना में **वर्ष 2020 में दुनिया भर में मलेरिया से होने वाली मौतों में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।**
- **भारत से संबंधित तथ्य:**
    - विश्व स्वास्थ्य संगठन के **दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र**[135] **में दर्ज किये गए कुल मामलों में से 83% मामले** भारत में **दर्ज किये गए।**
    - **सर्वाधिक संक्रमण वालों देशों में से भारत ही एक ऐसा देश रहा है जहाँ** वर्ष 2019 और वर्ष 2020 के मध्य **मलेरिया के मामलों की गिरावट में रिकॉर्ड प्रगति देखी गई है।**
- **दुनिया भर में 40 देशों और क्षेत्रों** को अब **विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया-मुक्त घोषित कर दिया** गया है। इनमें चीन, अल सल्वाडोर, अर्जेंटीना और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।

मलेरिया उन्मूलन के लिए किए गए उपाय

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक मलेरिया कार्यक्रम**[136]**:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य मलेरिया के नियंत्रण तथा उन्मूलन हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक प्रयासों को समन्वित करना है। **मलेरिया के लिए वैश्विक तकनीकी रणनीति**[137] **2016-2030** के माध्यम से इस कार्यक्रम को दिशा-निर्देश दिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य सभा ने मई 2015 में **GTS** को अपनाया था जिसे वर्ष 2021 में अपडेट किया गया।

मलेरिया के लिए वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016–2030 के उद्देश्य, उपलब्धियां और लक्ष्य

उद्देश्य	उपलब्धियां / प्रगति 2020	उपलब्धियां / प्रगति 2025	लक्ष्य 2030
1.वर्ष 2015 की तुलना में दुनिया भर में मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर में कमी करना।	कम से कम 40 प्रतिशत की कमी करना। लक्ष्य से 22 प्रतिशत पीछे रहते हुए केवल 18 प्रतिशत की कमी हो पाई है।	कम से कम 75 प्रतिशत की कमी करना।	कम से कम 90 प्रतिशत की कमी करना।
2. वर्ष 2015 की तुलना में दुनिया भर में मलेरिया के मामलों में कमी करना।	कम से कम 40 प्रतिशत की कमी करना। लक्ष्य से 37 प्रतिशत पीछे रहते हुए केवल 3 प्रतिशत की कमी हो पाई है।	कम से कम 75 प्रतिशत की कमी करना।	कम से कम 90 प्रतिशत की कमी करना।
3. वर्ष 2015 में जिन देशों में मलेरिया फैला था वहां से मलेरिया का उन्मूलन करना।	कम से कम 10 देश में इसका उन्मूलन करना। सही राह पर अर्थात् ऑन ट्रैक	कम से कम 20 देश में इसका उन्मूलन करना।	कम से कम 35 देश में इसका उन्मूलन करना।
4. मलेरिया मुक्त देशों में फिर से मलेरिया के प्रसार को रोकना।	मलेरिया के पुनः प्रसार को रोकना। ऑन ट्रैक	मलेरिया के पुनः प्रसार को रोकना।	मलेरिया के पुनः प्रसार को रोकना।

133 Recombinant Protein Vaccine

134 Mosquirix

135 WHO South-East Asia Region

136 WHO Global Malaria Programme: GMP

137 Global Technical Strategy: GTS

- **मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठबंधन-भारत**[138]**:** इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत से मलेरिया को समाप्त करने के लिए समन्वित और संयुक्त तरीके से देश की अनुसंधान आवश्यकताओं की पहचान करना, स्पष्ट करना, प्राथमिकता देना और उन पर प्रतिक्रिया प्रदान करना है।
- **ई-2025 पहल:** इसके तहत, WHO ने 25 ऐसे देशों के समूह की पहचान की है, जिन्हें वर्ष 2025 तक मलेरिया से मुक्त किया जा सकता है।

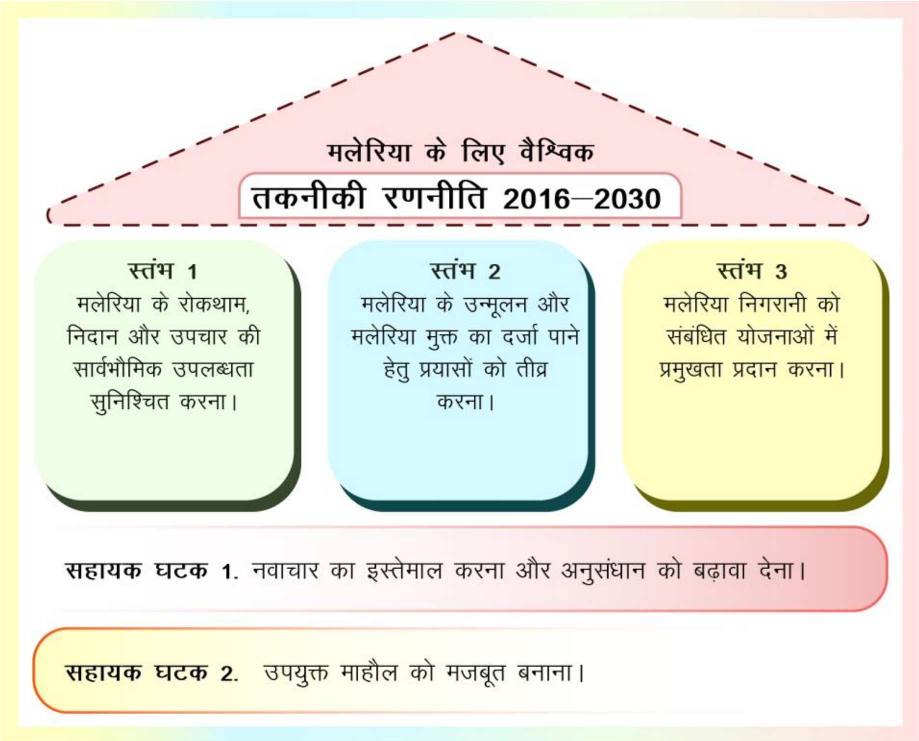

- **हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट**[139] **पहल:** WHO ने **भारत** (पश्चिम बंगाल और झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश) सहित मलेरिया के सर्वाधिक संक्रमण वाले 11 देशों के लिए इस पहल को वर्ष 2019 में शुरू किया था।
- **मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (2017-22):** इसके तहत अगले 5 वर्षों में मलेरिया के संक्रमण के आधार पर देश के विभिन्न हिस्सों में मलेरिया के चरणबद्ध उन्मूलन हेतु वर्षवार लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- **दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र**[140] **में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को जारी रखने और इसमें तेजी लाने हेतु मंत्रिस्तरीय घोषणा:** भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया है। इस पर WHO-SEAR के देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों द्वारा नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये गए थे।
- **मलेरिया उन्मूलन पर राष्ट्रीय कार्य बल:** इसका गठन सभी हितधारकों के अंतर्क्षेत्रीय सहयोग और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।
- **मलेरिया उन्मूलन पर संसदीय और विधायी फोरम** का भी गठन किया गया है।

7.8. ट्रांस फैट (Trans Fats)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वैश्विक ट्रांस-फैट उन्मूलन 2021 पर तीसरी प्रगति रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को "काउंटडाउन टू 2023" नामक शीर्षक से जारी किया गया है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **वैश्विक स्तर पर किये जा रहे प्रयास:** मई 2020 के पश्चात दुनिया भर में ट्रांस फैटी एसिड[141] के उन्मूलन की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है।
    - अनिवार्य ट्रांस फैटी एसिड (TFA) उन्मूलन नीतियों को वर्तमान में 57 देशों में लागू किया गया है। इनमें से 40 देशों (ज्यादातर उच्च आय वाले देशों में) की नीतियों में उन्मूलन हेतु सर्वाधिक बेहतर तरीके अपनाए गए हैं, जहाँ 1.4 बिलियन लोगों (वैश्विक आबादी का 18%) को इन नीतिगत प्रयासों के तहत शामिल किया जा चुका है।
- **सर्वाधिक बेहतर प्रदर्शन:** TFA के उन्मूलन के लिए सर्वाधिक बेहतर तरीके वाली नीतियों को अपनाने वाले मध्य आय वाले देशों में भारत और फिलीपींस का स्थान क्रमशः पहला और तीसरा रहा है।
- **ट्रांस फैटी एसिड (TFA) से जुड़े नीति निर्माण की दिशा में** विगत एक वर्ष में देशों को **जिन चुनौतियों** का सामना करना पड़ा था, उनमें मुख्य रूप से COVID-19 महामारी के कारण संसाधन और क्षमता से जुड़ी चुनौतियाँ शामिल रही हैं।

---

[138] Malaria Elimination Research Alliance: MERA

[139] High Burden to High Impact: HBHI

[140] South-East Asia Region: SEAR

[141] Trans Fatty Acids: TFA

असंतृप्त वसायुक्त अम्ल (TFA) के बारे में

- ट्रांस फैट या ट्रांस फैटी एसिड, प्राकृतिक या औद्योगिक स्रोतों में पाए जाने वाले **असंतृप्त वसायुक्त अम्ल** होते हैं।
    - **प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ट्रांस फैट** जुगाली करने वाले पशुओं, जैसे- गाय, भेड़ आदि की आंत में पाए जाते हैं।
    - **औद्योगिक रूप से निर्मित ट्रांस फैट** ठोस वानस्पतिक वसा, जैसे- कृत्रिम मक्खन और घी में पाया जाता है। यह वसा प्राय: स्नैक्स फूड, पके हुए या तले हुए खाद्य पदार्थों में पाया जाता है।
- औद्योगिक रूप से पाए जाने वाले ट्रांस फैट को एक **औद्योगिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित किया जाता है। इसके लिए, तरल वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकृत किया जाता है, ताकि उन्हें अधिक ठोस बनाया** जा सके। दूसरे शब्दों में कहें तो इस प्रक्रिया में तरल वनस्पति तेल को ठोस रूप में परिवर्तित करने के लिए उसमें हाइड्रोजन का मिश्रण किया जाता है। फलस्वरूप, 'आंशिक रूप से हाइड्रोजन युक्त' तेल[142] प्राप्त होता है।
- **शेल्फ लाइफ अधिक होने के कारण** विनिर्माता अक्सर इनका प्रयोग करते हैं। इससे खाद्य पदार्थ लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं और **अन्य वसाओं की अपेक्षा यह सस्ते** होते हैं।
- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** TFA के सेवन से **हृदयाघात और कोरोनरी हृदय रोग से होने वाली मौतों में बढ़ोतरी हो सकती है।**

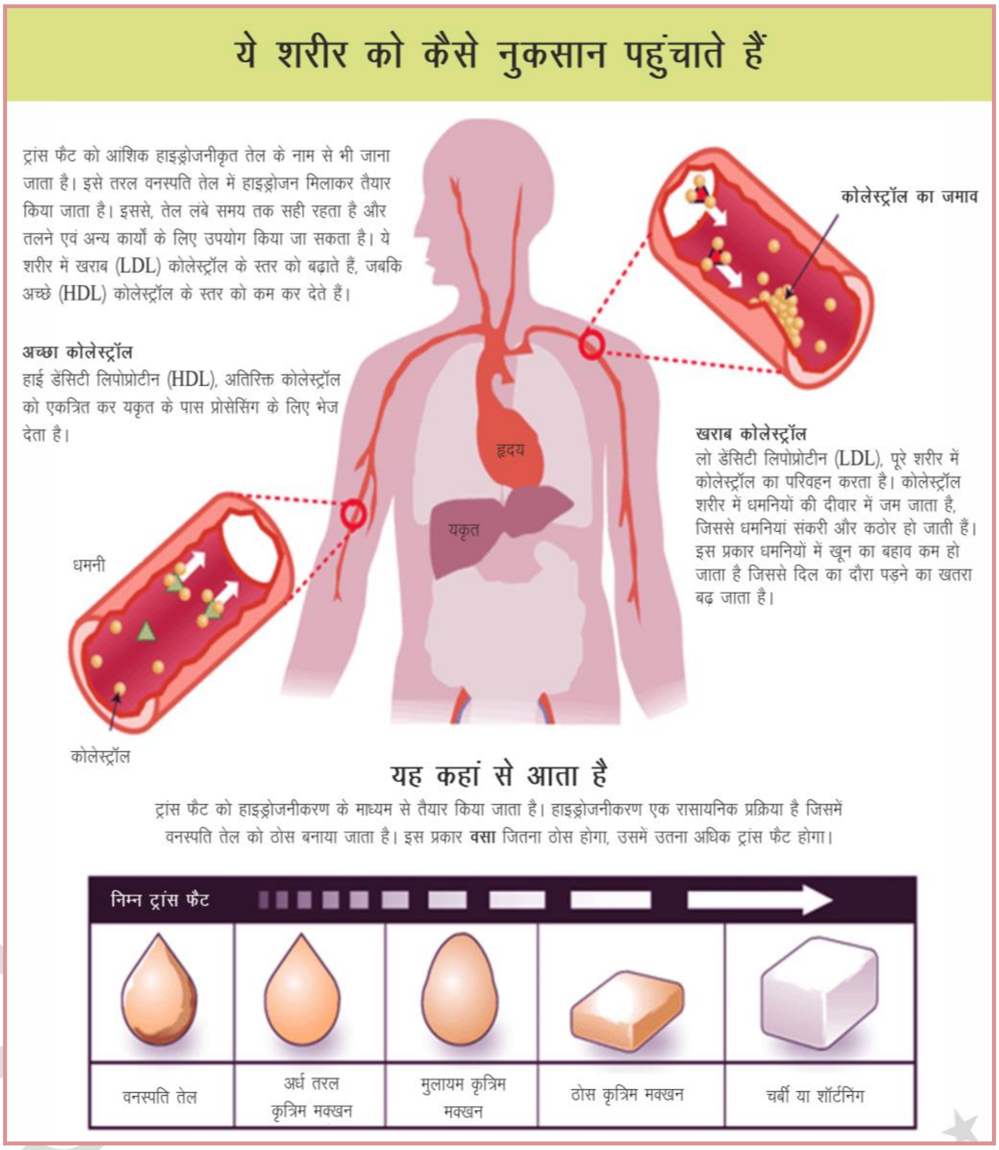

- औद्योगिक रूप से उत्पादित TFA का सेवन वैश्विक स्तर पर **प्रत्येक वर्ष लगभग 5,40,000 और भारत में 60,000 मौतों** के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहा है।
- हृदय रोग से पीड़ित लोगों में विशेष तौर पर **गंभीर बीमारी की संभावना** बनी रहती है और **COVID-19 से मृत्यु जैसे जोखिमों का सामना** करना पड़ सकता है।

खाद्य सामग्रियों/पदार्थों में से ट्रांस फैट के उन्मूलन हेतु WHO द्वारा किये गए प्रयास

WHO ने 'जनरल प्रोग्राम ऑफ वर्क' के 13वें कार्यक्रम[143] में **ट्रांस फैटी एसिड (TFA) उन्मूलन को प्राथमिकता वाले लक्ष्यों में से एक के रूप में चिन्हित** किया है। वर्ष 2018 में, WHO ने **वर्ष 2023 तक औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड (Trans Fatty Acids: TFA) के उन्मूलन** (वैश्विक खाद्य आपूर्ति व्यवस्था से) का आह्वान किया था।

- **REPLACE (रिप्लेस) एक्शन फ्रेमवर्क:** यह औद्योगिक रूप से उत्पादित TFA को खाद्य आपूर्ति से समाप्त करने हेतु विश्व के समस्त देशों

[142] Partially Hydrogenated Oil: PHO

[143] 13th General Programme of Work: GPW13

को एक रोडमैप प्रदान करता है।

  - WHO ने सुझाव दिया है कि **हमारा शरीर एक दिन में जितनी ऊर्जा ग्रहण करता है उसमें ट्रांस फैट की मात्रा 1% से भी कम होनी** चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम प्रतिदिन 2,000 कैलोरी आहार का सेवन करते हैं, तो उसमें ट्रांस फैट की मात्रा 2.2 ग्राम से भी कम होनी चाहिए।

- **देशों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों के समर्थन हेतु अतिरिक्त संसाधन:** इसमें रिप्लेस अभियान के कार्यान्वयन से जुड़े छह मॉड्यूल और एक लाइव पॉलिसी ट्रैकिंग मैप के साथ-साथ **TFA कंट्री स्कोर कार्ड** को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2023 के लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में वैश्विक प्रगति की निगरानी करना है।
- **TFA संकेतक-** यह औद्योगिक रूप से उत्पादित TFA के उन्मूलन हेतु WHO द्वारा सुझाई गई सबसे बेहतर नीतियों को देशों द्वारा अपनाया गया है या नहीं, के आकलन में मदद करता है।
  - यह WHO के ट्रिपल बिलियन संकेतकों[144] में से एक है। ट्रिपल बिलियन संकेतक एक महत्त्वाकांक्षी पहल है जिसका लक्ष्य 2023 तक अरबों लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाना है।
- **ट्रांस फैट के उन्मूलन हेतु WHO का प्रमाणन कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन देशों को चिन्हित करते हुए वैश्विक उन्मूलन के लिए 2023 लक्ष्य की प्रगति में तेजी लाना है, जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक रूप से उत्पादित TFA के उपयोग को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। इसके तहत देशों की जवाबदेही भी निर्धारित की गई है।
  - इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए, देशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहाँ सबसे बेहतर तरीके वाली TFA नीति को कार्यान्वित किया गया है।

ट्रांस फैटी एसिड (TFA) की दिशा में भारत की प्रगति कैसी रही है?

तेल और खाद्य पदार्थों में औद्योगिक रूप से उत्पादित TFA के उपयोग को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए **भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा** एक **360-डिग्री नीति** अपनाई गई है। FSSAI, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय खाद्य नियामक है। इसमें नीतियों और विनियमन का सृजन, प्रयोगशालाओं और खाद्य कारोबारियों के क्षमता निर्माण पर ध्यान देना तथा जागरूकता बढ़ाना शामिल है। हाल के दिनों में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- **लक्ष्य निर्धारण:** वर्ष 2018 में, भारत ने WHO के 2023 के वैश्विक लक्ष्य से पहले ही **अर्थात वर्ष 2022 तक देश को TFA मुक्त बनाने के लिए** कदम उठाने का आह्वान किया था।
  - इसके तहत तेल और वसा वाले सभी खाद्य पदार्थों में TFA को चरणबद्ध तरीके से घटाकर 2% से कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालाँकि इसके तहत यह स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया था कि TFA उपयोग की मात्रा 1 जनवरी, 2021 से 3% से अधिक और 1 जनवरी 2022 से 2% से अधिक नहीं होगी।

[144] WHO Triple Billion Indicators

- **TFA की लेबलिंग:** जिन खाद्य प्रतिष्ठानों के प्रति 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर खाद्य पदार्थ में औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट की मात्रा 0.2 ग्राम से कम तथा प्रति 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर खाद्य तेल या वसा में TFA की मात्रा 1 ग्राम से कम है, वे अपनी दुकानों (आउटलेट्स) और अपने खाद्य उत्पादों पर **'ट्रांस फैट फ्री' लोगो (Logo)** का उपयोग कर सकते हैं।
- **व्यवहार परिवर्तन को प्रोतसाहित करने हेतु:** आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेलों के इतर स्वस्थ विकल्पों की मांग को बढ़ाने के लिए कई भाषाओं में "हार्ट अटैक रिवाइंड" नामक एक जन मीडिया अभियान संचालित किया गया है।
  - इसके लिए सुप्रसिद्ध व्यक्ति/सेलिब्रिटी समर्थित अभियान तथा अन्य रणनीतियाँ शामिल हैं ताकि उपभोक्ताओं से अपील (अपने आहार से TFA के उन्मूलन हेतु) करने के साथ ही उन्हें इसके लिए अलग-अलग रणनीतियों की **जानकारी प्रदान** की जा सके।
- **तकनीक का उपयोग:** खाद्य श्रृंखला से TFA के उन्मूलन हेतु खाद्य कारोबारियों को नई तकनीकें अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है।
- **क्षमता निर्माण:** प्रयोगशालाओं और निगरानी की व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास किये गए हैं, ताकि नियम-कानून के कार्यान्वयन के लिए अगले कदमों की रणनीति तैयार करने हेतु आधार प्रदान किया जा सके।

भारत में और क्या प्रयास किये जा सकते हैं?

- **छोटे और मध्यम खाद्य उद्यमों के क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें अतिरिक्त तकनीकी सहायता प्रदान करना,** ताकि TFA के स्वस्थ और वहनीय विकल्प तैयार करने का कौशल उन्हें सिखाया जा सके।
- सभी खाद्य तेलों और खाद्य उत्पादों के लिए **TFA तथा संतृप्त वसा सामग्री की लेबलिंग को अनिवार्य** किया जाना चाहिए।
- भारत में उचित कार्यान्वयन के लिए, **FSSAI को स्थानीय शासन से संपर्क करके,** निगरानी व्यवस्था में सुधार करने हेतु प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही खाद्य परिसरों का निरीक्षण, खाद्य उत्पादों के नमूने के संग्रहण/एकत्रण, अधिकारियों के नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था, खाद्य प्रयोगशालाओं के उन्नयन को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- **नागरिक समाज की भूमिका:** लोगों को जागरूक करने और विधेयक/नियम-कानून का मसौदा तैयार करने तथा निगरानी व्यवस्था के क्रियान्वयन की दिशा में अहम भूमिका निभाने हेतु नागरिक समाज संगठनों को आगे आना चाहिए।

निष्कर्ष

वर्तमान में अधिक से अधिक देशों द्वारा TFA को विनियमित करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। ऐसे में खाद्य निर्माताओं को दूसरे देशों में बिक्री हेतु अपने उत्पादों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे उत्पाद अनुसंधान और विकास में होने वाले व्यय को कम करने और देशों के मध्य सुगम व्यापार सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

हृदय संबंधी रोगों को रोकने की दिशा में निर्दिष्ट कार्रवाई से न केवल लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ और संक्रामक रोगों के प्रति अधिक लचीला बनाया जा सकेगा। इससे, COVID-19 महामारी के मद्देनजर आर्थिक और स्वास्थ्य प्रणाली को ठीक करने में भी मदद मिलेगी।

वसा और वसायुक्त अम्ल (Fats And Fatty Acids) क्या हैं?

वसा रासायनिक यौगिकों का एक समूह है जिसमें वसायुक्त अम्ल मौजूद होते हैं।

वसा **ऊर्जा के स्रोत** होते हैं और शरीर के अंदर मौजूद झिल्लियों की तरलता, लचीलापन, पारगम्यता सुनिश्चित करने के लिए **कोशिकीय झिल्ली के मुख्य घटक के रूप में कार्य करते हैं।**

वसा और वसायुक्त अम्ल का उपयोग प्रायः एक-दूसरे के स्थान पर भी किया जाता है।

SATURATED	UNSATURATED
H H | | -C-C- | | HH	H H | | -C-C-
Carbon-Carbon Single Bond	Carbon-Carbon Double Bond

वसायुक्त अम्ल के विभिन्न प्रकार कौन से हैं?

वसायुक्त अम्ल मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं: **संतृप्त और असंतृप्त।** सभी वसायुक्त अम्ल, **कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला से युक्त होते हैं तथा इसमें कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं।**

- **संतृप्त वसायुक्त अम्ल (Saturated Fatty Acid)** में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है और ये प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु, कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। इसलिए हाइड्रोजन परमाणुओं की उपस्थिति के कारण इसे 'संतृप्त' कहा जाता है। सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल बंधों के साथ जुड़े होते हैं।
- **असंतृप्त वसायुक्त अम्ल (Unsaturated Fatty Acid):** कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होने के कारण इसे असंतृप्त कहा जाता है। कार्बन परमाणुओं के मध्य बंध की प्रकृति और संख्या के आधार पर इन्हें **मोनोअनसैचुरेटेड (Monounsaturated) और पॉलीअनसैचुरेटेड (Polyunsaturated)** में वर्गीकृत किया गया है।

- **ओमेगा 3 वसायुक्त अम्ल** वस्तुतः पॉलीअनसैचुरेटेड वसायुक्त अम्ल {जिसे आवश्यक वसायुक्त अम्ल (Essential Fatty Acid) भी कहा जाता है} के ही रूप होते हैं। ये कार्बन श्रृंखला के अंत से तीसरे कार्बन परमाणु के साथ द्विबंध (Double Bond) के माध्यम से जुड़े होते हैं। समुद्री शैवाल और पादप प्लवक[145] ओमेगा-3 फैटी एसिड के प्राथमिक स्रोत हैं।

क्या सभी खाद्य वसा शरीर के लिए हानिकारक होते हैं?

- खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले वसा में सैचुरेटेड, मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड वसायुक्त अम्ल मिश्रित रूप से मौजूद होते हैं। पशुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों में वसायुक्त अम्ल का एक बड़ा हिस्सा संतृप्त होता है। इसके विपरीत, पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों और कुछ समुद्री खाद्य पदार्थों में वसायुक्त अम्ल का एक बड़ा हिस्सा मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड होता है।
- संतृप्त और ट्रांस फैट, रक्त में एल.डी.एल. (LDL) या 'खराब' कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं, जिससे हृदय रोग का जोखिम बढ़ जाता है। असंतृप्त वसा, जैसे कि मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड, एल.डी.एल. कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में वृद्धि नहीं करते हैं। कम मात्रा में इनका सेवन लाभदायक होता है।

7.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

7.9.1. वेब 3.0 (WEB 3.0)

- वर्तमान में, भारतीय उद्यम पूंजी कंपनियों द्वारा वेब 3.0 स्टार्टअप्स में निवेश किया जा रहा है। इसका कारण इन स्टार्टअप्स को इंटरनेट के अगले चरण के लिए उत्पादों के विकासकर्ता के रूप में देखा जाना है।
- **वेब 3.0,** वेब इवोल्यूशन का अगला चरण है। इससे इंटरनेट की कुशलता में वृद्धि होगी। इसके तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालियों के उपयोग से लगभग मानव की बुद्धिमत्ता के समान सूचनाओं को संसाधित (process) किया जा सकेगा। साथ ही, उपयोगकर्ता की सहायता के लिए स्मार्ट प्रोग्राम का संचालन किया जा सकेगा।
  - वेब 3.0 का उद्देश्य **अधिक बुद्धिमान, कनेक्टेड और स्वतंत्र वेबसाइट्स का निर्माण करना** है।
- **स्टैटिक वेब** के नाम से ज्ञात **वेब 1.0** की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। इसने सूचना के लिए आसान पहुँच को सक्षम बनाया। लेकिन इन सूचनाओं का अधिकतर भाग अव्यवस्थित था और इसका संचालन भी कठिन था।
- **सोशल वेब या वेब 2.0** ने जावास्क्रिप्ट, HTML5, CSS3 आदि वेब तकनीकों के माध्यम से इंटरनेट के उपयोग को लोगों के लिए अधिक आकर्षक और अनुकूल बनाया। इनके उपयोग से स्टार्टअप्स ने **यू-ट्यूब, फेसबुक, विकिपीडिया आदि** इंटरैक्टिव वेब मंचों का निर्माण किया।
- **वेब 3.0 का महत्व:**
  - **प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए डेटा अधिक प्रासंगिक होगा:** विशेषज्ञों द्वारा वेब 3.0 को सिमेंटिक वेब के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। यहाँ सिमेंटिक का अर्थ **"डेटा द्वारा संचालित"** है। **डेटा उपयोगकर्ताओं से ही उत्पन्न होगा और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वेब द्वारा आवश्यक बदलाव किया जाएगा।** उदाहरण के लिए: यदि आप 'डिजाइन ब्लॉग्स' के बारे में बहुत ज़्यादा सर्च करेंगे, तो आपको डिजाइन से संबंधित अधिक विज्ञापन देखने को मिलेंगे।
  - **विकेंद्रित डेटा नेटवर्क:** वेब 3.0 में डेटा विकेंद्रीकृत तरीके से कनेक्टेड होगा। ज्ञातव्य है कि वेब 2.0 में डेटा को मुख्य रूप से केंद्रीकृत भंडारण स्थानों में संग्रहीत किया जाता है। वेब 3.0 में उपयोगकर्ता AI और मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करके भी डेटा से परस्पर संबद्ध हो पाएंगे।
    - इसके तहत इंटरनेट में नए सर्च इंजन या सामाजिक नेटवर्क का आना आसान हो जाएगा। साथ ही, कंटेंट पर केवल कुछ कंपनियों का नियंत्रण नहीं होगा।
  - **डेटा सुरक्षा और गोपनीयता:** वेब 3.0 का उपयोगकर्ता-विशिष्ट होना अपेक्षित है। यह इंटरनेट हैकिंग के खतरे से बचाकर, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को सुनिश्चित कर पाएगा।
  - **आर्थिक वृद्धि:** यह अगले 11 वर्षों में, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त आर्थिक वृद्धि का योगदान देने में सहायक हो सकता है।

[145] Marine algae and Phytoplankton

VISIONIAS

वेब 1.0	वेब 2.0	वेब 3.0
उपयोगकर्ता केवल कंटेंट या सामग्री पढ़ सकते थे।	उपयोगकर्ता कंटेंट पढ़ सकता है और फीडबैक दे सकता है।	उपयोगकर्ता व्यक्तिगत कंटेंट बना और साझा कर सकते हैं।
इसमें उपयोगकर्ता को केवल वेबसाइट के मुख्य पृष्ठों (स्टैटिक सामग्री) तक पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।	इसमें परस्पर संपर्क स्थापित करने में सक्षम, कंटेंट प्लेटफॉर्म पर ध्यान केंद्रित किया गया (ब्लॉग, विकिपीडिया आदि)।	इसमें कंटेंट के बेहतर रूप से प्रस्तुतीकरण के साथ–साथ उपयोगकर्ता की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया (जैसे– लाइव स्ट्रीम)।
इसमें कंटेंट का स्वामित्व होता था।	इसमें कंटेंट को साझा किया जाता है।	कंटेंट पर सामूहिक स्वामित्व होगा और उसे सामूहिक रूप से साझा किया जाएगा।
इसमें कंटेंट डाइरेक्टरी में सभी जानकारी शामिल होती थी।	इसने कंटेंट पृष्ठ पर टैगिंग के विकल्प ने अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ सूचना साझाकरण को सक्षम बनाया।	फीडबैक के आधार पर प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए उसकी रूचि के अनुसार कंटेंट प्रदर्शित किया जाएगा।

7.9.2. ऑस्कर 1 (ऑर्बिटिंग सैटेलाइट कैरीइंग एमेच्योर रेडियो) {OSCAR 1 (Orbiting Satellites Carrying Amateur Radio)}

- ऑस्कर 1 को **दिसंबर, 1961 (60 वर्ष पहले) में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था।** यह पहला गैर-सरकारी उपग्रह था, जिसे निजी नागरिकों द्वारा बनाया गया था।
- यह **एक अन्य प्राथमिक मिशन के द्वितीयक पेलोड के रूप में** अलग होने के बाद अपनी कक्षा में **पहुंचने वाला पहला उपग्रह था।**
- इसे वायुमंडल के ठीक ऊपर, **निम्न भू कक्षा में स्थापित किया गया था** और स्थापना के बाद इसका कार्य **मॉर्स कोड में "HI"** अक्षरों को प्रसारित करना था।
- वर्ष 1961 में ऑस्कर I के प्रक्षेपण के बाद से अव्यवसायी रेडियो उपग्रहों के लिए ऑस्कर नाम रखने की परंपरा रही है। अब तक 111 उपग्रहों को ऑस्कर के रूप में नामित किया गया है।

7.9.3. इमेजिंग एक्स-रे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर (Imaging X-Ray Polarimetry Explorer: IXPE)

- IXPE वेधशाला **नासा और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त प्रयास है।**
- इस मिशन में **ब्रह्मांड में सबसे चरम और रहस्यमय पिंडों का अध्ययन किया जाएगा।** इनमें सुपरनोवा अवशेष, सुपरमैसिव ब्लैक होल और दर्जनों अन्य उच्च-ऊर्जा पिंड शामिल हैं।
- इस मिशन की **प्राथमिक अवधि दो वर्ष** है। इसकी वेधशाला **600 किलोमीटर की ऊंचाई पर** होगी। यह वेधशाला **पृथ्वी की भूमध्य रेखा** के चारों ओर परिक्रमा करेगी।
- इससे **ब्लैक होल कैसे घूमते हैं, पल्सर इतने चमकीले क्यों होते हैं** आदि प्रश्नों के उत्तर देने में मदद मिलेगी।

7.9.4. मैग्नेटर्स से उत्सर्जित क्षणिक उच्च ऊर्जा स्पंदन को समझने के लिए वैज्ञानिकों को प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ (Scientists Trace First Clue to understand Transient High Energy Pulses from Magnetars)

- **मैग्नेटर (Magnetar) एक प्रकार का न्यूट्रॉन तारा है।** आम तौर पर एक न्यूट्रॉन तारे में, चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से खरबों गुना अधिक प्रभावी होता है। हालांकि, एक **मैग्नेटर में चुंबकीय क्षेत्र 1,000 गुना तक अधिक मजबूत हो सकता है।**
  - न्यूट्रॉन तारे तब बनते हैं, जब एक विशाल तारे (1 और 3 सौर द्रव्यमान के बीच एक कोर से युक्त तारे) का **ईंधन समाप्त हो जाता** है और वह धीरे-धीरे विलोपित होने लगता है। ध्यातव्य है कि इस प्रक्रिया में प्रत्येक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बंध बनाकर एक न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं।
  - **उच्च द्रव्यमान वाले तारे अनवरत रूप से तारकीय-द्रव्यमान वाले ब्लैक होल में विलीन होते रहते हैं।**
- **मैग्नेटर्स प्रचंड विस्फोटों को सहन करते हैं।** इन विस्फोटों की अप्रत्याशित प्रकृति और एक सेकंड के मात्र दसवें हिस्से की अल्प अवधि के लिए सक्रिय रहने के कारण इनके बारे में **बहुत कम जानकारी है।**
- हाल ही में, वैज्ञानिकों ने इन विस्फोटों को समझने के लिए पहला प्रमाण खोजा है।

- यह माना जाता है कि **मैग्नेटर्स में विस्फोट, उनके चुम्बकमंडल में अस्थिरता** या उनके क्रस्ट (पर्पटी) में उत्पन्न **एक प्रकार के भूकंप (स्टारक्वेक) के कारण हो सकता है।**
- ये स्टारक्वेक मैग्नेटर्स के चुम्बकमंडल में **तरंगों (आल्फवेन तरंगें कहलाती हैं) का निर्माण करते हैं।** ये तरंगे एक-दूसरे से अन्तर्क्रिया करते समय ऊर्जा का प्रसार करती हैं।

7.9.5. राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम (National Oxygen Stewardship Programme)

- केंद्र सरकार ने **मेडिकल ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने** और इसके **तर्कसंगत इस्तेमाल में स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों को प्रशिक्षित करने हेतु** इस पहल की शुरुआत की है।
- **राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम के बारे में**
  - इस कार्यक्रम के तहत देशभर के **प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऑक्सीजन प्रबंधक की पहचान की जाएगी तथा उन्हें प्रशिक्षित** किया जाएगा।
  - ये प्रशिक्षित पेशेवर अपने-अपने जिलों में **ऑक्सीजन थेरेपी और प्रबंधन पर प्रशिक्षण का नेतृत्व** करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
  - वे **ऑक्सीजन वितरण के ऑडिट** और एक वृद्धि परिदृश्य के लिए तैयारियों में भी सहयोग करेंगे।

7.9.6. सरकार ने फसलों पर तपेदिक रोधी एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग पर रोक लगाई (Government Prohibits Use Of TB Antibiotics on Crops)

- हाल ही में, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने **कृषि में स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाले मसौदा आदेश** को अधिसूचित किया है।
  - स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन वस्तुतः एंटीबायोटिक हैं। मनुष्यों में तपेदिक के उपचार हेतु महत्त्वपूर्ण दवाओं के रूप में इनका उपयोग किया जाता है।
  - एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग से **प्रत्यक्ष रूप से प्रतिरोधक क्षमता का विकास एवं प्रसार** होता है।
  - यह भी देखा गया है कि **फसलों पर तपेदिक रोधी एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग मनुष्यों, पौधों और मृदा के स्वास्थ्य के लिये हितकर नहीं है।**
- **मसौदा आदेश के अनुसार:**
  - 1 फरवरी, 2022 से भारत में किसी भी व्यक्ति द्वारा **कृषि में उपयोग हेतु स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन का आयात, विनिर्माण या उत्पादन नहीं किया जाएगा।**
  - 1 जनवरी, 2024 से कृषि में स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी।
- इस ड्राफ्ट आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा **कीटनाशी अधिनियम, 1968** और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत अपने राज्य में इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
  - **कीटनाशी अधिनियम, 1968** में मनुष्यों या पशुओं के लिए जोखिम को रोकने तथा इससे संबंधित मामलों हेतु **कीटनाशकों के आयात, विनिर्माण, बिक्री, ढुलाई, वितरण और उपयोग को विनियमित किया गया है।**

7.9.7. विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly)

- विश्व स्वास्थ्य सभा ने **भावी संक्रामक रोग संकटों से दुनिया की रक्षा के लिए एक वैश्विक प्रक्रिया** की शुरुआत की है। इसके तहत अभिसमय (Convention), समझौते या अन्य अंतर्राष्ट्रीय साधन का मसौदा तैयार करने के साथ-साथ इस पर विमर्श किया जा सकेगा।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के संविधान** का **अनुच्छेद 19** विश्व स्वास्थ्य सभा को WHO की क्षमता के भीतर **किसी भी मामले पर अभिसमयों या समझौतों को अपनाने का अधिकार प्रदान करता है।**
  - **अनुच्छेद 19** के तहत आज तक स्थापित एकमात्र साधन **"विश्व स्वास्थ्य संगठन का तम्बाकू नियंत्रण फ्रेमवर्क अभिसमय"**[146] है। **वर्ष 2005 में लागू** होने के बाद, **लोगों को तंबाकू से बचाने में इसका महत्त्वपूर्ण योगदान** रहा है।
- विश्व स्वास्थ्य सभा ने **"द वर्ल्ड टुगेदर"** शीर्षक से एकमात्र निर्णय को अपनाया। इसका उद्देश्य **वैश्विक महामारी संबंधी रोकथाम, तत्परता** व **प्रतिक्रिया पर साधन का मसौदा** तैयार करने और **बातचीत करने के लिए एक अंतर-सरकारी वार्ता निकाय**[147] **का गठन करना है।**
  - इस निकाय द्वारा जन सुनवाईयों का आयोजन किया जाएगा और वर्ष 2023 में **76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में प्रगति रिपोर्ट सौंपी जाएगी।** साथ ही यह निकाय वर्ष 2024 में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा विचार के लिए अपना परिणाम प्रस्तुत करेगा।

---

[146] WHO Framework Convention on Tobacco Control

[147] Intergovernmental Negotiating Body: INB

7.9.8. वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 {Global Health Security Index (GHSI) 2021}

- GHSI **महामारियों के विरुद्ध तैयारी के लिए 195 देशों की क्षमताओं का आकलन करता है।**
  - इसे गैर-लाभकारी न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव (NTI) और जॉन्स हॉपकिन्स सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है।
- **मुख्य निष्कर्ष**
  - सभी आय स्तरों वाले देश **भविष्य की महामारियों के खतरों से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं।**
  - **GHSI स्कोर पर विश्व के समग्र प्रदर्शन में** वर्ष 2021 में (100 में से) 38.9 (वर्ष 2019 में 40.2) अंकों तक की **गिरावट दर्ज की गयी है।** भारत के प्रदर्शन में भी गिरावट दर्ज की गयी है।
  - **अधिकांश देशों ने** महामारियों से निपटने की तैयारी को मजबूत करने के लिए **पर्याप्त वित्तीय निवेश नहीं किया है।**

7.9.9. वैज्ञानिकों ने प्रजनन करने में सक्षम पहला जीवित रोबोट विकसित किया है (Scientists Developed First Living Robots That Can Reproduce)

- विश्व के पहले जीवित रोबोट को **ज़ेनोबोट्स (Xenobots) नाम दिया गया है। इसे अफ्रीकी पंजे वाले मेंढक (ज़ेनोपस लाविस) की स्टेम कोशिका से बनाया गया है।**
  - ज़ेनोबॉट्स की **चौड़ाई एक मिलीमीटर से भी कम है। ये चलने में सक्षम हैं और समूहों में एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं का उपचार** भी कर सकते हैं।
  - स्टेम कोशिकाएं, **विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता होती है।**
- अब, वैज्ञानिकों ने स्व-प्रतिकृति बनाने में सक्षम जीवित रोबोट के निर्माण के लिए **जैविक प्रजनन के बिल्कुल नए रूप की खोज की है, जो किसी भी जीव या पौधे से भिन्न है।**
  - शोधकर्ताओं ने एक नए प्रकार के जीव में ज़ेनोबोट्स को व्यवस्थित करने हेतु एक ढांचा तैयार करने के लिए **कृत्रिम बुद्धिमत्ता** (artificial intelligence: AI) का उपयोग किया है।
    - **क्लोनिंग के विपरीत** (जहां एक जीव के डी.एन.ए. का उपयोग उसकी समान प्रतियां विकसित करने के लिए किया जाता है) **इन कोशिकाओं को विभिन्न भ्रूणों से निर्मित किया जाता है और ऐसे जीवों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है,** जो उनकी मूल प्रजातियों के समान नहीं होते हैं।
- **ज़ेनोबोट्स के संभावित अनुप्रयोग**
  - समुद्र और भूमि आधारित **प्लास्टिक प्रदूषण को हटाने में।**
  - यदि **ज़ेनोबोट्स को** स्तनधारियों की स्टेम कोशिकाओं की मदद से बनाया गया है, तो दृष्टि की पुनर्प्राप्ति हेतु **लेंस बनाने के लिए इनका उपयोग** किया जा सकता है।
  - **हृदय अवरोध,** या ब्रेन डैमेज का कारण बनने वाले **प्लाक (Plaque) को साफ करने में भी प्रयुक्त हो सकता** है।
  - **कैंसर कोशिकाओं पर हमला करने और उन्हें समाप्त करने के लिए** प्रोग्राम किया जा सकता है।

7.9.10. ग्रीन हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना (Green Hydrogen Microgrid Project)

- हाल ही में, NTPC ने आंध्र प्रदेश के सिम्हाद्री में **भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना** शुरू की है।
  - यह बड़े पैमाने पर **हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं की प्रणेता होगी।**
- **हरित हाइड्रोजन का उत्पादन जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके किया जाता है।** इस उत्पादन प्रक्रिया में पवन और सौर जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित **इलेक्ट्रोलाइजर** का उपयोग किया जाता है।
- यह परियोजना देश के **दूर-दराज के क्षेत्रों** (जैसे लद्दाख) को **विकार्बनीकरण** (Decarbonizing) का लाभ प्रदान करेगी। साथ ही, इसकी विशेषताओं जैसे संधारणीयता, भंडारण करने में आसानी आदि के कारण **स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा** करने में मदद मिलती है।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

हिन्दी माध्यम 29 March | ENGLISH MEDIUM 22 March

- संदेह समाधान सत्र एवं मार्गदर्शन
- मई 2021 से अप्रैल 2022 तक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, लाइवमिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, योजना, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इंडिया ईयर बुक, RSTV आदि का समग्र कवरेज।
- प्रारंभिक परीक्षा हेतु विशिष्ट लक्ष्योन्मुखी सामग्री।
- लाइव और ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाएं जो दूरस्थ अभ्यार्थियों के लिए सहायक होंगी जो क्लास टाइमिंग मे लचीलापन चाहते हैं।

1 वर्ष का

करेंट अफेयर्स

प्रीलिम्स 2022 के लिए मात्र 60 घंटे में

मासिक समसामयिकी रिवीजन 2022

सामान्य अध्ययन

(प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा)

प्रवेश प्रारम्भ

- इन कक्षाओं का उद्देश्य जटिल समसामयिकी मुद्दों, जिन्हें कवर करने की अपेक्षा उम्मीदवारों से की जाती है, की एक विस्तृत विषय-वार समझ विकसित करना है।
- तमाम समसामयिक मुद्दों की सर्वाधिक अद्यतित प्रासंगिक समझ, जिसमें भारतीय राजव्यवस्था और संविधान, शासन (गवर्नेंस), अर्थव्यवस्था, समाज, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संस्कृति, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा विविध विषयों के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ सम्मिलित हैं।
- इस कोर्स (लगभग 60 कक्षाएं) में विभिन्न मानक स्रोतों, जैसे- द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, PIB, PRS, AIR, राज्य सभा/लोक सभा टीवी, योजना आदि से महत्वपूर्ण सामायिक मुद्दों को शामिल किया जाएगा।
- प्रत्येक टॉपिक के बाद MCQ तथा मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्नों के माध्यम से आपकी समझ का आकलन।
- "टॉक टू एक्सपर्ट" के माध्यम से और कक्षा में ऑफलाइन व्याख्यान के दौरान चर्चा और विचार-विमर्श हेतु अवसर।
- प्रत्येक पखवाड़े में दो से तीन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। समय-समय पर मेल के माध्यम से शेड्यूल साझा किया जाएगा।

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

ENGLISH MEDIUM also Available

8. संस्कृति (Culture)

8.1. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और विज्ञान की भूमिका (Indian Independence Movement & the Role of Science)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **"भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और विज्ञान की भूमिका"** पर केंद्रित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन **भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ** के उपलक्ष्य में किया गया था।
- इस सम्मेलन का आयोजन **वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान (CSIR-NIScPR)** ने किया था। **विज्ञान प्रसार, भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा विज्ञान भारती (VIBHA)** इसके सहयोगी थे।
- यह सम्मेलन वस्तुतः **अधीनता और स्वतंत्रता के उपकरण के रूप में विज्ञान तथा वैज्ञानिकों, संस्थानों, आंदोलनों, नीतियों एवं योजनाओं की भूमिका** पर केंद्रित था। साथ ही, इसमें स्वतंत्रता के उपकरण के रूप में वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण जैसे पहलू पर ध्यान दिया गया था।

अधीनता के उपकरण के रूप में विज्ञान

रणनीति	उदाहरण
ब्रिटिश द्वारा भारत के शोषण के उपकरण के रूप में विज्ञान	• अंग्रेजों ने **भारतीय सर्वेक्षण विभाग** (वर्ष 1767 में स्थापित), **ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया** (GTS) (वर्ष 1818 में स्थापित) और **भारतीय रेलवे** (वर्ष 1853 में स्थापित) आदि की स्थापना की थी। इनकी स्थापना समृद्ध धातु क्षेत्रों की खोज तथा कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसीडेंसी शहरों तक इन खनिजों के परिवहन हेतु की गई थी।
ब्रिटिश राज में 'रंगभेद' के रूप में विज्ञान	• **माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना करने वाले पहले व्यक्ति राधानाथ सिकदार** थे। • जिस मलेरिया परजीवी की खोज के लिए सर रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, उसकी खोज में **किशोरी मोहन बंदोपाध्याय** ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। • वर्ष 1857 के विद्रोह के दौरान **शिवचंदर नंदी ने निरीक्षक के रूप में ब्रिटिश सरकार को उत्कृष्ट सेवाएं** प्रदान की थी। • **हालांकि, इनमें से किसी को भी उनके विशिष्ट कार्य के लिए यथोचित सम्मान** नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त, उनके साथ वेतन, पदोन्नति आदि के मामले में भी भेदभाव किया गया था।

स्वतंत्रता के उपकरण के रूप में विज्ञान

अंग्रेजों ने कलकत्ता, मद्रास और बंबई में नए शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए थे। इसका उद्देश्य अधिक कुशल और प्रबुद्ध कार्यबल तैयार करना था। हालांकि, इन संस्थानों से निकलने वाले युवा वैज्ञानिकों ने इस मिथक को खंडित किया कि भारतीयों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है। साथ ही, उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि भारतीय भी तार्किक रूप से सोच सकते हैं तथा उस दौर में प्रचलित क्षेत्रों में मूल अनुसंधान कर सकते हैं। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप भारतीयों द्वारा कई वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना की गई। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

- **इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस (IACS):** इसकी स्थापना डॉ. महेंद्रलाल सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य मौलिक अनुसंधान के माध्यम से वैज्ञानिक प्रगति के लिए, विज्ञान के सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने हेतु भारतीय निवासियों को सक्षम बनाना था। IACS के तहत सात अग्रिम क्षेत्रों में प्रयास किए गए। इनमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, खगोल शास्त्र, वर्गीकरण वनस्पति विज्ञान, वर्गीकरण जीव विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान और भूविज्ञान शामिल थे।
- **बंगाल केमिकल एंड फार्मास्युटिकल वर्कशॉप:** इसे वर्ष 1901 में आचार्य पी.सी.रे द्वारा स्थापित किया गया था। इसने भारत में स्वदेशी उद्योग को स्थापित करने में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
- **भारतीय विज्ञान संस्थान (IISC):** वर्ष 1908 में इसे सर जमशेदजी नसरवानजी टाटा ने स्थापित किया था। इसकी स्थापना जापान से शिकागो की यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद द्वारा वर्ष 1893 में दिए गए सुझावों के बाद की गई थी।
- **कलकत्ता मैथमेटिकल सोसायटी:** इसे **वर्ष 1908** में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य गणित के क्षेत्र में अवसरों का सृजन करना तथा विद्यार्थियों के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देना है।

- **बोस अनुसंधान संस्थान:** इसे वर्ष 1917 में सर जगदीश चंद्र बोस ने स्थापित किया था। उन्होंने इस संस्थान को न केवल एक प्रयोगशाला बल्कि एक मंदिर के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया था। यह बाद में **बसु विज्ञान मंदिर** के नाम से विख्यात हुआ।
    - बोस उस समय के एक असाधारण भौतिक विज्ञानी, वनस्पतिशास्त्री और जीव विज्ञानी थे। उन्होंने विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के बेतार (वायरलेस) संचार की खोज की थी। बोस **'वसुधैव कुटुम्बकम'** के भारतीय दार्शनिक विचारों के आजीवन पक्षधर बने रहे थे। मानवीय हित में उन्होंने अपने शोध को कभी पेटेंट नहीं करवाया। वे अत्यधिक क्षमतावान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी नवीन तकनीकों और उपकरणों के माध्यम से पौधों में जीवन एवं संवेदनशीलता के अस्तित्व की खोज की थी तथा उन्हें प्रमाणित भी किया था।
- **महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस (MACS):** महेंद्रलाल सरकार के IACS से प्रेरित होकर, वर्ष 1946 में प्रोफेसर **शंकर पुरुषोत्तम आघरकर ने पुणे** में MACS की स्थापना की थी। वर्ष 1992 में इस संस्थान का नाम परिवर्तित कर **आघरकर अनुसंधान संस्थान** कर दिया गया था।
    - आघरकर एक भारतीय आकृति विज्ञानी (morphologist) और **पश्चिमी घाट की जैव विविधता के विशेषज्ञ थे।** यहां उन्होंने स्वच्छ जल में पाई जाने वाली जेलीफ़िश की खोज की थी, जो आमतौर पर अफ्रीका में पाई जाती है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए प्रतिष्ठानों का एकमात्र उद्देश्य भारत को लूटना था। साथ ही, अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए कम आय वाले श्रमिकों को तैयार करना था। इसलिए, भारतीयों द्वारा स्थापित अधिकांश संस्थान भारत के लोगों के बीच स्वदेशी भावना और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण विकसित करने हेतु बहुत महत्वपूर्ण थे।

8.2. श्री अरबिंदो (Sri Aurobindo)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **प्रधान मंत्री ने श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की।**

उच्च स्तरीय समिति के बारे में

- इस समिति का गठन **संस्कृति मंत्रालय** ने किया था। इस समिति में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित व्यक्ति जैसे राजनेता, राज्यपाल, आध्यात्मिक नेता, कलाकार आदि जैसे **53 सदस्य** शामिल हैं।
- **उद्देश्य:** राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अरबिंदो के जन्मोत्सव से संबंधित कार्यक्रमों के सृजन हेतु नीतिगत सहयोग एवं दिशा निर्देश प्रदान करना।
- **उत्सव की अवधि: जनवरी 2022 से मार्च 2024 तक।**

श्री अरबिंदो के बारे में

- **प्रारंभिक जीवन:**
    - उनका जन्म **15 अगस्त 1872 को कलकत्ता** (अब कोलकाता) में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा **दार्जिलिंग** के एक कॉन्वेंट स्कूल से प्राप्त की थी।
    - सात वर्ष की आयु में उन्हें उनके भाइयों के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया था। उन्होंने लंदन के सेंट पॉल स्कूल (1884) और **वर्ष 1890 में कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज** से शिक्षा प्राप्त की थी।
    - उन्होंने **भारतीय सिविल सेवा (ICS) परीक्षा** में 11वीं रैंक हासिल की थी, हालांकि वे प्रोबेशन को पूर्ण करने में असफल रहे थे।
- **स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी:**
    - वह भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने वाली एक गोपनीय सोसाइटी में शामिल हो गए थे। इस सोसाइटी को **लोटस और डैगर** के नाम से जाना जाता था।
    - **वर्ष 1893** में वह **बड़ौदा के महाराजा (सयाजीराव गायकवाड़ III)** की राज्य सेवा में शामिल हो गए थे। वहां अपने कार्य के दौरान उन्होंने भारतीय **संस्कृति, भाषाओं** (जैसे, संस्कृत) आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था।
    - वह वर्ष **1902 में** अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए थे। उन्होंने **अनुशीलन समिति** जैसी समितियों के माध्यम से क्रांतिकारियों को प्रेरित किया था।
    - **वर्ष 1905 में 'बंगाल के विभाजन'** के बाद वे भारतीय राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो गए थे। वे वर्ष **1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)** के सदस्य बने थे। उन्होंने **बंगाल नेशनल कॉलेज** के प्रिंसिपल के रूप में भी कार्य किया था।

VISIONIAS

- **आध्यात्मिक जीवन:**वर्ष 1902-1910 के मध्य, उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इसके बाद वे **आध्यात्मिक जागृति** के कारण राजनीतिक गतिविधियों से अलग हो गए थे। **वर्ष 1910 से 05 दिसंबर 1950 तक (मृत्यु तक) उन्होंने अपना शेष जीवन पुडुचेरी (तत्कालीन फ्रांसीसी उपनिवेश) में व्यतीत किया था।**

श्री अरबिंदो का योगदान

वे एक देशभक्त, कवि, शिक्षाविद, दार्शनिक और योगी थे। उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता और इसके आध्यात्मिक जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था जैसे-

<table>
<tr>
<td>भारतीय राष्ट्रवाद की दिशा में</td>
<td>

- वर्ष 1893-94 में **इंदु प्रकाश** में उनके द्वारा लिखे गए लेखों को **'न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड'** के शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। इसमें उन्होंने कांग्रेस की अति उदारवादी राजनीति की आलोचना की थी।

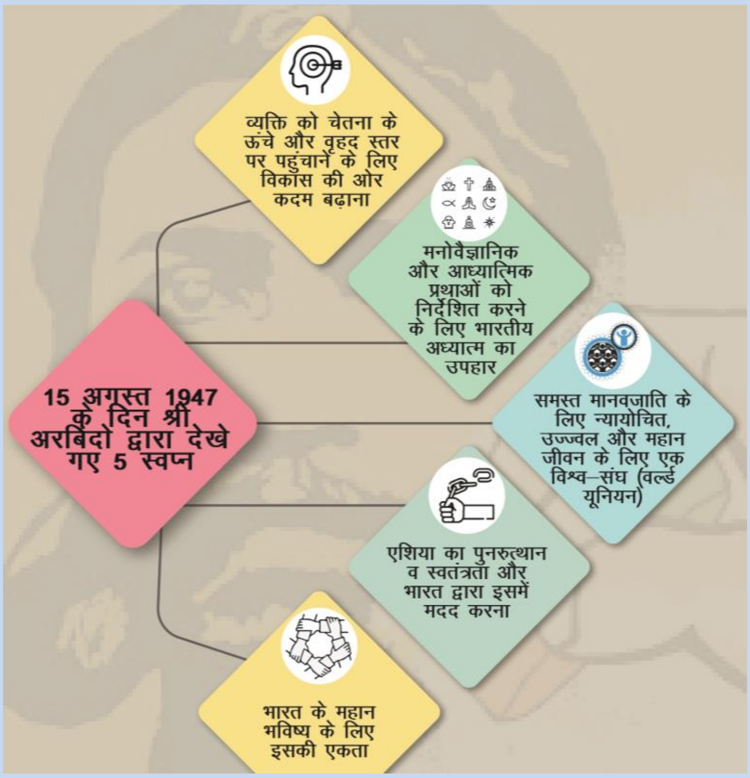

- उन्होंने **बंदे मातरम (अंग्रेजी दैनिक), कर्मयोगिनी (अंग्रेजी समाचार पत्र) और धर्मा (बंगाली साप्ताहिक)** की शुरुआत की थी।
- क्रांतिकारियों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने **युगांतर पत्रिका** (बंगाली क्रांतिकारी समाचार पत्र) में अपने लेख प्रकाशित किए थे। इसके अतिरिक्त, अनुशीलन समिति द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका, **भवानी मंदिर** में भी उनके लेख थे।
- **वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) का सूरत अधिवेशन** हुआ था। इस अधिवेशन को **सूरत विभाजन** के लिए भी जाना जाता है। इस दौरान वे नरमपंथियों के विरुद्ध **बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाले गरमपंथी समूह** में शामिल हो गए थे।
- वर्ष 1908 में, उन्हें **अलीपुर बम षडयंत्र मामले में गिरफ्तार** किया गया था। हालांकि, बाद में उन्हें बरी कर दिया गया था।
- 15 अगस्त 1947 को अपने संदेश में उन्होंने देश के विभाजन को एक अस्थायी व्यवस्था होने और इसके समाप्ति की कामना की। साथ ही, उन्होंने अपने भावी विचारों को साझा (जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है) किया था।

</td>
</tr>
<tr>
<td>आध्यात्मिक दर्शन की ओर</td>
<td>

वे **सत-चित-आनंद और योग** के दर्शन से प्रेरित थे। उन्होंने आंतरिक ज्ञान या मानव के वास्तविक स्वभाव के माध्यम से मानवता के आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया था। उनके योगदान को निम्नलिखित के माध्यम से देखा जा सकता है-

- **द लाइफ डिवाइन (1939)-** इसमें मनुष्य के बौद्धिक से अति चैतन्य प्राणी के रूप में परिवर्तित होने पर बल दिया गया था।
- **आर्य,** एक दार्शनिक मासिक पत्रिका (1914) थी।
- कविताओं, पत्रों और निबंधों के रूप में संकलित अन्य कृतियां जैसे **एस्सेज़ ऑन गीता (1922), कलेक्टेड पोयम्स एंड प्लेज़ (1942), द सिंथेसिस ऑफ योगा (1948), द ह्यूमन साइकिल (1949), द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी (1949), सावित्री: ए लीजेंड एंड ए सिंबल (1950) आदि।**
- **वर्ष 1926 में उन्होंने मीरा अल्फासा के साथ श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना की थी।**
    - मीरा अल्फासा ने **ऑरोविले अर्थात भोर के शहर** की स्थापना की थी। यह एक **शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व** के लिए निर्मित एक सार्वभौमिक शहर था।

</td>
</tr>
</table>

8.3. कोणार्क सूर्य मंदिर (Sun Temple of Konark)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने **कोणार्क सूर्य मंदिर के सीलबंद सभागृह से रेत को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए** एक रोडमैप पर चर्चा किया। इस सभागृह को **जगमोहन** के नाम से भी जाना जाता है।

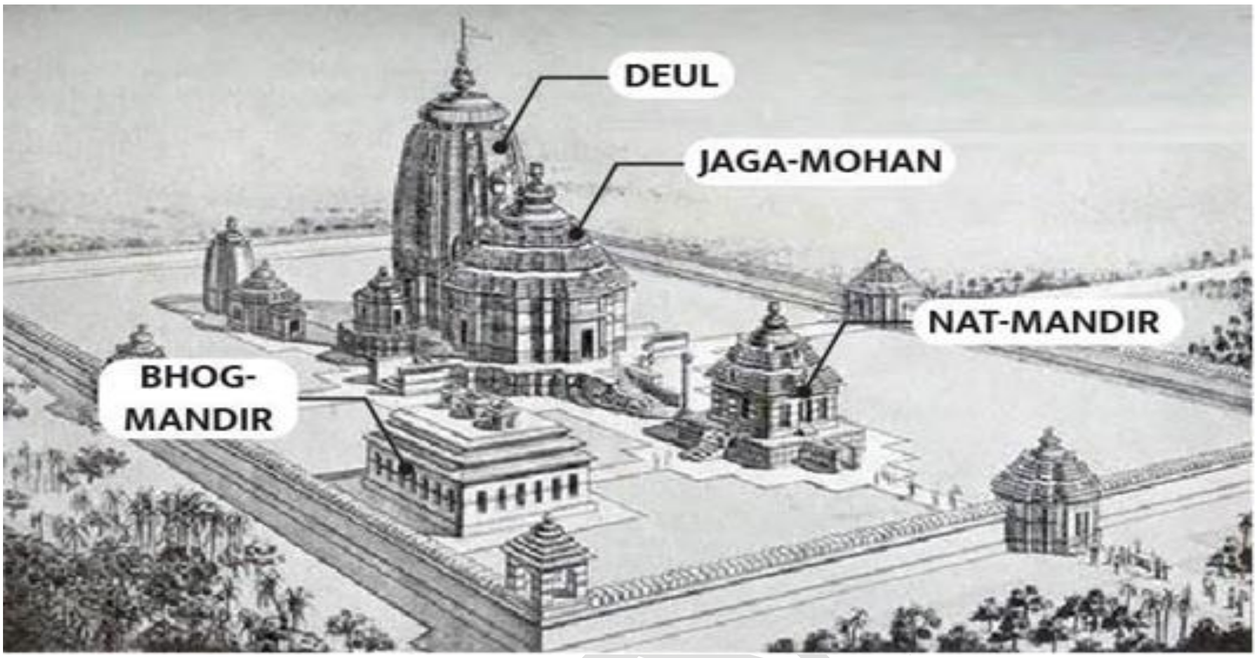

अन्य संबंधित तथ्य

- जगमोहन को गिरने से बचाने के लिए 118 वर्ष पहले अंग्रेजों ने इसमें रेत भर दिया था।
- वर्ष 2019 में किए गए अध्ययन में यह पाया गया था कि रेत नीचे बैठ रही है। इसके परिणामस्वरूप, रेत की परत और संरचना के बीच 17 फीट का अंतर आ गया है।
- वर्ष 1984 में इसे **यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल** किया गया था।
- इसके निकटतम **समुद्री पुलिन (बीच)-चंद्रभागा** को वर्ष 2018 में पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए **ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान** किया गया था।
- यहां **कोणार्क नृत्य महोत्सव और चंद्रभागा महोत्सव** का आयोजन किया जाता है।

कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में,

- यह **सूर्य देव** को समर्पित एक मंदिर है। यह **बंगाल की खाड़ी** के तट पर स्थित है।
- केंडुली ताम्रपत्र के अनुसार इसका निर्माण **पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने 1238-1250 ई. में करवाया था।**
    - किवदंतियों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण **भगवान कृष्ण के पुत्र सांबा** ने करवाया था।
- यह **कलिंग स्थापत्य कला शैली** में निर्मित एक मंदिर है। यह **नागर मंदिर स्थापत्य कला की एक उप-शैली है।** इसमें निम्नलिखित संरचनाएं मौजूद हैं:
    - **शिखर** के साथ **रेखा देउल या विमान (गर्भगृह के ऊपर);**

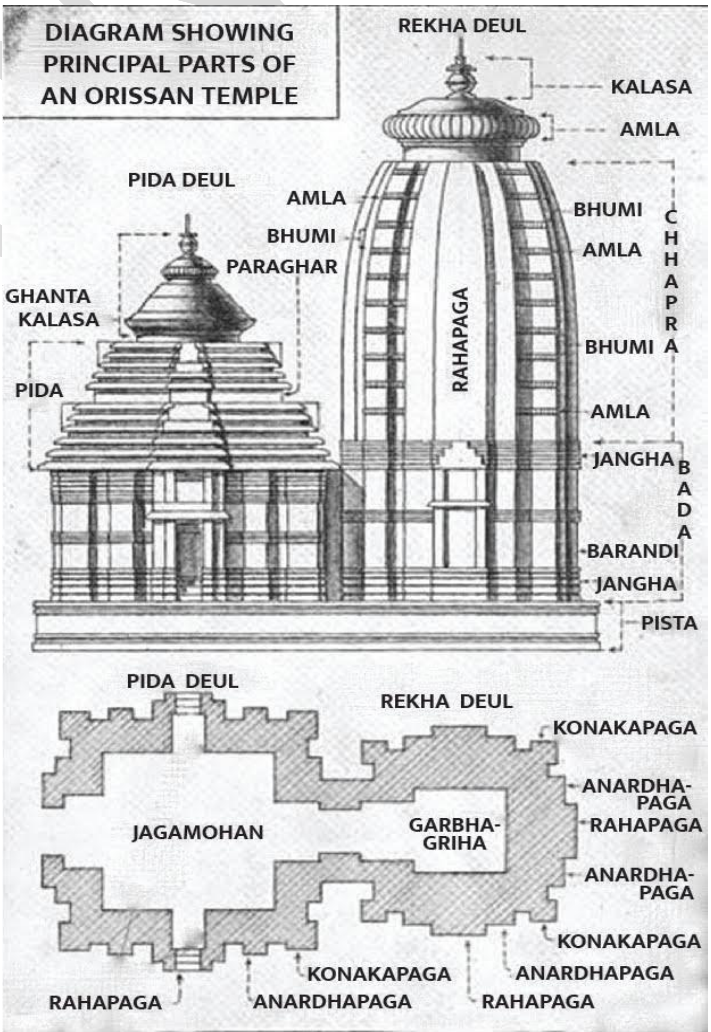

- **जगमोहन** या **सभागृह;**
- **नट मंदिर** या **नृत्य गृह** और कई अन्य उप-संरचनाएं।

- अपने सम्पूर्ण रूप में, यह **यह सूर्य देव के रथ का प्रतिनिधित्व करता है।** इसमें **बारीक नक्काशी किए हुए 24 पहिये** हैं। **उत्तर एवं दक्षिण दोनों ओर लगभग 12-12 पहिये** हैं। इनका **व्यास 3 मीटर का है।** इस रथ को **सात घोड़ों द्वारा खींचते हुए दर्शाया** गया है।
  - 12 जोड़ी पहिए एक वर्ष के 12 महीनों को दर्शाते हैं। आठ तीलियां आठ प्रहर को दर्शाती हैं। साथ ही, ये ऋतुओं और महीनों के चक्रों के प्रतीकात्मक रूपांकन को भी निरूपित करती हैं।
  - 7 घोड़े, सप्ताह के सात दिनों के प्रतीक हैं।
- **दीवारों/स्तंभों पर उत्कीर्ण आलंकारिक चित्र:** शेर, संगीतकार और नर्तक आदि।
  - इसके अतिरिक्त, मौजूदा **दस रुपये के नोट** के पिछली तरफ इसी मंदिर के पहियों को दर्शाया गया है।
- **मंदिर में प्रयुक्त पत्थर:** इसमें क्लोराइट, लेटराइट और हरे रंग के खोंडलाइट का प्रयोग किया गया है। इसके पत्थर के रंगों के कारण ही इसे **ब्लैक पैगोडा** के नाम से जाना जाता है।
- **मंदिर का विनाश:** इसका कोई एक निश्चित कारण नहीं है, लेकिन निम्नलिखित किसी एक या अन्य कारणों से, 1837 ई. में मंदिर का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया था। हालांकि, केवल **जगमोहन** ही सुरक्षित शेष रह गया था।
  - **कारण:** इस्लामी आक्रमण, संरचनात्मक दोष, पत्थरों की अनुपयुक्तता या अपक्षय, मंदिर से चुंबकों का निकाला जाना आदि।

कलिंग स्थापत्य कला शैली के बारे में

- इस स्थापत्य कला का विकास **प्राचीन कलिंग** क्षेत्र में हुआ था। यह क्षेत्र **महानदी** और **गोदावरी नदियों** (वर्तमान पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश) के मध्य स्थित था।
- यह **नागर मंदिर स्थापत्य कला** की एक उप-शैली है। कलिंग शैली के मंदिरों को आगे **तीन अलग-अलग प्रकार के मंदिरों** में वर्गीकृत किया गया है: **रेखा देउल, पिढा देउल और खाखरा देउल।**
  - **रेखा-देउल:** इसकी योजना चौकोर होती है। इसके ऊपर एक वक्रीय शिखर निर्मित किया जाता है। मंदिर के भाग एक ही (पूर्व-पश्चिम) रेखा में या एक ही अक्ष पर पंक्तिबद्ध होते हैं। ये मंदिर विष्णु, शिव और सूर्य देवताओं को समर्पित होते हैं। यह मंदिर की सबसे सामान्य शैली है।
  - **पिढा देउल:** इसकी योजना भी चौकोर होती है। किन्तु इसके शीर्ष पर क्षैतिज स्तरों या चबूतरों पर पिरामिड आकार का एक शिखर निर्मित किया जाता है। ये चबूतरे सामान्य तौर पर तीन स्तरों में व्यवस्थित होते हैं। ये मंदिर मुख्यतया विष्णु, शिव और सूर्य देवता को समर्पित होते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से सभागृह के लिए किया जाता है।
  - **खाखरा देउल:** यह ढोलनुमा आकृति का शिखर होता है। इसकी योजना आयताकार होती है। इसमें लम्बी छत होती है। यह **द्रविड़ गोपुरम संरचना** के समान होता है। यह चामुंडा और दुर्गा जैसी देवियों को समर्पित होता है। यह एक दुर्लभ किस्म की शैली है। इसके गर्भगृह में देवताओं को प्रतिष्ठापित किया जाता है।

मंदिर के विकास के चरण	**प्रमुख राजवंश**	**प्रमुख मंदिर**
प्रारंभिक चरण (6वीं-9वीं शताब्दी ई.)	**भौमकर**	**परशुरामेश्वर मंदिर**, बेताल मंदिर आदि।
संक्रमणकालीन चरण (9वीं-11वीं शताब्दी ई)	**सोमवंशी**	**मुक्तेश्वर मंदिर** (कलिंग वास्तुकला के रत्न के रूप में जाना जाता है), **राजरानी** मंदिर, **लिंगराज** मंदिर आदि।
परिपक्व चरण (11वीं-13वीं शताब्दी ई.)	**पूर्वी गंग**	**जगन्नाथ मंदिर** (**व्हाइट पैगोडा** के रूप में जाना जाता है), **कोणार्क सूर्य मंदिर** आदि।
पतन काल (14वीं-16वीं शताब्दी ई.)	**गजपति**	**संस्कृति और साहित्य पर ध्यान देने** के कारण मंदिर स्थापत्य कला का पतन।

8.4. दुर्गा पूजा (Durga Puja)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **'कोलकाता की दुर्गा पूजा'** मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल हो गयी है। इसे **अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति** ने सूचीबद्ध किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस उपलब्धि से दुर्गा पूजा का आयोजन करने वाले **स्थानीय समुदायों को प्रोत्साहन मिलेगा।** इस समुदाय में सभी पारंपरिक शिल्पकार, डिजाइनर, कलाकार और बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजक तथा साथ ही पर्यटक एवं आगंतुक भी शामिल हैं।
- **सांस्कृतिक विरासत:**
  - यूनेस्को के अनुसार, सांस्कृतिक विरासत सिर्फ **स्मारकों और वस्तुओं के संग्रह** तक ही सीमित नहीं है। इसमें **हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली परंपराएं या जीवित अभिव्यक्तियां भी शामिल हैं,** जो हमारे वंशजों को प्रदान की गई हैं। उदाहरण के लिए- मौखिक परंपराएं, निष्पादन कलाएं, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान, उत्सवों का आयोजन, प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान व प्रथाएं या पारंपरिक शिल्प का उत्पादन करने के लिए ज्ञान एवं कौशल आदि।
- **अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (Intangible Cultural Heritage: ICH):**
  - यूनेस्को के अनुसार, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत **पारंपरिक, समकालीन और एक ही समय में अस्तित्वमान तथा समावेशी, प्रतिनिधिक व समुदाय-आधारित होती हैं।**
  - यह **बढ़ते वैश्वीकरण के संदर्भ में सांस्कृतिक विविधता** को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा, यह विभिन्न समुदायों के मध्य ICH की एक समझ है। यह **अंतर सांस्कृतिक संवाद** स्थापित करने में मदद करती है। साथ ही, जीवन के अन्य तरीकों के लिए **पारस्परिक सम्मान को प्रोत्साहित** करती है।
- **सूची में शामिल:** मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में वर्तमान में 492 धरोहर शामिल हैं।

यूनेस्को की ICH सूची में भारत से 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें शामिल हैं।		
	ICH सांस्कृतिक विरासत	**शामिल किए जाने का वर्ष**
1.	पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा	2021
2.	कुंभ मेला	2017
3.	योग	2016
4.	नौरोज़ या नवरोज़	2016
5.	पारंपरिक तौर पर पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का शिल्प, जंडियाला गुरु के ठठेरे (पंजाब)	2014
6.	मणिपुर का संकीर्तन	2013
7.	लद्दाख का बौद्ध जप	2012
8.	सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज का छऊ नृत्य	2010
9.	राजस्थान का कालबेलिया नृत्य	2010
10.	केरल का मुडियेट्टु	2010
11.	गढ़वाल, उत्तराखंड का रम्मन उत्सव	2009
12.	केरल का कुटियाट्टम संस्कृत रंगमंच	2008
13.	रामलीला	2008
14.	वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा	2008

8.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

8.5.1. निजामुद्दीन बस्ती (Nizamuddin Basti)

- दिल्ली की निजामुद्दीन बस्ती में संरक्षण पहल ने 2 श्रेणियों- **'उत्कृष्टता पुरस्कार 2021'** और **'सतत विकास पुरस्कार के लिए विशेष मान्यता'** के तहत **यूनेस्को पुरस्कार प्राप्त किये हैं।**
    - परियोजना के तहत **सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के 14वीं सदी के मकबरे के आसपास** 20 से अधिक ऐतिहासिक स्मारकों का जीर्णोद्धार किया गया था।
- **पुरस्कार निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है:**
    - विरासत को सतत विकास एजेंडे के केंद्र में रखने में उत्कृष्ट उपलब्धि।
    - एक नवोन्मेषी जन-सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए प्रमुख सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को नियंत्रित करना तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कल्याण में सुधार करना।

8.5.2. रमना काली मंदिर (Ramna Kali Temple)

- भारत के राष्ट्रपति ने **ढाका (बांग्लादेश) में नवीनीकृत श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन** किया।
    - यह मंदिर **भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक बंधन का प्रतीक** माना जाता है।
- मार्च 1971 में अपने **ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा मंदिर को नष्ट कर दिया गया था।** यह ऑपरेशन एक क्रूर कार्रवाई थी, जिसके कारण **बांग्लादेश मुक्ति संग्राम** हुआ था।
- मूल **रमना कालीबाड़ी का निर्माण मध्ययुग** के दौरान किया गया था। यह अपनी ऊंची संरचना के लिए प्रसिद्ध था।
- वर्ष 1929 में, मंदिर परिसर ने प्रसिद्ध **संत आनंदमयी के भक्तों के लिए** एक **अतिरिक्त इमारत का अधिग्रहण** किया था।

8.5.3. 1839 ई. का ताई खम्पती विद्रोह (Tai Khamti Mutiny of 1839)

- 1839 ई. में, ताई खामती या खम्पती लोगों ने ब्रिटिश उपनिवेशीकरण का विरोध किया था। इसके परिणामस्वरूप 80 ब्रिटिश सैनिक मारे गए थे।
- **ताई खम्पती के बारे में**
    - यह अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में से एक है। वे नामसाई जिले में अधिवासित हैं।
    - **'खम्पती' शब्द का अर्थ है 'सोने से भरी भूमि'।**
    - वे **थेरवाद बौद्ध धर्म** का पालन करते हैं। उनकी अपनी लिपि है, जिसे **ताई लिपि (लिक-ताई)** कहते हैं।
    - खम्पती नृत्य को **का पुंग (का** अर्थ नृत्य और **पुंग** का अर्थ कहानी) के रूप में भी जाना जाता है।

8.5.4. अपतानी वस्त्र (Apatani Textiles)

- हाल ही में, **अरुणाचल प्रदेश अपतानी वस्त्र उत्पाद** के लिए भौगोलिक संकेतक (GI) टैग आवेदन दायर किया गया है।
    - अपतानी जनजाति द्वारा बुना हुआ वस्त्र **अपने ज्यामितीय और ज़िगज़ैग प्रारूप** के लिए विख्यात है।
    - वे मुख्य रूप से शॉल बुनते हैं, **जिन्हें जिग-जिरो और जिलान या जैकेट के रूप में जाना जाता है, जिसे सुपुंतरी** कहा जाता है।
- **अपतानी जनजाति:**
    - **वे जिरो (अरुणाचल प्रदेश) गांव में बसे हुए हैं।**
    - वे बेंत और बांस शिल्प के साथ-साथ **मत्स्यन और धान की खेती के लिए** जाने जाते हैं।
    - वे **तानी नामक एक स्थानीय भाषा बोलते हैं** तथा सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं।
    - **महत्वपूर्ण त्यौहार:** द्री और म्योको त्योहार।

8.5.5. कावी चित्रकारी (Kaavi Art)

- कावी, पुर्तगालियों द्वारा आरंभ की गई भित्ति चित्रकारी की एक शैली है। इसमें चमकीले लाल और सफेद रंगों का प्रयोग किया जाता है।
- इसे फ्रेस्को की भांति गीले पलस्तर पर संपादित किया जाता है।
    - **फ्रेस्को ताजा चूने के पलस्तर पर भित्ति चित्र बनाने की एक तकनीक है।**
- इसका नाम काव से लिया गया है। यह लैटेराइट मृदा में पाया जाने वाला एक लाल वर्णक है। इसका उपयोग पलस्तर की सफेद पृष्ठ-सतह पर चित्र बनाने के लिए किया जाता है।
    - कावी चित्रकारी में **एकमात्र लाल रंग का ही उपयोग** किया जाता है।
- यह चित्रकारी **कोंकण क्षेत्र में विशेष रूप से गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मंदिरों** में देखी जा सकती है।

8.5.6. भारतीय बाजार में खिलौनों के आयात में गिरावट दर्ज की गई है (Decline In Imports of Toys into Indian Market)

- **वित्तीय वर्ष 2019-20** की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में **HSN कोड 9503** के तहत वर्गीकृत खिलौनों के आयात में 53.58% की कमी दर्ज की गई है। इसी तरह, इसी अवधि में HSN कोड 9505 के रूप में वर्गीकृत खिलौनों के आयात में **37.61%** की कमी दर्ज की गई है।
    - **HSN (हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर) कोड विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा** राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के सामानों के **व्यवस्थित वर्गीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था।**
- **स्थानीय खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता**
    - **भारत ने वर्ष 2020 में लगभग 1.5 बिलियन डॉलर के खिलौनों का आयात** किया था। ज्ञातव्य है कि घरेलू खिलौना बाजार में चीन और ताइवान का लगभग 90% हिस्सा है।
    - भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्ययन के अनुसार **67% आयातित खिलौने एक परीक्षण सर्वेक्षण में विफल रहे हैं।** इससे स्थानीय स्तर पर सुरक्षित खिलौनों का उत्पादन करने के लिए एक अति महत्वाकांक्षी प्रयास को बढ़ावा मिला है।
    - वर्तमान में **भारत में खिलौना उद्योग मुख्य रूप से असंगठित है।**
- **खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम -**
    - **आठ खिलौना निर्माण क्लस्टरों** को मंजूरी प्रदान की गई है।
    - स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु **इंडियन टॉय स्टोरी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना।**
    - 13 चिन्हित हस्तशिल्प खिलौना क्लस्टरों में खिलौना उद्योग के लिए **आवश्यकता-आधारित हस्तक्षेप।**
    - फरवरी 2021 में **राष्ट्रीय खिलौना मेला आयोजित किया गया।**
    - **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** के तहत छठी कक्षा से छात्रों के लिए खिलौना बनाने की गतिविधि को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

पारंपरिक खिलौने	**राज्य**
चन्नपटना खिलौने, किन्नाली खिलौने	कर्नाटक
एटिकोप्पका खिलौने, कोंडापल्ली खिलौने	आंध्र प्रदेश
निर्मल खिलौने	तेलंगाना
तंजावुर गोलू गुड़िया, चोप्पू सामान	तमिलनाडु
लैफादिबी	मणिपुर
अशारीकांदी टेराकोटा खिलौने	असम
संबलपुर खिलौने और कागज की लुगदी और पत्थर के खिलौने	ओडिशा
छनकना (एक सीटी वाला खिलौना), घुग्गू (बच्चों के लिए झुनझुना पेटी), लट्टू (शीर्ष से घूमने वाला), हंदवई (किचन सेट)	पंजाब
थिगडा ढिंगला	गुजरात

8.5.7. वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम (Vernacular Innovation Program: VIP)

- देश भर में **नवोन्मेषकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने** की महत्वाकांक्षा के साथ नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन (AIM) के तहत 22 मातृभाषाओं में 'वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम' की शुरुआत की है।
- VIP के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण हेतु AIM द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के सहयोग से **22 मातृभाषाओं में से प्रत्येक की पहचान के बाद** एक **वर्नाक्युलर टास्क फोर्स (VTF) को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।**
  - प्रत्येक टास्क फोर्स में **स्थानीय भाषा के शिक्षक, विषय विशेषज्ञ, तकनीकी लेखक और क्षेत्रीय अटल इनक्यूबेशन सेंटर** (AIC) का नेतृत्व शामिल होगा।

8.5.8. प्रधान मंत्री युवा (YUVA- युवा, आगामी और बहुमुखी लेखक) योजना {Pradhan Mantri Yuva (Young, Upcoming And Versatile Authors) Scheme}

- शिक्षा मंत्रालय के अधीन नेशनल बुक ट्रस्ट ने **प्रधान मंत्री युवा (YUVA) योजना** के तहत 75 लेखकों के चयन की घोषणा की है।
- YUVA, भारत@75 परियोजना (आज़ादी का अमृत महोत्सव) का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य विस्मृत नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों आदि जैसे विषयों पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को सामने लाना है।
- इसका उद्देश्य 30 वर्ष से कम आयु के 75 इच्छुक लेखकों को प्रशिक्षित करना है, जो स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा भारत और इसकी संस्कृति एवं साहित्य को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं।
- मेंटरशिप योजना के तहत **छह महीने की अवधि के लिए प्रत्येक लेखक को 50,000 रुपये प्रति माह की समेकित छात्रवृत्ति** का भुगतान किया जाएगा।

8.5.9. साहित्य अकादमी पुरस्कार (Sahitya Akademi Awards)

- साहित्य अकादमी ने 20 भाषाओं में 'साहित्य अकादमी पुरस्कारों' की घोषणा की है।
  - गुजराती, मैथिली, मणिपुरी और उर्दू भाषाओं में पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी।
- यह एक साहित्यिक सम्मान है। यह प्रतिवर्ष **किसी भी प्रमुख भारतीय भाषा में प्रकाशित साहित्यिक योग्यता की सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों के लेखकों/लेखिकाओं को** प्रदान किया जाता है।
  - संविधान में उल्लिखित 22 भाषाओं के अलावा **अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा को भी इस पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई है।**
  - पुरस्कार में **अलंकृत ताम्र-पट्टिका वाली एक मंजूषा (Casket), एक शॉल और एक लाख रुपये की राशि** शामिल है।
- साहित्य अकादमी **एक स्वायत्त संगठन है।** यह सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है।

8.5.10. ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो (Order Of The Druk Gyalpo)

- यह **भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार** है।
- यह पुरस्कार **भूटान के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारतीय प्रधान मंत्री श्री मोदी को प्रदान किया गया** है।
  - यह भूटान के लोगों और राज्य की आजीवन सेवा को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **संस्कृति** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

व्यक्तित्व परीक्षण कार्यक्रम

सिविल सेवा परीक्षा 2021

15 फरवरी

प्रोग्राम की विशेषताएँ

- Vision IAS के वरिष्ठ संकाय सदस्यों के साथ DAF विश्लेषण सेशन
- पूर्व-प्रशासनिक अधिकारियों / शिक्षाविदों के साथ मॉक इंटरव्यू सेशन
- विगत वर्षों के टॉपर्स तथा वर्तमान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संवाद
- प्रदर्शन मूल्यांकन एवं प्रतिक्रिया
- मॉक इंटरव्यू सेशंस की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवायी जाएगी

लाइव ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

अलटरनेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2023 और 2024

DELHI: 1 फरवरी 1 PM

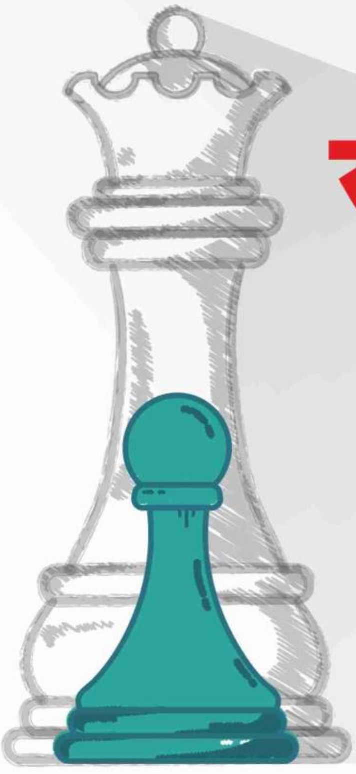

- इसमें सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के सभी चार प्रश्न पत्रों के सभी टॉपिक, प्रारंभिक परीक्षा (सामान्य अध्ययन) एवं निबंध के प्रश्न पत्र का व्यापक कवरेज शामिल है।
- हमारा दृष्टिकोण प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर देने हेतु छात्रों की मौलिक अवधारणाओं एवं विश्लेषणात्मक क्षमता का निर्माण करना है।
- सिविल सेवा परीक्षा, 2022, 2023, 2024 के लिए हमारी PT 365 और Mains 365 की कॉम्प्रिहेंसिव करेंट अफेयर्स की कक्षाएं भी उपलब्ध कराई जाएँगी (केवल ऑनलाइन कक्षाएं)।
- इसमें सिविल सेवा परीक्षा, 2022, 2023, 2024 के लिए ऑल इंडिया जी.एस. मेंस, प्रीलिम्स, सीसैट और निबंध टेस्ट सीरीज शामिल है।
- छात्रों के व्यक्तिगत ऑनलाइन पोर्टल पर लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा।

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा एवं हत्या (लिंचिंग) (Mob Violence and Lynching)

परिचय

भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा या हत्या (इसे मॉब लिंचिंग भी कहा जाता है) राज्य के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि यह क्रोध/रोष में लोगों के समूह द्वारा किया जाता है, लेकिन आम तौर पर इसमें **लोगों का एक ऐसा समूह (जो कानूनी अधिकार के बिना कानून लागू करते हैं अर्थात् स्व-नियुक्त न्यायकर्ता)** शामिल होता है, जो दूसरे लोगों पर नजर रखता है और उन्हें अपने तरीके से दंडित करता है।

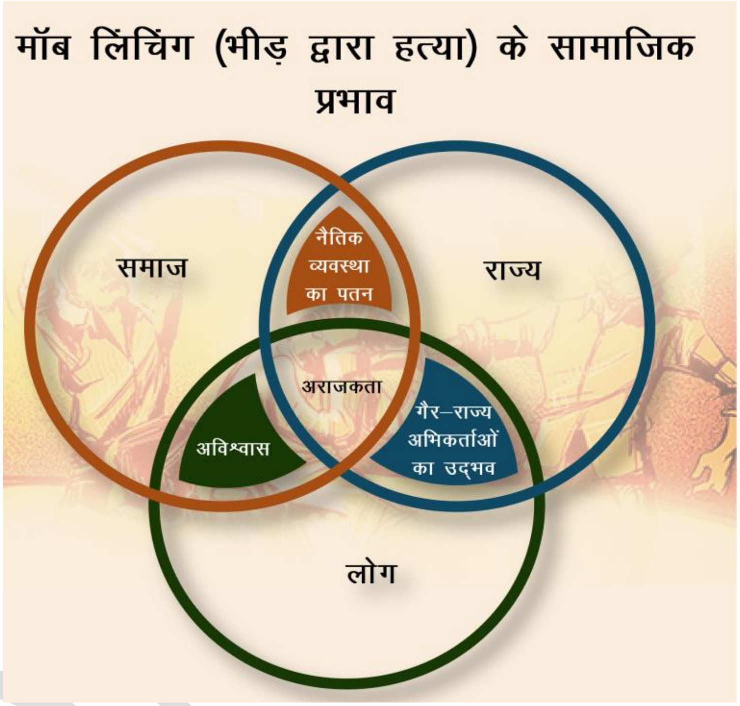

दोनों रूपों में, इसे **विधि के शासन और सभ्य समाज** की धारणा के विरुद्ध माना जाता है। इसका कारण यह है कि इसमें **तत्काल संतुष्टि** प्राप्त करने के उद्देश्य हेतु **भावनाओं की विकृत अभिव्यक्ति** शामिल होती है।

भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा एवं हत्या (लिंचिंग) के बारे में

- **भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा या हत्या (लिंचिंग) को लोगों के समूह या अनियंत्रित भीड़** द्वारा लक्षित मानव हत्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें निम्नलिखित आधार पर व्यक्ति/व्यक्तियों को दंडित करना या उनकी हत्या या उनके साथ मारपीट करना शामिल है-
  - वास्तव में किए गए अपराध या आरोपों या गलत सूचना के आधार पर केवल संदेह की स्थिति में दंडित करना,
  - कानून की नजर में गंभीर अपराध के लिए व्यक्ति/व्यक्तियों को लक्षित करना या केवल भीड़ की विचारधारा से भिन्न मत रखने की प्रवृत्ति को अवैध रूप से दबाना।
- मूल रूप से इसे दो तरह से देखा जाता है-
  - **समाज की रक्षा,** अर्थात् गाय की चोरी, अपहरण, अपराध आदि के मुद्दों पर अंकुश लगाने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की विफलता के कारण अराजकता के खिलाफ एक विरोध के रूप में, या
  - **समाज के विरुद्ध अपराध** अर्थात् अराजकता की वापसी, क्योंकि इसे **कानून के मूल सिद्धांत** के खिलाफ माना गया है। अर्थात् कानून द्वारा जो स्वीकृत है वह वैध तरीके से प्राप्त किया जाना चाहिए, स्वनियुक्त लोगों को कानून लागू करने का कोई अधिकार नहीं है।
- नैतिक रूप से, यह निष्पक्षता और तर्कशीलता जैसे नैतिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। यदि इसको नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो यह **सामूहिक आपराधिक प्रस्फोट की** बढ़ती प्रवृत्ति के साथ **सामाजिक घृणा को जन्म दे सकती है, जिससे अंततः अराजकता की स्थिति** उत्पन्न हो सकती है।

भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा एवं हत्या (लिंचिंग) के लिए उत्तरदायी कारण

- **धार्मिक विश्वास या सिद्धांत:** बहु-धार्मिक और बहुल समाज होने के नाते, धार्मिक विश्वास या सिद्धांत दूसरों पर अपने विश्वास थोपने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब के अनादर से संबंधित मुद्दे को लेकर हत्या या गोवंश-संबंधी मॉब-लिंचिंग की घटनाएं घटित हुईं थीं।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव:** इसमें किसी कृत्य के प्रति व्यक्ति के व्यवहार या दृष्टिकोण नियंत्रित करने वाले ऐतिहासिक सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंड या नैतिक सिद्धांत शामिल हैं। उदाहरण के लिए, वर्ष 2000 से 2012 तक, भारत के 12 राज्यों में जादू टोना के कारण लगभग 2,097 लिंचिंग की घटनाएं घटित हुईं थीं।
- **भय या घृणा से जुड़ी भावनाएँ:** अक्सर, अपहरणकर्ता होने की अफवाहें या वास्तविक अपहरण में व्यक्ति/व्यक्तियों की भागीदारी लिंचिंग को जन्म देती है। जैसे अफवाह के आधार पर पालघर में साधुओं की हत्या कर दी गई थी। इसी तरह, दीमापुर (वर्ष 2015) में अनियंत्रित भीड़ द्वारा बलात्कार के आरोपी को हवालात से बाहर निकालकर पीट-पीट कर मार दिया गया था।

- **कानूनों की प्रभावशीलता को लेकर विश्वास की कमी:** या तो कानून के क्रियान्वयन से असंतुष्टि या न्यायिक विलंब के कारण ऐसे अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होती है, जहां गैर-राज्य कर्ताओं द्वारा भीड़ के इस कृत्य को सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन के रूप में देखा जाता है।

नोट: परिभाषा की कमी और अविश्वसनीय आंकड़ों के कारण, **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)** ने वर्ष 2017 के बाद मॉब लिंचिंग, गौरक्षा और ऐसे अन्य अपराधों पर आंकड़े एकत्र करना बंद कर दिया है।

इससे उत्पन्न होने वाले नैतिक मुद्दे क्या हैं?

- **पीड़ित का अमानवीकरण:** लिंचिंग की घटनाएं व्यक्तियों या समूहों के अमानवीकरण को जन्म देती हैं जिससे समूहों के पृथक्करण और घृणा अपराध को बढ़ावा मिलता है।
- **न्याय का अनादर:** लिंचिंग, विधि के शासन के विरुद्ध है और न्यायेत्तर तत्व या गैर-राज्य कर्ता, कानून के तहत स्वीकृत सजा से कहीं अधिक दंड देते हैं।
- **समाज में वैमनस्यता/पृथक्करण:** लिंचिंग से लोगों में अविश्वास की भावना को बढ़ावा मिलता है और समाज संगठित न रहकर अधिक यांत्रिक हो जाता है, अर्थात् इसमें एकरूपता आधारित एकीकरण होता है। अत्यधिक विविधता पूर्ण राष्ट्र होने के नाते, यह राष्ट्र की एकता के समक्ष चुनौती उत्पन्न कर सकता है।
- **भययुक्त माहौल का सृजन:** जब अधिक से अधिक लोग न्याय के लिए कानून का उल्लंघन करने लगते हैं तो समाज में असहिष्णुता और निजी सुरक्षा की आवश्यकता का स्तर बढ़ जाता है।
- **लिंचिंग हिंसा के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है:** समाधान न मिलने की स्थिति में लिंचिंग से गैर-राज्य कर्ताओं के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और हिंसा को स्वीकृति मिल जाती है। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो इसका उपयोग असहमति के विरुद्ध किया जा सकता है और यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तर्कसंगतता और तार्किक विचार-विमर्श को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है।

भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा एवं हत्या (लिंचिंग) का समाधान: इसे रोकने के लिए वर्तमान ढांचा और आवश्यक अन्य उपाय

लोगों का ध्यान आकर्षित करने, उन्हें लामबंद करने और झूठे आरोपों के माध्यम से दूसरे लोगों को निशाना बनाने के लिए गैर-राज्य कर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ता जा रहा है। यह में न केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए भी लिंचिंग के समाधान की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

वर्तमान ढांचा/स्थिति

- चूंकि पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं, इसलिए भारत में विशेष रूप से मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए एकल कानून का अभाव है।
- **तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ वाद (वर्ष 2018)** में, उच्चतम न्यायालय ने भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा एवं हत्या (लिंचिंग) से निपटने के लिए निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक दिशा-निर्देश जारी किए थे।
- इसको "भीड़तंत्र का वीभत्स कृत्य" करार देते हुए, उच्चतम न्यायालय ने संसद से लिंचिंग को दंड के साथ एक पृथक अपराध के रूप में स्थापित करने का आग्रह किया है।
- वर्तमान में, इससे मुख्य रूप से IPC की विभिन्न धाराओं के तहत निपटा जाता है, जिसमें कुछ ही राज्यों ने कानूनी पहल शुरू की है, जैसे- मणिपुर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और हाल ही में झारखंड।

अन्य आवश्यक उपाय

- **सामाजिक दृष्टिकोण:** मान्यताओं और भावनाओं की सहभागिता के साथ, सामाजिक व्यवहार का विनियमन वस्तुतः भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा एवं हत्या (लिंचिंग) को रोकने और नागरिकों को दिए गए अधिकारों की रक्षा की दिशा में पहला कदम साबित हो सकता है। इसमें शामिल हैं-
  - **कानून का सम्मान:** कानून सभ्य समाज का **सबसे शक्तिशाली संप्रभु घटक है।** समाज में **कानून की पवित्रता एवं सर्वोच्चता** की भावना को बढ़ाने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए।
  - **कर्तव्य/दायित्व की संस्कृति:** सामाजिक मानदंडों या कार्रवाइयों के भाग के रूप में **न्यायिक कर्तव्य, गैर-दुर्भावनापूर्ण कर्तव्य** आदि जैसे मूलभूत कर्तव्यों को सार्वभौमिक बनाने या सभी को इससे अवगत कराने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- **सरकारी दृष्टिकोण:** सामाजिक व्यवहार पर कानून बनाने और समाज का मार्गदर्शन करने के अलावा, सरकार को प्रतिशोध की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए **सामाजिक और राजनीतिक हिंसा की समान रूप से निंदा** करनी चाहिए। साथ ही टकरावों/संघर्षों की स्थिति को संभालने के लिए **भावनात्मक बुद्धिमत्ता** को अपनाना चाहिए।
- **लोक-केंद्रित दृष्टिकोण:** चूंकि समाज और सरकार को लोगों द्वारा निर्मित/स्थापित किया जाता है, इसलिए यह जरूरी है कि लोगों को तर्क (निष्पक्षता या तर्कसंगत इच्छा), **आत्म-नियंत्रण और परानुभूति, करुणा और मानवता के** गुणों पर आधारित जीवन के माध्यम से **सच्ची स्वतंत्रता की तलाश करने हेतु प्रेरित** किया जाना चाहिए।
  - जैसा कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर ने कहा था कि "पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिससे मनुष्य को दूर रहना चाहिए, वह यह है कि जानबूझकर किसी भी समय, किसी को भी, किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए।"

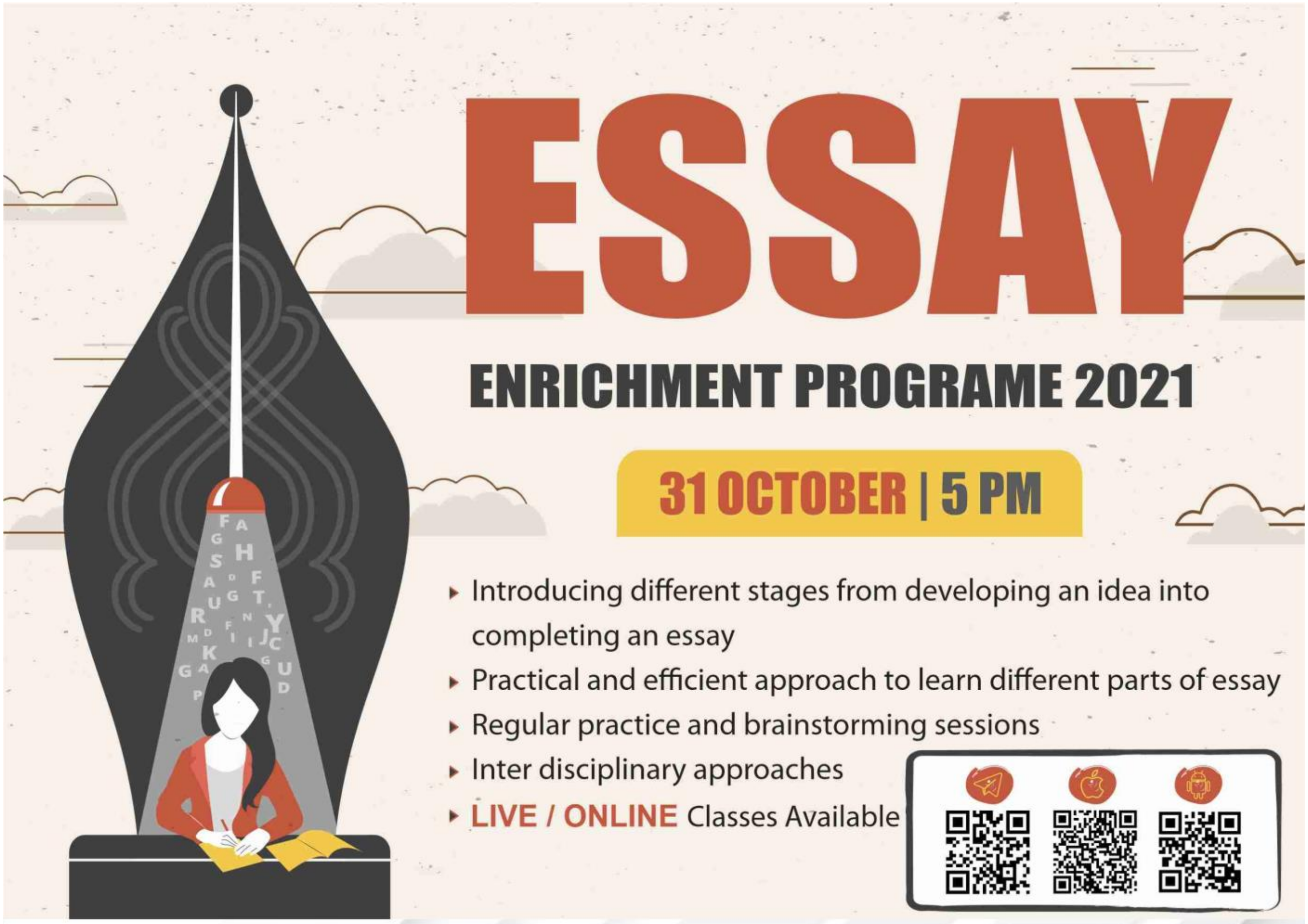
ESSAY
ENRICHMENT PROGRAME 2021
31 OCTOBER | 5 PM
Introducing different stages from developing an idea into completing an essay
Practical and efficient approach to learn different parts of essay
Regular practice and brainstorming sessions
Inter disciplinary approaches
LIVE / ONLINE Classes Available

CSAT
क्लासेस
2022
ENGLISH MEDIUM
11 January
हिन्दी माध्यम
22 December
लाइव /ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएँ (Schemes in News)

10.1. दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission: DAY-NRLM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत सत्यापित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों (ऐसे सदस्य जो प्रधान मंत्री जनधन योजना के खाताधारक हैं) के लिए 5,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट (OD) की सुविधा शुरू की गयी है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में

उद्देश्य	योजना का विवरण
• लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी **वाले रोजगार अवसरों तक** निर्धन परिवारों की **पहुंच को सक्षम बनाकर गरीबी को कम करना।** • **लगभग 9-10 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को चरणबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित** करना और उन्हें दीर्घकालिक सहायता प्रदान करना।	• **उत्पत्ति:** ○ वर्ष 1999 में शुरू की गई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में कार्यान्वयित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2010-11 में पुनर्गठित किया गया, ताकि गरीबी कम करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा सके तथा इसके कार्यान्वयन की गति को और तीव्र किया जा सके। ○ वर्ष 2015 में, इस कार्यक्रम के नाम को परिवर्तित करके दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। • **मंत्रालय:** ग्रामीण विकास मंत्रालय • यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना है।** • **प्रमुख विशेषताएँ:** ○ **यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन:** प्रत्येक चिह्नित निर्धन ग्रामीण परिवार में से कम से कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध रूप से स्वयं सहायता समूह नेटवर्क के अंतर्गत लाया जाना है। सुभेद्य (वल्नरेबल) समुदायों पर विशेष बल दिया जाता है। ○ **निर्धनों की पहचान के लिये सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण:** सामुदायिक स्तर पर, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लक्षित समूह की पहचान हेतु **सुपरिभाषित, पारदर्शी और न्यायसंगत प्रक्रिया आधारित सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण**[148] का उपयोग किया जाता है। PIP प्रक्रिया के माध्यम से गरीब के रूप में चिन्हित किए जाने वाले सभी परिवारों को **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लक्षित समूह के रूप में संदर्भित किया जाता है और वे कार्यक्रम के तहत सभी लाभों के लिए पात्र होते हैं।** ○ **सतत संसाधन के रूप में सामुदायिक निधि:** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, निर्धनों के लिए कार्य करने वाले संस्थानों को रिवॉल्विंग फंड (RF) और सामुदायिक निवेश कोष (CIF) के माध्यम से संसाधन प्रदान करता है। इससे उनकी संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को मजबूत होती है। ○ **वित्तीय समावेशन:** मांग पक्ष के संदर्भ में, यह गरीबों के बीच **वित्तीय साक्षरता** को बढ़ावा देता है और स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों को **उत्प्रेरक पूंजी** प्रदान करता है। आपूर्ति पक्ष के संदर्भ में, यह मिशन **वित्तीय क्षेत्र के साथ समन्वय** और सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी आधारित वित्तीय प्रौद्योगिकियों, **बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट** और **'बैंक मित्र'** जैसे सामुदायिक सुविधाकर्ताओं के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। ○ **आजीविका:** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित के द्वारा निर्धनों की **आजीविका के मौजूदा ढांचे को स्थिर करने और प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करता**

---

[148] Participatory Identification of Poor: PIP

	है: ▪ 'सुभेद्यता में कमी', ▪ आजीविका में वृद्धि', ▪ कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में नए अवसरों का दोहन ▪ **स्वरोजगार में संलग्न व्यक्तियों और उद्यमियों को पोषण** एवं उनका कौशल निर्माण। ○ **अन्य विशेषताएं:** ▪ इसके तहत **ग्रामीण विकास मंत्रालय** और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के **कार्यक्रमों के साथ समन्वय** पर अत्यधिक जोर दिया गया है। ▪ साथ ही इसमें **गैर-सरकारी संगठनों** और अन्य **नागरिक समाज संगठनों** के साथ **'रणनीतिक' और 'कार्यान्वयन'** स्तरों पर **भागीदारी** को बढ़ाने हेतु विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। • **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (NRLP)** को निम्नलिखित उद्देश्यों से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की **उप-योजना** के रूप में डिजाइन किया गया है: ○ **अवधारणा के प्रमाण (प्रूफ ऑफ़ कॉन्सेप्ट)** हेतु, ○ केंद्र और राज्यों के **क्षमता-निर्माण** हेतु, ○ सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** की शुरुआत को सुविधाजनक बनाने के लिए एक **सक्षम वातावरण बनाने** हेतु। • **प्रमुख मूल्य:** ○ सभी प्रक्रियाओं में **सर्वाधिक निर्धनों को शामिल करना** और उनकी सार्थक भूमिका को सुनिश्चित करना; ○ सभी प्रक्रियाओं और संस्थानों की **पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना;** ○ योजना, कार्यान्वयन और निगरानी - सभी चरणों में गरीबों और उनके संस्थानों के **स्वामित्व और महत्वपूर्ण भूमिका को सुनिश्चित करना,** ○ सामुदायिक आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन को बढ़ावा देना। • **उपलब्धियां:** ○ इसकी मदद से गरीब और सुभेद्य समुदायों की **कुल 8.01 करोड़ महिलाओं** को **73.19 लाख स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।** ○ **मौजूदा वर्ष में** 248 ब्लॉक्स में **41.02 लाख परिवारों को 3.81 लाख स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत** शामिल किया गया है। ○ सामुदायिक संस्थानों के क्षमता निर्माण और उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए लगभग **3.5 लाख समुदाय संसाधन व्यक्ति**[149] **विकसित किए गए हैं।** ○ इस योजना के तहत वर्ष 2013 से वर्ष 2021 तक स्वयं सहायता समूहों को **कुल 4.35 लाख करोड़ रुपये के बैंक ऋण** की सुविधा प्रदान की गयी है। ○ **केवल 2.57% ऋण को ही गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों** के रूप में चिन्हित किया गया है जो **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** के तहत **स्वयं सहायता समूह** के सदस्यों में कर्ज चुकाने की बेहतर संस्कृति को दर्शाती है।

10.2. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana: PMKSY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने **प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना** (PMKSY) को **वर्ष 2026 तक** बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में

[149] Community Resource Persons:CRP

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• खेत स्तर पर सिंचाई में **निवेश को एकीकृत करना** (जिला स्तरीय और, यदि आवश्यक हो, तो उप जिला स्तरीय तैयारी के साथ जल उपयोग हेतु योजनाएं बनाना)।
• **खेत स्तर पर जल की भौतिक पहुंच बढ़ाना** और सुनिश्चित सिंचाई **(हर खेत को पानी)** के तहत **खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार** करना।
• **उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों के माध्यम से जल का सर्वोत्तम उपयोग** करने के लिए जल स्रोतों का एकीकरण, वितरण और इनका कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करना।
• जल के अपव्यय को कम करने और इसकी उपलब्धता की अवधि और सीमा दोनों को बढ़ाने के लिए **खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में सुधार करना।**
• **सटीक सिंचाई और अन्य जल संरक्षण प्रौद्योगिकियों (प्रति बूंद अधिक फसल)** के अपनाने को प्रोत्साहित करना।
• **जलभृतों/जलाशयों के पुनर्भरण** हेतु उपायों को बढ़ावा देना और **संधारणीय जल संरक्षण पद्धतियों की शुरूआत करना।**
• **मृदा और जल संरक्षण, भूजल के पुनर्भरण, अपवाह को रोकने,** आजीविका के विकल्प प्रदान करने और अन्य गतिविधियों हेतु **वाटरशेड दृष्टिकोण** का उपयोग करके वर्षा-सिंचित क्षेत्रों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना।
	• **मंत्रालय:** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
	• यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
	• यह एक **अंतर-मंत्रालयी योजना** है। इसे कई योजनाओं को एक साथ सम्मिलित करके तैयार किया गया है। जिन योजनाओं को शामिल किया गया है, वे हैं: **त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम**[150], **एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम**[151] और **राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन**[152] के घटक के रूप में खेत स्तर पर **कृषि जल प्रबंधन**[153]।
	• **घरेलू, कृषि और उद्योगों** जैसे सभी क्षेत्रों के लिए **वाटर बजटिंग** की सुविधा प्रदान की जाती है।
	• इस योजना के तहत **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)** के तत्वाधान में **एक दीर्घकालिक सिंचाई निधि**[154] बनाई गयी है। यह अधूरी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर नजर रखने तथा उन्हें वित्तपोषित करने में मदद करेगी।
	• राज्यों को रियायती ब्याज दर पर **वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए** प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत **नाबार्ड द्वारा** एक समर्पित **सूक्ष्म सिंचाई कोष**[155] को स्थापित किया गया है।
	• **प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली एवं** सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर गठित एक **राष्ट्रीय संचालन समिति**[156] द्वारा इसकी निगरानी और निरीक्षण की जाएगी।
	• **नीति आयोग के उपाध्यक्ष** की अध्यक्षता में गठित एक **राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति**[157] द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी।
	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक
	• **त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम:** राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित मौजूदा बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूर्ण करने पर ध्यान केंद्रित करना।
	• **प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (हर खेत को पानी)**
	  ○ जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण करना; परंपरागत जल स्रोतों की वहन क्षमता को सुदृढ़ करना, वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण **(जल संचय)** करना।
	  ○ लघु सिंचाई के माध्यम से नए जल स्रोतों का निर्माण करना।
	  ○ उन क्षेत्रों में भूजल विकास को बढ़ावा देना जहां वर्षा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, ताकि अपवाह/बाढ़ के जल के संचयन के लिए सिंक निर्मित किया जा सके।
	  ○ जल की पर्याप्त मात्रा वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त जल का स्थानांतरण।
	  ○ संभावित स्थानों पर परंपरागत जल भंडारण प्रणालियों का निर्माण और उनका कायाकल्प जैसे - **जल मंदिर (गुजरात), खतरी, कुहल (हि.प्र.), जेबो (नागालैंड),**

[150] Accelerated Irrigation Benefit Programme: AIBP

[151] Integrated Watershed Management Programme: IWMP

[152] National Mission on Sustainable Agriculture: NMSA

[153] On Farm Water Management: OFWM

[154] Long Term Irrigation Fund: LTIF

[155] Micro Irrigation Fund: MIF

[156] National Steering Committee: NSC

[157] National Executive Committee: NEC

	एरी, ओरेनिस (तमिलनाडु), डोंग (असम); काटा, बंधा (ओडिशा और मध्य प्रदेश) आदि। • **प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (प्रति बूंद अधिक फसल)** ○ प्रभावी जल परिवहन और सटीक **जल उपयोग उपकरणों** जैसे कि खेत स्तर पर ड्रिप, स्प्रिंकलर, पिवोट, रेन-गन **(जल सिंचन)** को बढ़ावा देना। ○ नलकूप और कुएं (उन क्षेत्रों में जहां भूजल उपलब्ध है, न कि उन क्षेत्रों में जहां जल भंडार गंभीर/अति गंभीर स्थिति में है या अति दोहन श्रेणी के अंतर्गत है) सहित जल स्रोत निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए **सूक्ष्म सिंचाई संरचनाओं का निर्माण।** ○ अत्यधिक उपलब्धता की स्थिति में (वर्षा ऋतु के समय) या बारहमासी स्रोतों द्वारा उपलब्धता की स्थिति में जल को संग्रहित करने के लिए नहर प्रणाली के अंतिम छोर पर **द्वितीयक भंडारण संरचनाओं का निर्माण,** ताकि शुष्क अवधि के दौरान उनका उपयोग किया जा सके। ○ उपलब्ध जल के अधिकतम उपयोग के लिए **फसल पंक्तिबद्धता सहित वैज्ञानिक आर्द्रता संरक्षण और कृषि संबंधी उपायों** को बढ़ावा देने के लिए विस्तारित गतिविधियां। ○ डीजल/इलेक्ट्रिक/सौर पंप-सेट जैसे **जल निकालने वाले उपकरण।** • **प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (जल संभर विकास)** ○ अपवाहित जल का प्रभावी प्रबंधन और मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण गतिविधियों का उन्नयन जैसे रिज क्षेत्र उपचार, ड्रेनेज लाइन, वर्षा जल संचयन, स्व-स्थाने आर्द्रता संरक्षण और जलसंभर आधार पर अन्य संबद्ध गतिविधियां। ○ पारंपरिक जल निकायों के नवीकरण सहित चिन्हित पिछड़े वर्षा-पोषित खंडों/क्षेत्रों में जल स्रोत के निर्माण के लिए मनरेगा के साथ संयोजन।

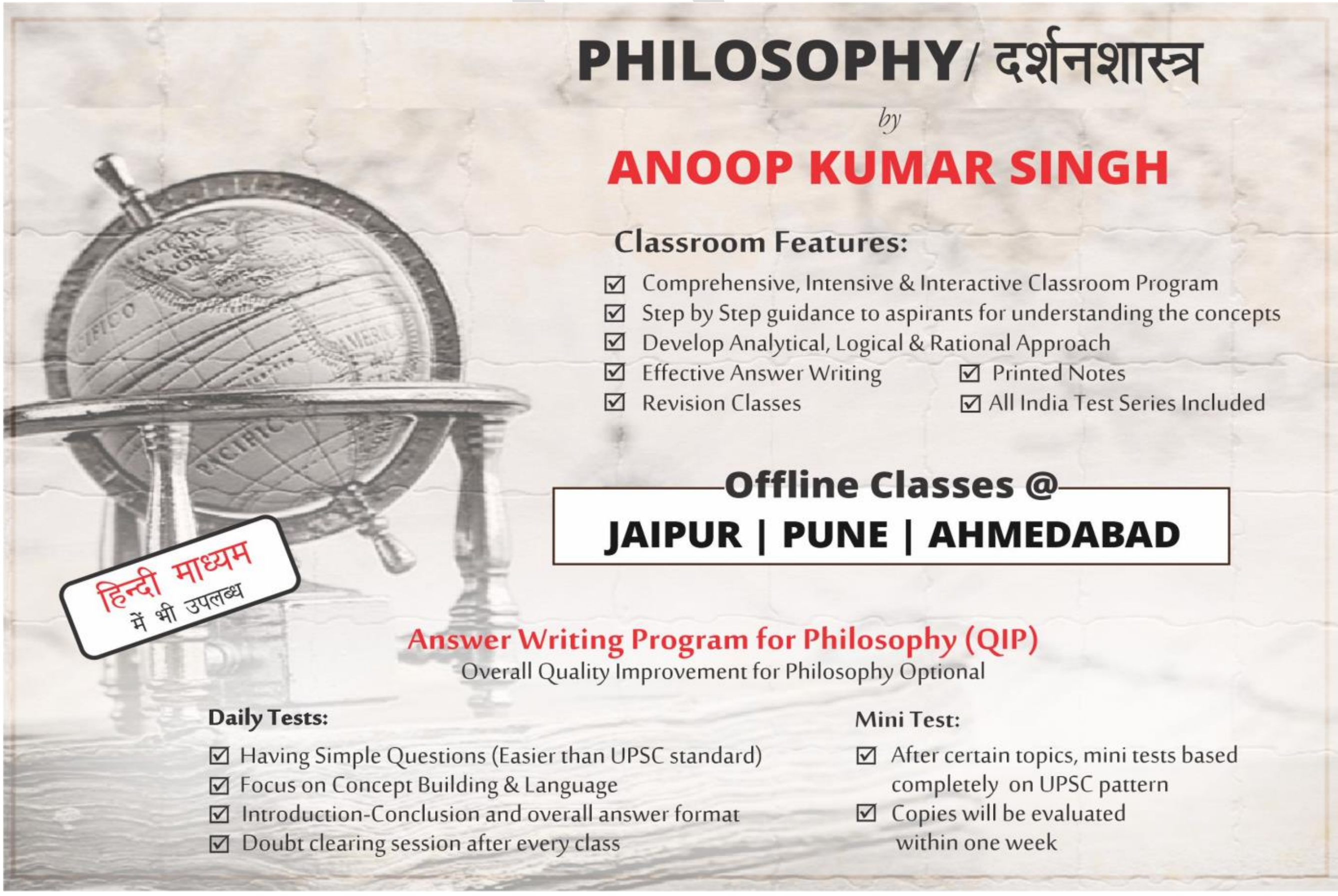

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः भारत

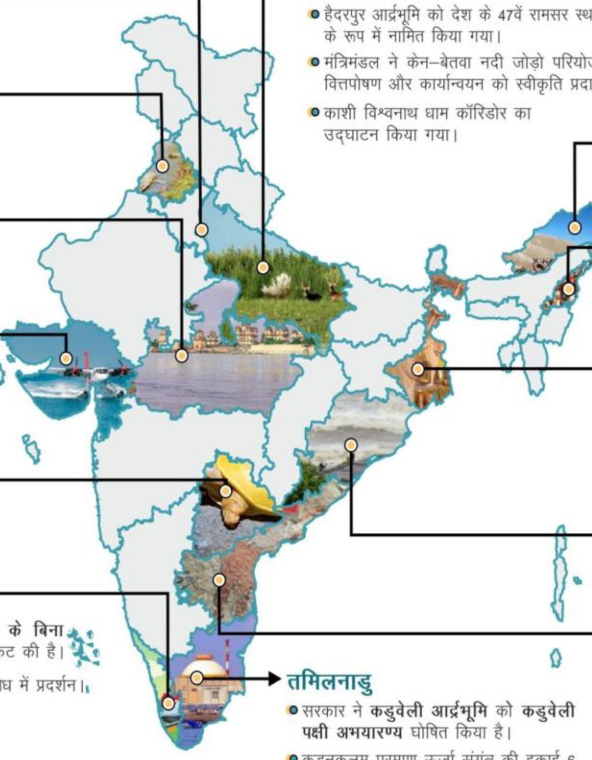

दिल्ली
- निजामुद्दीन बस्ती को दो यूनेस्को पुरस्कार प्राप्त हुए।

पंजाब
- ब्यास संरक्षण रिज़र्व में घड़ियाल का पुनः अधिवास करवाया गया।

मध्य प्रदेश
- मंत्रिमंडल ने केन–बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान की।

गुजरात
- साबरमती रिवर फ्रंट और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच समुद्री विमानों के संचालन।

तेलंगाना
- सिरनापल्ली वन में **एल्बिनो इंडियन फ्लैपशेल कछुए** को देखा गया।

केरल
- केरल सरकार ने **तमिलनाडु द्वारा पूर्व चेतावनी के बिना मुल्लापेरियार बांध से पानी छोड़ने पर चिंता** प्रकट की है।
- **सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, रेलवे परियोजना** के विरोध में प्रदर्शन।

उत्तर प्रदेश
- हैदरपुर आर्द्रभूमि को देश के 47वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया।
- मंत्रिमंडल ने केन–बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के वित्तपोषण और कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान की।
- काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया।

तमिलनाडु
- सरकार ने **कडुवेली आर्द्रभूमि** को **कडुवेली पक्षी अभयारण्य** घोषित किया है।
- कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई 6 का निर्माण कार्य आरंभ हुआ।

अरुणाचल प्रदेश
- चीन ने 15 स्थानों के लिए 'आधिकारिक' चीनी नामों की घोषणा की।

नागालैंड
- **हॉर्नबिल महोत्सव** मनाया गया।
- मोन जिले में सेना के एक अभियान में नागरिकों की हत्या।

पश्चिम बंगाल
- कम से कम 23 वर्ष बाद एक रॉयल बंगाल टाइगर को बक्सा टाइगर रिज़र्व में देखा गया।
- **'कोलकाता की दुर्गा पूजा'** को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया।

ओडिशा
- चक्रवात **'जवाद'** ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों से टकराया।

आंध्र प्रदेश
- पोलावरम बांध परियोजना के **संचालन ने विकास प्रेरित विस्थापन की चिंता बढ़ा दी है।**
- कुरनूल जिले में दुर्लभ काले पाषाण पर निर्मित चित्र पाए गए।

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः विश्व

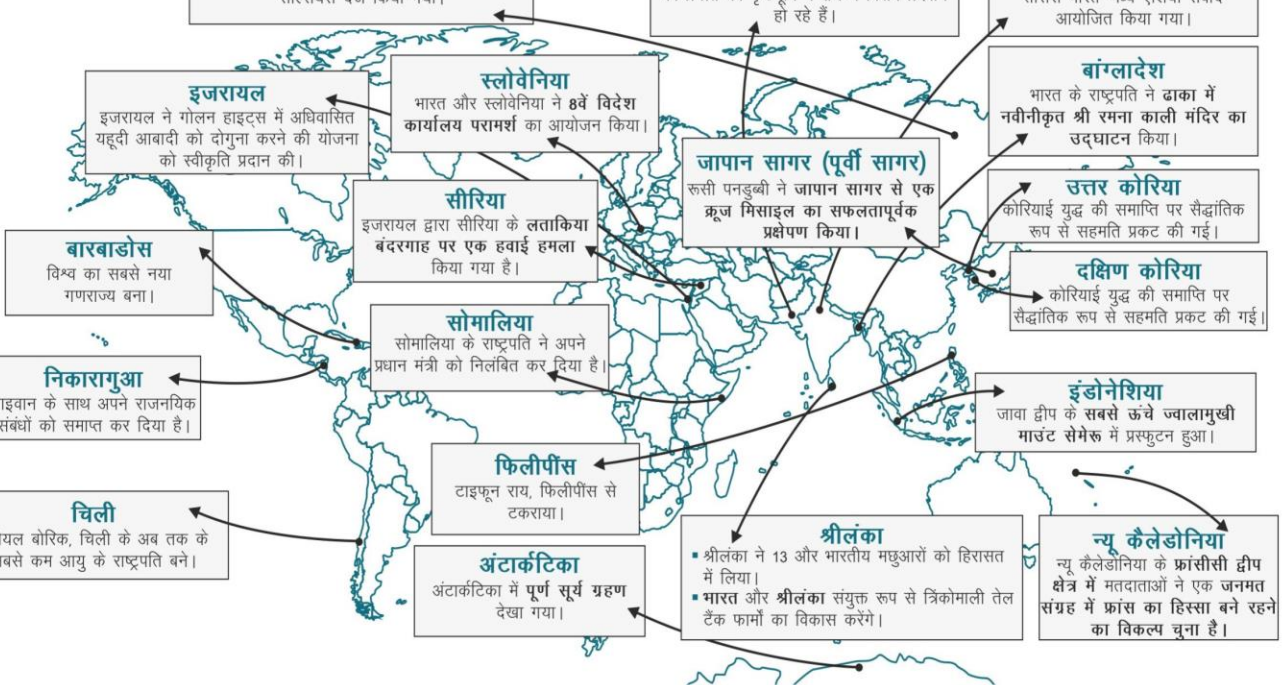

रूस
रूसी शहर वेर्खोयांस्क में उच्चतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

पाकिस्तान
चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के कार्य की प्रगति की पृष्ठभूमि में क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

मध्य एशिया
तीसरा भारत–मध्य एशिया संवाद आयोजित किया गया।

इजरायल
इजरायल ने गोलन हाइट्स में अधिवासित यहूदी आबादी को दोगुना करने की योजना को स्वीकृति प्रदान की।

स्लोवेनिया
भारत और स्लोवेनिया ने **8वें विदेश कार्यालय परामर्श** का आयोजन किया।

बांग्लादेश
भारत के राष्ट्रपति ने **ढाका में नवीनीकृत श्री रमना काली मंदिर का** उद्घाटन किया।

जापान सागर (पूर्वी सागर)
रूसी पनडुब्बी ने **जापान सागर से एक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया।**

सीरिया
इजरायल द्वारा सीरिया के **लताकिया बंदरगाह पर एक हवाई हमला** किया गया है।

उत्तर कोरिया
कोरियाई युद्ध की समाप्ति पर सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रकट की गई।

बारबाडोस
विश्व का सबसे नया गणराज्य बना।

दक्षिण कोरिया
कोरियाई युद्ध की समाप्ति पर सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रकट की गई।

सोमालिया
सोमालिया के राष्ट्रपति ने अपने प्रधान मंत्री को निलंबित कर दिया है।

निकारागुआ
ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया है।

इंडोनेशिया
जावा द्वीप के **सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट सेमेरू** में प्रस्फुटन हुआ।

फिलीपींस
टाइफून राय, फिलीपींस से टकराया।

चिली
गेब्रियल बोरिक, चिली के अब तक के सबसे कम आयु के राष्ट्रपति बने।

श्रीलंका
- श्रीलंका ने 13 और भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया।
- **भारत** और **श्रीलंका** संयुक्त रूप से त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्मों का विकास करेंगे।

न्यू कैलेडोनिया
न्यू कैलेडोनिया के **फ्रांसीसी द्वीप क्षेत्र** में मतदाताओं ने एक **जनमत संग्रह में फ्रांस का हिस्सा बने रहने का विकल्प चुना है।**

अंटार्कटिका
अंटार्कटिका में **पूर्ण सूर्य ग्रहण** देखा गया।

सुर्खियों में रहे प्रमुख व्यक्ति

व्यक्तित्व	विवरण	प्रदर्शित नैतिक मूल्य
 सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर	● प्रधान मंत्री ने सेंट फ्रांसिस जेवियर के पर्व के दिन गोवा के लोगों को बधाई दी है। ● वह **सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापकों में से एक** थे। वह 1542 ई. में गोवा पहुंचे थे। ● **व्यक्तित्व लक्षण:** धार्मिक दर्शन, ईश्वर एवं मानव जाति की सेवा, सद्भाव और भाईचारे की भावना आदि। ● ज़ेवियर ने **जेसुइट मिशन केंद्रों का एक नेटवर्क** स्थापित किया था। ● 3 दिसंबर को सेंट फ्रांसिस जेवियर की पुण्यतिथि होती है। ● बेसिलिका के बोम जीसस चर्च में सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर के अवशेष अभी भी मौजूद हैं।	● **विश्वास और प्रतिबद्धता** ▸ वह अपने धार्मिक विचारों की पवित्रता में दृढ़ता से विश्वास करते थे और उन्हें आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए पूरी लगन से काम करते थे।
 दारा शिकोह	● वह **शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र** था। अपने भाई **औरंगजेब के खिलाफ उत्तराधिकार का युद्ध हारने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी।** ● उसे एक **"उदार मुस्लिम"** के रूप में वर्णित किया गया है। उसने हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच समानताएं खोजने का प्रयास किया था। ● उसने **फारसी में भगवद गीता के साथ–साथ 52 उपनिषदों का अनुवाद करवाया था,** जो पहले केवल कुछ उच्च जाति के हिंदुओं के लिए जाने जाते थे। ● उसने **सूफी रहस्यवाद में गहन रुचि** प्रदर्शित की थी और **सूफियों के कादिरी सिलसिले** में दीक्षित हुआ था।	● **आत्मसातीकरण और सद्भाव** ▸ उसने प्रमुख धर्मों, विशेष रूप से इस्लाम और हिंदू धर्म की गहरी समझ और ज्ञान विकसित किया। उसे भारत में अंतरधार्मिक समझ के लिए अकादमिक आंदोलन के अग्रणी के रूप में जाना जाता है। ▸ उसने दोनों धर्मों में न केवल समानताएं खोजीं, बल्कि यह भी कहा कि दो धर्मों की नींव एक ही है, जो कि "एक सत्य और एक ईश्वर" की मान्यता है।
 श्रीनिवास रामानुजन	● उनके जन्मदिवस **22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस** के रूप में मनाया जाता है। ● रामानुजन ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी के **सबसे युवा सदस्यों में से एक थे।** ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय भी थे। ● **गणितीय योगदान:** संख्याओं का विश्लेषणात्मक सिद्धांत, दीर्घवृत्तीय फलन, सतत भिन्न, अनंत श्रेणी आदि। ▫ उनके सबसे बहुमूल्य निष्कर्षों में से **एक पाई के लिए उनकी अनंत श्रेणी** थी, जो आज हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई एल्गोरिदम का आधार है। ● उनके जीवन को वर्ष 2015 की फिल्म **'द मैन हू न्यू इनफिनिटी'** में चित्रित किया गया था।	● **वैज्ञानिक योग्यता और ज्ञान** ▸ उन्होंने अपने शोध कार्य से संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ▸ उनकी खोजों को भौतिकी (जैसे– स्ट्रिंग थ्योरी) में लागू किया गया है।
 पी.एन. पणिक्कर	● वे एक स्कूल शिक्षक थे और उन्हें **केरल में पुस्तकालय और साक्षरता आंदोलन का जनक माना जाता है।** ● •उनकी पुण्यतिथि को **'रीडिंग डे'** के रूप में मनाया जाता है। ● **योगदान:** ▫ उन्होंने **मानव संसाधन विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की नींव रखी थी।** उनका संदेश था "वायचु वलारुका" **("पढ़ें और बढ़ें")**। ▫ केरल एसोसिएशन फॉर नॉन–फॉर्मल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट **(KANFED) के माध्यम से केरल राज्य साक्षरता मिशन के महत्वपूर्ण प्रसार में उनकी अहम भूमिका रही थी।** ▫ उन्होंने **त्रावणकोर पुस्तकालय संघ** की भी स्थापना की थी।	● **नेतृत्व और दृढ़ निश्चय** ▸ उन्होंने पुस्तकालयों और साक्षरता को जन आंदोलन बनाया। ▸ उन्होंने साक्षरता को बहुत बढ़ावा दिया, जिसने अंततः केरल में सार्वभौमिक साक्षरता को प्रेरित किया।
 शारदा मेनन	● वह भारत की **पहली महिला मनोचिकित्सक** और **पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता** थीं। ● **महत्वपूर्ण योगदान:** ▫ उन्होंने **पुरानी धारणाओं को दूर कर मानसिक स्वास्थ्य पर लोगों का दृष्टिकोण बदला।** ▫ पुनर्वास के प्रयासों में सामाजिक संगठनों की भागीदारी के माध्यम से **मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के पुनर्वास में योगदान दिया।** ▫ उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक को दूर करने की दिशा में भी कार्य किया।	● **सेवाभाव और अदम्य साहस** ▸ अपने पूरे जीवनकाल में, उन्होंने मानसिक रोगों की समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाकर बीमारों को सम्मान दिया, जब मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को शायद ही कभी स्वीकार किया जाता था। ▸ उनके महत्वपूर्ण गुणों में निःस्वार्थ सेवा, भक्ति, साहस, टीम निर्माण और प्रेरणा शामिल हैं।
 मौलाना वहीदुद्दीन खान	● वहीदुद्दीन खान **एक इस्लामी विद्वान, आध्यात्मिक नेता और शांति समर्थक के रूप** में वर्ष 2021 के पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं में शामिल हैं। ● **महत्वपूर्ण योगदान** ▫ उन्होंने इस्लाम के आध्यात्मिक ज्ञान, धर्म के आधुनिकता से संबंध और अन्य समकालीन मुद्दों से संबंधित **200 से अधिक पुस्तकें लिखीं हैं।** ▫ वर्ष 1976 में **अर–रिसाला (द मैसेज)** पत्रिका आरंभ की। ▫ **सेंटर फॉर पीस एंड स्पिरिचुअलिटी** के संस्थापक। ▫ डेमियुर्गस पीस इंटरनेशनल अवार्ड, पद्म भूषण, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार और राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए।	● **अंतर–धार्मिक सद्भाव और व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा** ▸ वह संवाद की शक्ति और आपसी सम्मान में विश्वास करते थे। ▸ वे अहिंसा के गांधीवादी दर्शन के प्रति प्रतिबद्ध रहे और उसे अपने जीवन में लागू किया।
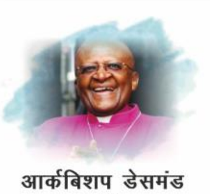 **आर्कबिशप डेसमंड टूटू**	● वह एक दीर्घानुभवी रंगभेद विरोधी एक्टिविस्ट और शांति प्रचारक थे, जिन्हें व्यापक रूप से **'दक्षिण अफ्रीका का नैतिक विवेक'** माना जाता था। ● **महत्वपूर्ण योगदान:** ▫ रंगभेद व्यवस्था के दौरान अश्वेत लोगों के उत्पीड़न का विरोध किया। ▫ **ट्रुथ एंड रेकन्सिलीऐशन कमीशन** (रंगभेद युग के दौरान किए गए अपराधों की जांच के लिए स्थापित) की सुनवाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रंगभेद के बाद के दक्षिण अफ्रीका के नृजातीय मिश्रण का वर्णन करने के लिए **'रेनबो** ▫ **नेशन'** शब्द गढ़ने का श्रेय दिया जाता है। ● इन्हें **वर्ष 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार** से सम्मानित किया गया था।	● **मानवीय गरिमा और समानता** ▸ वह नस्लीय विभाजन रहित एक लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण समाज में दृढ़ता से विश्वास करते थे। ▸ उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समस्या समाप्त करने के लिए अहिंसक अभियान में एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
 जनरल बिपिन रावत	● वह **वर्ष 1978 में सेना में शामिल हुए** और **वर्ष 2016 में भारतीय सेना के जनरल** तथा **वर्ष 2019 में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS)** नियुक्त किये गए। ▫ CDS सशस्त्र बलों के **तीनों अंगों को "शीर्ष स्तर पर प्रभावी नेतृत्व"** प्रदान करने के लिए फोर स्टार जनरल का पद है। ● उनके योगदानों में **सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण, उत्तर पूर्व में उग्रवाद को नियंत्रित करना, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का नेतृत्व करना आदि शामिल हैं।**	● **पेशेवर सत्यनिष्ठा और वीरता** ▸ एक उत्कृष्ट सैनिक के रूप में उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से ईमानदारी और दृढ़ संकल्प का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। ▸ उन्होंने त्रि–सेवा एकीकरण और समन्वय, तथा उपकरण अधिग्रहण से संबंधित अति आवश्यक सैन्य सुधारों की शुरुआत की।

वीकली फोकस

शिक्षा संबंधी मुद्दे

“शिक्षा से आत्मविश्वास पैदा होता है। आत्मविश्वास से उम्मीद पैदा होती है। उम्मीद से शांति पैदा होती है।” - कन्फ्यूशियस

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020, इक्कीसवीं सदी की भारत की पहली शिक्षा नीति है जो हमारे देश की मौजूदा और उभरती विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करने के लिए वर्तमान शिक्षा मॉडल के सभी पहलुओं में संशोधन और सुधार का प्रस्ताव करती है। शिक्षा के मुद्दे पर यह श्रृंखला तीन डॉक्यूमेंट्स की एक श्रृंखला है, जो शिक्षा की मूलभूत बातों से शुरू होकर स्कूली शिक्षा की महत्ता को समझने के लिए उच्चतर शिक्षा के ढांचे की खोज करती है, जहां हम भारत की शिक्षा प्रणाली की पूरी संरचना के बारे में जानेंगे। इसका उद्देश्य NEP-2020 की आवश्यकता, उद्देश्य और लक्ष्यों की बेहतर समझ को सुगम बनाना है।

डॉक्यूमेंट	विवरण	अन्य जानकारी
शिक्षा का दार्शनिक आधार	आज की दुनिया में विज्ञान और तकनीक का तेजी विस्फोट हो रहा है लेकिन बुद्धिमत्ता का अंतःविस्फोट हो रहा है। ज्ञान का विस्तार हो रहा है लेकिन व्यक्तित्व संकुचित हो रहा है। यह परिदृश्य समाज और मानव जाति की नैतिकता और मूल्यों में क्रमिक गिरावट का कारण बन रहा है। यह हमारी “समझ की समीक्षा” है, जिसे हम ‘शिक्षा’ कहते हैं! क्या शिक्षा केवल धन अर्जन का एक साधन है या यह इससे कहीं अधिक है? इस डॉक्यूमेंट के जरिए हम विभिन्न दर्शनों के माध्यम से शिक्षा का सही अर्थ जानेंगे और साथ ही यह भी समझेंगे कि हमारी शिक्षा प्रणाली वास्तव में हमें किस हद तक आवश्यक शिक्षा प्रदान करती है।	
स्कूली शिक्षा: मस्तिष्क एक कोरा कागज है	प्रारंभिक शिक्षा भविष्य की सभी शिक्षाओं का आधार बनती है। जिस तरह हम ठोस नींव के बिना घर नहीं बना सकते, उसी तरह हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई बच्चा ठोस नींव के कौशल के बिना जीवन में उन्नति करेगा। फिर भी आज, इनमें से सीखने की अधिकांश नींव पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। यह डॉक्यूमेंट इस बात का विश्लेषण करता है कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच संबंधी योग्यता में सुधार के मामले में भारत ने क्या प्राप्त किया है और कैसे NEP-2020 शिक्षा संबंधी अंतराल को समाप्त करने की कल्पना करता है।	
भारत में उच्चतर शिक्षा: हमारे भविष्य की आधारशिला	पूरे इतिहास में, विश्वविद्यालयों ने व्यक्तियों के साथ-साथ सामान्य रूप से समाज के लिए बहुत सारे लाभ प्रदान किए हैं। 21वीं सदी में, जैसे-जैसे नई खोजें निरंतर तकनीकी नवाचार के साथ जुड़ रही हैं, उच्चतर शिक्षा कभी भी व्यक्ति और समाज के लिए अधिक लाभकारी नहीं रही है। लेकिन जैसा कि हाल के कई अध्ययनों से पता चला है कि भारतीय उच्चतर शिक्षा की समग्र स्थिति निराशाजनक है और इसलिए योग्य कार्यबल की आपूर्ति पर एक गंभीर बाधा है। यह डॉक्यूमेंट इस मुद्दे में गहन विश्लेषण करता है और NEP-2020 के मौलिक सिद्धांतों, दृष्टि और लक्ष्यों को लागू करने के तरीके और साधन सुझाता है ताकि भारत में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार हो सके।	

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

अपनी तैयारी से जुड़े रहिए

सोशल मीडिया पर फॉलो करें

www.visionias.in

10 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2020

from various programs of **Vision Ias**

1 AIR

SHUBHAM KUMAR
(GS FOUNDATION BATCH CLASSROOM STUDENT)

2 AIR

JAGRATI AWASTHI
(ALL INDIA TEST SERIES)

3 AIR
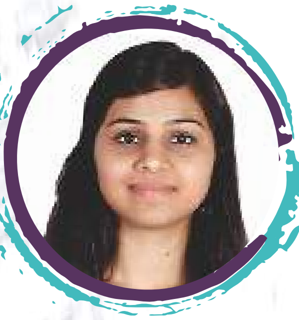
ANKITA JAIN
(ALL INDIA TEST SERIES)

4 AIR

YASH JALUKA
(ABHYAAS TEST SERIES)

5 AIR

MAMTA YADAV
(ALL INDIA TEST SERIES)

6 AIR

MEERA K
(ALL INDIA TEST SERIES)

7 AIR

PRAVEEN KUMAR
(ALL INDIA TEST SERIES , ESSAY TEST , ABHYAAS , PDP)

8 AIR

JIVANI KARTIK NAGJIBHAI
(GS FOUNDATION BATCH CLASSROOM STUDENT)

9 AIR

APALA MISHRA
(ABHYAAS TEST SERIES)

10 AIR

SATYAM GANDHI
(ALL INDIA TEST SERIES, EASSY TEST)

YOU CAN BE NEXT

DELHI

HEAD OFFICE Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station
+91 8468022022, +91 9019066066
Mukherjee Nagar Centre
635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar

JAIPUR 9001949244 | HYDERABAD 9000104133 | PUNE 8007500096 | AHMEDABAD 9909447040 | LUCKNOW 8468022022 | CHANDIGARH 8468022022 | GUWAHATI 8468022022

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC